राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का इकतीसवां दिवस [संख्या: 16

शुक्रवार,

11 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

सैदपुरा (नदबई) को उप तहसील बनाने की कार्ययोजना

257. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई की तहसील उच्चैन की ग्राम पंचायत सैदपुरा के आस-पास की ग्राम पंचायतों को मिलाकर सैदपुरा को नवीन उप तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): जी नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र नदबई की तहसील उच्चैन में ही कुल 16 पटवार मण्डल हैं।

ग्राम पंचायत सैदपुरा एवं आस-पास की ग्राम पंचायत को मिलाकर नवीन उप तहसील सैदपुरा का सृजन किया जाना राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा नवीन तहसील/उप तहसील के सृजन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं है।

उक्त मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि तहसील रूपवास के 5 पटवार मण्डल, 15 राजस्व ग्राम, 3 तहसील उच्चैन के पटवार मण्डल, 8 राजस्व ग्राम, कुल 23 राजस्व ग्राम रूपवास व उच्चैन सैदपुरा जिसकी मैं उप तहसील की मांग कर रहा हूं, क्या सरकार किसी भी तरीके से, क्योंकि वहां लगभग 20 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या उप तहसील बनाने का विचार रखती है?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उप तहसील के राजस्व मण्डल से निर्धारित मापदण्ड गठित हैं। उप तहसील के लिए 15 पटवार मण्डल होना जरूरी है, तभी हम सिफारिश करते हैं। इसके अलावा मुख्य मंत्री जी को इन नियमों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार है। माननीय सदस्य ने मांग भी रखी है और हम इसका परीक्षण भी करवा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से हम भी सिफारिश करेंगे और आप स्वयं भी उनको निवेदन करना ताकि इन मापदण्डों में शिथिलता हो पाएगी। नियमों के आधार पर हम नहीं कर पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

उदयपुर में डी एम एफ टी फंड में जमा राशि

258. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डी एम एफ टी के अन्तर्गत जमा राशि को उसी जिले के विकास कार्यों में व्यय किया जाता है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में जिला उदयपुर में उक्त फण्ड में कितनी राशि जमा हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में डी एम एफ टी के अन्तर्गत सलूम्बर, सराड़ा, जयसमंद, सेमारी व झल्लारा पंचायत समिति में कौन-कौन से विकास कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पंचायत समितियों के खान क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित ग्रामीणों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो डी एम एफ टी राशि से किए गए कार्य एवं व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के प्रावधानों व भारत सरकार के निर्देश दिनांक 12/07/2021 के अनुसार ट्रस्ट फंड में उपलब्ध राशि का उपयोग जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है।

(खान मंत्री)

वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में उदयपुर जिले के डी एम एफ टी फंड में जमा राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	जमा राशि (लाख रुपयों में)
1.	2018-19	9281.48
2.	2019-20	10318.64
3.	2020-21	12537.27

(2) वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 की अवधि में डी एम एफ टी के अन्तर्गत सलूम्बर व सराड़ा पंचायत समिति में 21 विकास कार्यों पर रुपये 536.54 लाख व्यय किये गये हैं। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। उक्त अवधि में जयसमंद, सेमारी व झल्लारा पंचायत समिति में विकास कार्यों पर कोई राशि व्यय नहीं हुई है।

(3) जी हां। खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए ही राज्य सरकार द्वारा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 जारी किये गये हैं, जिसमें खनन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में समुचित प्रावधान किये गये हैं। उक्त पंचायत समितियों के क्षेत्रों में से सलूम्बर पंचायत समिति में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियत्रंण से संबंधित वर्ष 2018-19 में एक कार्य "नर्सरी पौधे तैयारी हेतु आधारभूत सरंचनाएं रेंज सलूम्बर" हेतु राशि रुपये 2.35 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि डी एम एफ टी में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत होते हैं? उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया क्या है? दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 2019-20, 2020-21 के कार्यों के विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि ये कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी राशि उस वर्ष में थी?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी, डी एम एफ टी के दो तरह के कार्य स्वीकृत होते हैं, उच्च वरीयता और अन्य वरीयता। उच्च वरीयता के कार्यों में पेयजल,

(श्री प्रमोद भाया)
पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण, विधवा, विकलांग कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता शामिल हैं, जब कि अन्य वरीयता में आधारभूत विकास के कार्य जैसे सड़क, पुलिया, रेंज से सम्बन्धित, सिंचाई, ऊर्जा, जल संरक्षण व अन्य कार्य, जिसमें पर्यावरण प्रभावित होता हो, वह शामिल हैं।

साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य जी ने जो प्रक्रिया की जानकारी चाही है, जहां तक डी एम एफ टी के कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया है, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रक्रिया बहुत लम्बी हो जाएगी। रिलेवेंट प्रश्न पूछिए। प्रक्रिया में टाइम निकल जाएगा। टू द पाइंट पूछिए।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): शोर्ट में बता देता हूं।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मेरा यह कहना है कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 की राशि आने के बाद उस क्षेत्र में खर्च नहीं कर पाये हैं, एक तो ये पाइंट है। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहूंगा कि डी एम एफ टी की गवर्निंग काउंसिल में सरकार ने जो सदस्य मनोनीत किये हैं, क्या वह सदस्य विकास के प्रस्ताव सीधे रख सकते हैं जबकि 2016 का जो भारत सरकार का कानून बना है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लिया, उत्तर आने दें।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी की चिन्ता वाजिब है। वर्ष 2018-19 में मैंने जो सूची सदस्य जी को उपलब्ध करायी है, 9 करोड़ 39 लाख के जो कार्य स्वीकृत हुए थे, उनमें से अभी 5 करोड़ 36 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसमें जिले की जो कार्यकारी एजेंसी है, वह कार्य करती है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो मैनेजमेंट कमेटी है, वह उसकी मॉनिटरिंग करती है। मैं माननीय सदस्य जी की भावना के अनुरूप जिला कलेक्टर जी, उदयपुर को निर्देश जारी करूंगा कि वह कार्यों की समीक्षा करें और इनमें गति प्रदान करें।

साथ ही माननीय सदस्य जी ने जो तीसरा क्वेश्चन किया है, निश्चित रूप से राज्य सरकार के द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं, वे डी एम एफ टी का जो मूल एक्ट है सेन्ट्रल गवर्नमेंट का, उसमें प्रोविजन है और उसके अनुरूप ही उनको मनोनीत किया गया है। उनको भी सभी सदस्यों के बराबर अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, तीन साल में जो डी एम एफ टी का 421 करोड़ रुपया उदयपुर जिले को प्राप्त हुआ, उसमें से इन्होंने केवल सलूम्बर क्षेत्र में कितना खर्च किया है, वह बताता हूं। आपने एक सूची दी है परिशिष्ट 'ए' पर, सलूम्बर क्षेत्र में जो काम हुए हैं, उसमें आपने लिखा है कि 9 करोड़ 49 लाख रुपया कुल स्वीकृति निकाली और उसमें से 5.36 कुल खर्च हुआ। बाकी 2019-20 में जैसा आपने कहा, खर्च ही नहीं हुआ पैसा। अब इसमें से भी आपने नर्सरी के लिए जिसका उत्तर दिया है, 2 करोड़ 35 लाख रुपया स्वीकृत किया, खर्चा जीरो हुआ। जो पैसा आपने नर्सरी के लिए और पर्यावरण सुधार के लिए दिया था 2018-19 में, वह आज की तारीख में जीरो खर्चा है। न तो आपने 2019-20 में खर्च किया, न 2020-21 में किया और आपके पास 421 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और 8 विधायक हैं, उनके हिसाब से उनके क्षेत्र के प्रस्ताव को नकारते क्यों हैं?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, डी एम एफ टी में कार्य स्वीकृत करने का कार्य जो गवर्निंग काउंसिल और मेनेजमेंट कमेटी है, उनका ही अधिकार है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष जी भी उसके सदस्य हैं। जहां तक बजट का है, नेता, प्रतिपक्ष जी ने सही बात कही है कि वहां पर बजट लगभग जिला उदयपुर में अभी तक कुल एकत्र हुआ 638.64 करोड़ और कुल 869 स्वीकृति जारी हुई 212.15 करोड़ की और राशि जो वहां बैलेंस है 400 करोड़ से ऊपर, मीटिंग के लिए जो प्रोविजन है, निश्चित रूप से कोरोनाकाल की वजह से मीटिंग्स कम हुई हैं। मैं जिला कलेक्टर जी को इस बारे में निर्देशित करूंगा कि वे जल्दी मीटिंग बुलाएं और उन प्रस्तावों पर जो सदस्य हैं, वे अपने हिसाब से निर्णय करें, उसके लिए काउंसिल अपने आप में सक्षम है।

श्री अध्यक्ष: मदन जी, आप उदयपुर पहुंच गये क्या? कटारिया जी से पहले आप उदयपुर पहुंच रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप 2018-19 की मीटिंग का रेफरेंस दे रहे हो, इन तीन सालों में, आपकी इस काउंसिल की मीटिंग कब-कब हुई?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, I am sorry. मंत्री जी ने यह कह दिया है कि यह बात सही है, 2019-20 और 2020-21 में मीटिंग नहीं

(श्री अध्यक्ष)

हुई। डायरेक्शन दे दिया कि जल्दी मीटिंग करके, या जो गवर्निंग काउंसिल है, वह बैठकर फैसला करे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि आप भी उसके मैम्बर हो, अगर आप सूचना नहीं भेजो तो मैम्बर मीटिंग में जायेगा कैसे? मेरी सूचना के बारे में, मैंने आपके सब अधिकारियों को कह दिया कि आपने मीटिंग की है, मुझे सूचना आपकी मीटिंग हो जाने के बाद यह कागज मुझे मिला है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल नागर।

सामोद स्थित हनुमान मन्दिर में रोप-वे का निर्माण

259. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में जिला जयपुर के सामोद हनुमान मंदिर परिसर के विकास हेतु कितनी राशि व्यय की गई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त के मार्ग को सुगम बनाने हेतु रोप-वे से आवागमन प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो किस वर्ष से प्रारम्भ किया गया? यदि नहीं, तो वर्तमान में रोप-वे से आवागमन क्यों एवं किस कारण से बंद है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, विकलांगों व वृद्धों की उक्त मंदिर परिसर तक पहुंच सुगम एवं आसान बनाने तथा प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु उक्त रोप-वे को तत्काल पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से जवाब देना चाहूंगा (1) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत स्वीकृत आध्यात्मिक सर्किट में सामोद हनुमान मंदिर परिसर, जयपुर में पर्यटन विकास कार्यों हेतु विगत पांच वर्षों में राशि रु. 1.28 करोड़ व्यय की गई, जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा सामोद हनुमान मंदिर तक रोप-वे से आवागमन

(पर्यटन मंत्री)

प्रारम्भ नहीं किया गया है। श्री वीर हनुमान जी ट्रस्ट द्वारा आवेदन करने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी (जिला कलेक्टर जयपुर) के द्वारा दिनांक 17.05.2019 को सशर्त अनापत्ति जारी की गयी, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

परन्तु आवेदक द्वारा सशर्त अनापत्ति की शर्तों की पालना नहीं की गई, जिसके कारण आवेदनकर्ता को दिनांक 27.06.2019 को नोटिस दिया जाकर रोप-वे संचालन बंद करवा दिया गया।

(3) श्री वीर हनुमान जी ट्रस्ट, सामोद द्वारा प्रस्तावित उक्त रोप-वे वाली भूमि से लगती हुई वन भूमि स्थित है। अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित रोप-वे के संबंध में सहमति प्रदान करने हेतु वन विभाग को पत्र लिखा गया है। वर्तमान में प्रकरण वन विभाग की सहमति हेतु प्रक्रियाधीन है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है। पर्यटन मंत्रलाय ने कई करोड़ों रुपये...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, सीधा प्रश्न।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, सीधा प्रश्न कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह जमीन है, जबसे यह जमीन 1955 भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आई, जहां रोप-वे बनाया गया है। ग्राम महार कलां स्थित खसरा नम्बर-7/1531....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह वन विभाग की भूमि नहीं है। वन विभाग की भूमि नहीं है, इसके बाद भी वन विभाग की एनओसी देने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? कलेक्टर ने सारी फार्मेलिटी पूरी करने के बाद...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): जिलाधीश ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद, यहां तक कि सेशन न्यायाधीश ने भी आदेश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। वन भूमि है या नहीं, इसका जवाब दे दें बस।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य, इसमें

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

लाइसेंस देने वाली अथारिटी कलेक्टर है। परसों ही, जिला कलेक्टर जयपुर से हमारे पास चिट्ठी प्राप्त हुई है कि वन विभाग की भूमि है। मेरी माननीय सदस्य से पहले बात हो चुकी, पहले सदन शुरू हुआ था। उनके पास तहसीलदार की तरफ से एक अलग कागज है, जो उन्होंने पढ़कर सुनाया। हमारे पास जिला कलेक्टर से अलग रिपोर्ट आई है कि यह वन विभाग की भूमि है। जब तक वन विभाग एनओसी नहीं देगा तब तक हम सक्षम नहीं हैं, But he is the licensing authority. जैसे आपका नीमच माता का मन्दिर उदयपुर में है। नेता, प्रतिपक्ष भी जानते हैं। आज उसको परमिशन मिल जायेगी कलेक्टर द्वारा, लेकिन कागज तो पूरे हों। आपका आदेश होगा तो हम फिर दुबारा रिपोर्ट मंगा लेंगे कि यह वन भूमि किसकी है?

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अगर यह वन विभाग की जमीन नहीं है तो क्या...

श्री अध्यक्ष: जब हो जायेगी तब फैसला कर लेंगे। अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

दौसा में प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान 2021 में पट्टों का वितरण

260. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़) (श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा) के स्थान पर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पट्टे जारी करने का लक्ष्य निर्धारित था एवं कितने पट्टे जारी किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त अभियान के तहत जिला दौसा में कितने लोगों को पट्टे वितरित किये गये तथा कितने आवेदन लम्बित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त जिले में लम्बित आवेदनों का कब तक निस्तारण कर पट्टे जारी कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। मंत्री जी हैं? ओम प्रकाश जी की जगह यह प्रश्न पूछ रहे हैं।

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पात्र परिवारों को

(पंचायती राज मंत्री)

पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में कुल 10,13,348 पट्टे जारी किये गये हैं।

(2) उक्त अभियान के तहत दौसा जिले में विधान सभा क्षेत्रवार वितरित किये गये पट्टे तथा लम्बित आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	**विधान सभा क्षेत्र का नाम**	**वितरित किये गये पट्‌टों की संख्या**	**लंबित आवेदनों की संख्या**
1	दौसा	3685	0
2	लालसोट	5453	0
3	बांदीकुई	4108	0
4	सिकराय	4069	0
5	महुवा	4076	0
कुल योग		**21,391**	**0**

(3) वर्तमान में कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत मण्डावर में 01 नवम्बर, 2021 को शिविर आयोजित किया गया था। उसमें उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में सरपंच द्वारा यह बताया गया कि 12 पट्टे आज जारी किये जायेंगे, लेकिन उस दिन 6 पट्टे ही जारी किये गये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): उसके बाद अब तक, तीन बार प्रशासन द्वारा भी सरपंच को निर्देशित किया गया पर 6 लोगों के पट्टे, ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न। डिटेल में नहीं।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जारी नहीं हुए। यह पट्टे कब तक जारी हो जायेंगे, नहीं करने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डावर में कुल आवेदनों की संख्या 80 है। निरस्त आवेदन 68 हैं। जारी पट्टों की संख्या 12 है, जिसमें वितरित पट्टे 7 हैं और 5 शेष हैं। जैसा कि मुझे वहां से सूचना मिली है कि 90 दिन बाद भी पट्टे जारी नहीं किये गये तो किस कारण से नहीं किये गये, हम इसकी जांच कराकर और यदि सरपंच या कोई भी अधिकारी दोषी है तो सरपंच के खिलाफ धारा 38, पंचायती राज 1994 के तहत कार्यवाही की जायेगी, पर एक बार जांच करवाकर जो भी निर्णय होगा, हम नियमानुसार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

अल्पसंख्यक आयोग एवं विकास निगम का गठन

261. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग व अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन कर दिया गया है? यदि हां, तो गठन की अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हेतु 01 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा 31 जनवरी, 2022 तक कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अलवर में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा कितने पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन दिनांक 14.02.2022 को किया जा चुका है। चार सदस्यों के पद रिक्त हैं।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड का गठन राज्यादेश दिनांक 19.04.2000 द्वारा किया गया है। वर्तमान में शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रशासक हैं। सूचना परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

(2) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट में कुल 3370 लाख रुपये राशि स्वीकृत की गई तथा उसके विरुद्ध 31 जनवरी, 2022 तक 2264.54 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) अलवर ज़िले में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14 लाभार्थियों को व्यावसायिक ऋण व 03 लाभार्थियों को शिक्षा ऋण स्वीकृत कर कुल 17 लाभार्थियों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(सूचना, विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि जब अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वित्त कारपोरेशन का गठन हो चुका है तो अल्पसंख्यक वित्त कारपोरेशन का गठन अब तक क्यों नहीं हुआ है? दूसरी बात, जिन 17 व्यक्तियों के नाम आपने दिये कि इनको लोन सैंक्शन हो गया, फाइनेंशियल ईयर खतम होने वाला है, इन लोगों को एक पैसा नहीं पहुंचा है? तीसरी बात, एमनेस्टी योजना में सरकार के द्वारा अब तक कितने लोगों को फायदा दिया जा चुका है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बोर्ड के गठन की प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है, जैसा कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी अभी बनाये गये हैं। जल्दी ही दूसरी प्रक्रिया, अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड का है, उसके गठन की प्रक्रिया भी चालू है। जल्दी ही इसका भी गठन किया जायेगा।

दूसरा आपने पूछा है कि जिन लोगों के आवेदन हैं, उनके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी है, उस कमेटी ने निर्णय ले लिया। हमारे स्तर पर उनकी एफएस जारी हो चुकी है। जल्दी ही, जो लोनी हैं, उनके खाते में पैसा चला जायेगा।

तीसरी बात, आपने एमनेस्टी स्कीम के लिए कही है। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी इस एमनेस्टी योजना को लागू किया। हमारे राजस्थान के अन्दर काफी खाते एन.पी.ए. हो

(श्री शाले मोहम्मद)

चुके थे, इसकी वजह से लोगों को जो लोन देना था, वह प्रक्रिया बन्द हो चुकी थी। हमने अभी वर्तमान में जुलाई के अन्दर यह एमनेस्टी योजना लागू की थी, उसमें लगभग 5,161 लोगों को फायदा दिया। इस योजना के अन्दर तीन चरणों में हमने अलग-अलग लोन माफ किये हैं। इसमें मूलधन में 80 परसेंट राशि ली एवं समस्त इसका ब्याज माफ किया और तीन चरणों में, लगभग फर्स्ट चरण में 61 परसेंट लोगों को फायदा मिला और लगभग 40 करोड़ रुपये माफ हुए और सैकण्ड चरण में 1.90 करोड़ रुपये से 301 लोगों को फायदा मिला। कुल मिलाकर 42 करोड़ रुपये का हमने इसमें ऋण माफ किया है और 5,462 ऋणियों को इसका फायदा मिला है।

माननीय सदस्य जिस जिले से आ रही हैं, तो अलवर के अन्दर अभी फर्स्ट चरण में 170 लोगों को हमने यह फायदा दिया है और लगभग 2.25 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है और सैकण्ड चरण में 1.11 लाख का फायदा हुआ है, तो कुल मिलाकर अलवर के अन्दर 2.26 करोड़ रुपये का एमनेस्टी के अन्दर पैसा माफ किया है।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि पिछले साल आपने 20 लाख रुपये का टार्गेट दिया था लोन देने का, तो 20 लाख रुपये से किसी समाज का कुछ आर्थिक उत्थान हो सकता है क्या? इस अल्पसंख्यक में देखिये कि बहुत सारे समाज आते हैं। जैन समाज भी आता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): इसका जवाब दीजिए।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय सदस्य जो कहना चाहती हैं इसके लिए कि लोन का टार्गेट कम दिया गया। मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि जो ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारण होता है वह जनसंख्या एवं ऋण की रिकवरी के आधार पर होता है, क्योंकि अलवर सहित आठ जिलों में हमारी रिकवरी कम हुई थी, इसकी वजह से 2019 के अन्दर हमने इस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद 2021 में इसकी यह रोक हटी है और हटने के बाद में अभी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका आवश्यकतानुसार पैसा बढ़ाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन

262. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में उक्त निधि के अंतर्गत क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित किए गये एवं कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर उक्त अभियान प्रस्तावित किया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में उक्त अभियान के अंतर्गत जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक किए गए कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में इंदिरा महिला शक्ति निधि बनाई गयी। इसके अन्तर्गत इंदिरा महिला शक्ति योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में आयोजित किये गये कार्यक्रमों एवं योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इंदिरा महिला शक्ति निधि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर अभियान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितनी महिलाओं ने शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन किया? उनमें चयन का आधार क्या रहा? बाकी रही आवेदनकर्ताओं के आवेदन निरस्त करने के क्या कारण थे? क्या दस महिलाएं ही पात्र थीं? एक।

नम्बर दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना में जिन महिलाओं एवं बालिकाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया तो प्रशिक्षण के उपरान्त कितनों को रोजगार उपलब्ध हुआ या यह प्रशिक्षण मात्र सर्टिफिकेट ही है?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय

(श्रीमती ममता भूपेश)

अध्यक्ष महोदय, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि दस लाभार्थियों को 20 लाख 14 हजार 250 रुपये का अनुदान-युक्त ऋण उपलब्ध करवाया गया है। जैसे ही हम यह योजना लेकर आये तो उसी वक्त 2020 में ही कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से न तो हम लोग जाजम बैठकें कर पाये और न इनके प्रशिक्षण शिविर, अवेयरनेस कैम्प ही कर पाये। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत गांव-गांव जाकर हम लोग योजनाएं लोगों को बताते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर उस समय रोक लग गयी थी। कोविड की वजह से किसी प्रकार की बैठक नहीं हो रही थी इसलिए हमारे जो अवेयरनैस कैम्प थे, वह हम कम कर पाये इसलिए यह संख्या कम रही है।

अब चूंकि कोविड समाप्त हो चुका है तो हमारा विभाग बहुत द्रुत गति से इस कार्य को करने के लिए प्रयासरत है। मैं आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहूंगी कि इस वर्ष हमारी महिलाओं की संख्या भी बहुत बढ़ रही है। हमने सारे बैंकों के एच.ओ.डीज. के साथ मीटिंग करके जो बैंकों के ऋण आवेदन करते हैं, उनमें जो छोटी-मोटी कमी बैंक के माध्यम से निकाली जाती है, उनको दूर करने के लिए प्रयासरत भी हैं और सारे एच.ओ.डीज. ने अभी हम लोगों को यह आश्वस्त किया है कि इस उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत हम लोग सहयोग करेंगे।

अभी 08 मार्च को जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे बताते हुए खुशी है कि उस दिन हम लोगों ने अच्छे कार्य करने वाले कलेक्टर को, लोन के अन्दर मदद करने वाले अच्छे बैंकों को फैसिलिटेट भी किया, उनको मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा प्राइज भी दिये गये, जिससे इसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और बैंक भी इसमें आगे आकर महिलाओं को उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए लाभान्वित करवा पाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जाजम बैठकें मंत्रीजी ने बताया कि हम नहीं कर पाये। 48 ग्राम पंचायतों में 90 जाजम बैठक हुई हैं और उसके बावजूद भी यह पता नहीं लग रहा कि कौन-कौनसी तारीख में कहां-कहां यह जाजम बैठकें हुई हैं, अभी तक कहीं पता ही नहीं है।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी सूचना चाही है, 90 जाजम बैठकों की सूचना शीघ्र आपको उपलब्ध करवा दी जायेगी और यह जो जाजम बैठकें हमने पिछले दो वर्षों में की हैं, यह कोविड की जागरूकता के लिए ही हमको करनी पड़ी हैं। मैंने जो पेपर दिया है, उसी में आपको लिखा है कि हमने बैठकें की हैं, यह इसीलिए की हैं, तो जो हमारी साथिन बहिनें होती हैं, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी, इन्होंने कोविड महामारी के अन्दर जो अभूतपूर्व कार्य किया, मैं यह समझती हूं कि कोविड के दौरान राजस्थान की जनता को सम्भालने का हमारी साथिन बहिनों ने, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने, आशा सहयोगिनी ने जो सहयोग दिया, उसके लिए पूरे सदन को उनको एप्रीशिएट करना चाहिए और इन बैठकों की सूचना आपको शीघ्र दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

प्रतापगढ़ में बड़े मजरों को सड़कों से जोड़ने की योजना

263. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला प्रतापगढ़ में कितने राजस्व गांव हैं, जो अब तक सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में बड़े मजरों को भी सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जिला प्रतापगढ़ में 184 राजस्व गांव डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में बड़े मजरों को सड़क से जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले में अधिकांश वे गांव जो आदिवासी बहुल हैं, 184 गांव देश आजाद होने के 75 वर्ष बाद भी सड़कों से वंचित हैं, इन सभी गांवों को क्या विशेष पैकेज देकर सड़कों से जोड़ने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गांव ऐसे हैं कि जो वन विभाग के कारण जुड़ नहीं सकते क्योंकि फोरेस्ट में कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, उसके कारण से नहीं जुड़ पाते हैं। माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ जिले में जनगणना 2011 के आधार पर कुल 970 राजस्व गांव हैं और जनगणना 2011 के आधार पर 1000 से अधिक जनसंख्या के 259 गांवों में 257 गांव सड़क से जुड़े हुए हैं एवं दो वन क्षेत्र में आने के कारण अभी तक डामर सड़क से नहीं जुड़ सके हैं। 500 से 999 तक जनसंख्या के 284 गांवों में से 277 गांव सड़क से जुड़े हुए हैं एवं 7 गांव वन क्षेत्र में आने के कारण अभी तक डामर सड़क से जोड़े नहीं जा सके एवं जनगणना 2011 के आधार पर 250 से लेकर 499 तक 237 गांवों में से 192 गांव डामर सड़क से जुड़ हुए नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह सिम्पल प्रश्न है। 184 जोड़ने हैं या नहीं जोड़ने हैं? बस, That solved. जो प्रश्न से रेलेवेंट है अपना सिम्पल कि 184 जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट के अलावा जो भी गांव हैं, वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे तो वह योजनाबद्ध रूप से कर देंगे।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): फोरेस्ट में है तो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जनसंख्या के आधार पर जुड़ते हैं, जनसंख्या अभी तक वहां तक पहुंची नहीं है, आपकी जनसंख्या बहुत कम है इसलिए जब भी सरकार रिलेक्स करेगी तब जुड़ेंगे। अगला प्रश्न। श्री लक्ष्मण मीणा।

बस्सी में अनुसूचित जाति के संचालित छात्रावास

264. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कितने छात्रावास संचालित हैं? छात्रावासों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में कितने विद्यार्थी निवास कर रहे हैं तथा छात्रावास भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव की स्थिति कैसी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विभाग द्वारा राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास तूंगा संचालित है।

(2) उक्त छात्रावास की छात्र स्वीकृत क्षमता 35 छात्रों की है। छात्रावास में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 35 छात्र आवासरत हैं तथा छात्रावास भवन की स्थिति अच्छी है।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

सादुलशहर कृषि उपज मण्डी समिति में किसान सहायता के आवेदन

265. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सादुलशहर व श्रीगंगानगर में कृषि कार्य करते समय किसान के घायल होने या मृत्यु हो जाने पर जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक कितने किसानों को सहायता राशि उपलब्ध करवायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक सहायता राशि के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये एवं कितने शेष रहे? लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनान्तर्गत 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक कृषि उपज मण्डी समिति, सादुलशहर द्वारा 17 प्रकरणों में राशि रुपये 9.45 लाख, कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) श्रीगंगानगर द्वारा 45 प्रकरणों में राशि रुपये 33.50 लाख तथा कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) श्रीगंगानगर द्वारा 01 प्रकरण में राशि रुपये 2.00 लाख की सहायता उपलब्ध कराई गई, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनान्तर्गत 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक सहायता राशि के कुल 51 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 40 आवेदन स्वीकृत किये गये एवं 5 आवेदन लम्बित हैं।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के अन्तर्गत राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में मण्डीवार प्राप्त आवेदनों का विवरण परिशिष्ट "ब", स्वीकृत आवेदनों का विवरण परिशिष्ट "स" एवं लम्बित आवेदनों एवं उनके निस्तारण के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि अनाज मण्डी में काम करने वाले जो मजदूर हैं, खेती से रिलेटेड काम करते हैं, क्या वह इस योजना में शामिल हैं? यदि हैं, तो अब तक कितने लोगों को पैसा दिया गया है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो-जो व्यक्ति इस योजना में सम्मिलित हैं, उसमें ज्यादातर खेती में काम करने वाले मजूदर हैं। इसके अलावा हमाल और पल्लेदार हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा प्रकरण हमारे पास में अभी आया नहीं है, जो इस योजना में कवर होता हो और हमने उसको अनुदान नहीं दिया हो।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गिरधारीलाल।

सीकर में शुभ शक्ति योजना के आवेदन

266. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शुभ शक्ति योजना में आवेदन का पोर्टल बंद है? क्या सरकार उक्त पोर्टल को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि 04 फरवरी, 2017 के पश्चात् जिला सीकर में किसी भी आवेदक को उक्त योजना का लाभ नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त योजना के आवेदकों को सीकर सहित पूरे प्रदेश में लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी नहीं। शुभ शक्ति योजना के वर्तमान स्वरूप में संशोधन पर अन्तिम निर्णय होने तक मण्डल की

(राज्य मंत्री, श्रम)

बैठक दिनांक 06.07.2021 में शुभ शक्ति के नये आवेदनों की प्राप्ति को ऑनलाइन पोर्टल पर स्थगित रखने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है।

शुभ शक्ति योजना के वर्तमान स्वरूप में संशोधन संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने पर भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की बैठक में निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) जी नहीं। दिनांक 04.02.2017 के पश्चात् सीकर जिले में 6,505 आवेदकों को शुभ शक्ति योजना का लाभ दिया गया है।

(3) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसरण में शुभ शक्ति योजना के आवेदनों के निस्तारण की प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आवेदन बन्द नहीं हैं तो जुलाई, 2021 से आज तक कुल कितने आवेदन पूरे प्रदेश में लिए गये? जब एक भी आवेदन पूरे राजस्थान में नहीं लिया गया तो क्या राज्य सरकार असत्य उत्तर देने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, शुभ शक्ति योजना राज्य सरकार संचालित करती है या केन्द्र सरकार? यही पूछना था।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): शुभ शक्ति योजना भवन निर्माण का जो सेस आता है, उसके आधार पर चलाई जाती है। भारत सरकार की इसमें कोई मदद नहीं है। जहां तक सीकर जिले का प्रश्न है, सीकर जिले में कुल 1 लाख 17 हजार 858 आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्वीकृत हुए हैं 43 हजार 571, निरस्त हुए हैं 39 हजार 578 और जो इनके पास पेंडिंग 19 हैं, विभागीय स्तर पर 135 लम्बित हैं।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि क्या पोर्टल बन्द है, मंत्रीजी ने बताया, जी नहीं। पहले प्रश्न का जवाब सरकार की ओर से आया है, उसमें अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी या नहीं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): पोर्टल बन्द नहीं है, स्थगित किया गया है क्योंकि शुभ शक्ति का मतलब सिर्फ शादी मान लिया। शादी के अलावा उसको व्यवसाय से जोड़ने के लिए है। इसके अलावा जो दूसरी योजनाएं

(श्री सुखराम विश्नोई)

थीं, क्योंकि कोरोना था, सेस की राशि कम आ रही थी, दूसरी जो प्रसूति सहायता है, छात्रवृति है, सिलिकोसिस से मृत्यु होने पर है, इसको केवल स्थगित किया गया है 2019 में। इसकी दुबारा जांच करवा रहे हैं। बोर्ड की मीटिंग में कमेटी बनाई है। जैसे ही जांच पूरी हो जायेगी, पुन: चालू करेंगे। बन्द नहीं, स्थगित किया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

आयुर्वेद औषधालय को स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में विकसित करने की योजना

267. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने बजट वर्ष 2021 में 1000 आयुर्वेदिक औषधालयों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो प्रदेश के कितने जिलों में अब तक कितने आयुर्वेदिक औषधालयों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा चुका है व उक्त को विकसित करने के लिए कितना बजट आबंटित किया गया?

(2) प्रत्येक स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र पर कुल कितनी लागत आएगी? इसके लिए केन्द्र सरकार से कितनी सहायता मिलेगी?

(3) उक्त केन्द्रों में किस स्तर के कितने पद सृजित किए जाएंगे? उक्त पदों को भरने के लिए सरकार की क्या कार्ययोजना है?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी हां। बजट घोषणा 2021-22 में एक हजार आयुर्वेद औषधालयों को हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गयी थी। उक्त घोषणा के क्रम में प्रथम चरण में 500 आयुर्वेद औषधालयों को आयुष हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। द्वितीय चरण में 500 आयुष हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरों की सूची चयन प्रक्रियाधीन है। प्रथम चरण के 500 आयुष हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स के लिए कुल 50.65 करोड़ (केन्द्रीयांश तथा राज्यांश सहित) राशि आबंटित की गयी थी तथा द्वितीय चरण के 500 आयुष हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स के लिए 50.65 करोड़ (केन्द्रीयांश तथा राज्यांश सहित) राशि की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा राज्यांश प्राप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दोनों चरणों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(2) राज्य वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के तहत प्रति आयुष हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के लिए राशि 10.13 लाख रुपये स्वीकृत है, जिसमें केन्द्रीयांश राशि (60 प्रतिशत) 6.07 लाख रुपये एवं राज्यांश राशि (40 प्रतिशत) 4.05 लाख रुपये हैं।

(3) भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्थायी पद सृजन का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें संविदा के आधार पर योग प्रशिक्षकों को लगाया गया है तथा विभागीय चिकित्साधिकारियों को ही सी.एच.ओ. नियुक्त किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों पर किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवायी जायेंगी और इन केन्द्रों और अन्य आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में मुख्य अन्तर क्या है? उक्त केन्द्रों के लिए आबंटित धनराशि जो आपने 50 करोड़ की बतायी है, उसमें क्या-क्या सुविधाएं सृजित की जानी हैं और इसका उपयोग और प्रगति की स्थिति क्या है? राज्यांश हेतु बजट में कितने रुपयों का प्रावधान इसके लिए किया गया है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि आयुष हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के कांसेप्ट में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत एग्जिस्टिंग आयुष औषधालयों को ही डवलप करने का प्रावधान था, जिसमें ये सुविधाएं दी जानी थीं। जैसे 10 लाख 13 हजार रुपये जो स्वीकृत किया गया है, उसमें जो स्कीम है, मैं बताना चाहूंगा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड ब्रांडिंग पर 5 लाख रुपये, इंसेंटिव टू कम्युनिटी हैल्थ आफिसर, जो चिकित्सा अधिकारी है, जिसको डेजिग्नेट किया गया, उसको इंसेंटिव दिया जायेगा। योग इंस्ट्रेक्टर मेल और फिमेल को लगाया जायेगा और करीब-करीब केवल 11 जगह ऐसी हैं जहां हमें मेल इंस्ट्रेक्टर नहीं मिल पाये थे और 73 महिलाएं नहीं मिल पायी थीं, जिनकी दुबारा विज्ञप्ति 26.02.2022 को जारी कर दी गई है।

फिर टीम बेस इंसेंटिव, जो टीम होगी, इसमें एक चिकित्सक, एक इंस्ट्रक्टर, मेल या फिमेल होंगे, ये पूरी टीम के रूप में काम करेगी। इसके अलावा आशा जो बहिनें हैं, उनको इंसेंटिव दिया है। आशाओं को भी जोड़ा गया है और एमओयू मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट के साथ हो चुका है, जिसमें लगभग इनको 3 करोड़ रुपया आबंटित किया गया है। 60 हजार रुपये प्रति आयुष एण्ड वेलनेस सेन्टर आइडेंटिफाई किया गया है।

(डा. सुभाष गर्ग)

ट्रेनिंग आफ सीएचओ, इनको और प्रेरित करने के लिए ट्रेनिंग का कंसेप्ट है, जिसमें 30 हजार रुपये हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग आफ सीएचओ, 5 हजार का है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग आफ एमपीडब्ल्यू, आशा को 20 हजार का है। लैबोरेट्री सर्विसेज की सुविधाएं भी डवलप की जायेंगी, उसके लिए 28 हजार रुपये है। आई.टी. नेटवर्किंग, हमारा कांसेप्ट है कि इसको स्वास्थ्य दर्पण की तरह नेटवर्किंग की जाए, कितने व्यक्ति वहां आ रहे हैं, कितनी सेवाएं ले रहे हैं, तो उसके लिए 40 हजार रुपये प्रति सेन्टर आइडेंटिफाई किया गया है। आईईसी, ब्रांडिंग के लिए, वहां क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसके लिए आईईसी कंपोनेंट में 25 हजार रुपये है। एस्टेब्लिशमेंट हर्बल गार्डन, वहां 20-22 तरह के हर्बल पेड़ लगाये जायेंगे, जिससे वहां लोकल आदमी द्वारा बताया जा सके कि इन मेडिसनल प्लांट का क्या उपयोग है, जैसे तुलसी है, और भी कुछ चीजें हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री, डिटेल में आप भेज दें। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, इसका अन्त नहीं है। अगला प्रश्न।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय मंत्री महोदय, आपने डिटेल में आलरेडी काफी चीजें बता दीं हैं, डिटेल में आप दे तो देंगे, लेकिन यह जड़ी-बूटी उद्यान केन्द्र आपने बताया कि आप मेडिसनल प्लांट्स के लिए लैण्ड डवलप करेंगे, तो उसमें क्या लैण्ड उपलब्ध हो गई? क्योंकि जहां तक जानकारी है और इसमें भी आपने लिखा है कि यह केन्द्र किसी बिल्डिंग में चल रहा है, तो यह उद्यान डवलप करने के लिए कैसे इसको आगे आप करेंगे? बस मैं आपसे यह जानना चाहती थी।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): बिलकुल, माननीय सदस्या सही कह रही हैं क्योंकि कई जगह आप जानते हैं कि ये आयुर्वेद औषधालय जब स्थापित किये गये थे, बहुत छोटी-छोटी जगह पर थे क्योंकि खुद की जमीनें नहीं थीं, तो जहां-जहां आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जहां खुद की जमीन है, सरकारी जमीन है, वहां उनको डवलप किया जा रहा है। जैसे मैं राजसमन्द का ही बताना चाहूंगा कि 2020-21 में 14 जगह और 2021-22 में चयन प्रक्रिया में हमने 12 जगह ली हैं। इन जगहों पर है। आपको इनकी अलग से जानकारी दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन के राजस्व कार्यालयों में रिक्त पद

268. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित उपखण्ड कार्यालय, तहसील व उप तहसीलों में विभिन्न श्रेणी के कौन-कौनसे पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद कहां-कहां पर कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालयों में पद रिक्त होने के कारण आम जनता की समस्या का समय पर निदान नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के अन्तर्गत 03 उपखण्ड कार्यालय (उपखण्ड कार्यालय केशोरायपाटन, लाखेरी एवं नैनवां), 02 तहसीलें (तहसील केशोरायपाटन, इन्द्रगढ़) तथा 03 उप-तहसीलें (उप-तहसील करवर (तहसील नैनवां की उप तहसील), लाखेरी एवं कापरेन) आते हैं। उक्त कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत पदों का स्वीकृति दिनांक एवं रिक्ति दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जीं नहीं। अधिकारियों/कर्मचारियों के पद रिक्त होने पर आम जनता को परेशानी न हो, इस हेतु उक्त पदों का कार्य समकक्ष कार्मिकों को दिया जाकर सम्पादित करवाया जाता है।

रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती रहती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सम्माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में 219 पदों में से 105 पद आपने मुझे रिक्त बताये हैं, मेरा इतना-सा निवेदन है कि उन रिक्त पदों को आप कब तक भरने का विचार रखते हैं क्योंकि रेवेन्यू के हमारे सभी काम जमाबन्दी, अतिक्रमण, सीमाज्ञान, 91 के सभी केसेज, सारे प्रकरण हमारे अटके हुए हैं। इतना-सा मेरा निवेदन है।

साथ ही दूसरा मेरा प्रश्न है कि उक्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी जिला हैडक्वार्टर पर डेपुटेशन पर लगे हुए हैं, इसके अलावा अन्यत्र स्थानों पर लगे हुए हैं, उनका डेपुटेशन कब तक निरस्त करने का आदेश करेंगे और इन पदों को कब तक भरेंगे? इतना-सा मेरा निवेदन है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की यह बात वाजिब है कि पद काफी खाली हैं। कुछ पद तो ऐसे हैं जो रिटायरमेंट पर खाली हुए हैं, कुछ ऐसे पद हैं, जो जब से स्वीकृत हुए हैं तब से ही रिक्त हैं। दो-पांच पद ऐसे हैं, जब आप गवर्नमेंट में थीं, तब भी नहीं भर पाये। अभी मुख्य मंत्रीजी ने जो भर्ती निकाली है, उससे इनके सारे जो 95 पद हैं, इनके विधान सभा क्षेत्र में कुल 218 पद हैं, इसमें 95 के लगभग पद खाली हैं, चतुर्थ श्रेणी के चार पद अलग हैं, हमने अभी जो भर्ती की उसमें लगभग 31.03.2022 तक इनके दस्तावेज का सत्यापन पूरा हो जाएगा 2 महीने के अन्दर-अन्दर, उसके बाद इनकी नियुक्ति की कार्यवाही कर दी जाएगी। इनके जो पद हैं, वह सारे के सारे लगभग बहुत जल्दी इसी वित्तीय वर्ष में, जो आ रहा है, उसमें पूर्ण कर देंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना-सा निवेदन है कि तहसीलदार इन्द्रगढ़ नहीं है, नायब तहसीलदार इन्द्रगढ़ नहीं है और भी आपने देखा, जैसा आपने मुझे जवाब में दिया। जो हमारे यहां से प्रतिनियुक्ति पर जिला हैडक्वार्टर पर तहसीलदार को लगा रखा है, नायब तहसीलदार को लगा रखा है, किसी कर्मचारी को लगा रखा है, उसका आदेश कब तक हमारे यहां जाने का कर देंगे? इतना-सा बता दें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इनके प्रमोशन हुए, इसलिए कुछ पद रिक्त हुए। मैं बहुत जल्दी ही सातआठ दिन के अन्दर..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। इनका प्रश्न है जो डेपुटेशन पर आदमी जिले में लगे हुए हैं उनको निरस्त करके कब भेजेंगे? सीधा प्रश्न है यह।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): अभी आपने बात बतायी, सात-आठ दिन में इनका पता करके पूरा कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

कोटा व बून्दी में अवैध खनन

269. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जनवरी, 2020 से जनवरी, 2022 तक अवैध खनन के कितने मामले पकड़े गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि जिला कोटा व बून्दी में बड़े पैमाने पर खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो विगत तीन वर्ष में कितने मामले पकड़े गये? सरकार द्वारा उक्त मामलों में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिलों में अवैध खनन में संलिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) प्रदेश में जनवरी, 2020 से जनवरी, 2022 तक की अवधि में खान विभाग द्वारा 1,303 तथा वन विभाग द्वारा 3,565 मामले अवैध खनन के दर्ज किये गये। जिलेवार संख्या का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है।

(2) जिला कोटा व बून्दी में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में खान विभाग द्वारा अवैध खनन के 136 मामले पकड़े गये। इन मामलों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार उक्त दोनों जिलों में वन विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में 735 मामले पकड़े गये। इन मामलों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(3) उक्त जिलों में अवैध खनन में संलिप्तता के सम्बन्ध में जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, का विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताएं कि खनिज सम्पदा चोरी में माइनिंग एक्ट के तहत कई प्रकरणों में तो आपने एफ.आई.आर. दर्ज की है और कई मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज न करने के क्या कारण हैं? एफ.आई.आर. लॉज करने के पैरामीटर बताएं।

दूसरा, मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अवैध खनन में जो संलिप्त कर्मचारी, पुलिस के जो कर्मचारी-अधिकारी रहे, उन पर तो आपने 17 सीसीए की कार्यवाही की, परन्तु जो खनिज और वन विभाग के कर्मचारी थे, उनके साथ क्यों आपने शिथिलता बरती? उन पर आपने ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने बहुत अच्छा बिन्दु उठाया है। राज्य सरकार का हमेशा अवैध खनन वाले माफियाओं व आदतन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का मन रहता है। उन्हें हतोत्साहित करना। वहीं सरकार की मंशा यह भी रहती है कि जाने-अनजाने में यदि कोई खनन कर ले तो अवैध खनन की श्रेणी में आ जाए तो उससे गलती की कम्पाउंड फीस लेकर रेगुलराइज कर दिया जाए, ताकि अपराधी तो दण्डित हों और सामान्यजन दण्डित न हों। कई बार जो पट्टेधारी होते हैं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मदन दिलावर जी, बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं। हर बार आपको कहना पड़ता है। बैठे-बैठे बोल रहे हैं, कमेंट करते हैं, रनिंग कमेंट। This is unfortunate. मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा, बीच में बोल देते हैं। This is very unfortunate. ...(व्यवधान).. हां प्लीज, बैठें। मंत्री जवाब दे रहे हैं, बीच में, आप सीनियर मैम्बर हैं।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): कई बार जो पट्टेधारी भी होते हैं, तो वह भी गलती से भी पास की जमीन में अधिक खुदाई कर लेते हैं, तो वह भी अवैध खनन की श्रेणी में आता है, तो ऐसे लोगों को जो रायल्टी का दस गुणा पैनल्टी लगाकर, जो नियम है, उसके अनुसार वसूली की जाती है, वाहन जप्त किये जाते हैं। अपराधियों में भय बना रहे, इसलिए प्रकरण के गुण और अवगुण के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्णय लिया जाता है।

दूसरा, माननीय सदस्य ने जो बात रखी 17 सीसीए वाली, माननीय अध्यक्ष महोदय, खनन के विरुद्ध हमारी सरकार बिलकुल चिन्तित है और हमेशा समय-समय पर अवैध खनन के विशेष अभियान चलाये गये हैं, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वन विभाग और भी कई विभाग शामिल रहते हैं और उसके अच्छे परिणाम भी आये हैं।

इसी तरह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही का जो प्रश्न है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की 16 सीसीए और 17 सीसीए की निर्धारित प्रक्रिया के तहत आरोपी को कारण बताओ नोटिस, सुनवाई का अवसर देना, आरोप तय किये जाकर विस्तृत जांच की जाती है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। दोषी को फायदा देकर छोड़ने की सरकार की कोई मंशा नहीं होती है।

जहां तक आपने कोटा-बून्दी की बात कही कि किन-किन को किया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा-बून्दी का जो सवाल है, सर्वेयर गंगाधर

(श्री प्रमोद भाया)

मीणा, फोरमैन प्रभुलाल के विरुद्ध जांच कर चेतावनी पत्र जारी किये गये। कोटा बजरी प्रकरण में अतिरिक्त निदेशक दीपक तंवर, खनिज अभियन्ता प्रताप मीणा, सहायक खनिज अभियन्ता सोहनलाल रैगर, वरिष्ठ सहायक योगेश भट्ट के विरुद्ध जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जो प्रक्रियाधीन है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को निवेदन करता हूं कि आपके संज्ञान में अगर कोई विशेष प्रकरण हो तो आप मुझे लिखित में दें तो मैं उनकी और विशेष जांच कराकर, जो भी दोषी होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही कर दोषी माना, उनकी आपने परिशिष्ट 5 पर सूची दी हुई है। यह छह लोगों की सूची है। पहला क्षेत्रीय वन अधिकारी, यह 2019 का मामला है। मुख्य वन संरक्षक, कोटा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, 2019 में, अभी अपन 2022 में हैं। सैकण्ड वाला भी ऐसे ही है, मुख्य वन संरक्षक, कोटा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया 2019 में, फिर 2020 में मुख्य वन संरक्षक, कोटा से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाहिए। 2020 से हम रिपोर्ट चाह रहे हैं और 2022 में अपन यहां चर्चा कर रहे हैं और बातें इतनी ऊंची आदर्श की हैं, कोई इसकी मोनिटरिंग करता है कि क्या हो रहा है यह? हरेक में, अब नीचे वाला भी ऐसे ही है, मुख्य वन संरक्षक, कोटा से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांगी है। उससे नीचे वाला भी है वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांगी है। उससे नीचे वाला भी यही है कि वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांगी है। दो में 2019 और नीचे वाले हैं, यह सब 2020 के हैं। अभी आपने अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है, वह आपके पास आने में, इतना दूर बैठा हुआ है वह कि आपको 2022 तक रिपोर्ट नहीं आ रही है और डिपार्टमेंट चल रहा है।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष जी की चिन्ता वाजिब है। मैंने हमारे विभाग से जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया, सदन को भी अवगत कराया। वन विभाग से सम्बन्धित आपने अभी जो उल्लेख किया, उसकी मैं माननीय वन मंत्रीजी से जानकारी लेकर आपको पहुंचा दूंगा।

जहां तक अवैध खनन की जो बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तुलना करके बतला सकता हूं आपके शासन के प्रथम तीन वर्ष की और हमारे शासन के प्रथम तीन वर्ष की।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। अगला प्रश्न। श्री धर्मनारायण जोशी।

महाराणा प्रताप से सम्बन्धित स्थलों का विकास

270. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में महाराणा प्रताप से सम्बन्धित स्थलों के विकास व संरक्षण कार्यों पर कितना व्यय किया गया? वर्षवार, कार्यवार व स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या महाराणा प्रताप से सम्बन्धित स्थलों की भूमि पर अवैध कब्जों के कोई मामले सरकार के संज्ञान में हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) महाराणा प्रताप से सम्बन्धित स्थलों के विकास व संरक्षण हेतु मेवाड़ काम्प्लेक्स फेज-II के अंतर्गत पर्यटन विकास कार्यों पर विगत पांच वर्षों में किए गए व्यय का वर्षवार, कार्यवार व स्थानवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कलेक्टर राजसमन्द और कलेक्टर उदयपुर से हमने रिपोर्ट मंगायी है और उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है कि महाराणा प्रताप से सम्बन्धित स्थलों पर वर्तमान में कोई अवैध कब्जा नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि महाराणा प्रताप की जो समाधि स्थल है चावण्ड में, उसकी जमीन निजी खातेदारों की है, वह समाधि नीचे धंस गयी है। 3 वर्ष से एक रुपया वहां लगा नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि निजी खातेदारों से जमीन लेकर क्या सरकार अपने कब्जे में लेगी? उस समाधि पर एमपी, एमएलए पैसा दे नहीं सकते हैं। एमपी, एमएलए भी अपने कोटे से विकास का पैसा दे सकें, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी? मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि महाराणा प्रताप का जन्म स्थल कुम्भलगढ़ है। शायद संसार में इतना बड़ा किला कोई नहीं है। कुम्भलगढ़ पर चारों तरफ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। क्या सरकार ऐसे अवैध कब्जों को और जो वहां अवैध निर्माण हो गये हैं, उनको ध्वस्त करने की मंशा रखती है? कब्जों को हटाने की मंशा रखती है? मेरा यही निवेदन है।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दोनों सवाल आर्कियोलोजी डिपार्टमेंट से संबंधित हैं इसलिए मेरा यह ही सुझाव है,

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

सदस्य महोदय, कि आप किसी दिन मेरे आफिस पधारें या मैं आपके घर आ जाऊंगा, हम बैठकर बात कर लें कि किस तरीके से इस चीज को सुलझाया जा सकता है। बाकी एमपी, एमएलए लैड की बात है तो यहां नेता, प्रतिपक्ष भी विराजमान हैं, आपका भी क्षेत्र है। अध्यक्ष जी का भी क्षेत्र है। आप भी करो कुछ।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी। माननीय धर्मनारायण जी। आप बैठो, आप बैठो, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, यह जो आपने परिशिष्ट 'अ' लगाया है, इसको आपने देखा तो होगा न?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): जी हां।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 5 वर्ष में इन स्थानों पर कितना खर्चा आपने किया? आपका 2017-18 में थोड़ा बहुत है। 2018-19 में है। 2019-20 ब्लैंक, 2020-21 ब्लैंक और 2021-22 ब्लैंक। इसको देखने के बाद आपको अहसास हुआ क्या डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय नेता, प्रतिपक्ष महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हम गति ला रहे हैं। मैं एक वर्ष की छुट्टी पर गया था इसलिए मुख्य मंत्री जी के चार्ज में था। एक वर्ष की छुट्टी पर गया था। अब वापस आया हूं तो निश्चित रूप से आपके आदेश की पालना होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, आप बैठें। प्लीज। अंकित नहीं होगा। नीचे बैठें। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा।

पंचायत एल.डी.सी. की भर्ती

271. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में 2013 में पंचायत एलडीसी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था? यदि हां, तो उक्त भर्ती में कितने पद स्वीकृत थे तथा भर्ती परीक्षा कब आयोजित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अब तक भी उक्त भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण

(श्री रामलाल शर्मा)

नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी हां। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के अंतर्गत कुल 19,275 पद स्वीकृत किए गए। उक्त भर्ती के अंतर्गत भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया।

(2) वर्ष 2020 में विभाग द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में उक्त भर्ती की प्रतीक्षा सूची के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है जिस पर कार्मिक/विधि विभाग से मार्गदर्शन लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि एल डी सी भर्ती 2013 में 19,275 पद स्वीकृत किये गये थे? क्या यह भी सही है कि अभी भी इन पदों में से 10,029 पदों की भर्ती बाकी है? क्या यह भी सही है कि 05 मार्च, 2019 को भर्ती कैलेंडर के अन्दर भी इन पदों को भर्ती करने की सूचना दी गयी थी? क्या यह भी सही है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी 24 जून, 2021 को 4 हजार पद और फिर उसके बाद सैकण्ड फेज में इन तमाम पदों को भर्ती करने की बात कही गयी थी? आपने जवाब में कहा है कि वर्ष 2020 में विभाग द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कौनसा सही है?

श्री अध्यक्ष: 2013 का, मान्यवर, आप क्या कह रहे हो। 2013 के बारे में बोला है उन्होंने। आपका प्रश्न 2013 के सम्बन्ध में है। 2013 की प्रक्रिया के सम्बन्ध में लिखा है, आप आगे जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मेरा निवेदन यह है कि 10,029 पद अभी भी खाली हैं।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको यह बता दूं कि हमारी मंशा है और मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है, प्रथम चरण में 10,029 में से 4 हजार कार्मिकों की भर्ती की जायेगी। डीओपी के माध्यम से कैबिनेट में लिया जायेगा। जो भी शिथिलता की छूट ली जानी है, हम भर्ती करेंगे।

प्रश्न संख्या 272

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोगेश्वर गर्ग।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री कान्ति प्रसाद।

थानागाजी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

273. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में 5,000 से अधिक की आबादी के गांवों में केवल एक ही आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार कम आबादी वाले गांवों व छोटी ढाणियों में भी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में 5,000 से अधिक की आबादी के 13 गांवों क्रमश: मजोड, झाकड़ी, अगारी, नागलबानी, लालपुरा, बहारीसर, सालेटा, बान्दरोल, नांगलहेड़ी, टोडा, नाथुसर, सिलीबावड़ी एवं भीकमपुरा में केवल एक ही आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 के पश्चात् नवीन आंगनबाड़ी खोलने सम्बन्धी कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। वर्तमान में नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की रोक है।

स्थानीय प्रतिनिधियों/जन-प्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021 व 27.08.2021 को लिखे गए, जिनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है।

(2) भारत सरकार द्वारा आबादी से संबंधित निर्धारित मानदण्डों से कम आबादी वाले व छोटी ढाणियों में आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोले जा सकते, ऐसी ढाणियों के लाभार्थियों को नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र से लाभान्वित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, प्लीज, बी सीटेड।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 3 पत्र आपने भारत सरकार को लिखे हैं, क्या उनकी कापी उपलब्ध हो जायेगी?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कापी लेकर ही आयी हूं। मैं माननीय सदस्य को अभी दे दूंगी, हमने जो-जो भी पत्र उनको लिखे हैं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ में पुराने रेलवे स्टेशन पर अंडरपास का निर्माण

274. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट वर्ष 2021-22 में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के पुराने रेलवे स्टेशन पर अंडरपास निर्माण की घोषणा की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घोषणा के पश्चात् अंडरपास निर्माण के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो कब व कितनी तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अंडरपास का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त का निर्माण तुरन्त प्रभाव से करवाए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के पुराने रेलवे स्टेशन पर रुपये 3.00 करोड़ की लागत से अंडरपास निर्माण कार्य की घोषणा बजट वर्ष 2020-21 में की गई थी।

(2) जी हां। अंडरपास निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.09.2020 को एसआरएफ योजना में राशि रुपये 3.00 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई थी। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय अनुसार दिनांक 30.09.2021 को इस निर्माण कार्य को स्टेट मिनरल फंड योजना में सम्पादित किये जाने हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ का अनुमोदन किया गया था। विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। उक्त कार्य रेलवे विभाग द्वारा सम्पादित किया जाना है। रेलवे विभाग ने पत्र दिनांक 02.02.2022 को निर्माण कार्य की लागत राशि

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

रुपये 21.94 करोड़ अवगत कराई है। स्टेट मिनरल फंड योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि अप्राप्त होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया जा सका। निर्माण कार्य हेतु आवश्यक राशि राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रारम्भ किया जाना है। विवरण परिशिष्ट-3 व 4 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष, मैं सीधा सवाल पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ लें। उत्तर मान लिया।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पूर्व में विभाग द्वारा 3 करोड़ का तखमीना दिया गया था, अचानक ही 21.93 करोड़ क्यों हो गया? इसके पीछे क्या कारण हैं?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अंडरपास है, यह रेलवे की सीमा में आता है। हम यहां से जो तखमीना भेजते हैं वह रेलवे को भेजते हैं। रेलवे ने वह रिजेक्ट कर दिया। मेरे पास रेलवे का लैटर है जो मुझे 02.02.2022 को प्राप्त हुआ है। जो मैंने आपको जवाब में दिया है।

उन्होंने यह तखमीना भेजा है कि इसकी लागत तकरीबन 24 करोड़ के आसपास आयेगी। वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे तो हम इसका प्रस्ताव बनाकर फाइनेंस को बनाकर भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय मंत्री महोदय, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि बजट घोषणा को 2 वर्ष हो गये, उसके बाद अब तखमीना आना और इसके बाद स्थिति यह है कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही यह होगा। यह शहर की बड़ी समस्या है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी तत्काल स्वीकृति जारी करायें ताकि मेरे शहर को राहत मिल सके।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा न कि पहले तो यह प्रस्ताव था कि जो अंडरपास बनेगा वह रेलवे सीमा से बाहर बनेगा, लेकिन रेलवे ने उसकी परमिशन नहीं दी। अब वह चाहते हैं कि रेलवे की परमिशन के आधार पर बनेगा, तो हम लोग राज्य

(श्री भजनलाल जाटव)

सरकार को प्रस्ताव भेज देंगे फाइनेंस को, वहां से स्वीकृति आ गयी तो शीघ्र करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शोभा चौहान।

जेलों में अनुशासन हेतु हाई पावर कमेटी का गठन

275. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जेल में सुरक्षित माहौल व अनुशासन हेतु एक हाईपावर कमेटी बनाने का नीतिगत निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश की जेलों में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक कितने कैदियों से मोबाइल जब्त किए गए एवं उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को जेल में कुख्यात अपराधियों द्वारा गैंग संचालन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक प्राप्त शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

कारागार मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जेलों के आधारभूत ढांचे में सुधार, बंदी पुनर्वास व कल्याण हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2019 को जेल विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड के कार्यक्षेत्र व उद्देश्य तय करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक राज्य के कारागृहों में कुल 850 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें से 342 मोबाइल 335 बंदियों के कब्जे से बरामद हुए। विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ लें। माननीय मंत्री जी। आप कोई प्रश्न पूछें।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपने बताया कि 2019 से 2022 तक 850 मोबाइल बरामद किये, उनमें से 342 मोबाइल 335 बंदियों से कब्जे में किये गये? ऐसी स्थिति में कोई ठोस कार्यवाही की है क्या?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जितने भी मोबाइल प्राप्त हुए हैं, जितने भी बंदियों के पास मिले हैं, सब में एफआईआर दर्ज हुई है। एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो। कुछ ऐसे जरूर हैं कि जिनका पता नहीं चलता है। राह चलते, साइड से या ऊंचे मकानों से जो डाल देते हैं, उन्हीं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाकी जितने भी बन्दी हैं जिनसे मोबाइल मिले हैं, उन सबके खिलाफ कार्यवाही हुई है।

प्रश्न संख्या 276

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मीना कंवर।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 277

अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

मालपुरा में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना

278. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार उपखण्ड मालपुरा में तकनीकी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): जी नहीं। वर्तमान में जिला टोंक में 01 राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, 02 निजी पोलीटेक्निक महाविद्यालय तथा 01 निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय है। जिनमें सत्र 2021-22 में पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में कुल प्रवेश क्षमता 600 में से 575 सीटें रिक्त रही हैं तथा निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय में गत तीन वर्षों से कोई छात्र प्रवेशित एवं अध्ययनरत नहीं है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली की Approval

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

process Hand Book 2021-22 के अनुसार यदि किसी जिले में पूर्व में राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय संचालित है तो नये राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उपरोक्त स्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में उपखण्ड मालपुरा जिला टोंक में तकनीकी महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ लें, माननीय सदस्य। सीधे प्रश्न पूछ लें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में, उपखण्ड में तकनीकी महाविद्यालय खोलने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(समय: 12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा की ग्राम पंचायत फलामादा के राजस्व गांव में उचित मूल्य की दुकान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से आरएसआरडीसी द्वारा टोल रोड मावली, फतहनगर, भोपालसागर, कपासन, चित्तौड़गढ़ तक की सड़क के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी टोल वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से भाजपा युवा मोर्चा श्रीगंगानगर के जिलाध्यक्ष ईशवजीत सिंह दानेवालिया के द्वारा 6 सूत्री मांगों पर आमरण अनशन के दौरान उनकी तबीयत खराब हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर शहर में आवारा कुत्तों द्वारा प्रति दिन अनेक लोगों के काटे जाने से स्थानीय निवासियों में व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से बांसवाड़ा जिले की गनौड़ा पंचायत को पंचायत समिति घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर जिले के गोगेलाव औद्योगिक क्षेत्र में ई-आक्शन के जरिये आबंटित 38 भूखण्डों का आबंटन बिना सूचना के रद्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती इन्दिरा देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कई गांवों में दिनांक 08.03.2022 को ओलावृष्टि से फसलों को हुए भारी नुकसान का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से जयसमन्द वृहद् सिंचाई परियोजना की बांध, नहर प्रणाली में माइनर व सब माइनर के निर्माण एवं जीर्णोद्धार की स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम सिंदरू में आयुर्वेद औषधालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र से आदिवासी नाबालिग युवती के जनवरी, 2022 में लापता होने के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से टोंक जिले में सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के तहत स्वीकृत नवीन मेडिकल कालेज एवं 200 बैडेड हास्पिटल भवन निर्माण हेतु सरकारी जमीन एनएच-12 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित युसुफपुरा-चराई टोंक में आबंटित करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में एक प्रधान को पांच पंचायतों का अतिरिक्त चार्ज दिये जाने से विकास कार्य अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(14) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के मार्ग में ग्राम जसनगर मेड़ता एवं लिलाम्बा (रायपुर) के टोल नाकों द्वारा सड़क के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के दर्जनों गांवों में दिनांक 09.03.2022 को हुई बेमौसम की बरसात व ओलावृष्टि से फसलों को हुए भारी नुकसान के सम्बन्ध में।

(16) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर की आवासीय कालोनियों में सीवरेज, सड़क व पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(17) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में जलदाय विभाग की योजनाओं का सुचारु रूप से संचालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से भरतपुर के एकमात्र राष्ट्रीय पक्षी वन्य अभयारण्य में पूर्व की अपेक्षा पक्षियों के आवागमन में कमी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह एवं श्री चन्द्रभान सिंह आक्या को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत आहोर को नगरपालिका घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली की नगरपालिका सादड़ी व नाडौल में उप तहसील खोलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में सीवरेज व नालियां नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महवा में पीएचसी खोलने व लोटवाड़ा व पावटा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जे.पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम पंचायत लाम्बा के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ क्षेत्र में खराब ट्यूबवैलों को दुरुस्त करने एवं नये ट्यूबवैल स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से नोखा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को डामर सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री बाबूलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ की ग्राम पंचायत इटैडा व मौलिया को परिसीमन लागू कर पंचायत समिति कठूमर से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के किसानों को अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री पदमाराम, सदस्य की ओर से मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना व जांच में कार्यरत मिशन विंग मैन कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों में शामिल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री गोपाल लाल मीना, सदस्य की ओर से गृह विभाग के अधीन विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को नियमानुसार पदोन्नति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय में मॉडर्न मैटर्नल एण्ड चाइल्ड हैल्थ (एमसीएच) विंग के निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री प्रताप सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

छबड़ा में जलदाय विभाग की योजनाओं का सुचारु संचालन

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में 2018 से पिछली सरकार के समय और वर्तमान सरकार के समय में जो हैंडपम्प स्वीकृत हुए हैं वे आज तक नहीं लगे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन करूंगा कि हर मिनिस्टर के चैम्बर हैं, माननीय सदस्य, प्लीज गो टू द चैम्बर। हाउस में इस तरह से डिस्टर्ब न करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बाबत पीएचईडी के चीफ इंजीनियर, एसीएस, सुधांशजी पन्त और मुख्य मंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया है, पर मुझे दु:ख है कि 2018, 2019, 2020 में जो हैंडपम्प स्वीकृत हुए थे वे आज तक नहीं लगे हैं। इसी प्रकार से 03 फरवरी, 2022 को राज्य सरकार द्वारा हैंडपम्प सुधारने के आदेश जारी किये, पर मुझे दु:ख है कि आज तक छबड़ा और छीपाबड़ौद में किराये के वाहन लेकर रिपेयर करवाने का कोई काम नहीं चल रहा है। वहां पर पेयजल की गम्भीर स्थिति बनी हुई है। वैसे भी हमारा इलाका पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी गाड़ियां लगवाकर हैंडपम्प रिपेयर करवाने का अभियान चलायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के तहत 29 हैंडपम्प, 29 ट्यूबवैल और टंकी स्वीकृत हुई है। इनको स्वीकृत हुए करीब तीन माह हो गये हैं लेकिन तीन माह बाद, वर्क आर्डर देने के बाद भी एक ही हैंडपम्प, एक ही ट्यूबवैल मण्डोला में खुदाया है और उसमें भी जो केसिंग और पाइप लगाये हैं वे भी जिस गुणवत्ता के सैंक्शन हैं उस गुणवत्ता के नहीं लगाये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस मामले में निवेदन है कि पूरी जांच करायें और जो हैंडपम्प स्वीकृत हैं, ट्यूबवैल स्वीकृत हैं, जो टंकियां स्वीकृत हैं उनको शीघ्र लगवायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छबड़ा और छीपाबड़ौद में राष्ट्रीय परियोजना से सप्लाई हो रही है, जब टेंडर ठेकेदार को दिया गया तो उसको पाबन्द किया

(श्री प्रताप सिंह)

गया कि आपके 36 आदमी यहां पर लगेंगे, फलां-फलां जगह पर फलां-फलां आदमी लगेगा, पर मुझे बताते हुए दुख है कि उस ठेकेदार ने मात्र 8 आदमी ही वहां पर लगा रखे हैं। अगर 8 आदमी से ज्यादा लगाये हुए हैं तो उसने जो पीएफ दिया है, उसने जो सैलरी दी है वह कहीं न कहीं मेंशन की होगी, आप उसको दिखवा सकते हैं। मैं समझता हूं कि छबड़ा और छीपाबड़ौद बारां जिले का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा है। उसमें इस तरह की पानी की अव्यवस्था हो और इस बारे में वहां के चेयरमैन को मुकदमा दर्ज करवाना पड़े पीएचईडी के खिलाफ, यह सरकार के लिए शर्मनाक बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, माननीय धारीवाल साहब यहां विराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को आप व्यक्तिगत रूप से देखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): तो आप थोड़ी मेहरबानी करेंगे, आप हाड़ौती से आते हो, छबड़ा भी हाड़ौती में है, इसलिए चिन्ता करके वहां पर पेयजल की व्यवस्था दोनों पंचायत समितियों के गांवों में ठीक करवाने की व्यवस्था करवायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी वन्य अभयारण्य में पक्षियों की प्रभावित आवक

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पैलीआर्कटिक प्रवासी जल पक्षी का एक महत्वपूर्ण शीतकालीन स्थल है तथा यह प्रवासी तथा गैर प्रवासी स्थानिक प्रजनन पक्षियों के विशाल संख्या में जमावड़े के लिए जाना जाता है। उक्त अभयारण्य बड़ी संख्या में अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन और साइबेरियन जलीय पक्षियों के लिए प्रमुख शीतकालीन क्षेत्रों में से एक है। उद्यान में दुर्लभ साइबेरियन क्रेन पक्षियों की कुल 375 प्रजातियों को प्रलेखित किया गया है। इस पक्षी विहार बर्ड सैंक्चुअरी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिना देखे बोलो न। आप देखकर बोल रहे हो। भरतपुर गये कि नहीं?

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): हां, गया हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलें फिर।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): वहां देश-विदेश से काफी पक्षी आते हैं। वे पक्षी वहां टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां एक तो पानी की काफी दिक्कत हो रही है। पानी के लिए माननीय मंत्री महोदय ने पहले साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये की घोषणा भी की थी, वह पानी भी अभी तक विधिवत नहीं पहुंचा है। उसके लिए टेम्परेरिली जो आगे के डैम हैं, उनके माध्यम से अगर वहां पानी पहुंचा दिया जाता है तो जो पक्षी आ रहे हैं वे अच्छी तरह से वहां स्थापित रह सकते हैं, इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन पक्षियों हेतु अच्छी व्यवस्था के लिए कैसे अच्छा डवलपमेंट किया जा सकता है, सरकार इसे देखें।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री छगनसिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

आहोर ग्राम पंचायत को नगरपालिका का दर्जा

श्री छगनसिंह (आहोर): अध्यक्ष महोदय, आहोर विधान सभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत आहोर में करीब 30 हजार की आबादी है, फिर भी उसे नगरपालिका नहीं बनाया जा रहा है। मेरे एक प्रश्न के जवाब अनुसार नगरपालिका के सभी मापदण्ड पूरे हैं, उसके उपरान्त भी अब तक आहोर ग्राम पंचायत को नगरपालिका की घोषणा नहीं की गयी। इतना बड़ा कस्बा होने के बावजूद इस गांव में ग्राम पंचायत की वजह से विकास की गति धीमी है। ग्राम पंचायत में विकास का फंड कम मात्रा में आता है, जिससे आहोर ग्राम पंचायत का विकास नहीं हो पा रहा है।

कस्बे की सबसे मुख्य समस्या पानी की निकासी नहीं होना, उसकी वजह से गांव में गन्दगी रहती है।

(समय: 12.11 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

कस्बे की कई मुख्य सड़कें सीवरेज लाइन की आवश्यकता मांगती हैं, लेकिन बजट अल्प होने की वजह से सम्भव नहीं हो पाता। इसी प्रकार, आहोर का मुख्य तालाब गन्दगी से भरा है। पूर्व में सरकार का ध्यान आकर्षित करने

(श्री छगनसिंह)

के लिए ध्यानाकर्षण, याचिका एवं प्रश्न द्वारा तालाब के सौन्दर्यीकरण के लिए मैंने विधान सभा में बार-बार मुद्दा उठाया। इस तालाब को लेकर पंचायत समिति विकास अधिकारी को भी बार-बार अवगत कराया, लेकिन तीन वर्षों में करीब पांच विकास अधिकारियों के तबादले होने की वजह से इस तालाब को अनदेखा किया जाता रहा।

माननीय, आहोर कस्बे की मुख्य समस्या पानी निकासी एवं तालाब सौन्दर्यीकरण को लेकर पुनः ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक बुलाएं। तालाब में जो वर्षा का पानी आने का रास्ता है, उस पर भी अतिक्रमण है, उसे हटाकर ग्राम पंचायत की ऐतिहासिक धरोहर को बचाएं। आहोर ग्राम पंचायत को नगरपालिका घोषित करवाकर कस्बे में आने वाली समस्याओं से निजात मिल सकती है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत रायथल में ऐतिहासिक भीम तालाब है। उसको भी आदर्श तालाब के साथ उसके चारों तरफ पैचिंग कार्य, फुटपाथ के कार्यों की स्वीकृति दिलाएं, जिससे इस ऐतिहासिक तालाब को भी नया स्वरूप मिल सके। ग्राम पंचायत हरजी में भी पानी की निकासी घेवली में बड़ा नाला बनाकर कराएं, जिससे गांव की मुख्य सड़क पर गन्दगी खतम हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

सादड़ी व नाडौल नगरपालिकाओं (बाली) में उप-तहसीलों की स्थापना

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, धन्यवाद। प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली में तहसील देसूरी के अन्दर पंचायत समिति देसूरी में 27 पंचायत व 78 राजस्व गांव आते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि तहसील देसूरी में इतना बड़ा भू-भाग होने के बाद एक भी उप-तहसील नहीं है। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि नगरपालिका सादड़ी व नाडौल में उप-तहसील खोलने से आम किसानों व जनता को उसका लाभ मिल सकेगा और इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

सांगानेर में सीवरेज व नाली सुविधाओं का अभाव

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के वार्ड संख्या 65, 66, 67, 88, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99 व 103 की 600 से अधिक कालोनियों में लाखों लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं। कहने को ये सब लोग राजधानी जयपुर में रहते हैं, परंतु आजादी के 75 वर्ष बाद भी यहां सीवरेज व नालियों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण एक बरसात आते ही घुटनों-घुटनों तक पानी भर जाता है एवं कई महीनों तक पानी की निकासी नहीं होने के कारण लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।

इसी प्रकार, वार्ड संख्या 68, 71, 74 व 83 के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र व इसके आस-पास जेडीए अप्रूव्ड कालोनियों में भी सीवरेज व नालियों का अभी तक निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है, जबकि इस क्षेत्र की कालोनियों के लोगों ने नियमन व विकास शुल्क के नाम पर जेडीए में 1400 करोड़ रुपये जमा भी करवा दिये हैं और सरकार इस पैसे से तनख्वाह बांट रही है व ब्याज खा रही है।

वार्ड संख्या 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93, 95, 100, 101 व 102 में हाउसिंग बोर्ड व जेडीए ने लगभग 30 साल पूर्व सीवरेज लाइनें डाली थीं जो कि अब पूर्णत: जर्जर हो चुकी हैं तथा आबादी भी पहले से 10 गुना बढ़ गयी है, जिससे सीवरेज जाम होने के कारण लोगों के घरों में गन्दा पानी भरने की भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत यूडीएच मंत्री जी से मांग करता हूं कि सांगानेर विधान सभा की इस ज्वलंत समस्या का अविलम्ब समाधान करवाकर आम जन को राहत प्रदान करें।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला (अनुपस्थित)। श्री जे.पी. चन्देलिया।

लाम्बा ग्राम पंचायत के उप-स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र पिलानी की ग्राम पंचायत लाम्बा के मुख्यालय लाम्बा (पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुंझुनू) में कार्यशील उप-स्वास्थ्य केन्द्र, लाम्बा को प्राथमिक

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैंने गत वर्ष भी मेरे विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम पंचायत मुख्यालय लाम्बा (पंचायत समिति चिड़ावा, जिला, झुंझुनूं) में जो उप-स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने हेतु निवेदन किया था और विधान सभा में भी मैंने यह मांग रखी थी। तत्पश्चात् मैंने तत्कालीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को अपने पत्र दिनांक 18.05.2021 के द्वारा इस उप-स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने हेतु निवेदन किया था।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा भी उनके पत्र क्रमांकः मुख्य/सामान्य/2021/99 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को इस उप-स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की अभिशंसा की थी। मैंने स्वयं ने भी दिनांक 21.01.2021 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस क्रमोन्नति की अभिशंसा की थी, परन्तु गत वर्ष यह उप-स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत नहीं किया गया।

मैंने उस क्षेत्र के ग्राम दिलवारपुरा, नालवा, कुरैशीनगर, काजियों की ढाणी, गोविन्दपुरा, जाखड़ा, बुढानियां, घूमनसरखुर्द, नारनौद, मालीगांव और बाघपुरा आदि समस्त ग्रामीण क्षेत्र की जनता को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होने की बात अंकित करते हुए तत्कालीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को दिनांक 18.05.2021 को लाम्बा उप-स्वास्थ्य केन्द्र को पीएचसी में क्रमोन्नत करने की अभिशंसा की थी।

तत्पश्चात् मैंने अपने पत्र दिनांक 03.02.2022 एवं 09.02.2022 के द्वारा उक्त उप-स्वास्थ्य केन्द्र, लाम्बा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नति की अभिशंसा करते हुए निवेदन किया था कि इस ग्रामीण क्षेत्र में एवं उपरोक्त ग्रामों में समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण लाम्बा उप-स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये।

मैं उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के साथ आपके माध्यम से यहां

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा उक्त उप-स्वास्थ्य केन्द्र, लाम्बा पंचायत समिति चिड़ावा, जिला-झुंझुनूं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। कृपया उपरोक्तानुसार क्रमोन्नति आदेश शीघ्र जारी करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

डूंगरगढ़ में खराब ट्यूबवैलों का दुरुस्तीकरण एवं नये ट्यूबवैलों की स्वीकृति

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने नियम 295 में बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, गरमी के मौसम की शुरुआत के साथ ही श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अनेक गांवों में पेयजल संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्षेत्र के गांव धनेरू, जालबसर, सातलेरां, बीरमसर, धर्मास में नई मोटरों व अन्य उपकरणों के अभाव में ट्यूबवैल खराब पड़े हैं। जलदाय विभाग के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव होने के कारण 15-15 दिनों तक ट्यूबवैलों की खराब मोटरें बदली नहीं जा रही हैं।

इसके अलावा राज्य सरकार से स्वीकृत नये ट्यूबवैलों का निर्माण भी अधिकतर गांवों में अभी तक नहीं किया गया है। जिन नये ट्यूबवैलों का निर्माण हो गया है, उनमें से ज्यादातर ट्यूबवैल विद्युत कनेक्शन व अन्य जरूरी सामान नहीं होने से चालू नहीं हुए हैं। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि गरमी के मौसम को देखते हुए सरकार गांवों में स्वीकृत नये ट्यूबवैलों का निर्माण करवाने के बाद विद्युत कनेक्शन करवाकर एवं आवश्यक उपकरण डालकर ट्यूबवैल सुचारु करे। इसके अलावा गांवों में खराब पड़े ट्यूबवैलों के दुरुस्तीकरण हेतु श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र को नई मोटरें, केबल व आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए।

साथ ही सरकार श्रीडूंगरगढ़ शहर के अलावा धनेरू की ढाणियों, जालबसर, मोमासर, ठुकरियासर, धोलिया, गुसांईसर, बींझासर, माणकरासर, सेरूणा, इंदपालसर बास गुसांईसर, सोनियासर शिवदानसिंह, सोनियासर गोदारान, दुसारणां व पिंपासरिया गांव में नये ट्यूबवैल स्वीकृत करवाने का श्रम करे।

नोखा के ग्रामीण क्षेत्रों में डामर सड़कों का निर्माण

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि नोखा विधान सभा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण गांव हैं जो अभी भी आपस में डामर सड़क से जुड़ने से वंचित हैं और इन सड़कों की दूरी 5 किलोमीटर से ज्यादा है, जो न मिसिंग लिंक में शामिल हो सकती है और न ही कृषि मण्डी में शामिल कर सकते हैं। इसलिए पांचू से सैंगाल धोरा, जेगला से रासीसर, नाथूसर से धरनोक, माडिया से घड्डू, बंधारा से मूंजासर, रामनगर उदासर से रायकों की ढाणी उदासर, बगसेउ से मैनसर, हिम्मटसर बाईपास से मुकाम पींपासर सड़क बाईपास वाया मालानी धर्मशाला, रासीसर से सूरपुरा, कूदसू से देसलसर वाया हिंयादेसर, कुम्भासर से पांचू, रासीसर से सोवा, अणखीसर से बेरासर, खारा से सैंगाल धोरा, सांईसर से नांधड़ा, पिथरासर से नखत बन्ना धाम, मूंदड़ से बगसेउ, सांईसर से बूंगड़ी, कक्कू से बंधड़ा फांटा, रायसर से दासनू, गजसुखदेसर से झाड़ेली, गजसुखदेसर से थावरिया, जैसलसर से बाढ़ काकड़ा, रायसर से बू-कर्मसोत, घड्डू से सोमलसर, रायसर से पींपासर, आदि सड़कों को स्वीकृत किया जाये ताकि क्षेत्र से आवागमन में दिक्कत न हो।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल (कठूमर) (अनुपस्थित)। श्री गोविन्द प्रसाद (अनुपस्थित)। श्री पदमाराम।

(समय : 12.22 बजे)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

मिशन विंग मैन कर्मचारियों का संविदा कर्मचारियों में सम्मिलन

श्री पदमाराम (चौहटन): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2011 में नि:शुल्क दवा योजना और 2012 में नि:शुल्क जांच योजना चालू की। इसका जनता को लाभ दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना अन्तर्गत मिशन विंग मैन कर्मचारी लगाये गये और उस समय उनको मानदेय 8 हजार रुपये देना शुरू किया था और अभी तक उनका मानदेय उतना ही चला आ रहा है। मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना का अधिक से अधिक जनता को लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा व जांच में कार्यरत मिशन

(श्री पदमाराम)

विंग मैन को एनआरएचएम के तहत शामिल कर लाभ दिलवाएं एवं अभी सरकार द्वारा नया एवं सिविल में शामिल करके उपरोक्त मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के क्रम में शामिल करें, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण एवं इनके बच्चों को शिक्षा दिलवाने में मदद मिले। इन कर्मचारियों की उम्र भी जा रही है।

अत: श्रीमान् जी से निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब भी संविदा कर्मचारियों की घोषणा करें, तब इनका कैडर बनायें तो मशीन विंग मैन को भी शामिल करावें तथा इन्हें उचित मानदेय भी दिलाने के लिए निवेदन करता हूं, क्योंकि ये गरीब जनता की सहायता करते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल लाल मीणा।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों की नियमानुकूल पदोन्नति

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत गृह विभाग/विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एससी/एसटी कार्मिकों को अवैधानिक निर्णय करते हुए पदोन्नति से वंचित करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निवेदन है कि गृह विभाग के अधीन संचालित विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान में 2020-21 में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक), 2019-20 में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जैविक) व प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई डीपीसी में आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को स्वयं की सेवा में प्रवेश के समय की वरीयता व पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं लिए जाने के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए डीपीसी समिति द्वारा आरक्षित वर्ग के वरिष्ठतम एवं योग्य कार्मिक को अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत न करते हुए अनारक्षित पद रिक्त रखा गया है, जबकि कार्मिक विभाग के अनुसार एल-शेप में रोस्टर में पद रिक्त रखे जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है।

इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 26.12.2021 को आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग को पदोन्नति हेतु उपलब्ध करवाये गये मार्गदर्शन के बिन्दु संख्या-2 में स्पष्ट वर्णित है कि- "यदि किसी वर्ष में अनारक्षित रिक्तियों की संख्या के आधार पर पदोन्नत होने वाले कार्मिकों में

(श्री गोपाल लाल मीना)

मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी) का कार्मिक पदोन्नत होता है तथा उस वर्ष उससे कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग का कार्मिक पदोन्नत नहीं होता हो अथवा अनारक्षित वर्ग का पात्र कार्मिक ही उपलब्ध नहीं हो, तब भी आरक्षित वर्ग के कार्मिक को पदोन्नति दी जाये तथा पद रिक्त नहीं रखा जाये। इसके फलस्वरूप आरक्षित वर्ग, एससी/एसटी जैसी भी स्थिति हो, में होने वाले आधिक्य को सम्बन्धित आरक्षित वर्ग की रिक्ति होते ही समायोजित किया जावे।"

डीपीसी समिति के सदस्यों के द्वारा बार-बार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों/नीतियों की पालना न करते हुए एससी/एसटी कार्मिकों को प्रथमदृष्टया जानबूझकर पदोन्नति से वंचित किये जाने का प्रकरण प्रतीत हो रहा है, जिससे आरक्षित वर्ग के कार्मिकों में घोर निराशा तथा मानसिक संताप उत्पन्न हुआ है। साथ ही प्रशासनिक विभाग (गृह विभाग) तथा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की गयी गलतियों की वजह से एससी/एसटी कार्मिकों को आर्थिक नुकसान वहन करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सभी दोषी प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तथा जिम्मेदारी तय किया जाना आवश्यक है तथा वरिष्ठतम, योग्य एवं पात्र आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को पूर्व में की गयी डीपीसी को रिव्यू करवाया जाकर शीघ्रताशीघ्र पदोन्नत किये जाने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण नीति (रिजर्वेशन पालिसी) की कठोरता से पालना सुनिश्चित कराने हेतु समय-समय पर समस्त विभागों द्वारा की गयी पदोन्नति की समीक्षा करवाया जाना अति आवश्यक है, ताकि पात्र कार्मिकों को समय पर नियमानुसार पदोन्नत किया जा सके।

अत: विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय में माडर्न मैटर्नल एण्ड चाइल्ड हैल्थ विंग की स्थापना

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय में माडर्न मैटर्नल एण्ड चाइल्ड हैल्थ विंग (एमसीएच) की स्वीकृति के संबंध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि राजकीय यज्ञनारायण जिला

(श्री सुरेश टाक)

चिकित्सालय, किशनगढ़ में किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के 60 वार्डों एवं किशनगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों की 41 ग्राम पंचायतों एवं 210 राजस्व ग्रामों एवं विधान सभा क्षेत्र के आसपास के कई गर्भवती महिलाओं के प्रसव करवाए जाते हैं, जिनकी प्रतिवर्ष की संख्या लगभग 6500 है। साथ ही निवेदन है कि प्रतिवर्ष लगभग 700 नवजात शिशु एसएनसीयू एवं शिशु वार्ड में प्रतिवर्ष लगभग 3000 शिशु उपचार हेतु भर्ती होते हैं।

महोदय, इसी संदर्भ में निवेदन है कि राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय किशनगढ़ में वर्तमान में गायनिक विभाग, लेबर रूम, जेएसवाई वार्ड एवं शिशु वार्ड तथा एसएनसीयू वार्ड चिकित्सालय भवन में अलग-अलग जगह संचालित हैं। महोदय, ऐसे में गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं, नवजात शिशुओं, चिकित्साधिकारियों आदि को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ में प्रसव की संख्या एवं उपचाररत शिशुओं, नवजात शिशुओं की संख्या को देखते हुए यहां एक माडर्न मैटर्नल एण्ड चाइल्ड हैल्थ (एमसीएच) विंग की स्थापना किए जाने की नितांत आवश्यकता है, ताकि चिकित्सालय में गायनिक विभाग, लेबर रूम, जेएसवाई वार्ड, शिशु वार्ड एवं एसएनसीयू आदि एक ही स्थान के एमसीएस विंग में संचालित होकर इसका लाभ सीधे तौर पर प्रसूताओं, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं एवं चिकित्साधिकारियों को मिल सके। अब राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले बजट में जिला अस्पताल बना दिया है व राज्य में प्रत्येक जिला अस्पताल में माडर्न मैटर्नल एण्ड चाइल्ड हैल्थ (एमसीएच) विंग होनी है और किशनगढ़ में इस विंग के निर्माण हेतु जमीन भी उपलब्ध है।

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि प्रसूताओं गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की संख्या एवं परेशानियों के दृष्टिगत राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय, किशनगढ़ में इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा में एक माडर्न मैटर्नल एण्ड चाइल्ड हैल्थ (एमसीएच) विंग मय भवन निर्माण की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करवाकर विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ एवं इसके आस-पास के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की प्रसूताओं, गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करें।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री नारायण सिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

स्टेट हाईवे 31 रामसीन-भीनमाल-रानीवाड़ा की मरम्मत व नवीनीकरण

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट हाईवे 31 रामसीन-भीनमाल-रानीवाड़ा की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि बजट घोषणा में जो रोड स्वीकृत हुई थी, रामसीन-भीनमाल-रानीवाड़ा सड़क के विकास उन्नयन परियोजना कार्य हेतु राशि 422 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

परियोजना को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के अन्तर्गत जन-निजी सहभागिता के हाईब्रिड एन्यूटी पद्धति पर विकसित किया जायेगा। इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रियायतग्राही मैसर्स रामसीन-रानीवाड़ा हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के साथ दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 को राशि 247.77 करोड़ रुपये का अनुबन्ध सम्पादित कर दिया गया है।

इस राजमार्ग की विकास परियोजना की लम्बाई 62.619 किलोमीटर है। वर्तमान में अधिकांश लम्बाई में इन्टर मीडियट लेन, साढ़े पांच मीटर की डामर सड़क है, अब इसे दो लेन चौड़ी सड़क के रूप में निर्मित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राजमार्ग में 2 आरओबी, 4 मुख्य पुल, 8 लघु पुल, 48 नयी पुलियाओं का निर्माण भी किया जायेगा।

साथ ही, आबादी क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर लम्बाई में नालियों का निर्माण एवं 15 स्थानों पर बस शैल्टर मय सोलर लाइट का निर्माण किया जायेगा। पर्यावरण की महत्ता के मद्देनज़र राजमार्ग के सहारे 18 हजार 800 पौधों का रोपण किया जायेगा। परियोजना में दो स्थानों पर यथा- ग्राम मण्डोतरा एवं कोटडा के समीप टोल प्लाजा निर्मित कर शुल्क ग्रहण किया जायेगा। रियायतग्राही पर राजमार्ग प्रबन्धन, संचालन, निर्माण कम से कम आगामी 10 वर्ष तक किया जायेगा।

(श्री भजनलाल जाटव)

मान‍नीय अध्यक्ष महोदय, जून के महीने में यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। जो हमारा कान्ट्रेक्टर है, उससे सारी डील हो चुकी है, अपनी सारी बिड ओपन हो गयी है। इसमें 180 दिन का टाइम होता है तो जून के महीने में इसको शीघ्र करा दिया जायेगा।

जहां तक माननीय सदस्य ने क्षतिग्रस्त सड़कों की बात की है। अभी हम लोगों ने क्षतिग्रस्त सड़कें, जो 20.50 मतलब साढ़े 20 किलोमीटर सड़क है, उनकी हमने मरम्मत करा दी है। यदि आपकी नोलेज में कहीं आपको लगता है कि यह पार्ट और टूटा हुआ है तो मुझे अवगत करा दें, उनकी भी हम शीघ्र मरम्मत करा देंगे। बाकी, जून के महीने में हम लोग कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो स्टेट हाईवे 31 है, मंत्री महोदय, जालौर मुख्यालय, जोधपुर सम्भाग मुख्यालय और प्रदेश मुख्यालय पर आने-जाने के लिए, यह एक ही सड़क है। इस सड़क से तीन विधान सभा क्षेत्र सांचौर, रानीवाड़ा और भीनमाल के लोग मुख्यालय एवं आसपास के गांवों में भी जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस 62 किलोमीटर की सड़क पर चलने में दो से ढाई घंटे का समय लगता है। इस सड़क पर तीन बड़े धार्मिक स्थान हैं, सुंधा माता मन्दिर, 72 जिनालय और सेमकरी माता का मन्दिर है। इन मन्दिरों में मैटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग इन मन्दिरों में आते हैं। आम नागरिक और श्रद्धालु आये दिन सरकार और जन प्रतिनिधियों के प्रति बार-बार रोष व्यक्त करते हैं। सोशल मीडिया पर कई उल्टी सीधी बातें भी दिखती हैं।

मंत्री महोदय, आपने जून, 2022 में चालू करने की बात की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने सड़क सैंक्शन की, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। अभी मार्च का महीना चल रहा है, तीन महीने और लगेंगे। इस सड़क पर पैदल चलना भी बहुत भारी काम है।

अध्यक्ष महोदय, इसका आखिरी रिनुअल 2012-13 में हुआ था, 10 साल हो गये हैं। आपने पेचवर्क का काम 2021 में किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब पेचवर्क का कोई लेना-देना ही नहीं है। जब नया काम सैंक्शन हो रहा है, जून में काम शुरू हो जायेगा।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस सड़क पर चलना बहुत मुश्किल है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि तीन महीने लगेंगे। इसमें आरओबी है, पुलिया है, सब हैं, बहुत अच्छी बात है, पर या तो आप इस काम को जून से पहले चालू करवायें या पेचवर्क करवायें, यही मेरा निवेदन है।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 20.50 किलोमीटर से ज्यादा, जैसा मैंने कहा था क्षतिग्रस्त सड़कें थीं, उन सड़कों की हम लोगों ने मरम्मत करा दी है। मैंने आपसे कहा था कि यदि कोई शेष रह गयी है, यदि आपको लगता है, मैं अधिकारियों को भेज दूंगा। जो टूटी सड़कें हैं, अप्रेल महीने के अन्दर-अन्दर, एक महीने के अन्दर-अन्दर, मैं उनकी मरम्मत का कार्य करा दूंगा, जिससे आपकी जो जन भावना है, उसकी कद्र होगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, प्लीज। प्लीज बैठें।

श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा मिथ्या दस्तावेज व पद का दुरुपयोग

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति पद पर मिथ्या दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाने सहित अपने पद का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उच्च शिक्षा मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम 1962 यथा संशोधित 2017 की धारा11(3) के प्रावधानानुसार कुलपति की नियुक्ति माननीय कुलाधिपति, राज्यपाल, राजस्थान द्वारा कुलपति चयन हेतु गठित सर्च कमेटी द्वारा प्रस्तुत पैनल में से राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। सर्च कमेटी में एक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा, एक व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रबन्धन मण्डल द्वारा, एक व्यक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तथा एक व्यक्ति माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

माननीय कुलाधिपति द्वारा इनमें से एक व्यक्ति को सर्च कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। सर्च कमेटी अपनी रिपोर्ट भी माननीय कुलाधिपति महोदय को प्रस्तुत करती है। सर्च कमेटी द्वारा प्रस्तुत पैनल में से एक व्यक्ति को राज्य सरकार के परामर्श से माननीय कुलाधिपति द्वारा कुलपति पद पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान है।

सर्च कमेटी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज माननीय कुलाधिपति सचिवालय में रहते हैं। उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल सचिवालय को पत्र दिनांक 09.03.2022 प्रेषित कर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति की नियुक्ति से सम्बन्धित दस्तावेज, सर्च कमेटी की अनुशंसा आदि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

माननीय कुलाधिपति के कार्यालय द्वारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति की योग्यता आदि के संबंध में दस्तावेज विभाग को उपलब्ध करवाये गये हैं जिनके अनुसार प्रो. अमेरिका सिंह, कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर दिनांक 20.10.2007 से 01.02.2020 तक इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सीतापुरा रोड, लखनऊ में नियमित प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ध्यानाकर्षण का विषय मेरा केवल इतना ही था कि जो आज कुलपति हैं, उनकी योग्यताएं क्या-क्या हैं? उसके जो भी अधिकृत कागज हों, वे उपलब्ध कराये जाएं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि मैंने दिनांक 28.01.2020 को इसका अतारांकित प्रश्न लगाया था, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आयी है। इस सदन के लगभग माननीय 13 सदस्यों ने भी विभिन्न प्रकार की जानकारी इस विश्वविद्यालय से चाही। उनमें से भी किसी के भी प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें मैं स्वयं हूं, अशोक डोगरा जी हैं, मोहन राम चौधरी हैं, नारायण बेनीवाल हैं, निर्मल कुमावत हैं, बाबुलाल जी हैं, छगनसिंह जी हैं, पूराराम जी हैं, मदन दिलावर हैं, गजराज खटाना हैं, फूल सिंह मीणा हैं, कैलाश जी मेघवाल हैं और रामप्रसाद जी हैं। इतने लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के जो भी प्रश्न पूछे थे, उनका जवाब नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिया। मेरी प्रार्थना यह है कि यह जानबूझ करके इसको डिले इसलिये करना चाहते हैं कि विधान सभा जब खतम हो जायेगी तो यह सारा का सारा, तो विधान सभा को जिस हल्के ढंग से यह यूनिवर्सिटी ले रही है, एक तो इस पर आप थोड़ा-सा ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपको आग्रह है कि वास्तव में कोई भी अगर कुलपति के चयन के अन्दर जायेगा तो वह सारे के सारे डाक्युमेंट तो अपने पेश करेगा तभी तो चयन समिति उसमें से ढूंढेगी, छांटेगी, उनकी योग्यता के आधार पर देखेगी। फिर सर्च कमेटी जिन नामों को ठीक समझती है उन नामों को राज्यपाल महोदय को भेजेगी, लेकिन यहां क्या हुआ है कि इतना समय हो जाने के बाद अमेरिका सिंह द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उसकी वैधानिकता, अब इन्होंने जो किया, प्रमाण पत्र सादे पेपर पर हैं, जिस पर विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय का कोई लोगो नहीं है, न ही कुल सचिव की मोहर है, कार्यकाल अवधि का भी पता नहीं है। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं। आज अभी इन्होंने जिसको कहा है न कि हमें प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूं, मैं इस सदन की टेबल पर भी रखूंगा और आप भी इसे देखें और माननीय सदस्य भी इसको देखें कि क्या इस कुलपति के चयन के लिए जो कुछ भी इसने डाक्युमेंट दिया है, वह डाक्युमेंट कहां तक ठीक है, नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा-सा आपसे समय जरूर चाहूंगा। 'यह प्रमाणित किया जाता है....', कौन प्रमाणित कर रहा है इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, सीतापुर रोड, लखनऊ। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, न इसके ऊपर कोई यूनिवर्सिटी का लोगो है। लिखता क्या है, 'यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रोफेसर अमेरिका सिंह इस विश्वविद्यालय के ऊर्जावान शिक्षक हैं, अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। सेवा उल्लेख के अनुसार डा. अमेरिका सिंह इस विश्वविद्यालय में दिनांक 20.10.2007 से नियमित प्रोफसर के पद पर कार्य कर रहे हैं और इनकी सेवानिवृत्ति तिथि 01.02.2020 है। प्रोफेसर सिंह का वेतन ये-ये है'। मतलब यह जो प्रमाण पत्र दिया है यह 16.02.2015 को दिया और 16.02.2015 को जो दिया है, यह कौन से पद पर रहा, किस पद पर रहा, कितने समय तक रहा, केवल इसमें 2007 लिख देने के कारण 2015 में देने वाला सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति उसकी पूर्ति नहीं करता। पहली बात तो मेरी यह है और जिस पर न कोई लोगो है और न कुल सचिव का, जिसने यह दिया है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसका स्टाम्प है। यह प्लेन पेपर के ऊपर, यह भी अभी आपके पास आया है। आपने इतने दिन तक पूछा लेकिन आपके पास नहीं आया। मंत्री महोदय, अगर शिक्षा के मन्दिर में इस प्रकार के लोग प्रवेश करके रह जायेंगे तो मैं सोचता हूं कि शोचनीय विषय है, इस पर आप ध्यान दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि प्रमाण पत्र 2015 में जारी होना बताया गया है, जबकि प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी की कुलपति पद पर नियुक्ति अपने यहां जुलाई, 2020 में हुई है। 2015 में सर्टिफिकेट दिया है, हमारे यहां नियुक्ति हुई जुलाई, 2020 में। इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 02 जनवरी, 2020 थी। अत: 2015 के बाद की स्थिति क्या है, इसको यह पत्र स्पष्ट नहीं करता है कि ये क्या थे, क्या नहीं थे। सेवानिवृत्ति की अवधि जरूर उन्होंने लिख दी थी। अब वे कब से वहां रहे, नहीं है कि वहां रहे कि नहीं रहे, इसके बारे में कुछ नहीं है। प्रमाण पत्र की दूसरी लाइन जो मैंने पढ़ी थी, मैं उसके बारे में बताऊं, इस विश्वविद्यालय में और इस विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट में कहीं कोई नाम पता नहीं है। यह जो इन्होंने दिया है, यह दिया है इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, सीतापुरा रोड, लखनऊ। यह जो लिख रहा है कि विश्वविद्यालय, क्या पता कि यह विश्वविद्यालय है या कोई टेक्निकल कालेज है, इस सर्टिफिकेट से तो कम से कम यह पता नहीं लगता।

श्रीमान्, सदन में प्रोफेसर अमेरिका सिंह के समस्त दस्तावेज यथा कब से कब तक क्या रहे, अर्थात् अब सहायक प्राचार्य है, सह आचार्य हैं और कब आचार्य के पद पर रहे, जो जानकारी प्रोफेसर अमेरिका सिंह द्वारा कुलपति के लिए आवेदन के समय दी थी, उन सभी नियुक्तियों तथा पदोन्नति के अधिकृत दस्तावेज कार्यालय आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही थीं। मैंने शुरू में ही यह कहा कि जो डाक्युमेंट आपने पेश किया होगा, इस चयन के लिए जब आप गये होंगे, तो उस समय उसमें किसी भी प्रकार का इसमें से नहीं रखा और इन्होंने एक व्यक्तिगत अपना, एक यूनिवर्सिटी का सलेक्शन किस तरह से हो जाता है, बहुत विचारणीय विषय है। मैं सोचता हूं इसने अपना एक व्यक्तिगत जो दिया है, वह दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर ये रहे हैं 17.07.1988 से लेकर 21.10.1999 तक, दस वर्ष तक, जो इन्होंने व्यक्तिगत दिया है अपने हाथ से। इसका कोई डाक्युमेंट नहीं है कि यह जो दिया है, उसके पीछे कोई सपोर्टिंग कागज है। फिर कहता है कि असिस्टेंट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रोफेसर है यह 21.10.1999 से लेकर 21.10.2007 और प्रोफेसर बने हैं 21.10.2007 से लेकर 31.1.2020, अब यह जो मैंने पहले प्रमाण पत्र पढ़ा है, इस प्रमाण पत्र की डेट को देखिये, इसमें यह लिखते हैं 20.10.2007 और यह लिखता है 21.10.2007 और इनका जो रिटायरमेंट का समय जो ये बताते हैं वह 1.2... बताते हैं। मैं सोचता हूं कि रिटायरमेंट का अगर कभी भी किसी का 1 तारीख को जन्म दिन होता है तो उसका रिटायरमेंट 31 तारीख को ही हो जाता है। अगर 2 तारीख होता है तो उसका महीने के अन्त में होता है, तो यह बिलकुल फर्जी डाक्युमेंट लगा करके आज, मंत्री महोदय, आपके साथ जिस प्रकार की उन्होंने चीटिंग की है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा-सा ठीक प्रकार से।

अभी लैटेस्ट 04 मार्च, 2022 को इन्होंने स्वयं ने अपना एक सर्टिफिकेट मंगवाया। अब कैसे आया, कैसे नहीं आया, यह मैं नहीं कह सकता हूं, न तो इस पर यूनिवर्सिटी के जो रजिस्टर नम्बर चढ़े हुए होते हैं जिसके आधार पर आना चाहिये। 'प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान के अभिलेखों अनुसार डा. अमेरिका सिंह इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी घटक संस्थान डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक 20.10.2007 से 1.2.... तक प्रोफेसर के पद पर रहे है।' मैं सोचता हूं कि यह इन्होंने स्वयं ने ही वैरीफाई किया है, अमेरिका सिंह 20.10.2007 से प्रोफसर पद पर, वर्तमान में यह जो ग्रेड है उसमें ये कार्यरत हैं।

मेरा आपसे कहना है कि मैं आपके सामने एक डाक्युमेंट रख रहा हूं। यह यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसके अन्दर ये हैं और उसी की एनुअल रिपोर्ट है 2008 की, यह है 23 दिसम्बर, 2008, इसके कौन-कौन अध्यापक इसमें हैं, इसकी सूची में नाम लिखा हुआ है। इसमें यह डीएसडब्ल्यू थे वहां पर और डा अमेरिका सिंह, अब इसमें जो फैकल्टी के लोग हैं उनकी पूरी सूची है इसमें। डा. बी. कासलीवाल, प्रोफेसर और हैड, डा. एस.के. श्रीवास्तव, प्रोफेसर, डा. वी.के. सिंह, प्रोफेसर, एग्जामिनेशन और डा. अमेरिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर।

अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह कर रहा हूं कि जब 2008 की एनुअल रिपोर्ट में यह अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है और उधर सर्टिफिकेट में लिख रहा है कि मैं 2007 से प्रोफसर हूं। इसके बाद एक और इसी यूनिवर्सिटी की एनुअल रिपोर्ट है, वह 2009 की है। उस 2009 में भी सेम यही पांचवें नम्बर पर जो स्टाफ का नाम है डा. अमेरिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर यह प्रोफेसर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

2009 की वार्षिक रिपोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर है तो आप तो विश्वविद्यालय में इतने साल तक रहे हैं, आप इस सारे रास्ते से गुजरे हो। क्या वास्तव में यह जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो 2009 की इस रिपोर्ट में दर्ज है, वह 2007 से प्रोफेसर हो सकता है क्या? तो यह जो सारे डाक्युमेंट हैं, जिस तरह से इसमें फर्जीवाड़ा करके, और यह जो मैंने अभी आपको बताया था लैटेस्ट 4 तारीख को जो प्रमाण पत्र दिया है, उसका जो सिग्नेचर है वह आप दोनों मिलाइये। पहले वाले सर्टिफिकेट में और अभी वाले सर्टिफिकेट में जिस प्रदीप का नाम लिखा है, उस प्रदीप का इसको एफएसएल की जांच के लिए भेज दो इसी डाक्युमेंट को कि वास्तव में यह डाक्युमेंट फर्जी बना हुआ हुआ है या क्या है।

मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना यह है कि अगर वास्तव में एक प्रोफेसर अपने आपको वाइस चांसलर बनाता है और इस यूनिवर्सिटी में बच्चों का और वहां शिक्षा का एक तरह से भार वहन करता है तो वह इस प्रकार के फर्जी डाक्युमेंट के आधार पर अगर नौकरी में लगा हुआ है तो मेरी विनम्र प्रार्थना इतनी ही है कि यह फर्जी है कि सही है, इसकी जांच निश्चित रूप से अध्यक्ष जी, आपसे प्रार्थना करता हूं कि कहीं से भी, किसी की भी कमेटी बनवाओ, इनका डिपार्टमेंट बनाये, चाहे कोई बनाये, इतने दिन तक भी यह डाकूमेंट नहीं भेजता है और हमेशा इसको टालता रहता है ताकि विधान सभा 5-7 दिन में खतम हो जायेगी, यह प्रेशर खतम हो जायेगा। ऐसे ही 13 माननीय सदस्यों ने जो विधान सभा के फ्लोर से आपके माध्यम से प्रश्न पूछा है, उसमें भी जवाब नहीं भेजने का मतलब केवल और केवल एक तरह से विधान सभा को जिस हल्के रूप में ले रहा है, मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस विषय को आप सीरियसली देखें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकई यह गंभीर मसला है। राजभवन से यह कागज हमें आज सुबह ही प्राप्त हुए हैं। इसमें निश्चित तौर पर एक कमेटी का गठन करके, नेता, प्रतिपक्ष से कहूंगा कि आपकी भी राय लेकर, क्योंकि वीसी का जो चयन है उसमें पूरी प्रक्रिया है, मैं इसमें जांच कराकर अगर एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी दर्ज कराकर इसमें पूरी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन। शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों पर प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन, वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 4;

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 5;

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्थान में सतही सिंचाई के परिणामों का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्थान में सतही सिंचाई के परिणामों की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 6;

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 7;

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

(5) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21.

श्री अध्यक्ष: श्री लालचन्द कटारिया।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 63वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा-31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 63वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न दो वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

(1) राजस्थान वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-98 के अन्तर्गत राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21;

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

(2) राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा-14 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21.

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन। डा. राजकुमार।

समिति प्रतिवेदन

स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 7 से 12)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2021-22 के निम्न 6 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति वर्ष 2017-18 (14वीं विधान सभा) के 12वें प्रतिवेदन में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग से संबंधित (जयपुर विकास प्राधिकरण)

(डा. राजकुमार शर्मा)

सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक सातवां प्रतिवेदन;

2. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में समाविष्ट राजस्थान आवासन मण्डल से संबंधित अनुच्छेद संख्या 8.1 से 8.4 एवं अनुच्छेद संख्या 8.5.1, 8.5.2 एवं 8.7.1 के मामलों/ प्रकरणों पर आठवां प्रतिवेदन;
3. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 में समाविष्ट राजस्थान आवासन मण्डल से संबंधित अनुच्छेद संख्या 8.1 से 8.7.1 तकके मामलों/प्रकरणों पर नौवां प्रतिवेदन;
4. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 में समाविष्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.1 से 10.2) पर समिति का दसवां प्रतिवेदन;
5. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 में समाविष्ट राजस्थान आवासन मण्डल से संबंधित अनुच्छेद संख्या 8.1 से 8.6.2 तक के मामलों/प्रकरणों पर ग्यारहवां प्रतिवेदन; एवं
6. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में समाविष्ट पंचायती राज विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 1.1 से 1.3, 1.3.1 से 1.3.4, 2.1 से 2.5 एवं अनुच्छेद संख्या 2.5.3, 2.5.5 एवं 2.5.11 तक के मामलों/प्रकरणों पर बारहवां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांग पर चर्चा, विचार व मतदान।

श्री टीकाराम जूली।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना की प्रस्तुति

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री टीकाराम जूली)

महोदय को रुपये 304,37,58,80,000/- (तीन सौ चार अरब सैंतीस करोड़ अठावन लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(मांग संख्या 51 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

मांग संख्या 51 पर विचार

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं भारत में जाति व्यवस्था के कारण से हजारों वर्षों से जो व्यवस्था चली आई, उस व्यवस्था के कारण से कुछ लोग बहुत आगे निकल गये और कुछ लोगों को अपने व्यवसायों के कारण कहें या अशिक्षा का कारण कहें, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा होना पड़ा या मजबूरन उनको खड़ा किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय और शोषण से मुक्ति, विभाग का पहला काम है किन्तु विगत तीन वर्षों में उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ी हैं, हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान दलितों के अत्याचार में दूसरे स्थान पर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए, चाहे वह राज्य स्तर पर हो, चाहे वह जिला स्तर पर, बहुत सारी कमेटियां बनी हुई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार उत्पीड़न निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला स्तर पर समीक्षा समितियों का गठन किया गया है लेकिन यह गठन सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। कलेक्टर्स के पास न तो इतना समय होता है न उनकी प्राथमिकता होती है। यह समितियां सिर्फ कागजों में बनी हुई हैं। न तो उनकी बैठकें होती हैं, न इसकी समीक्षा की जाती है। यदि समीक्षा नहीं होगी तो निश्चित रूप से इन कमेटियों के गठन होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जिला स्तर पर जितनी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए समितियां गठित की गई हैं, उन कमेटियों में हमेशा से ही यह प्रावधान होना चाहिये कि हम कितने समय के अंतराल में इन कमेटियों की मीटिंग आयोजित

(श्रीमती अनिता भदेल)

करायेंगे और मीटिंग के बाद उसकी समीक्षा के आधार पर हम क्या निर्णय कर पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि किस तरह से इसकी गंभीरता धीरे-धीरे खतम होती जा रही है। आप देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी। मैं आपको बताती हूं, दिसम्बर, 2021 तक हत्या के मामले और महिला अपराध जिस तरह से बढ़े हैं, 2019 में 101 अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, 2020 में 119, 2021 में 149 और इसी तरह से यह लगातार बढ़ती रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 से 2021 तक इसमें 47 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से न तो चालान प्रस्तुत हुआ है और न ही दोषियों को सज़ा दी गई है। यह कानून बना है, लेकिन कानून की पालना कितनी हो रही है और उस पालना के तहत दोषी लोगों को कितनी सज़ा मिल रही है, यह एनसीआरबी की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से हमें बताती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगी, अनुसूचित जाति के खिलाफ जो अपराध होता है उसमें सभी स्तरों पर लापरवाही बरती जाती है। पुलिस के स्तर पर लापरवाही होती है, आईओ के स्तर पर लापरवाही होती है और अनेकों मामलों में तो जब वादी एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाता है तो थानों पर पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं होती, बमुश्किल कोई प्रेशर से एफआईआर दर्ज करा भी देता है तो अन्वेषण अधिकारी उसका ठीक प्रकार से अन्वेषण नहीं करते और अन्वेषण भी हो जाता है तो चालान प्रस्तुत नहीं होते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगी, अजमेर का यह एक उदाहरण है। मैंने 131 में भी यह ध्यानाकर्षण लगाया था। एफआईआर नंबर 0154 में आज तक चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है। महेश भट्ट पुत्र तेजाराम भट्ट, बड़गांव, अजमेर, आदर्श नगर का 2020 का यह एक मैटर है लेकिन इसमें अभी तक चालान प्रस्तुत नहीं होना यह दर्शाता है कि कितनी लापरवाही के तहत हम काम को अंजाम नहीं देना चाहते।

(समय: 12.56 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहती

(श्रीमती अनिता भदेल)

हूं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग दो उद्देश्यों को लेकर बना है, किन्तु न तो सामाजिक न्याय वंचित वर्गों को मिल पा रहा है और न ही इन वर्गों के सशक्तिकरण के लक्ष्य हम हासिल कर पा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए कानून तो बहुत सारे बने लेकिन उन कानूनों की पालना हम कैसे कर पा रहे हैं, यह दर्शाता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के गैर खातेदारों की जो भूमियां हैं, उनकी अनेकों भूमियों पर गैर अनुसूचित जाति, जनजाति का कब्जा हुआ है, लेकिन वह कब्जा हटाने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 183 (बी) के तहत जब कार्यवाही करने की मंशा की ओर ध्यान दिलाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। इस प्रकार से कृषि भूमि आबंटन नियम, 1970 के तहत ऐसी कृषि भूमि जो गैर खातेदारी आबंटित की गई है, जिस पर काश्त हो रहा है, जो रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार अंकित भी हो रहा है, उसके बावजूद बार-बार कहने पर कि उसको खातेदारी अधिकार दिये जायें, लेकिन खातेदारी अधिकार उसको नहीं दिये जाते और जमीनों के मूल्य अधिक बढ़ने के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति की जमीनों को ओने-पोने दामों पर खरीदकर उनको आगे कन्वर्ट कराकर बेचने का काम इन दिनों चल रहा है। ऐसे धीरे-धीरे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के पास शून्य जमीनें रह जायेंगी। उनके पास खातेदारी की जमीन नहीं होगी और ऐसे में वह पहले से खाने कमाने के लिए परेशान होते हैं तो आने वाले समय में उनकी क्या स्थिति होगी, यह हम कल्पना कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति, जनजाति को रिजर्वेशन मिला और रिजर्वेशन इसलिए मिला कि उनको प्रथम पंक्ति में खड़ा किया जाय। चाहे आर्थिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से और चाहे शैक्षिक रूप से, हर क्षेत्र में अनुसूचित जाति का वर्ग हमें अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ दिखाई देता है। शिक्षा में जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो अनुसूचित जाति के वर्ग में शिक्षा का प्रसार इतना अधिक नहीं था कि 100 परसेंट उस रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते। 30-40 वर्षों तक तो सिर्फ 0.89 प्रतिशत लोगों ने इस रिजर्वेशन का लाभ उठाया। अब धीरे-धीरे शिक्षित हो रहे हैं, आप यह देखिए जब रिजर्वेशन होता है और शिक्षा के क्षेत्र में जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण आधार जो उनको मिला है,

(श्रीमती अनिता भदेल)

(समय: 13.00 बजे)

क्योंकि वे गरीब हैं, उनके पास खाने और कमाने का कोई साधन नहीं है, वे सामाजिक सेवाओं में लगे हैं, ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति उनका मूल आधार होता है। छात्रवृत्ति के आधार पर वे बच्चे पढ़ते-लिखते हैं और छात्रावासों में रहकर पढ़ते हैं। छात्रवृत्ति की क्या स्थिति है? माननीय सभापति महोदय, छात्रवृत्ति की स्थिति है कि कई वर्षों से छात्रवृत्ति लम्बित है। उत्तर मैट्रिक और मैट्रिक की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं को प्रति वर्ष, यदि वे 10^{th} क्लास में हैं तो नवम्बर-दिसम्बर में ही उसको 10^{th} क्लास की छात्रवृत्ति मिल जानी चाहिये, यदि वह 12वीं कक्षा में है तो उसको 12वीं कक्षा में ही छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये, जबकि छात्रवृत्ति दो-दो, तीन-तीन सालों बाद मिलती है। उस बच्चे को तुरन्त आवश्यकता होती है, उसको कोचिंग के लिए जरूरत है। उसे छात्रवृत्ति मिलेगी तो वह आगे पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ पायेगा। ऐसी स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति डिले करना, उसके साथ अन्याय है।

दूसरी बात, जिन छात्रावासों में हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, एससी, एसटी के छात्रावासों में, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि छात्रावासों में खाद्य सामग्री और रहन-सहन एवं वेशभूषा के लिए जो पैसा देते हैं, वह बहुत कम है, वह ऊंट के मुंह में जीरा जैसा पैसा है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जिस तरह से नवोदय विद्यालयों में छात्रों को खाने-पीने के लिए पैसा मिलता है, यदि उस रेट के अकोर्डिंग आप पैसा देंगे तो हमारे छात्र स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक हो पायेंगे और आप उनको अच्छी डाइट दिला पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आवासियों को दैनिक उपयोग में दी जाने वाली जो सामग्री है, वह सामग्री चाहे यूनीफार्म हो, चाहे बैग हो, चाहे मेडिकल व्यय हो या चाहे यात्रा व्यय है, उनको जो प्रतिदिन व्यय मिलता है, उसकी राशि को भी नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आप बढ़ायेंगे तो मुझे लगेगा कि आप उनके स्वास्थ्य और उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, छात्रावासों में होने वाले बिजली, पानी, भवन, मरम्मत, रंग-रोगन और अन्य प्रशासनिक कार्य हैं, जो वहन किये जाते हैं, वे खाद्य सामग्री मद से ही व्यय किये जाते हैं तो मेरा निवेदन है कि छात्रावासों की हालत इतनी खराब है, जर्जर हालत है, वहां पर बेड्स नहीं हैं,

(श्रीमती अनिता भदेल)

बेड्स हैं तो सोने के लिए तकिया, रज़ाई और गद्दे नहीं, चद्दर नहीं है और फटे पुराने हाल में हैं आप जाकर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि बच्चे कितनी बुरी हालत में रहते हैं, इसलिये मैं आपसे निवेदन करती हूं कि यदि आप इसको खाद्य मद से हटाकर अलग मद सृजित करके उसके तहत देंगे तो बच्चों को आसानी होगी।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगी, आपने 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का अलग-अलग तय किया है कि आप देंगे। आप जो दे रहे हैं, उसको आप किस तरह से और बढ़ा सकते हैं, आपको इसकी कोशिश करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि एससी, एसटी, अस्वच्छ कार्य में लगने वाला वर्ग, कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को 100 रुपये प्रतिमाह रखरखाव भत्ता दिया जाता है, उसके लिए निवेदन है कि ये 100 रुपये प्रतिमाह है, ये 100 रुपये बहुत मामूली हैं इसलिये इसको निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिये। यह मैं आपसे निवेदन करूंगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आप बहुत सारी स्कीम लेकर आते हैं और उसकी बजट में भी घोषणा करते हैं, जो लैपटॉप की स्कीम है, आप जो लैपटॉप देते हैं, वह अनुसूचित जाति वर्ग के बालक-बालिकाओं को 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में और बहुत इंटीरियर क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना गांवों के बच्चों के लिए मुश्किल होता है, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसमें 10 प्रतिशत की छूट दें, ताकि अनुसूचित जाति के बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले, जिनके परिवारों में बिलकुल शिक्षा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करती हूं कि जो स्वच्छता सैनिक हैं, जो सफाई कार्य में लगे हुए लोग हैं, आप देखिये, सुबह से मम्मी-पापा दोनों काम पर चले जाते हैं, वाल्मीकि समाज से आने वाले लोग हैं, अनुसूचित जाति में भी बहुत सारे वर्ग हैं, अभी स्थिति उनकी ठीक है, लेकिन ऐसे वाल्मीकि समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग हैं, जिनकी स्थिति आज भी बहुत ज्यादा दयनीय है बहुत ज्यादा दयनीय है उनको शिक्षा की विशेष व्यवस्था और प्रोत्साहन दिया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिये यदि हम यह प्रोत्साहन देंगे तो निश्चित रूप से वे भी शिक्षा से जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसी तरह से मैं स्कूटी योजना के लिए निवेदन करना चाहूंगी। आपने दो साल से स्कूटी नहीं दी है, लेकिन स्कूटी योजना में 10वीं और 12वीं के अध्ययनरत छात्रों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्ति पर अम्बेडकर नि:शुल्क स्कूटी योजना के नाम से यदि आप देंगे तो निश्चित रूप से बालिकाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वे भी आगे बढ़ेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करती हूं, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। जिस तरह से केन्द्र सरकार ने 2011 की सेंसस के अनुसार सरकारी नौकरियों में 17 प्रतिशत और 13 प्रतिशत, जो 30 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है, यह केन्द्र सरकार ने कर रखा है लेकिन राज्य में 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत पर ही हम अटके हुए हैं, जबकि 2021 निकल गया है, 2011 की सेंसस के अनुसार हम चल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार की भांति यदि आप राज्य सरकार में भी राजकीय सेवाओं में 30 परसेंट आरक्षण देना प्रारम्भ करेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी फायदा मिलेगा, जो इन पदों पर नहीं आ पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब से मैं इस सदन में आयी हूं तब से मैं बैकलाग और रोस्टर प्रणाली की बार-बार चर्चा सुनती हूं। कांग्रेस के हर चुनाव घोषणा-पत्र में होता है कि हम बैकलाग को पूरा करेंगे, हम रोस्टर प्रणाली लागू करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूं, जिसमें योग्यता रखते हुए भी, गृह विभाग का मैटर है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में एक आरक्षित वर्ग का कार्मिक है, वह बिना रिजर्वेशन के मैरिट से नौकरी में आता है, जब उसका प्रमोशन होने की बात होती है तो कहते हैं कि इसने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है नौकरी में लगते समय इसलिये इसको रिजर्वेशन नहीं दे सकते और पद खाली रखा है। मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति की बात तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत बढ़ा-चढ़ाकर करते हैं, लेकिन हम व्यवहार में क्या महसूस करते हैं। आप देखिये, आरपीएससी में जब भी प्रमोशन होता है तो डीओपी के अधिकारी/कर्मचारी वहां जाते हैं। यह प्रमोशन का रूल डीओपी ने ही निकाला है, रोस्टर प्रणाली उन्होंने ही लागू की है। किसी भी विभाग में रोस्टर का रजिस्टर संधारित नहीं होता है। 1997 से पहले हम वैकेंसी-वाइज आरक्षण देते थे। 1997 के बाद हम वैकेंसी-वाइज आरक्षण नहीं देकर पद-वाइज आरक्षण दे रहे हैं। जब पद-वाइज आरक्षण दे रहे हैं तो आपने 7वें नम्बर पर एससी को और 9वें नम्बर पर एसटी को पद दिया हुआ है, लेकिन जो बैकलाग

(श्रीमती अनिता भदेल)

के पद हैं, वे बैकलाग के पद कभी भी, किसी भी सत्र में, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब तक आप बैकलाग के पद नहीं भरेंगे और अनुसूचित जाति के राजकीय सेवा में लगे हुए लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से प्रमोशन के समय, जब उनका प्रमोशन होता है, यदि वह जनरल मैरिट से आ रहा है, यदि उसके पास जनरल से भी ज्यादा अंक हैं और उसका सलेक्शन हो गया, सलेक्शन होने के बाद जब प्रमोशन होना होता है तो कहते हैं कि आप तो एससी के हैं, एससी का पद खाली नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं करेंगे। उसका प्रमोशन क्यों नहीं करेंगे, वह आपसे वरिष्ठ है। आप वरिष्ठता के आधार पर तो प्रमोशन दीजिये, लेकिन पद खाली हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग में कार्मिक विभाग के कई सर्कुलर निकलने के बाद भी ये प्रमोशन के पद अभी भी खाली हैं, इनको भरा नहीं गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि ये प्रमोशन के पद भरे जायें।

कांग्रेस ने 70 सालों से एससी, एसटी का वोट तो लिया है, लेकिन जब एससी, एसटी के वैलविशर की बात की जाती है तो बिलकुल सर्कुलर निकालकर ठण्डे बस्ते में डाल जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, जब कोई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सरकार के रूल्स का वायलेशन करता है तो उसको 16सीसीए, 17सीसीए का नोटिस दिया जाता है, उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है, परन्तु इतने सारे वायलेशन कार्मिक विभाग के डीओपी से जाने वाले लोग डीपीसी में करते हैं, क्या आपने एक भी कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया है कि आपने इस प्रमोशन में गड़बड़ी क्यों की है? रोस्टर के आधार पर जब उसका प्रमोशन होने वाला है तो आपने इसको क्यों छोड़ा? इस पद को क्यों छोड़ा? उसको प्रमोशन क्यों नहीं दिया? परन्तु कार्मिक विभाग में आज तक भी किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ यह एक्शन नहीं लिया गया है। या तो सरकार ने जितने सर्कुलर निकाले हैं वे सब कैंसिल कर दो ताकि एक मानसिकता हो जायेगी कि कोई सर्कुलर इस सन्दर्भ में नहीं है लेकिन बार-बार सर्कुलर निकालने के बाद वे सिर्फ कागज बनकर रह गये। माननीय मंत्री महोदय, ऐसे हजारों कर्मचारी हैं। किसी भी विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रमोशन होकर क्या कोई एससी, एसटी का बन्दा आता है? कभी नहीं आता है। इसलिये नहीं आता, क्योंकि आपकी उनको यह प्रमोशन देने की मंशा नहीं है। अपनी योग्यता के

(श्रीमती अनिता भदेल)

आधार पर आये तब भी आपकी मंशा नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि जितने भी बैकलाग के पद हैं, उनको भरा जाये।

सरकार ने एक राइडर लगा दिया कि यदि बैकलाग के पदों को तीन साल तक नहीं भरा जायेगा, वे अपने आप ही स्वत: ही खतम हो जायेंगे। ऐसे कैसे खतम हो जायेंगे? यदि आप यह कानून लागू करके इस राइडर को लगायेंगे तो धीरे-धीरे जो अधिकारियों की मंशा होती है कि हमको एससी के लोगों को लाभ नहीं देना, तो वे इस तीन साल के राइडर का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं और धीरे-धीरे पद समाप्त कर देते हैं कि पद ही नहीं हैं और फिर नये सिरे से पदों की गणना होती है। इसलिये माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि, मंत्री महोदय, सरकार में आप बैठे हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यदि अब आप नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यह हो सकेगा क्योंकि धीरे-धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। अब और लोग आयेंगे। यह जो वैमनस्य है, यह फिर वर्ग भेद में बंटेगा, फिर लड़ाइयां होंगी। लड़ाई इस स्तर पर होगी कि आपके और हमारे संभालने से वह स्थिति नहीं संभल पायेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस सामाजिक समरसता को बनाये रखने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उन संवैधानिक प्रावधानों का लाभ लोगों को दिलाएंगे, ये मेरा निवेदन है। यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जब अस्थायी मानदेय, सेवाओं में संविदा, मानदेय पर आप लोगों को ले रहे हैं। हर चीज में मानदेय पर या संविदा पर आप लोगों को रख रहे हैं, रेगुलर भर्तियां नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में रिजर्वेशन का लाभ जो संविधान ने दिया है, उस रिजर्वेशन का लाभ कैसे वह अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा? प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन संविदा और अस्थायी मानदेय सेवाओं में भी आप आरक्षण की व्यवस्था लागू करें ताकि उस प्रपोर्शनेट में लोग उस व्यवस्था में शामिल हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि शैक्षिक स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है लेकिन आर्थिक स्थिति में, आज भी आर्थिक स्थिति में 15 प्रतिशत जनसंख्या का ही पूरे आर्थिक तंत्र पर कब्जा है, जो शेष 75 प्रतिशत जनसंख्या है, वह ऐसे छोटे-छोटे कामों में लगी हुई है और छोटे-छोटे सेवा कार्यों में लगकर अपने अर्थतंत्र को चला रही है। ये जो आर्थिक

(श्रीमती अनिता भदेल)

विभिन्नता है, यही संघर्ष का कारण बनती है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगी कि सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं तो की हैं लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? अभी रामगढ़ से आने वाली सदस्या सफिया जी बता रही थीं कि 20 लाख रुपये, आज क्वेश्चन ऑवर में उन्होंने बोला कि 20 लाख रुपये से क्या होता है इतनी बड़ी आबादी को? इसी तरह से जो आपके टार्गेट हैं, वह टार्गेट इतने कम हैं और टार्गेट को अचीव करके हम बहुत खुश हो जाते हैं। यदि टार्गेट को अचीव करके आप खुश हो रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि लक्ष्य ही हमने छोटा रखा है। हम खुश हो जाएं तो उससे कोई नतीजा हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से हमको बजट भी रखना चाहिए और लक्ष्य भी रखना चाहिए।

हम एस.सी./एस.टी. के लिए अलग से बजट रखते हैं। अलग बजट रखकर उसमें काल्पनिक आधार पर हम यह सोच लेते हैं कि इतना बजट खर्च हो गया। काल्पनिक आधार पर खर्च हुआ बजट यदि सही है तो आज तक अनुसूचित जाति की स्थिति ये नहीं होती जो बनी हुई है। इसलिए काल्पनिक आधार पर मत जाइए। वास्तविक आधार पर जाइए कि वास्तविक आधार पर कितना बजट खर्च हुआ है? आप इसको देखिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि रीको के औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु, मध्यम स्तरीय इकाइयों हेतु आरक्षित दर क्रमश: 25, 50 और 75 प्रतिशत पर आबंटित किया जाना चाहिए एस.सी. के उद्यमियों के लिए। इसी तरह से जो इकाइयां स्थापित हैं, रीको से संतृप्त क्षेत्रों में पात्रता से आबंटन किया जाए। एस.सी. वर्ग के उद्यमियों को कब्जा प्राप्त करने की तिथि से तीन वर्ष तक की तिथि का समय उत्पादन हेतु दिया जाए और तीन वर्ष तक उत्पादनरत रहने पर विक्रय हस्तान्तरण के अधिकार दिये जाने चाहिये।

इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगी कि एससी./एस.टी. वर्ग के व्यक्तियों को उद्यम स्थापित करने हेतु कृषि भूमि की खरीद पर रजिस्ट्री कराने पर सौ प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जानी चाहिये। अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत सारी छूट दी हैं महिलाओं के लिए। लेकिन यदि एस.सी./एस.टी. के उद्यमियों के लिए छूट मिल जाए तो वे उद्यमी भी रजिस्ट्री कराकर अपनी एक छोटी-मोटी इकाई स्थापित कर लें और धीरे-धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से एस.सी./एस.टी. के व्यक्तियों को खनन, रीको में भूखण्ड, उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन में आरक्षण का प्रावधान भी किया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो और इस ओर भी वे आगे बढ़ सकें। आप देखिए अनुसूचित जाति के लोग आर्थिक सेवाओं में जाना पसन्द नहीं करते क्योंकि वे रिस्क नहीं लेना चाहते। उनके पास छोटी-सी पूंजी है, यदि यह छोटी-सी पूंजी भी उस रिस्क में गंवा दी तो फिर जिन्दगीभर बैठने का ही काम है और कोई काम नहीं होगा। वे रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित हों, सरकार उनके पीछे खड़ी रहे और उनको लगे कि सरकार हमारे पीछे खड़ी है, इसलिए हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। रिस्क लेकर वह उस उद्यम की ओर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से वे लोग भी उद्यमी बन पाएंगे, जो उनका एक सपना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि दो करोड़ रुपये तक का ऋण अनिवार्य रूप से उनको दिया जाना चाहिए। जिस तरह से आप वित्त व विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से जो योजनाएं संचालित करते हैं, उन योजनाओं में लक्षित समूह को बढ़ाते हुए 2 करोड़ रुपये तक का ऋण यदि आप उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से उनको उद्यम स्थापना में मदद मिलेगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य शिक्षा में तो धीरे-धीरे प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा, इन दोनों फील्ड में अभी भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग बहुत पीछे हैं। हम यदि समाज के सभी वर्गों को एक पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे-जैसे समय बीतता है, अभी आप कहेंगे कि अब तो उनके पास घर भी हैं, उनके पास एजुकेशन भी है, अच्छे स्तर से वह रहते भी हैं, लेकिन वह कितना प्रतिशत है? और आगे वाले की दौड़ में तब ही हम बराबर हो पाएंगे जब पीछे वाले को विशेष राहत पैकेज मिल पाएगा नहीं तो आगे वाला तो और आगे दौड़ा जा रहा है, उसकी बराबरी तो भविष्य में कभी होगी ही नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि उच्च शिक्षा में यूजी.सी. द्वारा 25/08/2009 को जारी नीति के क्रम में विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण हेतु

(श्रीमती अनिता भदेल)

विषय के स्थान पर, जैसा नरेन्द्र मोदी जी ने केन्द्र में किया है, माननीय मंत्री महोदय, अनुसूचित जाति के लिए बहुत बड़ा उपाय माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है, उसी तरह से उसको सब्जेक्ट की बजाय विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर यदि आप इसमें भर्ती करेंगे, रिक्तियां निकालेंगे तो अनुसूचित जाति के लोगों को भी हायर एजुकेशन में जाने का मौका मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आरक्षण संविधान ने दिया, इसके बावजूद भी छोटी-छोटी चीजों को लेकर न्यायालय में चले जाते हैं और न्यायालय में जाकर उन चीजों को अटका देते हैं। मेरा निवेदन है आरक्षण को न्यायिक व्यवस्था से दूर रखा जाए। ये प्रोविजन आपको करना चाहिए क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार अनुसूचित जाति के लोगों को मिला है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि न्याय व्यवस्था में आप कभी सर्वे कराएं, आपको बहुत आश्चर्यचकित आंकड़े प्राप्त होंगे। न्यायिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति के लोग जीरो हैं। इस कारण से जब अनुसूचित जाति के लोगों का कोई मैटर वहां जाता है तो जो सोच है, मानसिकता है, वह उस दृष्टि से नहीं सोचते हैं और इस दृष्टि से नहीं सोचते हैं तो अनुसूचित जाति के खिलाफ कई बार, मैं तो क्या कहूं, आप जितने फैसले हैं, जितने निर्णय हैं, वह उठाकर देख लीजिए, उनमें क्या हुआ है? अल्टीमेटली अनुसूचित जाति के लोगों को ही इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति में एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति आयोग बना हुआ है, अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने ओ.बी.सी. को संवैधानिक दर्जा दिया। अब अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तो उसके पास क्या अधिकार है? किसी को सज़ा थोड़े ही दे सकते हैं? किसी से कोई सवाल थोड़े ही पूछ सकते हैं? सिर्फ हम जाकर अपना आवेदन देकर आ गये और उन्होंने सुन लिया, अधिकारी को भेज दिया, वह माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए तभी अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में ठीक प्रकार से फैसला होगा और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकेगी।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन पाइंट और निवेदन करना चाहती हूं आपके सामने। आयोजना विभाग द्वारा बजट में राजस्व एवं पूंजीगत मदों की समस्त योजनाओं के लिए, हमारे नेता, प्रतिपक्ष कई बार यह सवाल उठा चुके हैं, एक बार पिछले सत्र में भी आपने यह सवाल उठाया था, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती, हम बोल-बाल कर चले जाते हैं। कुछ भी बोलते रहो लेकिन एक प्रतिशत भी कोई असर नहीं, बोलने का कुछ तो असर हो, कोई असर नहीं। आप देखिए, मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि जनसंख्या के अनुपात में आबंटित बजट का व्यय काल्पनिक आधार पर, नोशनल शेयर न किया जाकर वास्तविक व्यय के आधार पर समीक्षा होनी चाहिए। आज तक समीक्षा हुई क्या? वर्ष 1952 के बाद से लेकर आज तक कोई समीक्षा की क्या? कोई रिपोर्ट जारी हुई क्या? लेकिन नहीं, सिर्फ आंकड़ों में हम अनुसूचित जाति के लिए ये करेंगे, वो करेंगे और आंकड़ों के बाद में, एक साल बाद में यदि देखते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, तो उसका 50 परसेंट भी खर्च नहीं होता है। जब 50 परसेंट भी खर्च नहीं हो, लक्ष्य वैसे ही कम रखा है और लक्ष्य कम के आधार पर 50 परसेंट भी खर्च नहीं हो रहा तो हम कैसे उनको शैक्षिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ा पाएंगे?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवदेन करना चाहती हूं कि अम्बेडकर जी ने जो सपना संजोया था कि इस भारतीय समाज को, इस हिन्दू समाज को एकरस करने का, समरसता स्थापित करने का। छुआछूत अब शहरों में तो खतम हो गयी लेकिन गांवों में अभी भी है। एक नई प्रकार की छुआछूत शुरू हो गयी। सरकारी नौकरियों में, राजकीय नौकरियों में, यह अनुसूचित जाति का है। अरे, अरे, यह तो वैसे ही आ गया होगा। यह तो कम अंक पर ही आ जाते हैं। इनका तो कम अंक पर ही प्रमोशन हो जाता है। क्या माहौल बन रहा है? सरकारी सिस्टम में जो माहौल बन रहा है, वह बहुत खतरनाक है, इसलिये इस माहौल को खतम किया जाना चाहिये। न केवल खतम किया जाना चाहिये बल्कि वास्तविक समरसता, नये प्रकार के छुआछूत का क्रम जारी हो रहा है। इसी तरह से राजनीतिक दृष्टि से भी।

आप देखिये, मुझे नहीं बोलना चाहिये, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से आती हूं, इसलिये मुझे मालूम है, भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति, जनजाति का कितना महत्व है। मैं प्रथम वक्ता हूं। हमेशा मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, इसलिये मुझे यह पद हासिल हुआ है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

राजनीतिक दृष्टि से, क्या नीति निर्धारण के समय अनुसूचित जाति के लोगों के विचारों को, उनके सुझावों को हम कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या हम उसमें मानते हैं? हम तो यह सोचते हैं कि ठीक है। कांग्रेस ने 70 सालों से अनुसूचित जाति का वोट हासिल करके शासन किया है। अब, जैसे-जैसे अनुसूचित जाति का वोट खिसक रहा है, वैसे-वैसे ही कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही।

आप देखिये, कल यूपी का रिजल्ट आया। चार राज्यों के रिजल्ट आये। अगर आप ऐसा करोगे तो आप धीरे-धीरे, क्योंकि शैक्षिक रूप से समझ होती जा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजनैतिक दृष्टि से उनको आगे बढ़ाना है। रिजर्वेशन किया है, विधायिका में रिजर्वेशन है, स्थानीय निकायों में रिजर्वेशन है। यदि वह अपना दायित्व ठीक प्रकार से निभा रहे हैं, अपनी कांस्टीट्यूएंसी को ठीक प्रकार से निभा रहे हैं, राजनीति की समझ रखते हैं, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, उसकी बात करते हैं तो उनके नीतिगत निर्णय को भी आपको मानना चाहिये पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में ऐसा होता होगा, उस वजह से आज कांग्रेस सत्ता से दूर होती जा रही है। मेरा निवेदन है, मेरा सुझाव है, इस सुझाव को मानेंगे तो शायद आपको लाभ होगा, मैं इतना कहना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं योजनाओं के बारे में कुछ निवेदन करना चाहती हूं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, यह 2021-22 के पैरा नम्बर-107 में, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी व ईडब्ल्यूएस के छात्र-छात्राओं के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना की घोषणा की गयी, जिसमें 5-5 हजार छात्र-छात्राएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे। सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, लक्ष्य कितना कम है, सिर्फ 5 हजार। 5 हजार में भी आप देखिये, किस-किस को शामिल कर रहे हैं, एससी, एसटी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। अब यह एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोगों को भी इस 5 हजार में शामिल कर देंगे, जहां 7 करोड़ की आबादी है, युवा सबसे ज्यादा हैं, आबादी में पढ़ने वाले बच्चे सबसे अधिक हैं, वहां आपने सिर्फ 5 हजार का ही लक्ष्य रखा है, तो फिर इसमें कौन आयेगा? जिनको वास्तव में आवश्यकता है वह तो पीछे छूट गये। इस लक्ष्य को 5 हजार से हटाकर कम से कम 10 लाख, 15 लाख किया जाना चाहिये था, तब जाकर उन लोगों को लाभ मिलता, माननीय मंत्री महोदय।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगी। समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वह श्रमिक कल्याण की योजनाएं हो, चाहे आबकारी के तहत नवजीवन योजना हो, चाहे शिक्षा में छात्रवृत्ति योजना हो, इन सब योजनाओं के आप जितने लक्ष्य रखते हो, वह लक्ष्य बहुत कम हैं, उन लक्ष्यों को बढ़ाया जाना चाहिये।

अभी श्रमिक कल्याण मंत्री के रूप में भी आप यह दायित्व देख रहे हो। श्रमिक कल्याण की योजनाओं में अनुसूचित जाति के लोग श्रमिक के रूप में सबसे ज्यादा हैं, आप देखिये, अन्तर आपको बहुत स्पष्ट लग जायेगा। बिल्डर तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं होगा। चाहे कितने बड़े-बडे बिल्डर्स की आप बात कर लो। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मजदूर जायेगा वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति होगा। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए इतनी अच्छी योजना, सेस के माध्यम से पैसे इकट्ठे करने की योजना, बिल्डर को सेस जमा कराना होता है, वह नहीं कराता, क्योंकि मजदूर को इसका लाभ है। वह आपको नहीं बताता कि उसने कितना रजिस्ट्रेशन करवाया है। सरकारी टेण्डर्स में ही वह आपको करता है लेकिन प्राइवेट जितनी बिल्डिंग बनाता है, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है। न तो रेरा में रजिस्ट्रेशन कराता है, न आपके यहां रजिस्ट्रेशन कराता है। इसलिये, माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी अनुसूचित जाति के बालकों को, जनजाति के लोगों को जो श्रमिक कल्याण की योजनाओं का लाभ मिलता है, वह पूरी तरह से बन्द हो गया है, इसलिये आपको वह लाभ भी दिलाना चाहिये।

मैंने पहले यह बात कही है कि मुक़दमों का समय पर चालान नहीं हो पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करती हूं....

श्री सभापति: समाप्त करें। बहुत हो गया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं दो बिन्दु कहकर समाप्त करूंगी। कल के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा। हमारे प्रतिपक्ष के ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल पूछा कि आप बीपीएल का सर्वे कब कराओगे? मंत्री महोदय ने कहा, नहीं-नहीं, कोई बीपीएल का सर्वे नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय ने भी व्यवस्था दे दी। जबकि जन घोषणा के पेज नम्बर 33 के बिन्दु संख्या-15 पर, बीपीएल परिवारों का पुन: सर्वे कराने की घोषणा की गयी। अब यह घोषणा पत्र में, बीपीएल में आएंगे गरीब लोग, ग़रीबों में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं, यह जन घोषणा पत्र में क्यों लिखा जब आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है?

(श्रीमती अनिता भदेल)

कल मंत्री महोदय ने कह दिया, आंगनबाड़ी कर्मचारी, जो मानदेय कर्मचारी हैं उनको नियमित नहीं करेंगे। आपने तो यह जन घोषणा पत्र में लिखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि हमने जन घोषणा पत्र के 70 प्रतिशत वादों को पूरा कर दिया। 70 प्रतिशत वादों को पूरा कर दिया और हर बिन्दु पर आप यह कह रहे हैं, हम यह नहीं करेंगे, यह केन्द्र सरकार के पाले में है, यह केन्द्र सरकार के पाले में है, यह केन्द्र सरकार के पाले में है तो भई, आपने घोषणा की है, आप घोषणा का पालन क्यों नहीं करा रहे?

मंत्री महोदय, मैं पालनहार योजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। पालनहार योजना में जो पैसा मिलता है, वह पैसा आप दो-दो, तीन-तीन साल में दे रहे हैं। आज मुझे खाने की जरूरत है, आज बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, आप तीन साल बाद उसको पालनहार का पैसा दे रहे हैं। एक साल बाद उसको एकमुश्त दे रहे हैं। जिस तरह से हर महीने 500 रुपये विधवा को पेंशन जाती है, मेरा निवेदन है कि उसी तरह से बालक और विधवा को ...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हर महीने पेंशन दी जानी चाहिये। अन्त में, मैं अपनी बात को कहकर समाप्त करती हूं। माननीय सभापति महोदय, अगर अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़ाना है, सबसे बड़ा ड्राबैक जो है वह शराब है। यदि प्रदेश में शराब बन्दी कर दी जाये या अनूसूचित जाति के लोगों के बीच शराब की दुकानें नहीं खोलें। यह नियम तो है कि अनूसूचित जाति के लोगों के बीच शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा शराब की दुकानें अनूसूचित जाति के लोगों की बस्तियों के आस-पास ही होती हैं।

आपने यह कहा गुरुशरण छाबड़ा जी को श्रद्धांजलि देते समय, हम पूरे प्रदेश में शराब मुक्त कर दें, ऐसा अभियान चलाएंगे। मेरा निवेदन है कि गुरुशरण छाबड़ा जी के नाम से राजकीय महाविद्यालय खोल देने से श्रद्धांजलि नहीं होगी। उनको असली श्रद्धांजलि तब होगी जब आप शराब बन्दी कर देंगे। यदि शराब बन्दी हो जायेगी तो आधे से ज्यादा अनूसूचित जाति के लोग व महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे पाएंगे, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे। इतना ही कहकर, मैं अपनी बात को पूरा करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जो विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं एससी, एसटी के कल्याण के लिए, उस पर रखी गयी चर्चा पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इस विभाग के अधीन अभी लगभग भारत सरकार और राजस्थान सरकार, दोनों के ही शेयर में, अलग-अलग अनुपात में 23 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें मेरा पहला निवेदन यह है कि अधिकतर....

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, काहे की डिबेट करा रहे हो, 18 आदमी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 18 आदमी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बिना कोरम के नहीं चल सकती है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, विराजिये। आपका समय निर्धारित है और मैं उसमें से समय काटूंगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बिना कोरम के कैसे चलेगी?

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): बिना कोरम के बहस करा रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, कोरम की पालना तो कराओ।

श्री सभापति: आप भी बाहर पधारें फिर। क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हो?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, कोरम की पालना तो कराओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज। केवल यह दिखाने के लिए कि आप इस सदन में बैठे हुए हो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हम तो बैठे हैं। इनको तो कहो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन की भी थोड़ी-सी वह रखिये कि सदन की क्या गरिमा है, क्या परम्परा है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सदन की गरिमा यह है कि कोरम पूरा रहे। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, आप विराजिये। विराजिये। आप इतने वरिष्ठ हो, मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका। (व्यवधान) आपको अपनी वरिष्ठता का अन्दाज नहीं है क्या?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मेरे को जानकारी है, इसलिये कह रहा हूं मैं..(व्यवधान)

श्री सभापति: आपको क्या जानकारी है, वह तो मुझे पता है। मेरे से ज्यादा आपको कोई नहीं जानता।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): वाह-वाह, बड़े विद्वान हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपके बारे में जितना मैं जानता हूं, शायद आप स्वयं भी नहीं जानते। इसलिये जानकारी की बात मत करो। बात यह करो कि आप वरिष्ठ हो, आपके और मेरे बाल सफेद हो गये, सफेद बाल जो हैं, वह अपने अनुभव के आधार पर मानों यूं कोई मत मानो। आप विराजिये। बार-बार खड़े होकर सदन को बाधित करना कोई अच्छी परम्परा नहीं है। विराजिये आप लोग। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं और आप बेवजह इंटरवीन कर रहे हैं। माननीय सदस्या जब बोल रही थीं तो किसी ने इंटरवीन किया?

मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि आप बहुत वरिष्ठ हैं आप अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखें और अकारण खड़े होकर उत्तेजना पैदा नहीं करें। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, आप भी थोड़ा-सा कुछ सीखें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप कुछ सिखाते ही नहीं हो।

श्री सभापति: विराजिये। श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस विभाग की योजनाओं पर चर्चा हो रही है, आज की तारीख में इसमें जितनी भी योजनाएं संचालित हैं उसमें एस.सी., एस.टी., अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ इसमें वृद्धजन हैं, विधवाएं हैं, परित्यक्ताएं हैं, विकलांग हैं, अनाथ बच्चे हैं, गाड़िया लोहार हैं और यहां तक भी यदि किसी की मृत्यु हो जाये, किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की तो उसकी अंत्येष्टि

(श्री रूपाराम)

के लिए भी योजना है तो इस प्रकार इसमें और जैसे मैडम मेरे से पहले बता रही थीं कि इसमें विशेषकर गरीब लोगों में जो नशे की प्रवृत्ति है, उससे पूरा परिवार बरबाद हो जाता है। लिमिटेड फाइनेंस रिसोर्सेज में जब नशे करते हैं तो नशों से मुक्त करने के लिए भी इसमें प्रावधान किया हुआ है।

मोटे तौर पर यह है कि राजस्थान की सात-सवा सात करोड़ की जो आबादी है उसमें करीब 60 परसेंट इस विभाग के तहत जो अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं, उनसे लाभान्वित होती हैं। इसकी महत्ता को सिर्फ एस.सी., एस.टी. के लिए ही करके इसको कम तवज्जोह नहीं देनी चाहिए, यह मेरा निवेदन था।

देश आजाद हुआ और अभी 73 वर्ष की जो दौड़ है, इसमें शुरुआती 40-45 वर्ष में इस विशेषकर के एस.सी., एस.टी., अन्य पिछड़ा वर्ग या जितनी भी मैंने यह कैटेगरी बतायीं, उनको शुरुआती उस दौर के अन्दर ध्यान भी नहीं पड़ा कि राज का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है या मीठा होता है, क्या लाभ देते हैं, उनको यह जानकारियां नहीं थीं और जो योजनाएं समय-समय पर बनीं, जो अधिकारी लोग थे, अधिकतर लोग ऐसे थे जिन्होंने कठिनाइयां नहीं देखीं, तो उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उसके दिल के अन्दर, यह चाहे कितनी भी योजनाएं बन जायें, जब उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी होते हैं, उनके दिल में अगर दर्द नहीं हो तो उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय अशोक गहलोत साहब तीसरी बार मुख्य मंत्री हैं। मुख्य मंत्री रहते हुए 1998 से लेकर 2003 तक, 2008 से 2013 तक और अभी 2018 से 2023, इन 13 वर्षों में उन्होंने सभी सेक्टर में काम किया। आप सबसे चर्चा करके, आमजन से चर्चा करके और विशेषकर जो इस विभाग में कवर होती है, जितनी भी ये योजनाएं हैं, उसमें एक-एक सेक्टर को, चाहे विकलांग हो, चाहे विधवा हो, एस.सी., एस.टी. के हों, उनके उत्थान के लिए समय-समय पर प्रयास किये गये। जब से देश आजाद हुआ तो सरकार किसी की भी रही, सभी ने प्रयास किये कि उनका उत्थान हो। उत्थान जब होता है जब एक तो योजना बने, उस वक्त लोगों के दिमाग में यह हो कि इनकी तकलीफ क्या है और उत्थान का रास्ता क्या है? फिर जो योजनाएं हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर वह कागजों में ही रह जाती हैं।

(श्री रूपाराम)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो अभी इस बजट में घोषणा की, वह आप सबको विदित है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह खुद ने बताया, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि यह अनुप्रति कोचिंग योजना है, जिसमें इन वर्गों के, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है, जो पिछले साल तक टार्गेट सात हजार का था उसको बढ़ाकर पन्द्रह हजार किया है। एस.सी., एस.टी. के उत्थान के लिए जो पिछले साल में प्रावधान किया था 100-100 करोड़ रुपये का, उसको बढ़ाकर दोनों के लिए 500-500 करोड़ रुपये किया है। इसी प्रकार ई.डब्ल्यू.एस. की उन्नति के लिए अलग से 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कालीबाई भील योजना, देवनारायण योजना के तहत जो स्कूटी बच्चियों को वितरित की जाती है, 13 हजार का पिछले साल का लक्ष्य था, उसको बढ़ाकर 20 हजार किया गया है। इस प्रकार जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेघर हैं, उनके पुनर्वास के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से महिलाओं, असहाय/निराश्रित बच्चों के लिए भी करीब 45 आवास गृहों के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

राज्य में पहली बार मिरासी समुदाय, जिसमें कहीं पर मिरासी कहते हैं, ढाढी कहते हैं, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा, भिश्ती, यह पुरानी जो संस्कृति है, जो कला है, उसको यह जीवित रखे हुए हैं और ये लोग पहले तो एक गांव के अन्दर शादी-ब्याह में वहीं तक गायन करते थे लेकिन यह कई कलाकार, यह हमारे जैसलमेर के भी हैं वे 180-180 देशों में गये हैं। मारवाड़ी में कहते हैं कि सेंधा बाणिया, सोंठ का गांठिया, तो अपने यहां पर उनको तवज्जोह कम देते हैं लेकिन और जगह पर जाते हैं, उनकी कला है, तो जगह-जगह उसकी देश-विदेश में प्रशंसा होती है। उन समुदायों में यह कला जीवित रहे और उनके बच्चे और बच्चियां और आगे बढ़ें, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनकी उन्नति के लिए भी इस बार बजट में 20 करोड़ रुपये का यह प्रावधान किया है।

पालनहार योजना में छह वर्ष की आयु तक 500 रुपये को 1500 रुपये किया है, छह से आठ वर्ष तक की आयु तक को 1000 से 2500 किया। इसी प्रकार कई जगह पर छात्रावास वगैरह खोली गयीं बच्चों की बच्चियों की और साथ ही जो अनुदानित छात्रावास चल रहे हैं, एस.सी., एस.टी. के बच्चों को प्रति माह ढाई हजार का था, और जगह पर कहीं कम था, तो प्रति माह का मानदेय सभी जगह पर बढ़ाकर ढाई हजार का किया है। मैस व्यवस्थाएं ऐसे छात्रावास में वहां प्रोपर नहीं थी, तो मैस में सही डाइनिंग टेबल और

(श्री रूपाराम)

फर्नीचर हो, अथवा और भी कोई उपकरण की मैस में जरूरत हो तो उसके लिए राज्य में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

इसी प्रकार नशे की प्रवृत्ति से लोगों का पीछा छुड़ाया जाये, उनकी इस गलत आदत को छुड़ाया जाये ताकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हो, इसमें जो एन.जी.ओ. वगैरह करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए पांच करोड़ रुपये का पिछले साल प्रावधान था, उसको दस करोड़ रुपये किया गया है।

मैं कुछ योजनाओं के बारे में कहना चाहूंगा कि एक तो जो छात्रावास चलते हैं इनकी 2019-20 के अन्दर जो छात्रावास में बच्चा या बच्चियां अध्ययन करते हैं उसके लिए एक महीने में ढाई हजार रुपये सरकार देती है। भोजन में, उसमें नाश्ता वगैरह सब सम्मिलित है और स्कूल की ड्रेस भी इसी में है। तेल, साबुन, बाल कटाई, सब इसी में है। चादर-तकिया, खोली, तौलिये वगैरह, इनकी धुलाई भी इसी में है। छात्रावास का जो बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, वह भी इसी में है। अख़बार मंगाओ तो इसमें है। सात दिन में एक स्पेशल डाइट, कुछ बनाते हैं तो वह भी इसी में है। छोटा-मोटा सेनिटरी, टूट-फूट हो, रंग-रोगन भी इसी में है, तो इस प्रकार लगभग एक बच्चे पर जब संयुक्त रूप से यह देते हैं तो हजार रुपये तो इसी पर खर्च हो जाते हैं, तो आज के जमाने में 1500 रुपये में वह अपना कैसे खान-पान करेगा और वह कैसे पौष्टिक आहार ले पायेगा तो मेरा इसमें यह निवेदन है कि इस योजना में जो 2500 रुपये है, इसको बढ़ाकर कम से कम 3500 रुपये किया जाये। दूसरा यह है कि एस.सी., एस.टी. की जितनी भी छात्रावास चलती थी उनकी स्ट्रेंथ वही रखते हुए उसके अन्दर स्वच्छकार वर्ग के 10 परसेंट किये, अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 परसेंट किये, सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. 5 परसेंट किये, तो यह उनके साथ रखें, इसमें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन इससे जो सीट्स बढ़ी हैं, वह 60 सीट का छात्रावास था और उसी में से अब यह 15-20 सीट्स यह हो गयीं, तो अब यह एस.सी., एस.टी. की तो 45 सीट ही रह गयीं, तो यह जो आपने add on किया है, इतनी जो ओरिजिनल सेंक्शन है, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए।

इसी के साथ में जितने भी छात्रावास हैं, मैं भी राजस्थान के कई जिलों में जाता हूं तो छात्रावासों में जाने की जरूर कोशिश करता हूं तो वहां पर बिजली की फिटिंग टूटी हुई है, फर्नीचर नहीं है, गद्दे नहीं हैं, खाटें टूटी हुई

(श्री रूपाराम)

हैं, छत से पानी टपकता रहता है तो इसमें, माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक कमेटी बनाकर जितने भी यह छात्रावास चल रहे हैं, उन सबका सर्वे करके उनकी मिनिमम नीड उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि एक बच्चा जहां पर पढ़ता है अगर वहां का वातावरण भी सही नहीं होगा तो उसकी पढ़ाई का एटमास्फेयर ही नहीं बनेगा, तो उनको स्ट्रेंथन किया जाये, एकदम बैठते ही उसका मन पढ़ाई में लगे। इसमें एक कमेटी बनाकर, क्या एस्टीमेट है, उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसी तरह काफी लम्बे टाइम से, 1990 के अन्दर एक योजना आयी। चमड़े का जो काम करते हैं, उनको प्रशिक्षण के लिए स्टाईपेंड देते थे 500 रुपये वन टाइम। टूल किट के लिए देते थे एक हजार रुपये। 1990 को 30 वर्ष हो गये। 30 वर्ष तक गरीबों की इस योजना को किसी ने देखा ही नहीं, राज तो कई आये गये होंगे। मेरा इसमें निवेदन है कि प्रशिक्षण के लिए कम से 5 हजार कर दें और टूल्स के लिए एक हजार रुपये में आजकल कुछ नहीं आता, इसको बढ़ाकर 10 हजार किया जाना चाहिए। वह मेटेरियल जो तैयार करते हैं, उसमें भी सरकार को कुछ सुविधा उनको देनी चाहिए और ऐसा काम करने वाले को एक लाख रुपये का लोन देना चाहिए, जिसमें 25 परसेंट सब्सिडी होनी चाहिए और ब्याज नहीं लेना चाहिए। मेरा इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, स्कूली बच्चे जो पढ़ते हैं, उनके लिए स्कालरशिप का प्रावधान है, डे-स्कालरशिप के लिए अलग है, होस्टल के लिए अलग है। इस योजना में लास्ट संशोधन 2010 में हुआ था। 2010 के बाद में तो कई चेंजेज हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों में एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं, विधवाओं के बच्चे आते हैं, उनकी फीस कानूनी तौर पर 50 परसेंट तय की जाये या जो नोर्मल वह लेते हैं और उसके बाद जो हम स्कॉलरशिप देते हैं, उसको भी 30 वर्षों के प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ाया जाये तो उन बच्चों का आगे बढ़ने में सही रहेगा।

सभापति महोदय, वाल्मीकि समाज के बच्चे-बच्चियों के लिए स्कालरशिप का प्रावधान किया हुआ है। यह भी पुराना है 2012 का। दस माह में 75 रुपये और 125 रुपये, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस राशि को भी प्राइस इंडेक्स के हिसाब से रिवाइज किया जाये। इन कुछ स्कीम्स के बारे में मैंने बताया।

(श्री रूपाराम)

इसके अलावा माननीय मंत्रीजी को मैं सुझाव देना चाहूंगा। कुछ तो राज्य स्तरीय हैं और कुछ मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में हैं। पालनहार योजना में अभी जो राशि बढ़ायी गयी है, वह अपर्याप्त है। 0 से 06 वर्ष तक के लिए जो 500 रुपये किये गये हैं, उसको बढा़कर 01 हजार किया जाये और 6 से 18 वर्ष के लिए जो 01 हजार रुपये किये गये हैं, उसको बढ़ाकर ढाई हजार किया जाये। साथ ही, पालनहार योजना में वार्षिक आय की लिमिटेशन 1 लाख 20 हजार है, इससे अधिक वाले को नहीं मिलेगा, कई योजनाओं के अन्दर 8 लाख है, 5 लाख भी है, इसको कम से 3 लाख रुपये किया जाये। अन्य सोर्स से भी आये, तो उसको अपात्र नहीं माना जाये।

सभापति महोदय, एकल नारी की पेंशन योजना है। 18 से 55 वर्ष के लिए 500 रुपये महीने दिये जाते हैं, 500 रुपये में गुजारा चलता नहीं है, इसको बढ़ाकर 01 हजार रुपये किया जाये। इसके अलावा जो मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलती है, उसमें कई बार फण्ड्स की कमी की वजह से दो-दो वर्ष तक, तीन-तीन वर्ष तक मिलती नहीं है, उन बच्चों की पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि उनको हर महीने पैसा चाहिए तो स्टेट के अन्दर इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनकी कितनी छात्रवृत्ति बनेगी, उस हिसाब से बजट का 01 अप्रैल को ही प्रबन्ध कर लें और वे जिन-जिन संस्थानों में पढ़ते हैं, समाज कल्याण विभाग जिसके भी थ्रू देता है, सुनिश्चित करें। ज्यादा से ज्यादा एक महीना निकलने के बाद दूसरे महीने में उनको छात्रवृत्ति मिल जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार सफाई का काम राजस्थान में वाल्मीकि ही करते हैं, पूरे हिन्दुस्तान में वही करते हैं अरबन क्षेत्र में, शायद पिछली सरकार में उनकी जगह चौपड़ा वगैरह को ले लिया, जो पैन चलाते हैं। यह चीज गलत है। कम से कम इस जगह तो हाथ नहीं डालें। वह कैसे काम करता है, वर्किंग साइट पर हम लोग जाया करते थे, मैं नौकरी में था, तो देखा कि वहां पर दूसरे लोग जो खड़े ही नहीं हो सकते, रूमाल मुंह पर रखते थे, वे लोग उस जगह आ गये। यह गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भर्ती पिछले सरकार में हुई, उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। सफाई के काम के लिए मूल सफाई करने वाले को ही लिया जाए। पिछली सरकार ने इस तरह के लोगों की जो भर्ती की, उसमें से एक आदमी भी सफाई का काम नहीं करता। सब टेबल कुर्सी पर बैठे हैं टाई लगाये हुए। यह गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए।

(श्री रूपाराम)

सभापति महोदय, एससी, एसटी पर जो अत्याचार होते हैं, उसके लिए कानून बना हुआ है और हर स्टेज पर, कितना क्या नुकसान हुआ है, उसमें पैसा मिलता है। अगर डैथ हो जाती है तो मैक्सिमम सवा आठ लाख रुपये है, बाकी 20-25 हजार से लेकर है। स्टेज भी तय की हुई है। कई बार, कई लोग आते हैं कि, साहब, हमारे 12 महीने हो गये, चालान पेश हो गया, पहली किस्त नहीं मिली है। इसके लिए एक नोडल आफिसर तय करें। जुर्म तो हो गया, उस पर जो कार्रवाई करनी है, वह करें, लेकिन गवर्नमेंट की जो नीयत है, मंशा है पैसा देने की, जैसे ही टाइम पूरा हो, उसके एक या डेढ़ महीने में उसको पैसा मिल जाये, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, 02 अप्रैल, 2018 में अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ भारत सरकार ने घोर अन्याय किया। मैं निवेदन कर रहा था, एससी, एसटी एक्ट में ऐसा प्रावधान किया कि आप चलाकर जुर्म करो और जुर्म करने वालों की पीठ थपथपाई गई। लोगों ने सोचा होगा कि एससी, एसटी वाले क्या कर लेंगे। पूरे भारत के अन्दर मैदान, पहाड़ सब हिल गये, जब लोग बाहर निकले तब। लोगों को लगा कि इतने तो थे ही नहीं। उनके साथ अत्याचार हुआ। उनके मन में जो बात थी, उसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। राजस्थान में जो सरकार थी, कई केस दायर कर लिये। मर्डर के केस दायर कर लिये। उलटी-सीधी धाराएं लगा दीं। कुछ ऐसी जटिलताएं थीं, कई केसेज तो बाद में कांग्रेस की सरकार आयी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मंत्री महोदय से हम मिले, उन्होंने कई चीजें जो नियम में आती थीं, उनमें एफआर लगी। चालन जो हो गये थे, उनको विथ्ड्रा भी किया। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में सैकड़ों केस दर्ज हुए थे, 30 या 32 केस अभी भी पेंडिंग हैं, उनमें विधिवत जो भी लीगल राय लेकर, हैं वह फर्जी, अब कागजों में कर दिया तो चालान करना हो तो चालान करो फिर विथ्ड्रा करो या किसी ने फर्जीवाड़ा किया है, इन्वेस्टीगेशन है तो उसमें चैक करवाकर उनमें एफआर लगनी चाहिए। घोर अन्याय हुआ है और चलाकर अन्याय किया है। इसमें न्याय मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, राजस्थान की शिड्यूल्ड कास्ट की पापुलेशन 17 परसेंट है और एसटी की 13 परसेंट है। ये एक डेढ़ वर्ष पुराने आंकड़े हैं। 2023 में क्लियर हो जायेगा। जितनी पापुलेशन है, जो उनका हक है, जो बेनिफिट आज 16 और 12 परसेंट में चल रहा है, वह क्यों? एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि देश में आजादी से पहले हमारे साथ अन्याय हुआ। हमें

(श्री रूपाराम)

मिला नहीं, हम बेगारी करते थे, हम एरियर नहीं मांग रहे हैं लेकिन आज की तारीख में सिस्टम चल रहा है, उसमें इन वर्गों का हक उनको मिलना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

मेरा निवेदन रहेगा कि बाबा अम्बेडकर साहब ने सभी वर्गों के लिए कानून जो बनाया, उसमें पेड़-पौधे भी सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग की हों, अन्य पिछड़ा वर्ग है, किसी बड़े आदमी के लिए भी कानून खिलाफ नहीं बनाया। एससी, एसटी पूरी है ही। उनके प्रति लोगों की आस्था है। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि राज्य में 33 जिले हैं, जिस जिला मुख्यालय पर बाबा साहब की मूर्ति अभी तक स्थापित नहीं हुई है बड़ा मामला नहीं है, लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मामला है कई काम सरकार द्वारा किये जाते हैं, जो जिले बचे हैं उनमें मूर्ति स्थापित की जाये। संविधान के निर्माता हैं तो जो जिले बचे हैं, उसमें मूर्ति स्थापित की जावे। भाजपा सरकार ने एक अम्बेडकर भवन, जितनी भी राज्य में नगरपालिकाएं थीं, नगर परिषदें थीं, अच्छा काम किया, 192 अम्बेडकर भवन बनाए। अच्छी स्थिति में हैं, अच्छे बनाए। उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, बिल्डिंग तैयार करना, मकसद यह नहीं होता है, वह बने हुए पड़े हैं। मैं उनके लिए निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय जी से, कि उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर बढ़िया पुस्तकालय खोला जावे, जो वहां की आवश्यकता भी है और उसका कंट्रोल सम्बन्धित नगरपालिकाएं, नगर परिषदें रखें और उसका सदुपयोग हो, यह मेरा निवेदन रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि यह जो 23 योजनाएं हैं, करीब-करीब, मैंने भी पूरी 23 योजनाओं के बारे में स्टडी नहीं की है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कई लोग मक्का-मदीना जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, मैं कह रहा हूं कि इन गरीबों की सेवा करो तो अपने को उधर गोते खाने की जरूरत नहीं है। इन सभी 23 योजनाओं की स्टडी करके अपने-अपने एरिये में योजनाएं संचालित हैं, क्या वास्तव में उनका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वह अपने को देखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जो बच्चियां अध्ययनरत हैं, उनको स्कूटी मिलती है देवनारायण योजना में एस.टी. में, शिड्यूल्ड कास्ट की बच्चियों के लिए प्रावधान नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि पढ़ाई में एस.सी. की बच्चियों का भी मनोबल बढ़े, वह प्रोत्साहित हों, उनको भी स्कूटी योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(श्री रूपाराम)

माननीय सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब की राज्य में जो कृषि भूमि है, उस पर कई जगह लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। उसको वन टाइम गांववाइज, खसरावाइज, व्यक्तिवाइज एक लिस्ट आउट करे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी लगावे और वह जिलेवाइज, तहसीलवाइज संख्या निकाले, फिर उसकी एक कार्ययोजना बनावे। हर बार कह देते हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं। कार्ययोजना बनाकर कितने खसरों में, कितने रकबे में कब्जा है और उसको महीनेवाइज मोनिटरिंग करें कि कितनी-कितनी खाली हुई और फाइनल उन लोगों को मिल जावे तो उनका जो गरीबी में आटा गीला होता है, उनको अगर जमीन वापस दिलाएंगे तो उनका उद्धार होगा और वह आपको याद करेंगे।

बजट में प्रावधान होता है अलग-अलग डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट आफ इण्डिया का भी एक परिपत्र है, अपने यहां का भी है। कोई भी इन्फ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई स्कूल खुले तो नियरेस्ट टू द वीकर सैक्शन होने चाहिए गांव में, चाहे पानी की होदी बने। मैं चीफ इंजीनियर रहा हूं। एससी., एस.टी. की औरतें और जगह रात को जाती हैं तो कोई छेड़छाड़ करता, पानी नहीं भरने देता। दिन में मजदूरी करने जाती हैं। मैंने मेरे ए.ईएन. से लेकर चीफ इंजीनियर तक नीचे वाले सिस्टम को कहा, खिलाफ कोई नहीं है, मेरे अधीन कोई शिड्यूल्ड कास्ट के आफिसर नहीं थे, सभी जातियों के थे, वह गांव में जाते, गांव वाले वहां समझाते कि, साहब, यह गरीब आदमी है, इनके यहां होदी बना दो। जितनी भी स्कीम हो, गांव के अन्दर कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर बने नियरेस्ट टू द वीकर सैक्शन होना चाहिए ताकि उनको लाभ मिले।

माननीय सभापति महोदय, बैकलाग के लिए अभी बात चली। बैकलाग के लिए कई परिपत्र मिले। परिपत्र तो निकल जाते हैं, लेकिन इसमें एक नोडल आफिसर हो स्टेट लेवल पर और जो इसकी पालना नहीं करे, उसके खिलाफ कार्यवाही करें। सब लोग नहीं चाहते हैं कि यह पालना नहीं हो लेकिन कुछ लोग पालना नहीं करते हैं। एक-आधे को लटका दो, वह घर से तो प्रमोशन दे नहीं रहा है। वीकर सैक्शन की सीट है, उसी पर दे रहा है। जो नहीं करे या विलम्ब करे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी स्टेट लेवल पर मानिटरिंग होनी चाहिए। यह मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग नीति, जिसमें एस.सी., एस.टी. के लोगों को अधिकतम फायदा दें, वह प्रक्रियाधीन है, जल्दी ही लागू की जावे।

(श्री रूपाराम)

माननीय सभापति महोदय, एस.सी. आयोग है, जिसके माननीय अध्यक्ष भी अभी नियुक्त हो गये हैं, तो इसकी कार्यक्षमता बढ़े। इनको संवैधानिक दायरा दिया जावे।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ पाइंट बताना चाहूंगा। जैसलमेर जिला है, 28 हजार वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है। 31 विधान सभा के क्षेत्रफल के बराबर है और 7 जिलों के बराबर है। वहां पर, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय, मेरे जैसलमेर से एक गांव बोर्डर पर है, उसकी दूरी 220 किलोमीटर है, दूसरी तरफ है 180 किलोमीटर, शिक्षा जैसलमेर में है। अब वह बच्चियां आती हैं, लेकिन उनके शहर में कोई रिश्तेदार नहीं है जो वहां रह जावे और आज जैसा दुनिया में चल रहा है, तो बच्चियों को घर से बाहर सुरक्षित जगह नहीं हो तो कोई उनको छोड़ना भी नहीं चाहता, तो बच्चियों का शिक्षा का स्तर गिर रहा है। भारत सरकार भी पैसा देती है, तो स्टेट का शेयर रखकर मेरा निवेदन रहेगा कि जैसलमेर जो जिला हैडक्वार्टर है, ट्यूरिस्ट के हिसाब से, इण्डो-पाक बोर्डर पर है, उसकी कई अहमियत है। इन सबको देखते हुए एस.सी. की बच्चियों के लिए 280 क्षमता का वहां आवासीय विद्यालय शुरू किया जावे।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार जैसा मैंने पहले बताया मांगणियार, मिरासी आदि जातियों के लिए 18 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा है। यह समुदाय वैसे तो पूरे राजस्थान में रहता है, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर में इनके पूरे राज्य में करीब-करीब 40 प्रतिशत लोग रहते हैं। बाहर जाते हैं, कलाकार हैं, वहां ट्यूरिस्ट आते हैं, वहां भी रहते हैं। जैसलमेर शहर में राजस्थान के 26 जिलों के इस कम्युनिटी के कलाकार जैसलमेर में रहते हैं। आठ महीनों का सीजन होता है। इससे पूरे राजस्थान को बैनिफिट होगा। मेरा मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि वहां पर 60 बच्चों के लिए छात्रावास और एक इनके कला के प्रशिक्षण केन्द्र, इसमें मेरे ख्याल से 8-10 करोड़ खर्चा आएगा, जो बजट घोषित किया है, उसमें से यह चीज जैसलमेर में करायी जाए तो पूरे जिले को फायदा हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जैसलमेर जिले की डेनसिटी, पूरे भारत में 400 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, राजस्थान में 200 है, मेरी विधान सभा में सिर्फ 17 आदमी, इधर-उधर देखो भेड़-बकरियां-गायें दिख

(श्री रूपाराम)

जाएं। तीन-चार ग्राम पंचायतों में हैं, जिसमें पर-वर्ग किलोमीटर एक आदमी है। इसके अन्दर उन सबको जिले तक लाना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार साधारणतया आवासीय छात्रावास एस.सी., एस.टी. के जिले हैडक्वार्टर पर या तहसील पर बनाती है। मेरा एक गांव तो बोर्डर पर है म्याजलार है, जो 110 किलोमीटर दूर है और आगे 15-20 किलोमीटर पर पाकिस्तान का बोर्डर लगता है, वहां एस.सी., एस.टी. के बड़े-बड़े गांव हैं। एक चेलक गांव है, जो करीब 70 किलोमीटर दूर लगता है। इनके नजदीक में कहीं भी बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्तमान में वहां पर कोई चलित छात्रावास नहीं है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि इसमें आप आवासीय एक बार भले ही 50-50 बच्चों का हो, आवासीय छात्रावास दें। वहां पर वैसे ही सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल चलित है, तो वहां वह लोग पढ़ाई कर लेंगे और उस एरिये में स्तर एस.सी., एस.टी. के बच्चों का है, वह काफी पीछे चल रहा है, उसमें आगे बढ़ोतरी होगी।

एक बार फिर मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय से कि यह जो इस समुदाय को, एस.सी., एस.टी., साथ में और कैटेगरी मैंने बतायी, इसके लिए जितना आज की तारीख में भारत सरकार और राजस्थान सरकार, इस 2022-23 के बजट में घोषणा हुई, इसको मिलाकर जितना प्रावधान कर रखा है, वह पैसा सही जगह पर, सही समय पर खर्च हो जावे तो उनका उद्धार हो जाएगा। अभी इसमें मानिटरिंग बहुत पूअर है। मैं खुद अधिकारी रहा, तो जब चर्चा करते थे तो एस.सी., एस.टी. वाला पाइंट लास्ट में रहता कि, भाई इतना पैसा इसमें भी है। मैं जिस भी कुर्सी पर रहा, मैं उसको पहले नम्बर पर लेता तो अफसर भी हड़बड़ाते, मैं कहता कि इसकी आवश्यकता ज्यादा है, इनको नीड है। इनके यह नहीं है कि दो रोटी खा रहे हैं, उसमें एक घी वाली चाहिए। यह भूखे बैठे हैं। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि अपन सब मिलकर, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों का भी सहयोग रहे और कोई नई चीज की शुरुआत करें, वह अलग बात है। जो पूर्व से योजनाएं चल रही हैं, पुलिस बजट में जो घोषणा की है, इनका समय पर उपयोग हो और इन लोगों के लिए जो भी काम करूंगा, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे पास भी राजस्थान से सभी लोग आते हैं, कई लोग जो एम.एल.ए. बनने के बाद में, गरीब वोट तो देते हैं, दोनों की तरफ देते हैं, कम-ज्यादा तो कोई तराजू है नहीं तोलने का, इनका आप काम करोगे तो मैं आपको यह सदन में कहना चाहता हूं कि यह वीकर सैक्शन के लोग हैं, वह आपकी तीन पीढ़ी तक

(श्री रूपाराम)

वफादार रहेंगे। किसी एक ने अच्छा काम किया तो लोग कहते हैं कि उसका पोता है, इसका भी भला करो। इनमें बेवफा नहीं हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं

(समय: 14.00 बजे)

कि हमारे एमएलए तो बन गये, वोट दे दिये, अब वह हमारी सुनते नहीं हैं। मैंने कहा चलो, मैं चलूंगा एमएलए के पास।

मेरा निवेदन रहेगा कि इस समुदाय में हम लोग जो अफसर रहे हैं, एमएलए हैं, वह एक परसेंट ही नहीं हैं, आधा परसेंट हैं। 99.5 परसेंट जो हैं वह गांव और ढाणियों में बैठे हैं। वहां जाकर आप देखो तो आपका दिल दहलेगा कि हम कहां हैं। हम खुद भी जाते हैं। मैं अभी पंजाब गया तो वहां कई बस्तियों में गया। वहां स्थितियां ऐसी हैं कि राशन कार्ड बनाने के लिए कोई टोकन इश्यू करता है। उसमें भी कुछ न कुछ नारियल चढ़ाना पड़ता है। स्थितियां बहुत गम्भीर हैं। अपने राजस्थान में ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे में हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): मेरा निवेदन रहेगा कि आज तक किसी भी सरकार ने जो किया है, आज आप जहां खड़े हैं, हम सब मिलाकर यह करें कि हर गांव के अन्दर यह गरीब तबका है, वह भी औरों के समान सम्मान से, पैसे में हो सकता है कि आगे आने में टाइम लगे, लेकिन उनको आदर भाव वही मिले।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): सभापति महोदय, आपने मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): सभापति महोदय, धन्यवाद। मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए आज यह सदन जुटा है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं। बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने नेता, प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चन्द जी की तरफ इंगित करके कहा था कि आप बहुत आंकड़ेबाजी करते हो, इतने आंकड़ों में मत जाओ। चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय गहलोत जी का बहुत सम्मान करता हूं, तो मैं उनकी बात को मानते हुए आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सभापति महोदय, आंकड़ों के बारे में काफी चर्चा मुझसे पहले अजमेर से आने वाली माननीय विधायक कर चुकी, जैसलमेर से आने वाले माननीय विधायक कर चुके। जो कुछ बचेगा वह हमारे रामगंज मण्डी से आने वाले विधायक कन्क्लूड करेंगे। मैं आंकड़ों पर ज्यादा नहीं जाऊंगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब योजनाएं क्यों चलानी पड़ रही हैं? मैं इस विषय पर आना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ तब हमने, हमारे नेतृत्व ने इस देश को एक अधिनायकवादी देश नहीं बनाया, एक प्रजातांत्रिक देश घोषित किया। उसमें भी एक वेलफेयर स्टेट का दर्जा दिया। कल्याणकारी सरकार, कल्याणकारी शासन, जिसमें सबका कल्याण हो, उसी भावना के अनुरूप हमारा संविधान बना है।

संविधान के प्रियम्बल में भी हमारा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हमको समानता भी देनी है, हमको न्याय भी देना है। स्टेट्स की समानता, स्तर की समानता, कोई ऊपर बैठ रहा है और किसी को नीचे बैठना पड़ रहा है, वह नहीं हो। स्टेट्स की समानता हो। अवसर की समानता हो। व्यापार करना है, नौकरी करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है, और भी कुछ करना है तो उसके लिए अवसर की समानता हो। उससे भी अधिक आत्मसम्मान की समानता, डिग्निटी आफ इंडिविजुअल। उसकी रक्षा की जो समानता है, उसके रक्षा के अधिकार को समानता दी। ऐसे में न्याय देने की जब बात आई तो प्रत्येक नागरिक को, व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर प्रकार से न्याय मिले। ऊंचा है, नीचा है, छोटा है, बड़ा है, पैसे वाला है, गरीब है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रत्येक नागरिक को यह सब चीजें देने का हमने इस देश की जनता से वादा किया था, अपने संविधान के माध्यम से, संविधान के प्रियम्बल के माध्यम से।

सभापति महोदय, वह भी क्यों करना पड़ा? क्योंकि हजारों साल तक इस देश में भेदभाव चला। हजारों साल तक चले भेदभाव के कारण कुछ लोग पीछे रह गये, पिछड़ गये, वंचित रह गये। उसमें यदि कोई शारीरिक कारण होता कि किसी की आंखें नहीं हैं, भगवान ने आंखें दी नहीं या बाद में दृष्टि चली गयी और वह पीछे रह गया, वह एक अलग कैटेगरी हो गयी। कोई जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, मुख्यधारा से ज्यादा सम्पर्क में नहीं थे, तो उनकी शिक्षा-दीक्षा वैसी नहीं हो पायी, वह लोग उस कारण से पिछड़ गये।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

ऐसे ही और भी कुछ छोटे-मोटे कारण हो सकते हैं। जैसे आर्थिक कारण से पीछे रह गये। कम कमाई थी, जमीन कम थी। बड़ी जमीन 100 बीघा वाले की तुलना में 5 बीघा वाला पिछड़ सकता है। वह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जो चौथा कारण मैं बताने जा रहा हूं, वह मानव निर्मित कारण था। हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज के एक वर्ग को मानव मानने से भी इंकार कर दिया। मानवीय व्यवहार उनके साथ करना बन्द कर दिया। पशुओं से भी गया-बीता व्यवहार उनके साथ करना शुरू कर दिया। गली का कुत्ता घर के अन्दर घुस जाए तो चल जाये, लेकिन किसी जाति विशेष का लड़का, आदमी, औरत घर के अन्दर प्रवेश नहीं कर सकते। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश में निर्मित हुई। उसके कारण से कई लोग वंचित रह गये, पीछे रह गये, पिछड़ गये। उनका न आर्थिक विकास हो पाया, न सामाजिक विकास हो पाया, न उनका शैक्षणिक विकास हो पाया। हर तरह से उनको नुकसान हुआ। समाज में जो कुछ भी मिल सकता था, एक नागरिक के नाते, वह भी रुक गया। मुझे एक शेर याद आ रहा है,

'यहां तक आते-आते सूख जाती हैं सभी नदियां,

मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा'।

उस बहते हुए पानी को भी, स्वाभाविक मिलने वाले लाभ को भी रोक दिया गया। वंचित कर दिया गया। तुम क्लास में नहीं जा सकते। तुम स्कूल में नहीं जा सकते। तुम मन्दिर में नहीं जा सकते। तुम यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते। उन सारी सुविधाओं को, अधिकारों को दुर्भावनापूर्वक रोक दिया गया। सभापति महोदय, उस कारण से सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से तो पिछड़े जो पिछड़े ही, शारीरिक रूप से आहत हुए वह भी हुए लेकिन उससे ज्यादा आहत हमारे दिल हुए थे, हमारी भावनाएं हुई थीं, हमारा हृदय ज्यादा आघातित हुआ था। उसकी मरहम-पट्टी की कोई व्यवस्था नहीं सोची गयी।

बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान भी और अपनी सामाजिक गतिविधियों के दौरान भी देश को जो संदेश दिया, सबको समान रखिये, सबको सम्मान दीजिये। यह दृष्टि उन्होंने देश के सामने रखी। उसका उन्होंने रास्ता भी बताया कि समता हमारा लक्ष्य है। उसका रास्ता भी उन्होंने बताया बन्धुभाव। लड़ाई-झगड़ा नहीं। लाठी, गोली, बन्दूक नहीं। संघर्ष नहीं,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बन्धुभाव का रास्ता उन्होंने बताया। बन्धुभाव से उत्पन्न हुई समता ही स्थायी होगी। डण्डे के जोर से, लाठी के जोर से, बन्दूक और तोप के गोले के जोर से या किसी कानून के डर से जो समता आयेगी, वह समता स्थायी नहीं होगी। जब तक उस कानून का डर है, तब तक उस समता का भाव रहेगा। कानून का डर निकला, जमानत हो गयी तो वह भाव भी तिरोहित हो गया। वास्तविक समता जो उत्पन्न होनी थी, वह बन्धुभाव से उत्पन्न होनी थी। आज जब हम इन सारी योजनाओं के बारे में विचार कर रहे हैं तो क्या हमारी योजनाएं इस लायक हैं, इतनी सक्षम हैं कि उस बन्धुभाव को पैदा कर रही हैं? उस समता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पा रही हैं? आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से तो समता आ रही है, लेकिन जो गहरे घाव दिलों के अन्दर लगे हुए हैं, उन पर मरहम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इन योजनाओं के माध्यम से, इन सारे क्रिया-कलापों के माध्यम से, हमारे भाषणों के माध्यम से भी, हमारे लेखन के माध्यम से भी यदि वह घाव नहीं भर रहे हैं और वह गैप, दूरी जो बन गयी है, वह खाई यदि नहीं पट रही है तो इन सब चीजों का कोई लाभ नहीं, कोई उपयोग नहीं है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन योजनाओं को क्रियान्वित करते समय, योजनाएं बनाते समय उस समता के भाव को प्रमुखता दी जाये। उस दूरी को कम करने के प्रयास किये जायें। उस खाई को पाटने के प्रयास किये जायें, जो हजारों साल की हमारी गलतियों के कारण पैदा हो गयी। हम अपने होते हुए भी एक-दूसरे के लिए पराये हो गये। अपने होते हुए भी एक-दूसरे के दुश्मन हो गये। उस परिस्थिति से हमें इस समाज को निकालना है। मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, दिमागों में से वह कचरा निकालना है।

अभी अजमेर से आने वाली माननीय विधायक कह रही थीं कि शहरों में तो छुआछूत समाप्त हो गयी। बहुत हद तक समाप्त हो गयी। गांवों में भी सिमट रही है, कम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने मेरे बचपन में जो कुछ भुगता है, मेरे बच्चों को नहीं भुगतना पड़ रहा है, मेरे पिताजी ने जो भुगता वो मुझसे भी ज्यादा था लेकिन मेरे बच्चों को उसके मुकाबले बहुत कम भुगतना पड़ रहा है, नहीं के बराबर भुगतना पड़ रहा है। शारीरिक छुआछूत बहुत हद तक कम हो गयी है, गांवों में भी, लेकिन अभी तक वैचारिक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

छुआछूत जारी है। हमारे विचार अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं। मन से हम एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। मैं एक दूसरे को, दोनों को कह रहा हूं। मैं अकेले उच्च वर्ग पर यह आरोप नहीं लगा रहा कि आप उनको नजदीक नहीं ला रहे, हम लोगों में भी, अनुसूचित जाति वर्ग में भी, अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस खाई को पाटने देना नहीं चाहते, इस खाई को और चौड़ा बनाये रखना चाहते हैं। उनको भी अपना मन शुद्ध करना होगा, उनको भी अपना दिमाग साफ करना होगा, दोनों तरफ से करना होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से मन पवित्र हो, आत्मीयता के साथ, सच्चे मन से दोनों आगे बढ़ें और बन्धुभाव को वास्तव में पैदा करें और उस बन्धुभाव के माध्यम से डाक्टर अम्बेडकर के दिये हुए लक्ष्य समता को प्राप्त करें तब जाकर हम इस देश के लिए एक उपयोगी शान्ति का वातावरण और बन्धुभाव का वातावरण, आत्मीयता का वातावरण दे पायेंगे। वो यदि हम दे पाते हैं तो इन सबका लाभ होगा।

आरक्षण की भी व्यवस्था है सारी, पदोन्नतियों की व्यवस्था भी है, बहुत सारी छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को भी लागू करते समय जिस अधिकारी को वो लागू करनी है उसका यदि दिमाग साफ नहीं है, उसमें कचरा भरा हुआ है, मन साफ नहीं है तो वह उन योजनाओं को लागू करने में कोताही कर जाता है। कागजी कार्यवाही तो पूरी कर लेता है, वास्तविक हित लाभ नहीं पहुंचने देता, वास्तविक लाभार्थी तक। ये होता है, आज भी होते हुए हम देखते हैं। कैसे टालना, पूरा लाभ नहीं देना, आधा-अधूरा देना, नहीं देना, वंचित कर देना, प्रयास करते हुए दिखना पर प्रयास करना नहीं, यह तब होता है जब मन का कचरा नहीं निकला हुआ होता है और दिमाग साफ नहीं होता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि मैं आंकड़ेबाजी में ज्यादा नहीं पड़ता, मैं कुछ सैद्धांतिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश करता हूं। राजस्थान की सबसे बड़ी सभा है यह, जिसमें चुने हुए 200 लोग बैठे हैं और इन 200 लोगों का समाज में कितना प्रभाव है, यह हम सबको पता है। हम लोग जैसा आगे करेंगे या करते हुए दिखेंगे वैसा दूसरे लोग करेंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि हम सब अपने दिमाग का कचरा बाहर निकालें, हम इस समता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बन्धुभाव के मार्ग को ईमानदारी से अपनायें और उसके लिए जो भी प्रयास करना आवश्यक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

है, चाहे प्रशासनिक दृष्टि से करना है, सामाजिक दृष्टि से करना है, शैक्षणिक दृष्टि से करना है, आर्थिक दृष्टि से करना है, जो भी उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है वह करें, तन मन से करें, ईमानदारी से करें, बन्धुभाव की भावना से करें और समता का लक्ष्य प्राप्त करें, लम्बे समय तक इस देश को एक और अखण्ड रखना है तो यह चीज लाना बहुत आवश्यक है, उसके बिना हम अपने देश को भी ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रख पायेंगे और देश में उत्पन्न हो रही समस्याओं से निपट नहीं पायेंगे, उनको समाप्त नहीं कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे दादाजी और पिताजी आयुर्वेद के जानकार रहे हैं, तो मैं रोग के लक्षणों के इलाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, रोग के कारणों के इलाज पर ज्यादा ध्यान देने का प्रयास करता हूं और ज्यादा जोर देता हूं, तो मैं इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि हम यह पक्ष और वो पक्ष बन्धुभाव के आधार को लेकर आगे बढ़ते हुए समता के लक्ष्य को प्राप्त करें। किसी प्रकार की खाई, दूरी बीच में नहीं रह जाये, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें, यह अपील करते हुए, यह निवेदन करते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के तहत आज सदन में चर्चा हो रही है। सदन में चाहे पक्ष के लोग हों, चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों, सभी की मंशा सदन में अनुसूचित जाति के ऊपर होने वाले अत्याचार कम हों और उनके कल्याण की योजनाएं सम्पूर्ण रूप से फलीभूत हों, यह सबकी भावना है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने योजनाओं के बारे में बहुत कुछ बता दिया है और सबको मालूम भी है। मेरे से पूर्व वक्ता ने जिस तरह की भावना का, जिस तरह की आत्मीयता का परिचय दिया है और यह कहा है कि यह जो दूरी है, यह जो डिफरेंस है, यह मानवीय शक्ति, आपसी समानता, एक हो जाये तो देश में एकता और अखण्डता की भावना बढ़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसी सब्जेक्ट पर आपको कुछ बिन्दुवार बताऊंगा कि सबसे बड़ी जो बात है, योजनाएं हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन पूरा नहीं हो पा रहा है, यह सब आंकड़ों में भी है और सब

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

जानते भी हैं। सरकार अच्छी-अच्छी योजनाएं चलाती है, लेकिन मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति की जो योजनाएं हैं, उस पर कोई आईएएस कैडर का मानिटरिंग आफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए और जहां-जहां और जिस-जिस अधिकारी की कमी है उनको पैनेलाइज किया जाना चाहिए तभी वो योजनाएं सम्पूर्ण रूप से इस राजस्थान में फलीभूत हो सकती हैं।

माननीय सभापति महोदय, समस्याएं दूसरी हैं दलितों के ऊपर अत्याचारों की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, अशोकजी गहलोत को, जिन्होंने जो बहुत बड़ी समस्या थी, एससी के लोगों को घोड़ी से उतार देना, पत्थर मारना, कई तरह के अत्याचार थे लेकिन आपरेशन समानता के तहत मुख्य मंत्रीजी ने जो अभियान चलाया है, मैं इसके साथ-साथ धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिनमें बून्दी में कलेक्टर, कुमारी रेणु जयपाल और श्री जय यादव, इन लोगों ने ऐसे नवाचार किये, जहां-जहां गये, पूरे जिले में पता करवाया कि कहां-कहां ऐसे अत्याचार होते हैं, उन लोगों के पास गये और सामूहिक रूप से एक समरसता के तहत लोगों को समझाया। यह स्थिति आयी इससे कि तीन-चार जगह दलितों को घोड़ी पर बैठने से रोकने की बजाय, उन्हीं लोगों ने घोड़ी की लगाम पकड़कर उनकी बिन्दोरी निकाली। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अभी इस मामले में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ राजपूतों का, वहां पर भी इस बात का जिक्र हुआ और उन्होंने अपने ऊपर यह डालते हुए कि यह कलंक है हमारे लिए, इस तरह के हादसे होते हैं और हरकतें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि यह चलन चल पड़ा है, सबकी इच्छा है, सब जानते हैं, और यह आपरेशन समानता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके तहत हमको काम करने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, अशोकजी गहलोत को, केकड़ी अजमेर में अजय हरिजन का ऐसा ही कोई मैटर था, जिसमें उन्होंने 1 मिनट 57 सैकंड तक ठाकुर गोपाल सिंह राजावत को बधाई देते हुए सामाजिक समरसता पहल की सराहना की, राजावत परिवार के ठाकुर गोपाल सिंह राजावत व भंवर छीतर सिंह ने बारातियों का धूमधाम से स्वागत किया और अपने घर से अल्पाहार करवाकर दूल्हे को पान खिलाया। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों को जो आपरेशन समरसता के तहत आगे कार्य कर रहे हैं और ऐसे कई उदाहरण हैं मेरे पास जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं।

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

माननीय सभापति महोदय, अब बात आगे आती है भूमि की, जो सब जगह हुई है। भूमि पर कब्जे बहुत बड़ी बात है बहुत जगह से ये मैटर आते हैं लेकिन नियम भी हैं। नियम इतने कठोर और कम्पलीट नहीं हैं कि उनसे कोई फायदा मिल सके। इसमें सबसे ज्यादा यह होता है कि पीड़ित व्यक्ति ने अपनी एप्लीकेशन दर्ज करायी, तहसीलदार को मार्क हुई, तहसीलदार ने झूठा-सच्चा कब्जा दिला दिया, कब्जा मिल भी गया तो महीने-पन्द्रह दिन बाद उसने जमीन को बो भी दिया, लेकिन काटने वाला वो ही वापस आ जाता है। इस मामले में मेरा निवेदन है और एक सख्त कानून की आवश्यकता है कि इसमें जब उस व्यक्ति का एक बार ही उसने बताया और बताने के बाद में तहसीलदार या किसी भी माध्यम से यह हो गया और पुन: ऐसी स्थिति होती है तो बिना उसके दूसरी शिकायत, चालान पेश करना चाहिए एट्रोसिटी एक्ट में क्योंकि आलरेडी यह तो तय हो गया है कि उस व्यक्ति ने बदमाशी की है, तो इस नियम में यदि जरूरत पड़े और विधान सभा में भी पेश करना पड़े कानून, तो जमीनों के झगड़े ऐसे शान्त नहीं होंगे। गरीबों को जमीन ऐसे नहीं मिलेगी। गरीबों को जमीन तभी मिलेगी जब दुबारा अगर कोई व्यक्ति उस पर कब्जा करता है तो बिना जांच के सीधा ही एट्रोसिटी एक्ट में चालान पेश किया जाये, तभी ये मामले कम हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनमें दलित अत्याचार की बात आती है। मैंने इस मामले में चूंकि मुझे आयोग का मुख्य मंत्रीजी ने बनाया है, जो आज समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को अवगत कराते हुए, अध्यक्ष के नाते मैंने निवेदन किया था, जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय मुझे पदभार ग्रहण कराने आये थे तो मैंने कहा था कि दलित अत्याचार निवारण कोड का गठन होना चाहिये और उसे पोक्सो एक्ट के तहत सम्बद्ध करना चाहिये, क्योंकि जो दलित अत्याचार और नाबालिग बच्ची के साथ रेप या बलात्कार होता है, अगर गहराई से देखा जाये तो दोनों सेम हैं। अगर आपको उन्हें समाज में ऊंचा उठाना है, बराबरी में लाना है और समाज में समानता लानी है तो इस कानून में बदलाव करना होगा।

आज स्थिति आती है कि कोई भी अत्याचार हुआ, अत्याचार होने के बाद उस दलित की हिम्मत नहीं कि वह थाने तक चला जाये। अगर by the way वह चला भी गया तो दूसरे दिन से ही उस पर यह दबाव बन जाता है

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

कि केस वापस विथ्ड्रा करो। अभी हमारे डीजीपी लाठर साहब ने कहा कि बहुत-से केसेज असत्य होते हैं, ऐसों के खिलाफ सज़ा होनी चाहिये। मैं निश्चित रूप से इस बात का समर्थक हूं, लेकिन कोई भी एक साल निकाल लीजिये और जो एट्रोसिटी के एक्ट हैं, जो हुए हैं, उनमें आप सीबीआई जांच करा दीजिये, पता चल जायेगा, असत्य कौन हैं, कौन नहीं हैं और किस तरह से दबाव बनता है। इसीलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन करना है तो ये दो एक्ट बहुत जरूरी हैं।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये संविदाकर्मियों के जो मामले हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताये, आरक्षण का जो मुद्दा है, वह नोटिफाइड है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है, क्योंकि नौकरियां तो अब चली गयीं, खतम हो गयीं, जो बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको तोड़-तोड़कर घर बैठा दिया। अत्याचार इतने चल रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आम आदमी भी जानता है, लेकिन कहां तक कहेंगे और किसे कहेंगे? हम तो यही निवेदन करते हैं, यह हाउस है, सदन है, राजस्थान की विधान सभा में हम बोल रहे हैं, तो यहां जितने भी संविदाकर्मी हैं, उसमें अनुसूचित जाति-जनजाति सबका रोस्टर जो भी है, रिजर्वेशन का पालन होना चाहिये।

महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा में अगर बाबा साहेब की मूर्ति लगे तो मेरे ख्याल से सबको खुशी होगी। यह मांग पहले भी आयी थी। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी की। मैं भी इस बात को रिपीट करता हूं कि बाबा साहेब की मूर्ति लगाएं क्योंकि अब आने वाला जो वक्त है, आप भी जानते हैं, निश्चित रूप से इसमें हमें यह देखना होगा कि उद्धार और उत्थान के लिए जिन-जिन चीजों की हमें आवश्यकता है, वे हमें करनी होंगी।

महोदय, लास्ट में मैं अपनी बात कहते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह की बातें अभी सदन में आयी थीं और आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, यह जब मुख्य मंत्री जी पदभार ग्रहण कराने आये थे, तब भी हमने यह बात कही थी और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि उसे दिखवायेंगे। निश्चित रूप से पंजाब और केरल में एससी आयोग को कमीशन का दर्जा है और यहां भी महिला और ओबीसी को दर्जा है। इसीलिये यह जो एससी का आयोग है, इसे भी दर्जा मिलेगा तो हमारे दलित और एससी-एसटी के भाई लोगों को न्याय मिलने में आसानी रहेगी। मैं यही बात कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने यहां हाउस की एक स्थापित परम्परा रही है। इस सदन के बारे में कोई चर्चा यहां नहीं होगी। किसी भी विषय पर यदि कुछ कहना हो तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलकर आप उन्हें कहें। सदन के बारे में किसी भी तरह की चर्चा इस सदन में नहीं होगी। क्यों माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय, Am I right? सदन के बारे में, सदन कैसा है, क्या है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में एक स्थापित परम्परा रही है, शायद इसके बारे में चर्चा नहीं होती। इसके बारे में कोई भी चीज आपको करनी है तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलकर आप उन्हें अवगत कराएं। श्री अभिनेश महर्षि (अनुपस्थित)। श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में मांग संख्या 51 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु खूब योजनाएं चलीं और वे योजनाएं धरातल पर न आकर हवा-हवाई हो गयीं, पर मैं आपके माध्यम से जो अपने भाषणों में वाह-वाही गाते हैं, उन्हें याद दिला देना चाहता हूं कि बाबा साहेब के नाम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित और वंचित लोगों से वोट लेने का काम जिन्होंने 50-60 साल तक राज किया, उन्होंने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को कभी भी दिल से नहीं चाहा। सिर्फ बाबा साहेब का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी ने एससी-एसटी, दलित व शोषित लोगों से वोट लेकर सरकार बनायी, परन्तु गरीबों के कल्याण और उत्थान हेतु कुछ नहीं किया। देश में आजादी के बाद बनी अन्तरिम सरकार में बाबा साहेब कानून मंत्री बने, लेकिन नेहरू जी ने एससी-एसटी, दलित एवं शोषित लोगों की उपेक्षा की तो बाबा साहेब ने नाराज होकर 27 सितम्बर, 1951 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह दलितों के प्रति कांग्रेस की सोच थी। जब चुनाव आये तो उन्होंने बम्बई शहर उत्तरी सीट पर एन.एस. काजरोल्कर को टिकट देकर बाबा साहेब को हरवाया।

लोगों से असत्य वादे करके कांग्रेस जो अन्तिम क्षण में दूसरे स्थान पर पंजाब में आयी है, पंजाब में खूब मेरा आना-जाना रहता है, वहां जो दलित कांग्रेस के अन्ध भक्त थे, उन्होंने भी व्यथित होकर इस 10 तारीख को रिजल्ट बता दिया है, जो झाड़ू से कांग्रेस की सफाई करवायी है। यह कांग्रेस का हाल है।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

मैं याद करूंगा भैरोंसिंह जी को, जिन्होंने एससी-एसटी और दलित के लिए एक रास्ता खोला। उन्होंने जन प्रतिनिधि के रूप में उनकी पहचान करवायी। एससी-एसटी, ओबीसी, शोषित और महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिये और उनके टाइम में 1995 में पहली बार एक राजनीतिक चेतना आयी। जो काम कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, वह भैरोंसिंह जी ने अपने अल्प कार्यकाल में किया था। प्रधान भी बने, प्रमुख भी बने, जिला परिषद् सदस्य बने, पंचायत समिति सदस्य भी बने। यह काम करके भैरोंसिंह जी ने एक रास्ता दिखाया था। शोषित लोगों से वोट कांग्रेस ने लिए हैं, पर उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है।

जहां एससी-एसटी की 40 परसेंट आबादी है, यह एक बात मैंने पढ़ी भी है कि जहां 40 परसेंट आबादी है, वहां सरकार सड़क, पानी, लाइट, सफाई, सामुदायिक भवन, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करेगी, परन्तु कहीं भी यह सब नजर नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गांवों, ढाणियों, शहरों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र-छात्राओं की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश पंचायतें सेम की समस्या से पीड़ित हैं जिससे वहां परिजन अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु बच्चों को शहर नहीं भेज सकते। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनके बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सरकार की छात्रवृत्तियों का भुगतान समय पर नहीं किया जाता, जिससे छात्रों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सरकार द्वारा बजट में छात्रवृत्तियों की घोषणा की जाती है, लेकिन उन्हें धरातल पर नहीं उतारा जाता है तथा बजट की अनुपलब्धता के कारण भुगतान नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों की व्यवस्थाएं देखकर तो रोना आता है। दयनीय स्थिति है, वहां माचें नहीं हैं, बैड नहीं हैं, चद्दर नहीं है, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं हैं और भोजन के लिए भी बच्चों को इन्तजार करना पड़ता है। सफाई की व्यवस्था भी सही नहीं है। वार्डन के पद खाली पड़े हैं। बच्चों को उन छात्रावासों में उचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जिस कारण वे वहां नहीं रह पाते तथा उच्च शिक्षा से उन्हें वंचित रहना पड़ता है। छात्रावासों की स्थिति दयनीय होने के कारण वहां खाना बनाने वाले और सफाई कर्मचारी दैनिक वेतन पर काम करते हैं, वे कभी आते हैं और कभी नहीं

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)
आते हैं जिससे कई बार बच्चों को खुद खाना पकाना पड़ता है इसलिए उन कर्मचारियों को स्थायी किया जाये।

एससी/एसटी आयोग का राजस्थान में अलग से बजट नहीं है, तो उसका अलग से बजट किया जाये। एससी/एसटी आयोग, भारत सरकार जिस प्रकार शोषित और पीड़ित का संज्ञान लेता है उसी प्रकार राज्य आयोग के पास भी यह अधिकार होना चाहिए, यह मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं। एससी/एसटी के बच्चों की आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र ढाई लाख रुपये के आधार पर मिलता है जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्दर आठ लाख रुपये है, तो आय प्रमाण पत्र के लिए उसमें आठ लाख रुपये की छूट दी जाये।

दलित व्यक्ति की हत्या होने पर जो राशि उसको सरकार द्वारा दी जाती है वह पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती, जिसका कारण यह है कि या तो वहां बजट नहीं है और बजट है तो आधा देते हैं और आधा लटका रहता है। ऐसी कई घटनाएं सामने आयीं जिनके कारण से लोगों को कुंठित होकर अपना मन मारकर रहना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार कमजोर और दलित, पीड़ितों की योजनाओं में विफल रही है। जैसे गाड़िया लोहारों की व्यवस्था थी कि उनको 5 हजार रुपये देने थे पर आपने मात्र 331 व्यक्तियों को तीन सालों में दिये। इसी प्रकार से इनको सुविधाएं भी दी जाती हैं। विधवाओं के लिए विवाह योजना में 51 हजार रुपये की व्यवस्था थी पर वह भी आज नहीं मिल रही थी। आपने 2018-19 में 5 आदमियों को दिये, 2019-20 में 5 आदमियों को दिये, 2020-21 में 15 आदमियों को दिये हैं, 2021-22 में 7 और कुल 32 आदमियों को दिये हैं। यह है कांग्रेस के राज का हाल।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दलितों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है और यह मैं खुद कह सकता हूं क्योंकि मैं दलित क्षेत्र से आता हूं। वहां दलितों की संख्या होने के कारण मेरा विधान सभा क्षेत्र रिजर्व हुआ था परन्तु आज मुझे दुख इस बात का है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का पीलीबंगा, जहां एसडीएम हैडक्वार्टर है वहां छात्र छात्रावास हैं परन्तु लड़कियों के लिए छात्रावास नहीं है जिससे दूर-दराज की लड़कियां पढ़ने में पिछड़ रही हैं तो मेरी सरकार से मांग है कि पीलीबंगा में कन्या छात्रावास खोला जाये।

इसी के साथ, पीलीबंगा उपखण्ड की उप तहसील गोलुवाला, डबली

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

और जाखड़ावाली बहुत बड़े कस्बे हैं पर वहां पर भी शिक्षा का अभाव है। दलित समुदाय के बच्चे दूसरी जगह जा नहीं सकते इसलिए वहां तीनों जगह छात्रावासों की मांग करता हूं।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि जो योजना सरकार ने दलितों के लिए बनायी है उसको धरातल पर उतारो, ताकि समाज का वह शोषित, पिछड़ा व्यक्ति उसका लाभ ले सके और पढ़-लिख सके।

जो शोषण करने की बात कर रहे हैं तो शोषण की बात मैं मेरे ऊपर लेकर के बता देता हूं कि मैं भी उस परिवार का व्यक्ति हूं जिसने कांग्रेस की 50-60 साल तक टोकरी ढोयी, परन्तु शोषण के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। फिर एक सिद्धांतवादी पार्टी में गया और उसकी बात के कारण से आगे बढ़ने की बात सोची तो मेरा सपना साकार हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे समुदाय के वोट बहुत कम होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित की पहचान की।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): मुझे चार बार टिकट मिली, दो बार विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, परन्तु कांग्रेस ने हमारा शोषण किया। इसलिए इस सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि एससी, एसटी का शोषण करना बन्द कर दो और जो हमारा सही ढंग से हक बनता है वह हमें दो। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): धन्यवाद, सभापति महोदय। हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत का आज के इस दिन हम जितना यशगान करें, जितनी बड़ाई करें, उतनी कम है। कारण यह है कि एससी, एसटी के लिए, एससी, एसटी वेलफेयर के लिए जो माननीय अशोक गहलोत जी की भावना है वह बिलकुल ऐसी ही है जैसी गांधियन थ्योरी में मिलती है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद इस देश की इकोनोमी की जो आधारशिला रखी वह “socialistic pattern of society” पर रखी थी। “socialistic pattern of society” में सभी को अवसर मिले, सभी आगे बढ़ें और सबको उनका अधिकार मिले, यह पण्डित नेहरू ने एक सपना देखा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया,

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम एससी, एसटी वर्ग की बात करें तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत की भावना शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए बहुत पुनीत और बहुत पवित्र है और उनकी हमेशा भावना यह रहती है, इच्छा यह रहती है कि इन लोगों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई अनाचार नहीं होना चाहिए, कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए।

आज के इस पुनीत अवसर पर मैं तो श्री जोगेश्वर जी गर्ग ने अपना उद्बोधन दिया, उसको एप्रिशियेट करना चाहूंगा कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और जनरल के अगर कोई गैप है और उसको मिटाना है तो वह भावना से मिटेगा, दिल से मिटेगा, मन से मिटेगा। कानून भी हो सकता है कि उसमें थोड़ा सहारा दे दे, लेकिन कानून की अनुपालना उस सेंस में, जिस रूप में कानून चाहता है, उसकी भावना है पर जब तक व्यक्ति की भावना ठीक नहीं होगी, अन्दर से मन ठीक नहीं होगा तब तक वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा जो लक्ष्य कानून के माध्यम से हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की तकलीफों को देखते हुए हमारे देश के आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में एससी, एसटी डवलपमेंट फण्ड एक्ट पारित हो चुका। हमारे माननीय मुख्य मंत्री को यह पता लगा कि जब इन राज्यों में एससी, एसटी डवलपमेंट फण्ड एक्ट लागू हो सकता है, पारित हो सकता है तो मैं मेरे राज्य में भी इस एक्ट को क्यों नहीं लाऊं जो एससी, एसटी के वेलफेयर के लिए है तो उन्होंने यह पहल की और बहुत लोगों से, कई स्टेक होल्डर्स से और समाज के विभिन्न वर्गों से उन्होंने डिस्कस किया। कई आईएएस को बुलाया, शिड्यूल्ड कास्ट के ग्रुप्स को बुलाया और उनसे चर्चा की। माननीय सभापति महोदय, हमारा प्लानिंग कमीशन जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया में है, उसकी 11 फरवरी, 2014 को गाइडेंस इश्यू की हुई है और गवर्नमेंट आफ राजस्थान प्लानिंग कमीशन की उस गाइडेंस को भी मानती है। इसलिए उन्होंने एक बिल वर्तमान विधान सभा में पेश किया है "The Rajasthan State Schedule Caste and Schedule Tribes Development Fund (Planning, Allocation, and Utilisation of Financial Resources) Bill, 2022." जब भी वह बिल डिस्कशन में आयेगा तब उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहां याद करना चाहता हूं कि 1956 बैच के एक आईएएस थे श्री पी.एस. कृष्णन।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

पी.एस. कृष्णन एक बहुत ही अनुभवी आईएएस अधिकारी थे। वे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनोरिटी, सभी प्रकार के जो अध्ययन ग्रुप्स हैं, उनके मेम्बर रह चुके हैं और इण्डिया के एससी कमीशन के चेयरमैन भी रहे और गवर्नमेंट आफ इण्डिया में Social Justice and Empowerment Department के Secretary to the Government of India भी रहे। 2015 का जो एससी, एसटी, एट्रोसिटी निवारण एक्ट है उसमें भी उसको सुधारने में, उसका अमेंडमेंट करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय ने उस परिप्रेक्ष्य में जो स्व. श्री पी.एस. कृष्णन साहब ने थ्योरी दी, जो कंट्रीब्यूट किया एससी, एसटी के वेलफेयर के लिए, उस थ्योरी को मेरे विचार से महत्व दिया और काम करके यह जो नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया है एससी, एसटी डवलपमेंट फण्ट एक्ट के रूप में, उसमें वह भावना उन्होंने इंट्रोड्यूस की है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और मेरा सुझाव है कि जब यह बिल पारित हो तो राजस्थान में स्टेट शिड्यूल्ड कास्ट डवलपमेंट अथोरिटी बने, राजस्थान में स्टेट शिड्यूल्ड ट्राइब डवलपमेंट अथोरिटी बने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एससी, एसटी डवलपमेंट अथोरिटी बने और स्टेट काउंसिल का गठन हो जो एससी, एसटी डवलपमेंट फण्ड की मानिटरिंग करे। इसका वेब पोर्टल बने और उसकी मानिटरिंग हो। उसको मेंटेन किया जाय कि एससी-एसटी डवलपमेंट फण्ड का कहां-कहां यूटिलाइजेशन किया जा रहा है और किस प्रकार से उसको काम में लिया जा रहा है। कार्यक्रमों के इम्प्लीमेंटेशन और अवेयरनेस के लिए मास कम्युनिकेशन की व्यवस्था की जाय ताकि एससी-एसटी के लोगों को यह पता लगे कि गवर्नमेंट आफ राजस्थान उनके वेलफेयर के लिए क्या कर रही है, ताकि वे अंधेरे में नहीं रहें।

सभापति महोदय, पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 20 करोड़ का एक वाल्मीकि कोष स्थापित करने की घोषणा की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस 20 करोड़ की राशि से इस कम्युनिटी को काफी फायदा हुआ होगा, मेरे पास डिटेल्स नहीं है कि यह रुपया कहां-कहां खर्च हुआ। फिर भी, इस कम्युनिटी के लिए जिस प्रकार का दिल शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का है, एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। मैं निवेदन करता हूं कि 20 करोड़ की राशि से यह फण्ड और अधिक बढ़े।

एक बात मेरे पूर्व वक्ता श्री रूपाराम जी, जो जैसलमेर से आते हैं,

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

उन्होंने बहुत गम्भीर बात इस सदन में उठायी। मैं उस बात का समर्थन करता हूं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में जो घालमेल हुई है, हाई कोर्ट में यह केस गया था, सिंगल बैंच और डीबी में ये लोग जीत चुके हैं, कमजोर वर्ग है, इसलिए आगे पैसे का भी अभाव है परसुएशन का भी अभाव है। इस सम्बन्ध में डीएलबी ने जांच का आदेश दिया था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें जरूरी है। जिसको भी सफाई कर्मचारी लगाओ, उसको अनुभव होना चाहिये। दूसरी कम्युनिटी के लोग भी कई फर्जी अनुभव सर्टिफिकेट लेकर उसमें लग गये। दूसरी कम्युनिटी के जो लोग थे, उनको किसी को बाबू की कुर्सी पर बिठा दिया, किसी को चौकीदार बना दिया, किसी को बागवान बना दिया, कोई अधिकारी के घर पर काम करता है, सफाई का काम वही लोग करते हैं जो वाल्मीकि वर्ग के हैं। इस बात का विरोध हुआ और अन्त में डीएलबी के लेवल से माननीय मुख्य मंत्री महोदय के इंटरवेंशन से, उनकी भावना से यह जांच हुई और जांच का परिणाम भी आया। यह मामला हाई कोर्ट में भी गया, उन लोगों के पक्ष में, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके पक्ष में फैसला भी हुआ। मैं August House के माध्यम से निवेदन करता हूं कि ये सारे तथ्य इकट्ठे किये जायें और एक कमेटी बनायी जाय, इसमें जो घालमेल हुई, कमजोर वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ, उस पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? यहां से डायरेक्शन दिये जायें, Social Justice and Empowerment Department के Secretary to the Government और माननीय मंत्री महोदय के लेवल से कि अभी तक इसमें जांच के बाद और फैसले के बाद, जो क्रियान्वयन होना था, वह क्यों नहीं हुआ?

दूसरा, रोस्टर सिस्टम पर बात जरूर करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आ गये हैं और यह तय किया गया कि रोस्टर मेंटेन किया जायेगा। उसके अनुसार इतना परसेंट इसके, इतना परसेंट इसके कर्मचारी और अधिकारी रहेंगे। इसका एक परिणाम बड़ा वीभत्स रूप ले गया। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के कई लोगों का सीनियोरिटी में नम्बर आने के बावजूद भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। उनके जूनियर प्रमोट हो रहे हैं, यह यथार्थ है। सीनियोरिटी को रोकने की भावना मेरे विचार से न सुप्रीम कोर्ट की थी और न एडमिनिस्ट्रेशन की थी, लेकिन उसका consequence यह हुआ कि जो एससी-एसटी के लोग थे, उनसे जूनियर आदमी प्रमोट हो रहे हैं। चूंकि वे उस घड़ी में अटक गये कि इतना मेंटेन किया जायेगा, तो इस बात को दुबारा

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

देखने की जरूरत है। सीनियोरिटी में आने के बाद भी प्रमोशन न हो, यह बड़ी अजीब सी बात लगती है। इसलिए, इसको देखने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं पिलानी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। पिलानी में अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने का एक कार्यक्रम था। अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी पिलानी में भी बनी हुई है। उसमें शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और कई अन्य लोग भी उसके मेम्बर हैं। बड़ी संस्था है। उन्होंने अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव दिया। वह प्रस्ताव प्रोसेस होकर सभी डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट होकर, डिविजनल कमिश्नर के यहां गया। मुझे आश्चर्य हुआ डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर जो कमेटी बैठी, मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूं, लेकिन डिविजनल कमिश्नर लेवल पर एक कमेटी बनी हुई है, एक समिति बनी हुई है, जो इस बात का निर्णय करती है कि मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी, कोई भी मूर्ति, खाली अम्बेडकर की नहीं, कोई भी मूर्ति। उसमें निर्णय यह लिया गया कि यह जमीन ऐसी नहीं है कि यहां मूर्ति लगे। उस जमीन के बारे में एसडीएम ने, पहले वाले एसडीएम ने क्लियरेंस दे दी थी कि इस जमीन पर मूर्ति लग सकती है, कोई अड़चन नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने दे दी, नगरपालिका ने दे दी, कलेक्टर के यहां से केस क्लीयर होकर चला गया, तो ऐसी कौन-सी समिति आ गयी जो आज की तारीख में भारत देश में अम्बेडकर की मूर्ति लगाने में इस प्रकार की अड़चन डाल सकती है?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस बात की जांच करवायी जाय कि सारी रिपोर्ट क्लीयर होने के बावजूद, दूसरा और निवेदन करता हूं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है। जहां यह मूर्ति लगनी थी, उस रोड से मैं निकलता हूं, मूर्ति तैयार पड़ी है, उस रोड पर दूसरी मूर्ति लगी हुई है 100 गज की दूरी पर दूसरी मूर्ति लगी हुई है। जब दूसरी मूर्ति लग सकती है तो डा. अम्बेडकर की मूर्ति क्यों नहीं लग सकती है? अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए बहुत बड़ा रहा, विशेषकर एससी, एसटी के लिए भी रहा और अम्बेडकर तो खाली एससी, एसटी के नहीं, पूरे देश के लिए पूजनीय हैं, उनकी मूर्ति लगाने में अगर इस प्रकार का कोई अवरोध पैदा हो रहा है तो उस अवरोध को दूर किया जाना चाहिये।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

मैं निवेदन करता हूं कि अम्बेडकर की मूर्ति पिलानी के लोगों की भावना के अनुसार, पिलानी एक शिक्षा नगरी है, हब आफ एजुकेशन है, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल का एक कस्बा है, अगर वहां नहीं लगेगी उस एजुकेशनिस्ट की मूर्ति, इतने हाइली क्वालीफाइड की मूर्ति, तो कहां लगेगी? इसको दिखाया जाना चाहिये। अभी मंत्री महोदय हाउस में मौजूद नहीं हैं। अगर कहीं भी सुन रहे हों अपने चैम्बर में बैठे हुए उनसे मेरा निवेदन है कि सैक्रेटरी टू गवर्नमेंट बैठा होगा, सोशल जस्टिस एण्ड एम्पावरमेंट का कि इस बात की जांच करायी जानी चाहिये और अम्बेडकर की मूर्ति पिलानी में लगनी चाहिये। कौन-से स्थल पर लगे, ये सम्बन्धित अधिकारी बता दें, वहां लगा देंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं स्पेशल कोर्ट और स्पेशल पुलिस आफिसर्स माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा इस राज्य में दिये गये हैं। स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा दिये गये हैं। पुलिस आफिसर्स, जो स्पेशियली एससी-एसटी मुकदमों की इंवेस्टीगेशन करने के लिए दिये गये हैं। यह भी एक सकारात्मक पहल, सकारात्मक सोच माननीय मुख्य मंत्री महोदय की है, जो दर्शाती है कि एससी-एसटी के प्रति कोई भी एट्रोसिटी होगी तो उसकी बहुत गम्भीरता से जांच की जानी चाहिये। अगर कोई दोषी पाया जाता है, वास्तव में जो लीगल प्रोविजन्स हैं, उसके अनुसार यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिये। मैं यह कहता हूं निर्दोष को सज़ा नहीं मिले, लेकिन अगर किसी ने दोष किया है, किसी ने आर्फेंस कमिट किया है तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिये।

प्रदेश में कच्ची बस्तियां, वैसे तो सभी लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं, मैं मानता हूं। अभी हमारे इकानोमिकली वीकर सेक्शन हैं उनकी भी हालत खराब है और सभी के लिए भावना ठीक है, लेकिन फिर भी कच्ची बस्तियों में एससी-एसटी के लोग ज्यादा रहते हैं, मैं निवेदन करता हूं कि उनका डवलपमेंट होना चाहिये।

जो एससी कम्पोनेंट के फण्ड्स हैं, वे अधिकतर वहीं उनके डवलपमेंट में खर्च होने चाहिये। कई बार फण्ड्स, जैसे चार घर एससी के हैं और 50 घर जनरल के हैं तो उन 50 घरों को फायदा देने के लिए चार घरों तक भी आपने बिजली पहुंचा दी, आपने सड़क पहुंचा दी। आप ऐसा क्यों नहीं करते, जहां 54 घर एससी, एसटी के हैं, वहीं पर वह पैसा खर्च क्यों नहीं करते हैं, चार घरों

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

का बहाना बनाकर 50 घरों को क्यों फायदा दे रहे हैं? यह भी देखने की बात है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो प्रतिनिधि होते हैं, विशेषकर के एससी के, गांवों में जो चुनकर आते हैं, उनके साथ कई बार गलत व्यवहार होता है। सरपंच हो, पंच हो, कोई भी हो, तो वे डायरेक्शन भी, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, एससी-एसटी के लिए वेलफेयर का काम कर रही है, अच्छे कार्यक्रम हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय की भावना बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी अगर कोई इस प्रकार का दुर्व्यवहार किसी जनप्रतिनिधि के साथ होता है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस यहां से जारी होने चाहिये। जो मुकदमे दर्ज होते हैं, रेप के होते हैं, मर्डर के भी होते हैं, प्रावधान हैं, लीगल प्रोविजन्स हैं, कम्पन्सेशन के, आदमी का कोई कम्पन्सेशन नहीं होता, पुरुष का कोई कम्पन्सेशन नहीं होता, महिला की प्रतिष्ठा का, इज्जत का कोई कम्पन्सेशन नहीं होता, लेकिन प्रोविजन डाल रखा है और उसके बावजूद भी अगर समय पर भुगतान नहीं हो तो मेरे विचार से यह बहुत गलत बात है और होना चाहिये।

प्रदेश में जो अभी चल रहा है विशेष करके जो हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं मेडिकल के, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स उनके घर वालों की कमर टूट जाती है। एक बार एडमिशन करा दिया तो उसको पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, घर बिक जाता है उनका और स्कोलरशिप टाइम पर नहीं मिलती है, तो यह भी देखने की जरूरत है।

अन्त में मैं, सभापति महोदय, यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान स्टेट एससी/एसटी के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी कई प्रोब्लम्स हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जिस भावना से काम कर रहे हैं वह एससी/एसटी के लिए बहुत अच्छी भावना है। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा वेलफेयर की तरह काम कर रही है। इस दूरी को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किये जा रहे हैं, सकारात्मक प्रयास हैं राज्य सरकार के, फिर भी मैं अगेन जो जोगेश्वर जी गर्ग ने बात कही है, भावना ठीक होनी चाहिए इस गैप को मिटाने के लिए दिल की जो कमजोरियां हैं वो दूर होनी चाहिए। अगर दिल में कोई कचरा भरा हुआ है, किसी के दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

उस कचरे को दूर करने की आवश्यकता है। सारा समाज एक ही है, एक दूसरे के लिए ही है। सेवा है, एक दूसरे की सेवा करने के लिए बने हैं। समाज ने किसी को कोई सेवा दे दी, किसी को कोई सेवा दे दी, मनुष्य मनुष्य सब एक हैं, यह भावनाएं सारी ठीक होनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वैरी मच।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना मांग संख्या 51 पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये, प्रदेश में अनुसूचित जाति की बस्तियों में स्वच्छता के लिए पृथक से नीति बनायी जाकर काम करने की जरूरत है। हमने हमारे विधान सभा क्षेत्र के गांवों में जहां अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं वहां बढ़िया गलियां, नालियां बना करके उनको ठीक करने का काम शुरू किया है और प्रदेश में अम्बेडकर छात्रावासों में एलईडी, कम्प्यूटर, प्रिन्टर आदि लगाये जाने की आवश्यकता है। जो अम्बेडकर छात्रावास हैं, वहां बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं, उनको पढाई में और ज्यादा मदद होगी। हर अम्बेडकर छात्रावास में ये सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें। प्रदेश में अम्बेडकर छात्रावासों की और कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इस संख्या को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय, मैं मेरे साथी गिरधारी जी के क्षेत्र की भी दो बात करना चाहूंगा, कि उन्होंने मांग की है कि डूंगरगढ़ के अनुसूचित जाति के छात्रावास में पीने के पानी की बड़ी समस्या है और छात्रावास में ट्यूबवैल व टंकी का निर्माण कराया जाये। छात्रावास में बेड कम हैं उन बेडों की संख्या बढ़ाई जाये और इसके साथ-साथ उन्होंने यह मांग भी की है कि गांव दुलचासर सेरूना, पुनरासर, मोमासर, रेड़ी में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास खोले जायें और प्रत्येक गांव में अम्बेडकर भवन का निर्माण कराया जाये।

सभापति महोदय, मेरे साथी हनुमानगढ़ जिले से अभी बोल रहे थे और वो बड़ी बढ़िया बात कर रहे थे कि साहब हमें बड़ी तवज्जोह दी है। हनुमानगढ़ जिले में एक सीट एससी की है जो पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के नाम से है। रावतसर, पीलीबंगा और खुद इन्होंने कहा कि मैं दूसरी बार जीत

(श्री बलवान पूनियां)

कर आया हूं। एक बार ये राज में भी रहे थे। गवर्नमेंट कालेज नहीं है। तीन बड़े कस्बे हैं पीलीबंगा है, रावतसर है, गोलूवाला है, तीनों जगह गवर्नमेंट कालेज नहीं है। इससे पहले यह विधान सभा क्षेत्र टिब्बी होता था। टिब्बी में भी गवर्नमेंट कालेज नहीं है। मेरी राजस्थान सरकार से मांग है कि हनुमानगढ़ जिले के इन चारों कस्बों में कन्या महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं आदिवासी क्षेत्र में गया था। वहां वन अधिकार कानून जो 2005 में यूपीए सरकार ने बनाया वह आज भी प्रभावी नहीं है, उसको और मजबूत करने की जरूरत है। आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने की जरूरत है। वहां बच्चों का आज भी वज़न कम है, आज भी वहां महिलाएं कम वज़न की हैं, कुपोषण की शिकार हैं। मनुष्य भी कुपोषण का शिकार है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देकर के वहां के बच्चों की जो मृत्यु दर है जो ज्यादा है, उसको कम करने के लिए या शून्य करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी सुबह जब प्रश्न काल में चर्चा चल रही थी शुभ शक्ति योजना की, सबसे ज्यादा गरीब को फायदा होता है इस योजना का पर तीन साल से शुभ शक्ति योजना का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उनके सारे काम रुके हुए हैं। शुभ शक्ति योजना में सरकार को ज्यादा से ज्यादा जल्दी काम शुरू करना चाहिए ताकि एससी/एसटी के लोगों को फायदा हो सके।

खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद है, 2020 से लेकर के अभी तक पोर्टल बंद है। गरीब आदमी जब गांव में जाते हैं तो मांग करते हैं कि हमें खाद्य सुरक्षा में जोड़ो, यह कहते हैं कि एनएफएसए का पोर्टल बंद है, यहां से बंद है, वहां से बंद है। इधर उधर की बात न करिये, बता काफिला किसने लूटा था, लोग सवाल करते हैं। इसलिये हमारी मांग है कि खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खोलें और तुरन्त प्रभाव से लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ें।

एससी/एसटी के लोगों को हम शिक्षा देने की बात करते हैं, सबसे ज्यादा एससी/एसटी के लोग जो गांव में रहते हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ढाणियों में रहते हैं, मगरों में रहते हैं। उनको उसकी भाषा में अगर हम शिक्षा देने का प्रयास नहीं करेंगे तो, जोगेश्वर साहब, उनको शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। इसलिये सदन में मेरी पुरजोर मांग है आज एक बार फिर कि राजस्थानी भाषा को मंजूरी दो ताकि गरीब के बच्चे और बच्चियों को पढ़ाया

(श्री बलवान पूनियां)

जा सके। यह बात मैं इसलिये जोड़ रहा हूं कि प्रदेश में दलितों की आबादी 30 प्रतिशत है, उस आबादी के बच्चे और बच्चियां अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम असमानता की खाई को पाट नहीं पायेंगे। असमानता बढ़ रही है।

सभापति महोदय, चाहे किसी के कानूनों से असमानता बढ़े लेकिन असमानता समाज के लिए उतनी खतरनाक है जितना खतरनाक जहर होता है। एससी/एसटी के लोगों को हमने आगे बढ़ाने की बात की है, उनके क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केन्द्र, उनके क्षेत्रों में आंगनबाड़ी, उनके क्षेत्रों में मां-बाड़ी, उनके क्षेत्रों में स्कूल और उप स्वास्थ्य केन्द्रों में बाकायदा नर्सों की स्पेशल नियुक्ति हो ताकि समय-समय पर उनकी महिलाओं के, उनके बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जा सके और राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान एससी/एसटी और दबे कुचले लोगों को बराबर लाने की स्थिति में आकर के खड़ा हो जाये।

(समय: 14.56 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, अम्बेडकर छात्रावासों के साथ-साथ आदिवासी छात्रावासों और कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की संख्या और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, जिससे गरीब के बच्चे और बच्चियां जो आ-जा करके, सफर करके शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, जो रोजाना अपडाउन करके शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, वो उन होस्टलों में रहें और शिक्षा प्राप्त करें।

सभापति महोदय, प्रदेश में एक बड़ा जोरदार मामला चल रहा है कि अभी कोर्ट ने भी कह दिया कि जो महिलाएं दूसरे राज्यों से शादी करके आयी हैं एससी की महिलाएं, ओबीसी की महिलाएं, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। हम कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा की एससी की महिला राजस्थान में शादी हो गयी, हमारी यहां बहुत सारी एससी की महिलाएं शादी करके राजस्थान में आयी हुई हैं, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाये, सरकार हाई कोर्ट में जाये। सरकार पैरवी करे और पैरवी करके संविधान प्रदत्त अधिकारों की अवहेलना को रोके।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हमारी कमजोर प्लीडिंग की वजह से यह राइट्स, यह अधिकार लोगों के छीने गये हैं कि जो महिलाएं दूसरे राज्य से शादी करके राजस्थान में आयी हैं उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। वो जब हमारे पास आते हैं और संविधान की किताब लेकर के आते हैं कि इस संविधान में अधिकार है एससी के लोगों का और हम

(श्री बलवान पूनियां)
उसको बचा नहीं पाते। इसका मतलब यह हमारी कमजोरी है। यह हमारा फैल्योर है कि हम उनको आरक्षण का फायदा नहीं दे सकते। एक आदमी को आप उसका अधिकार न दिलवाने का मतलब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाये हुए संविधान की अवहेलना है। हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा विधान सभा में लगाने की बात तो करते हैं लेकिन उनके बनाये हुए सिद्धांतों की अगर हम रक्षा नहीं कर पाये तो हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान बनाने वाली संविधान सभा की अवहेलना कर रहे हैं और हम कतई नहीं चाहते कि आजादी के इतने साल बाद हम दबे कुचले आदमी को लाकर बराबर खड़ा करने की हिम्मत न कर पायें।

सभापति महोदय, जिस सदन में हम जैसे लोग, आप जैसे लोग चुन कर आये हुए हों और उन लोगों के सामने आज यह आये कि राजस्थान में एक आईपीएस की शादी है, अख़बार में खबर छपती है कि आईपीएस की शादी, घोड़ी से निकली बिन्दौरी और साथ में पुलिस का ज़ाब्ता, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती एक सभ्य समाज के लिए। जाति विशेष के लोग जाति विशेष के लोगों को उनके सामाजिक अनुष्ठान नहीं करने दें, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ऐसी कुन्द मानसिकता रखते हैं।

हमारे इलाके में जातिवाद नहीं है, सभापति महोदय, जहां नहरी पानी क्षेत्र है वहां जातिवाद नहीं है, वहां के बच्चे तो राजस्थान के दूसरे हिस्से में नौकरी करने के लिए जाते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट के लड़के, अल्पसंख्यकों के लड़के जब राजस्थान की दूसरी साइड में जाते हैं नौकरी करने के लिए और वो अनुभव बताते हैं कि आज भी इतना जोरदार जातिवाद है कि हमें पानी के मटके के हाथ नहीं लगाने देते। आज भी वो कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव है उनका कि पोषाहार में हमारे को यह कहा जाता है कि तुम्हारी पोषाहार में ड्यूटी नहीं लग सकती। पोषाहार में तुम्हारी ड्यूटी कैसे लग जायेगी। तुम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हो, इससे बड़ी विडम्बना कुछ नहीं हो सकती। इतना जोरदार बजट पेश करें, हम संविधान की पालना की बात करें, हम हमारे अधिकारों की बात करें और हमारा समाज अगर ऐसा है तो ऐसे समाज को दिशा देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, आज मैं यह चाहता हूं, हालांकि सदन बता रहा है कि हम कितने गम्भीर हैं। हम कितने गम्भीर हैं यह सदन बता रहा है।

(श्री बलवान पूनियां)

रोजाना कितने लोग होते हैं। सभापति के पास भाग-भाग कर कहते हैं कि हमें बुलवाओ, हमें बुलवाओ, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। आज वह संख्या कम

(समय: 15.00 बजे)

है। यह हमारी कमजोरी है, यह हमारे भीतर की कमजोरी है। हम आत्मा से नहीं चाहते कि यह लोग बराबर आकर खड़े हों। हम इंसान को बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते। इस कमजोरी को पाटना होगा।

सभापति महोदय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाये हुए संविधान के अनुसार सन 2018 में जब सरकार ने यह ऐलान किया कि एससी, एसटी के कानून को तोड़ेंगे, पूरे हिन्दुस्तान में आंदोलन हुआ। 2 अप्रैल, 2018 को राजस्थान में भी आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में मुकदमे दर्ज हुए उन मुकदमों में आज गिरफ्तारियां चल रही हैं। मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं कि तुरंत गिरफ्तारी रोकें और उस समय के दर्ज मुकदमे सरकार वापस ले। सारे मुकदमों की रिपोर्ट बनाये और उनको वापस ले। अगर हम यह नहीं कर पाते हैं तो यह हमारी फेल्योर है, हमारी कमजोरी है। मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि नये राज को बने हुए तीन साल हो गये और 2 अप्रैल, 2018 के मुकदमे अगर वापस नहीं होते हैं, मेरे पास ज्ञापन आया है, इस ज्ञापन में लिखा है कि प्रतिनिधियों ने बताया है कि अलवर निवासी पवन जिसकी आंदोलन में मृत्यु हो गई थी, उसके पिता को 3 मार्च, 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी जमानत भी नहीं हो पा रही है। साथ में दो-तीन लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। इसी महीने जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, अलवर, सभी जगह उपरोक्त 2 अप्रैल, 2018 के मामलों में गिरफ्तारियां चल रही हैं। सभापति महोदय, शिष्ट मंडल ने यह भी बताया कि पवन जाटव की आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से मृत्यु हुई थी और इसी दौरान 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसी मुकदमा संख्या 82/2018 में आज तक गिरफ्तारी जारी है जबकि पवन के पिता की तरफ से कराये गये मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके पिता जल्लाराम को जेल में डाल दिया गया और जमानत नहीं हो पा रही है। सभापति महोदय, मेरी आपसे इल्तिजा है कि 2018 में कौन लोग राज में थे, उस समय उन पर अंगुली उठा ली होगी और फिर दूसरे लोग राज में भी आ गये। राज में आने के बाद क्या बदलाव किया? यह सवाल है, यह ज्वलंत सवाल है। मेरी आसन से यह मांग

(श्री बलवान पूनियां)

है कि आप राजस्थान सरकार को पाबंद करें कि इन मुकदमों में तुरंत गिरफ्तारियां रोकें और इन मुकदमों को वापस लेने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं लास्ट में मेरी बात कहना चाहूंगा। राजस्थान के उस आदिवासी इलाके में जहां वन अधिकार कानून मजबूती से लागू नहीं कर पाये, 2005 में कानून बना, वहां आज आदिवासियों के हाथ से जमीनें जा रही हैं। आज दलित के हाथ से जमीनें जा रही हैं। हम सदन में तो यह मांग कर रहे हैं कि भूमिहीन दलित को जमीन दी जाय लेकिन जिस जमीन पर उसका कब्जा है, वह उसके हाथ से जा रही है। इसकी रक्षा कौन करेगा? 2005 में जिन लोगों ने यूपीए फर्स्ट में कानून बनाया था, आज वह सवाल कर रहे हैं कि उस वन अधिकार को तो आप राजस्थान में मजबूती से लागू करो। इसलिए मेरी सदन से मांग है कि वन अधिकार कानून, 2005 को मजबूती से लागू किया जाय।

सभापति महोदय, मैं लास्ट में यह कहना चाहता हूं कि आरक्षण का वर्गीकरण ढंग से करो। आरक्षण का वर्गीकरण ढंग से नहीं हो रहा है। आरक्षित वर्गों की मैरिट सामान्य से ऊपर जा रही है। यह इस बात का इंडिकेट नहीं कि आरक्षित वर्ग के लोग ज्यादा पढ़ने लग गये, आरक्षण का वर्गीकरण सही नहीं हो रहा है। कालेज व्याख्याता से लेकर स्कूल व्याख्याता, एलडीसी की भर्ती, कितनी ही भर्ती में आरक्षण का वर्गीकरण सही नहीं था। इसलिए मेरी राजस्थान सरकार से इल्तिजा है कि आरक्षण का वर्गीकरण ढंग से करें। चाहे कालेजों में, चाहे स्कूलों में आज जो निजीकरण बढ़ रहा है, इस निजीकरण का सबसे ज्यादा नुकसान आरक्षित वर्ग को होगा। इसलिए सरकार सरकारीकरण की पटरी को मजबूत करे और इस देश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाये हुए कानून को मजबूत करे और राजस्थान की विधान सभा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाये। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल जी मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर बोलना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज बहुत बड़े वर्ग के विषय के बारे में चर्चा हो रही है। आपने भी अभी पीड़ा व्यक्त की। हमारे भारत के संविधान के निर्माता की आज मूर्ति नहीं लग पा रही है, यह बड़े खेद का विषय है। पूरे दिन जब इस विषय पर चर्चा हो रही है तो मंत्री जी को यहां होना जरूरी है। हमारे ट्रायबल

(श्री अमृतलाल मीणा)

मिनिस्टर हमारे बीच में बैठे हैं लेकिन जवाब तो वह नहीं देंगे। जवाब देने वाले मंत्री ही गायब हैं।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह रहा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): अभी आये हो, नोट किया है। इससे जाहिर होता है कि आप हमारे समाज के प्रति कितनी घृणा रखते हो, नफरत करते हो। सुनने के लिए तैयार नहीं हो, एससी, एसटी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो और सदन के लोग भी नहीं है। वह समय चला गया, 1947 वाली बात अलग थी, आज लोग आसमान में बात करते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इस प्रकार का भेदभाव नहीं करें। मैं सदन में बोलना नहीं चाहता था लेकिन हमारी पीड़ा है। जिस वर्ग से हम आते हैं, उस वर्ग को मंत्री जी आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, यह ठीक बात नहीं है।

सभापति महोदय, इस वर्ग के लिए कितनी योजनाएं हैं, किताबें भरी हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय नि:शक्तजन पेंशन योजना, वृद्धा सम्मान योजना, एकल नारी सम्मान योजना, योग्यजन सम्मान योजना, वृद्धजन कृषक सम्मान योजना। सभापति महोदय, यह सब उस जिले में या उस समाज के वर्ग के लोगों को मालूम है क्या, नहीं है। सभापति महोदय, आप पिलानी से आते हैं, आपकी पीड़ा को हमने गहनता से सुना है। आज आप हमारे सभापति का रोल कर रहे हैं। आप जिस रास्ते से आ रहे हैं वहां डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लग पा रही है। यह व्यवस्था किसकी है, सरकार की है। माननीय मुख्य मंत्री जी की है, उससे संबंधित अधिकारी की है।

श्री सभापति: उधर से आश्वासन मिल गया, मंत्री महोदय व्यवस्था कर रहे हैं, आप अपनी बात कहिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): ठीक है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग, यह समाज के कितने लोगों को पता है कि इस प्रकार की व्यवस्था सरकार भी कर रही है? महिला और बाल कल्याण की बात कहें, महिला सदन और नारी निकेतन की बात हो, विधवा विवाह उपहार की बात हो या मुख्यमंत्री कन्यादान की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो। मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था, बहुत बड़ा पुलिंदा लेकर आया हूं, कम से कम 100-150 योजनाएं लेकर आया हूं। मुख्य मंत्री जी जैसे जादूगर हैं, वैसे मैं भी जादूगर हूं। जिस समाज को आज घोड़ी से उतार देते हैं,

(श्री अमृतलाल मीणा)

बारात में हीन भावना से करते हैं। उनके मकान का पता नहीं है, नालियों का पता नहीं है, पीने के पानी का पता नहीं है, मूलभूत सुविधा के लिए भी पता नहीं है।

आज देश आजाद हुए 70-72 साल हो गये। आज वृद्धा कल्याण की बात है, संभाग मुख्यालय पर वृद्धाश्रम संचालन है। हमारे उदयपुर संभाग में कहां है, यह मुझे भी नहीं पता। मैंने चार बार एमएलए का चुनाव लड़ा, दो बार जीत कर आया, लेकिन यह कहां है, पता नहीं है। राजस्थान में कहां है, यह भी पता नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता कल्याण विभाग में विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्ति मिलती है, यह सारे माननीय सदस्यगण जानते हैं, उस विभाग से इतनी पीड़ा है कि लोगों को समय पर पेंशन नहीं मिलती है। कभी आईडी मंगा लेते हैं, आईडी को गायब कर देते हैं। पैसे दिये बिना काम नहीं होता है। अगर नहीं हो तो आप अनजान बनकर चले जाइये, आपको पता लग जायेगा। कुर्ता न पहनकर सादे पेंट में चले जाना, आपको भी पता लग जायेगा कि यह बाबू क्या कर रहे हैं।

इस प्रकार की कई योजनाएं हैं। आर्थिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना, विशेष केन्द्र सहायता योजना, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की बात, बीस सूत्री कार्यक्रम की बात, संबल ग्राम विकास योजना की, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की। गाड़िया लोहारों के भवन निर्माण हेतु अनुदान। आज गाड़िया लोहार चक्कर काट रहे हैं, उनको आवास बनाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। पूरे राजस्थान में हैं। हर गांव, हर ढाणी और हर मोहल्ले में हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन कागजों में लिखा है, कानून में लिखा हैं, वह सब धरातल पर नहीं उतर पा रहा है।

सभापति महोदय जी, मेरा यही निवेदन है। सामाजिक उत्थान के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 से बना हुआ है 2015 में संशोधन किया गया है। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग बना है। राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड बना, राजस्थान विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्ध घुमन्तू कल्याण बोर्ड भी बना है। केशकला बोर्ड भी बना है। राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना है। राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग का भी गठन हुआ है। माननीय मंत्री जी, मेरा यही कहना है कि वाकई में आप संजीदा हैं, लेकिन मेरे मन में थोड़ी पीड़ा थी। हमारे जैसे समाज के लोगों की आज सदन में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और उस बात को आप सुनना नहीं चाहते हैं, यह बड़ी पीड़ा हुई है। दिलावर साहब,

(श्री अमृतलाल मीणा)

आज भी सोचते हैं कि हमें समान दर्जे पर ला दिया है, लेकिन सरकार हमको समान दर्जे पर लाना नहीं चाहती है। देवनारायण योजना की बात हो, समाज सुधार की बात हो, नशा मुक्ति की बात हो, ये सारी जितनी भी बातें हैं, वे आज भी जमीन पर नहीं उतरी हैं। मेरा पुन: निवेदन है कि समय दस मिनट का है, फिर आप भी कहेंगे। सभापति महोदय, मैं तो आपके पक्ष में ही बोल रहा हूं, खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं आपकी पीड़ा को इस सदन में लाना चाहता हूं। आपने इतनी पीड़ा जाहिर की है कि हमारे संविधान के निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति आपके क्षेत्र में नहीं लग रही है।

श्री सभापति: देखिये, मैंने यह कहा है, मेरी बात सुनिये। मैंने अपने उद्बोधन में यह कहा था कि डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में फैसला हुआ है कि यहां पर नहीं लगेगी। मैंने यह नहीं कहा। सब नागरिक तैयार हैं। पिलानी का जन-जन चाहता है कि वहां पर अम्बेडकर की मूर्ति लगे। यह आफिशियल बात है, मैंने अलग से सेक्रेटरी साहब को भी बता दिया है। मंत्री महोदय ने भी नोट कर लिया है, वह आफिशियल बात है। वह जनता की बात है।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): जब देश की पार्लियामेंट में लगने जा रही है।

श्री सभापति: आपकी सूचनार्थ बताता हूं। प्लीज सुनिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय आसन ने नहीं कहा है।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): आसन ने कहा ही नहीं।

श्री सभापति: आप सुनिये। मैं आसन के रूप में बोल रहा हूं। यहां के सभापति के रूप में बोल रहा हूं। प्लीज आप मुझे सुनिये। डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। वहां का डिविजनल कमिश्नर जयपुर पड़ता है। उनके यहां पर कोई मीटिंग हुई, उसमें किसी ग्राउंड पर निर्णय अदरवाइज लिया गया, उसको ठीक कराने की बात मंत्री जी कह चुके हैं। अब आप अपनी बात पर आइये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र सलूम्बर, सराड़ा, जयसमन्द क्षेत्र में जो भी हमारे समाज के लोग हैं, उनकी बस्तियों में शुद्ध पेयजल मिले, सड़क का निर्माण हो, नालियों का निर्माण हो, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो। पूर्णरूपेण विकास कार्य होना चाहिये। बस्तियों में जिस प्रकार से अवैध शराब की दुकानें हैं, उनको भी दूर किया जाये। उनके मकान बनें। कई बार यह देखने में आता है कि एससी, एसटी के समाज के

(श्री अमृतलाल मीणा)

जो लोग हैं, उनके मकानों के ऊपर से बिजली के वायर जा रहे हैं, कई बार उन अधिकारियों को कहने के बाद भी बिजली के वायर नहीं हटे। यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारे वहां प्रधानमंत्री आवास बने। मां-बाड़ी का निर्माण हो, आंगनबाड़ी का हो, छात्रावासों का निर्माण हो, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री पुखराज जी गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर चर्चा चल रही है, उस पर आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सदन में अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें हुईं। उनके कल्याण को लेकर बातें हुईं लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चाहे सामाजिक असमानता की बात करें, अनुसूचित जाति हेतु संविधान के शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दिये गये अधिकारों की बात करें, लेकिन धरातल पर उनकी हकीकत क्या है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आज अनुसूचित जाति पर बढ़ते अत्याचारों की बात करें तो आप देखते हैं कि चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे बालक-बालिकाओं के साथ अत्याचार की बात हो, वे दिनों-दिन बढ़ रहे हैं। अनुसूचित जाति के कल्याण को लेकर जो योजनाएं बनी हैं, उनके सफल क्रियान्वयन को लेकर जो स्थितियां वास्तव में हैं, उनकी बात करें तो ऐसा महसूस होता है कि आजादी के 75 साल बाद भी राजस्थान का दलित आज भी पूर्ण रूप से मुख्य धारा में आने के लिए तरस रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब जवाब दें तो यह जरूर बतायें कि अनुसूचित जातियों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ इस वर्ग को पूर्ण रूप से क्यों नहीं मिल रहा है? जो योजनाएं अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए और विकास के लिए बनायी जाती हैं, वे सही रूप से धरातल पर लागू क्यों नहीं हो पा रही है? उसके बारे में माननीय मंत्री जी या सरकार को सोचना चाहिये।

राजस्थान के अन्दर जहां एक ओर अपराध का ग्राफ बढ़ता दिखायी दे रहा है, वहीं इसी प्रदेश में पिछले पांच सालों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो मामले दर्ज हो

(श्री पुखराज)

रहे हैं, उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, चिन्ता का विषय है, इसमें यह भी साफ प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार दलित हितों व संरक्षण के लिए केवल दिखावा कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, जिसके द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए और उच्च शिक्षा के लिए जो लोन देने का प्रावधान है, उसमें इतने सारे राइडर लगा दिये हैं। साधारण या दूसरे बैंक से लोन लेना ज्यादा ईजी है, बनिस्बत कि अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम से तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो कानून हैं, लोन सैंक्शन करने के जो नियम हैं, उनका सरलीकरण किया जाये, उनको थोड़ा नरम बनाया जाये, ताकि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको स्वरोजगार और उच्च शिक्षा के लिए आराम से लोन मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, अभी सभी माननीय सदस्यों ने नौकरी में आरक्षण और रोस्टर सिस्टम की बात की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के राजकीय विभागों में परिपत्र दिनांक 24.06.2008 के बिन्दु संख्या 11(3) के अनुसार छोटे संवर्ग के पदों पर पदोन्नति की जा रही है, लेकिन उसके अन्दर रोस्टर सिस्टम को फोलो नहीं किया जा रहा है। जिस तारीख को वेकेंसी निकली, उस पर अगर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी नहीं हैं तो उसमें प्रावधान है कि उनको तीन साल तक, जब तक योग्य अभ्यर्थी मिलें, उनको सुरक्षित रखें, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, नरेन्द्र कुमार वर्मा बनाम राजस्थान सरकार के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र 24.06.2008 की अधिसूचना में दिनांक 17.01.2013 तक सीमा अधिलंघित किया गया था लेकिन उसके बावजूद, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, उसी अनुरूप, उसी कानून को लागू करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और मुख्य सचिव कार्यालय के द्वारा दिनांक 30/06/2020 को और 14/07/2020 को कार्मिक विभाग को रिपोर्ट भेजी गयी। उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम

(श्री पुखराज)

से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस अत्यंत लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि कार्मिक विभाग के परिपत्र 24/06/08 के बिन्दु संख्या 11(3) को प्रत्याहरित, रिवॉक कर एल शेप के रोस्टर सिस्टम में पदोन्नति प्रक्रिया में यदि उच्चतर पदों पर पदोन्नति पदस्थापन बिन्दु आरक्षित वर्ग का आ रहा हो लेकिन आरक्षित वर्ग का पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हो तो उस पद को रिक्त रखा जाकर कैरी-फोरवर्ड किये जाने बाबत स्पष्ट आदेश जारी करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी विधान सभा की कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में भी सरकार को अवगत कराना चाहूंगा। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, सम्बल गांव योजना, इसके अन्दर वे गांव आते हैं जिन गांवों की अनुसूचित जाति की आबादी 40 परसेंट या 40 परसेंट से ऊपर हो, उनके लिए सरकार ने ये योजना जारी की है। इस योजना के तहत उन गांवों के अन्दर मूलभूत सुविधा सड़क, पानी, लाइट, सामुदायिक भवन, वाचनालय ऐसी सुविधा देने का प्रावधान है, परंतु मेरे भोपालगढ़ के जो गांव हैं, मैं बताना चाहूंगा कि खारियाबासनी, पालडी सिद्धा, कटारिया, इन गांवों के अन्दर किसी भी तरह की सरकार ने अभी तक मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करायी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सम्बल योजना से जो गांव जुड़े हुए हैं, उन गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करावें।

दूसरा, अभी जो भी समाज कल्याण के छात्रावास हों, चाहे अम्बेडकर छात्रावास हों, उनके अन्दर जो सुविधाएं हैं, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई सूचकांक के हिसाब से उनमें हर साल बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): उसमें सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि जो छात्र उसमें पढ़ रहे हैं, वे सही तरीके से अध्ययन कर सकें।

ये जो सामाजिक असमानता बनी हुई है, जो बहुत सारे माननीय सदस्यों ने पीड़ा व्यक्त की है, मैं समझता हूं उस सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के अन्दर शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रसार जरूरी है। शिक्षा के लिए छात्रों को आगे बढ़ाना जरूरी है। उनको समय पर छात्रवृत्ति मिले।

श्री सभापति: बैठिए। श्री बाबूलाल नागर।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): उनकी सुविधा बढ़ाये जाने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने समाज के पिछड़े, जरूरतमंद, असहाय वर्गों को सम्बल प्रदान करने के लिए अथक प्रयास इस बजट में किया है। वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न उन्होंने लागू किया था। उस समय 100-100 करोड़ रुपये का विकास कोष रखा था, इस बार मुख्य मंत्री जी ने 500-500 करोड़ रुपये का उसमें प्रावधान किया है। इन गरीब वर्गों के लिए एस.सी./एस.टी. विकास कोष की राशि को बढ़ाया ही नहीं है, साथ ही साथ यह भी तय कर दिया है कि 200 करोड़ रुपये रोजगारोन्मुखी गतिविधियों के लिए, कृषि के लिए खर्च किये जायेंगे, 150 करोड़ रुपये शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए खर्च किये जायेंगे और 150 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना व जन सहभागिता में किए जाने वाले कार्यों के लिए खर्च किये जायेंगे।

सभापति महोदय, छात्रावास खोलने की भी घोषणा की है, लेकिन संख्या में बहुत कम हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को आग्रह करूंगा कि चाहे अनुपात के अनुसार जिस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के ज्यादा लोग हों, छात्रावास खोले जाने चाहिये। आप महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय शिक्षा विभाग में लेकर आये हैं, ऐसे ही अंग्रेजी माध्यम के छात्रावास अनुसूचित जाति के बच्चे व बच्चियों के लिए आपको राजस्थान में शुरू करने चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के जो किसान हैं, उनके लिए भी, वैसे तो 01 लाख किसानों को सोलर पम्प के लिए 60 परसेंट अनुदान देने का मुख्य मंत्री जी ने प्रावधान किया है, लेकिन एस.सी./एस.टी. के जो कृषक हैं, उनको 45 हजार रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान देने का इस बजट में प्रावधान किया है। करीब 200 करोड़ रुपये एस.सी./एस.टी. के किसानों को अनुदान के रूप में मिलेंगे।

राज्य के सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिए, वंचित वर्ग की भागीदारी के लिए भी मुख्य मंत्री जी कटिबद्ध हैं। औद्योगिक क्षेत्र में अभी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। उन्होंने डा. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, 2022 लागू करने की बात की।

(श्री बाबूलाल नागर)

उन्होंने रीको में जो अभी तक 2 हजार मीटर तक एस.सी./एस.टी. के लोगों के लिए प्रावधान था, उसको 4 हजार मीटर तक कर दिया। ये बहुत अच्छी बात की है।

आरक्षण जो रीको का बढ़ाया है, 5 से 6 परसेंट आरक्षण बढ़ाया है। आरक्षण 5 से 6 परसेंट बढ़ाया है, परंतु मेरा यह मानना है कि आरक्षण 5 से 6 परसेंट तो बढ़ाया है, लेकिन जो प्रावधान कर दिया है, एक तरह से आरक्षण को खतम कर दिया है। इस आरक्षण में 5 और 6 परसेंट में एस.सी./एस.टी. और महिलाएं जोड़ दी गयी हैं। जब सामान्य वर्ग की महिलाएं जोड़ दी गयी हैं, अगर आरक्षण ही देना है तो महिलाओं को अलग तरीके से एस.सी./एस.टी. की महिलाओं के लिए प्रोविजन रखिए। उद्योग नीति पर, रीको में पूरे राजस्थान में इस पर आक्रोश हो रहा है, पता नहीं कौन ऐसा बैठा है? मैं दो-तीन बार इस हाउस में बोल चुका हूं कि आप एस.सी./एस.टी. के साथ में सामान्य महिला को शामिल करके क्या साबित करना चाहते हैं? कोई आदमी अपने नाम से न लेकर अपनी औरत के नाम से ले लेगा तो पूरा का पूरा आरक्षण एक तरह से खतम कर दिया। मुख्य मंत्री जी ऐसा कर नहीं सकते हैं। कोई न कोई अधिकारी, इन्होंने छिपाकर इस तरह का किया है।

पहले खानों में खनिज पट्टा आबंटित होता था। एस.सी./एस.टी. का आरक्षण होता था। अब आप कई नीतियां ले आए, ले आइए, कितनी भी नीतियां ले आइए। आपने आरक्षण को खनिज में पूरी तरह ही खतम कर दिया। मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने ये शुरुआत की थी, लेकिन इस सरकार ने भी एस.सी./एस.टी. के खनिज पट्टों को लागू नहीं किया। मैं समझता हूं आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार ने जुलाई, 2005 में एक मेमोरेंडम जारी किया था। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति-जनजाति का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर जारी किया था। संख्या के आधार पर राजस्थान में अनुसूचित जाति 17 प्रतिशत है, अनुसूचित जनजाति 13 प्रतिशत है। आरक्षण भारत सरकार की गणना 2001 के अनुसार एस.सी. 17 परसेंट, एस.टी. 13 परसेंट, भारत सरकार ने इसको लागू कर रखा है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने इसको अभी तक लागू नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि जनसंख्या के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिये। 17 और 13 प्रतिशत राजस्थान के एस.सी./एस.टी. को आरक्षण मिलना चाहिये। मैं आपसे कहना चाहूंगा एस.सी./

(श्री बाबूलाल नागर)

एस.टी. का जो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण है, उसको दृढ़ इच्छाशक्ति से राजस्थान में लागू करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार के आदेश 10 फरवरी, 1975 के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अनुसूचित जाति-जनजाति का आरक्षण 16 परसेंट, 12 परसेंट, उस समय जो रोस्टर बिन्दुओं का निर्धारण था, वह 40 पाइंट के आधार पर था। 40 पाइंट के आधार पर रोस्टर बिन्दुओं का आधार था। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 20/11/1997 को इस रोस्टर बिन्दुओं के निर्धारण के 40 पाइंट को बदल दिया, जिसके कारण एस.सी./एस.टी. के लोगों को काफी नुकसान हो गया। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एससी, एसटी के खिलाफ निर्णय ले लिया, गलत कर दिया। हमारा जो 40 पाइंट था, जिससे हमें, एससी, एसटी को फायदा हो रहा था, उन्होंने 100 पाइंट के आधार पर, यह रोस्टर का निर्धारण कर दिया। किसी ने मना कर दिया क्या कि हम बदल नहीं सकते? अगर उस समय गलत निर्णय हो गया, हम उसको नहीं बदल रहे हैं, तो मैं समझता हूं, हम लोग भी दोषी कहलाते हैं।

आज रोस्टर के अनुसार, 20.11.1997 में जो 100 बिन्दुओं का किया है, 40 पाइंट में एससी के 6 आते थे, एसटी के 5 आते थे, 100 पाइंट में एससी के 5 आते हैं, एसटी के 4 आते हैं। एक-एक व्यक्ति जो हमारा एससी, एसटी का आना चाहिए था, वह कम हो गया। संवेदनशील मुख्य मंत्री जी हैं, दलितों के मसीहा हैं, एससी, एसटी को हमेशा महत्व देते हैं। मैं चाहूंगा एससी, एसटी के लोगों के साथ 1997 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो अत्याचार हुआ है, इस अत्याचार को बदलिये और राजस्थान में मैसेज दीजिये कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यह एससी, एसटी के भले की सरकार है। महत्व देना चाहिए।

सभापति महोदय,11.9.2011, गहलोत साहब की पूर्ववर्ती सरकार थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भटनागर कमेटी का गठन किया और पदोन्नति में आरक्षण देने का काम किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कमेटी का गठन भी कर दिया, लेकिन भटनागर कमेटी में तय हुआ, जो फैसला हुआ, जो उसने रिपोर्ट दी, वह रिपोर्ट आज तक भी शत-प्रतिशत लागू नहीं हो रही है। पदोन्नति में आरक्षण देने का काम किया गया, लेकिन भटनागर कमेटी को फोलो नहीं कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी द्वारा कमेटी का गठन करना, रिपोर्ट

(श्री बाबूलाल नागर)

लेना, ब्यूरोक्रेसी अभी तक भी उसको पूरी तरह लागू नहीं कर रही है, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के 10.9.2011 के आदेश, सरकार के विभागों के रोस्टर का संधारण है, यह 10.9.2011 को भी आया, रोस्टर के संधारण के लिए कई आदेश आये हैं। आज भी राजस्थान के बहुत से विभाग हैं जिन्होंने रोस्टर का संधारण नहीं किया है। सभापति महोदय, इस चीज को कौन देखेगा? सरकार को इसको देखना चाहिये।

कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया था, हर विभाग में एक लाइजनिंग आफिसर नियुक्त किया जायेगा। सभापति महोदय, दुख होता है। मैं समझता हूं, कार्मिक विभाग में भी अभी तक लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ होगा। राजस्थान के तमाम विभागों में जिसका काम था एससी, एसटी की भर्ती, पदोन्नति को, आरक्षण देखने का काम था, सरकार की मन्शा के अनुसार क्रियान्विति हो रही है या नहीं हो रही है, उसको देखने का काम था, लेकिन लाइजनिंग आफिसर आज तक नहीं बनाया गया।

अजमेर से आने वाली मेरी एक बहन ने कहा था, विश्वविद्यालय, मेडीकल कॉलेज हैं, जहां पर कम पद होते हैं। सभापति महोदय, उन कम पदों में एससी, एसटी के लोगों का खाता ही नहीं खुलता। आरक्षित वर्ग का जो होता है, इनकी नियुक्ति होती है, इनको 40 बिन्दुओं के रोस्टर के आधार पर करते हैं। इसके अलावा अलग-अलग, यूनिवर्सिटी को इकाई मानना चाहिये। अगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह निकली है, 200 प्रोफेसर की जरूरत है, तो 200 ही। यूनिवर्सिटी को इकाई मानना चाहिये। इकाई मानने के आधार पर आरक्षण के अनुसार भर्ती करनी चाहिये, पदोन्नति करनी चाहिये। सभापति महोदय, 40 वाले अंक के अनुसार, कहीं चार पद निकलते हैं, कहीं दो पद निकलते हैं, हमारा नम्बर तो आता ही नहीं है। एससी, एसटी के लोग इन संस्थानों में एंटर ही नहीं हो पाते हैं। यही तो कारण है, आज चाहे मेडीकल कालेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एससी, एसटी के प्रोफेसर उसमें नहीं हो पाते।

सभापति महोदय, अभी बलवान पूनियां जी ने कहा, 2 अप्रैल, 2018 भारत बन्द, एक साजिश। अनूसूचित जाति, जनजाति के लोगों ने कमर कसी। पूरे हिन्दुस्तान की सरकार को हिला दिया। मुक़दमे दर्ज हुए। मैं मानता हूं, प्रदेश के मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने बहुत से मामले विथ्ड्रा किये हैं। बहुत से

(श्री बाबूलाल नागर)

लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तारी के डर से भागते घूम रहे हैं। बहुत से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार को, यह कांग्रेस की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। ऐसे मुख्य मंत्री राजस्थान में हैं, यह सारे मुक़दमे विथ्ड्रा करने चाहिये, हज़ारों मुक़दमे इसी सत्र में विथड्रा, इस सदन में विथ्ड्रा होते हैं, हमारे राजनीतिक लोगों के विथड्रा होते हैं, हमारे अन्य विथ्ड्रा होते हैं। अपने हक के लिए खाली आवाज उठाई, मैसेज देने के लिए, वह भी शान्तिपूर्ण तरीके से। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके बीच में, बदनाम करने की नीयत से, कुछ इस तरह का उपद्रव किया, एससी, एसटी के लोगों पर मुक़दमे लग गये।

सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने ही 11 सितम्बर, 2011 को एससी, एसटी के अनारक्षित वर्ग के वरिष्ठता में रिगेनिंग के आदेश को वापस लिया है। मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। नहीं तो हमारे लोग जिनका प्रमोशन हो गया था, वह भी छोटी पोस्ट पर आना शुरू हो गये थे। मुख्य मंत्री जी, 2011 में प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने उसको वापस लिया। एससी, एसटी वर्ग के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण मिलता रहेगा, यह सुनिश्चितता करी। सभापति महोदय, हमारी अनूसूचित जाति की ज़मीनें हैं, कब्जे हो रहे हैं, सरकार को इसको निश्चित रूप से लेना चाहिये।

सभापति महोदय, सफाई कर्मचारियों की बात आई थी। अधिकतर लोग इस तरह का काम करते थे, स्वास्थ्य खराब हो जाता था। उस समय एक प्रावधान था, जिसका स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार हो गया, तो वह त्यागपत्र दे देता था। उसके प्रतिनिधि को, उसके परिवार के सदस्य को सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति मिल जाती थी। सभापति महोदय, सरकार ने यह बन्द कर दिया। मेरे समझ में नहीं बैठ रहा, यह जो नीति लाये थे, जितने भी लोग हैं, ठीक कह रहे थे, कई दफ्तर में पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, कई फाइल उठाने का काम कर रहे हैं, कई कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन यह लोग कहीं भी सफाई का काम नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी, उस जमाने में बीमार होते थे, उनकी जगह वापस परिवार का आदमी लगा दिया जाता था। ढर्रा चलता रहता था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, यह वापस लागू होना चाहिये। प्रदेश में यह वापस लागू होना चाहिये।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, अवैध कब्जे, निश्चित रूप से इनको हटाना चाहिये। इसी तरह, न्यायिक सेवाओं में हमारे लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। रिटन में पास हो जाते हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। इसलिये मैं आपसे इस बारे में भी कहना चाहूंगा। सरकार को कोई प्रावधान करना चाहिये।

हमारे बीच कैलाश जी मेघवाल साहब, वरिष्ठ नेता बैठे हैं। मैं भी भैरोंसिंह जी का बहुत आदर करता हूं। माननीय प्रतिपक्ष के एक सदस्य कह रहे थे एससी, एसटी का आरक्षण भैरोंसिंह जी ने पंचायती राज व स्वायत्त शासन में दिया। कैलाश जी मेघवाल को बहुत अच्छी तरह याद है। यह तो देश में राजीव गांधी जी का सपना था। राजीव गांधी जी चाहते थे एससी, एसटी, दलित समाज के लोग पंचायती राज में भी आयें, प्रमुख भी बनें, प्रधान भी बनें।

माननीय मेघवाल साहब बैठे हैं, आपको तो ध्यान होगा, आप उस सत्र में थे। राजीव गांधी जी आरक्षण का बिल लेकर आये थे। आपको यह भी ध्यान है, भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी किया था। व्हिप जारी किया था कि इस बिल के खिलाफ मत देंगे। हमारे कैलाश जी मेघवाल जैसे मसीहा, इनके भी आंसू आ रहे थे कि यह कैसी दुर्दशा आई है, मैं एससी, एसटी के आरक्षण के खिलाफ में मत डालूंगा।

मैं कहना चाहता हूं, यह ठीक है, उस समय राजस्थान में भैरोंसिंह जी की सरकार थी। जैसे ही केन्द्र में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लागू किया। उनके लागू करने के बाद भैरोंसिंह जी ने राजस्थान में लागू किया। उस समय भैरोंसिंह जी ने लागू किया, लेकिन यह सपना तो राजीव गांधी जी का था। बिल लेकर आये, एक वोट से बिल पास नहीं हुआ था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक वोट कम पड़ गया था। फिर बम्पर मैज्योरिटी आई, नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री बने, वापस वह राजीव गांधी जी के सपने को लेकर आये। वापस बिल पेश किया, बहुमत से उस बिल को पास किया।

मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं भैरोंसिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्काल, जैसे जाटो का आरक्षण आया था, ओबीसी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलकर गये थे, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने, उस समय राजस्थान में अशोक गहलोत जी थे, जैसे ही आदेश निकला, अशोक जी गहलोत ने पूरे राजस्थान में तत्काल लागू किया। ऐसे ही भैरोंसिंह जी ने लागू किया था, लेकिन वह सपना राजीव गांधी जी का था। सभापति महोदय, हमारे ब्लाक स्तर पर...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, कंक्लूड करिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैं रिकार्डेड बात बोल रहा हूं, रिकार्डेड। मैं रिकार्डेड बात बोल रहा हूं। पार्लियामेंट में एक बिल आया था, व्हिप जारी हुआ था और हमारे सीनियर नेता, एस.सी., एस.टी. के नेता जो एस.सी., एस.टी. की सीट पर जीतकर गये थे, आंसू बहा रहे थे। उनको यह निर्देश मिले कि आपको इस बिल के खिलाफ वोट डालना पड़ेगा। उन्होंने खिलाफ वोट डाला, एस.सी. एस.टी. के हमारे एम.पीज. ने उसके खिलाफ वोट डाला। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये, इनका सुनिये। प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): आपको नालेज नहीं है इसलिए आप बीच में कोई दखल मत करो। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): असत्य है यह।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, कंक्लूड करिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि यह सम्बल ग्राम योजना, इसमें 10 लाख रुपये तक का प्रोविजन एस.सी. के लिए है, जो एस.सी. बहुल क्षेत्र है, इसमें कम से कम 25 लाख रुपये होने चाहिए। हमारे ब्लाक स्तर पर एस.सी. के छात्रावास होने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह सी.एस.आर. का जो बजट है यह एस.सी., एस.टी. के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिलवाया जाना चाहिए। इसी तरह से इनकी एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. को गणवेश भी उपलब्ध करवानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह एस.सी., एस.टी. वर्ग के जो बहुल क्षेत्र हैं, वहां पर विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए और मैं यह कहना चाहूंगा कि इनका नाम डाक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। आज राजस्थान में डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से इन विद्यालयों का नाम होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह कई पत्र, परिपत्र मेरे पास में हैं। यह

(श्री बाबूलाल नागर)

01.07.2015, आपकी सरकार थी उस समय का परिपत्र था। यह आज बैकलाग की रिक्तियों के लिए था। 07.06.2018, उस समय भी आरक्षित बैकलाग की रिक्तियों के लिए कार्मिक विभाग ने परिपत्र निकाला, उसके बाद में 03 अगस्त, 2019 को परिपत्र निकाला। बैकलाग के लिए फिर परिपत्र 24.02.2020 को निकाला। अब यह 11.07.2020 को निकाला और यह 22 मार्च, 2021 को, माननीय सभापति महोदय, यह जवाब है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र की पालना में कुल 12 विभागों से प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग को प्राप्त हुए हैं। केवल 12 विभागों ने रोस्टर के रजिस्टर का जो संधारण था न उनका, 17 विभागों ने, पूरे राज्य में 17 विभागों ने यह दिया है। सैकड़ों विभाग हैं, जब यह विभाग आज रोस्टर का संधारण ही नहीं करेंगे तो किस तरह से पदोन्नति होगी? किस तरह से रोस्टर की पालना होगी? इसलिए सरकार को इसमें गम्भीरता रखनी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मुझे एक वाकया याद है कि मैं खाद्य मंत्री हुआ करता था। मेरा यह सोच था कि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को मैं राशन की दुकानों में आरक्षण दूंगा और मैंने आरक्षण देने की मुख्य मंत्री से बात की। मुख्य मंत्रीजी ने हां कर लिया और आरक्षण की पत्रावली चली गयी और जब सी.एम.ओ. में वह फाइल गयी, माननीय सभापति महोदय, जिस कालम में आरक्षण लिखा हुआ था, वह कालम छूट गया। पत्रावली वापस अनुमोदन होकर आ गयी। ओ.पी. मीणाजी प्रिंसिपल सैक्रेटरी हुआ करते थे, तो मुझे यह कहा कि वह आरक्षण वाला रह गया न आपका। किरोड़ी लाल मीणा ने भी यह प्रयास किया था उस समय, वे भी नहीं दे पाये थे, तो मैं वापस मुख्य मंत्रीजी के पास गया और कहा कि आपसे मैंने यह कहा था कि एस.सी., एस.टी. को राशन की दुकानों में आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि कर दिया न अनुमोदन, तो मैंने कहा कि यह पत्रावली लो। उसी समय उन्होंने सब लोगों को बुलाया और बुलाकर हाथोंहाथ दुबारा पत्रावली प्रस्तुत हुई और एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. को राशन की दुकानों में आरक्षण दिया।

आप यह संविदा के माध्यम से बैक-डोर, पीछे के दरवाजे से हजारों लोगों को आपने भर्ती कर रखा है, तो उसमें आरक्षण का कोई मामला नहीं है, कोई एस.सी., एस.टी. के लोगों का मामला नहीं है, तो या तो तय करिये कि आपको संविदा पर लगाना है, मानदेय पर लगाना है तो एस.सी., एस.टी. के

(श्री बाबूलाल नागर)

लोगों का भी उसमें प्रावधान रखिये अगर आप यह रखना चाहते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि, मध्यप्रदेश में मुझे याद है कि दिग्विजय सिंहजी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, वे अपने स्टेट में एक योजना लेकर आये थे कि ये जितने भी कांट्रेक्टर हैं, जितने भी ये पानी के, बिजली के सड़क के जो काम हैं, उन्होंने रिजर्व कर दिये थे। एस.सी., एस.टी. के ठेकेदारों के लिए रिजर्व कर दिये थे। आपको भी यह रिजर्व करना चाहिए। यह तो वह सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, जो गरीबों का मसीहा है वह मुख्य मंत्री है राजस्थान का, फिर कौन करेगा यह? आपको यह करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा समय हो गया क्या या और बोल लूं?

श्री सभापति: बोलिये-बोलिए। एक मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): एक मिनट में तो यही कह सकता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री सभापति: तो आप दो मिनट में कर दीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): राजस्थान का यह गरीबों का मसीहा अशोक गहलोत हमेशा ऐसे ही गरीबों की सेवा करते रहें, ऐसे ही राज चलाते रहें। एक मिनट में तो यही शब्द आता है मुझे। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती इन्दिराजी।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज सब माननीय सदस्य एस.सी. की बात कर रहे हैं तो मैं आज एस.सी. की बात मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि जो एस.सी. के लोग हैं, पचास साल पहले जिस मकान में रह रहे थे, आज भी उन लोगों की वही स्थिति है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात आपको बता रही हूं कि आज तक कच्चा मकान और उनके बाहर कच्ची नाली और कच्ची सड़क ही है। यह स्थिति एस.सी. के लोगों की है, तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूं कि जो एस.सी. के लोग हैं, मैं सरकार से यही मांग करती हूं कि एस.सी. के लोगों को अलग से फण्ड दे तो एस.सी. के लोगों का भला हो सकता है।

दूसरी बात, जो एस.सी. के लोग हैं, सब लोग मजदूरी करके पेट भरते हैं तो उनके सबके श्रमिक कार्ड बनने चाहिए और दूसरी बात, छात्रवृत्ति आप लोग दे रहे हो, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्रवृत्ति को थोड़ा और बढ़ायें

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

तो बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि एस.सी. के लोग बहुत ही गरीब हुआ करते हैं। वे दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो वे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकते, तो उसके कारण से बच्चे पढ़ाई भी छोड़ सकते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि एस.सी. के लोग, आज मैं भी हर गांव में जाती हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाती हूं तो आज एस.सी. के लोगों की यह स्थिति है कि गांव में घुसते ही पहले यह ध्यान पड़ जाता है कि इस मोहल्ले में एस.सी. के लोग रह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आप लोग एस.सी. के लोगों के लिए अलग से फण्ड दें तो उन लोगों का भला हो सकेगा। उनके वैसे ही कच्चे मकान हैं तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आपके जो भी कर्मचारी हैं, आप एक बार हर गांव में उनका सर्वे करवायें तो उन लोगों के जो इन्दिरा आवास में मकान बन रहे हैं, आज कई लोगों की यह स्थिति है कि कई लोगों के कच्चे मकान हैं, तो उन लोगों को सर्वे में लेकर भी, उनका भी नाम काट दिया तो आपसे मैं यही निवेदन करती हूं कि जो सरकार है, आप इसको संज्ञान में लें। मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूं क्योंकि मैं भी एससी. की ही हूं और एससी. के लोग बहुत दुखी होते हैं। यह बड़े दुख की बात है, मैं आज आपको यह बताना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आप सर्वे करवा लेना, हर गांव में दस घर, पच्चीस घर आपको कच्चे मिलेंगे। आज भी यह स्थिति है। पचास साल पहले लोग रह रहे थे, वह की वह स्थिति अभी भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग छात्रवृत्ति बढ़ायें और गरीब लोगों की मदद करें। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

सदन में मैं सबसे पहले महान विभूति महानायक भारत रत्न, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करना चाहूंगा।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

आज सदन में जितने भी एस.सी. और एस.टी. के विधायक चुनकर आये हैं, यह किसी की बदौलत है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकरजी की देन है कि हम यहां पर आ रहे हैं।

आजादी के पहले और आजादी के बाद बाबा साहब की बहुत अहम भूमिका रही है और आजादी के समय उस समय के जितने भी नेता थे, वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि बाबा साहब एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इस बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बाबा साहब को संविधान निर्माण करने का काम सौंपा और उन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके, मनन करके, चिन्तन करके भारत जैसे महान देश का संविधान का निर्माण करवाया, मैं उनको शत-शत नमन करता हूं।

26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में संविधान को अधिनियमित और आत्म-समर्पित किया गया। देश के संविधान को 26 जनवरी, 1950 से पूरे देश में लागू किया गया। देश की आजादी के बाद नेहरूजी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और नेहरूजी ने बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया था, लेकिन थोड़े समय बाद ही क्या हुआ? तत्कालीन नेहरूजी की सरकार अनुसूचित जाति की उपेक्षा करने लगी और इस उपेक्षा से नाराज होकर 27 सितम्बर, 1951 को मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा देना पड़ा, यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी उनको दिल से नहीं चाहती थी। 1952 में देश के आम चुनाव हुए और उन आम चुनावों के अन्दर कांग्रेस पार्टी यह नहीं चाहती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जीतकर लोकसभा के अन्दर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ने एन. एस. काजोलकर को टिकट दिया और बाबा साहब को हराने का काम किया। इतना ही नहीं किया, आगे चलकर देश के अन्दर उप चुनाव हुए, उप चुनाव के अन्दर भी बाबा साहब को हराने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के नेता सब जानते थे कि यदि बाबा साहब जीत कर आयेंगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करेंगे, उनके उत्थान की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे। यह नेहरूजी और कांग्रेस पार्टी को कतई पसन्द नहीं था। बाबा साहब चाहते थे कि देश के सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो, लोग अशिक्षित नहीं रहें, गरीब नहीं रहें, वंचित नहीं रहें, दलित, शोषित पीड़ित एससी, एसटी के लोगों को आगे बढ़ाने का समान अवसर मिले। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करके गरीब और दलितों के

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सपने को साकार करने का काम किया है। चुनाव के अन्दर सबको एक वोट देने का काम अगर किसी ने किया है तो वह बाबा साहब अम्बेडकर ने किया।

लोक सभा और विधान सभा की सीटों में और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था किसी ने की है तो वह बाबा अम्बेडकर साहब ने की है। बाबा साहब चाहते थे कि गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित और एससी, एसटी के लोगों को सामाजिक न्याय मिले, सामाजिक उत्थान हो, संरक्षण मिले, समतामूलक समाज की स्थापना हो। यह बाबा साहब का सपना था। मैं याद दिलाना चाहूंगा तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब की तस्वीर लोक सभा के सेन्ट्रल हॉल में नहीं लगने दी और तत्कालीन प्रधान मंत्री वीपी सिंहजी की सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर सेन्ट्रल हॉल में लगी। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है।

बाबा साहब को भारत रत्न से वंचित रखा गया। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब को भारत रत्न मिले। भला हो तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, जिन्होंने हमारी सरकार के समय भारत रत्न से विभूषित कर बाबा साहब को सम्मानित किया था।

कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के नाम से राजनीतिक रोटियां सेंकती रही है हमेशा। रोटियां सेंकते-सेंकते 50-55 सालों तक इन्होंने राज किया है। गरीब के नाम पर राज किया है। इन्दिराजी आयी हैं, नई रोशनी लायी है, कांग्रेस आयेगी, गरीबी मिटायेगी और अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ऐसी स्थिति इस देश के अन्दर कांग्रेस ने की है।

सरकार की कई योजनाएं हैं लेकिन वह कागजों में ही दम तोड़ रही हैं। मैं आंकडे बताना चाहूंगा। सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा, दलित, इन सब के उत्थान के लिए योजनाएं तो बनायी हैं लेकिन इतनी योजनाएं बनायी हैं कि उनका अचीवमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बैंकिंग योजनाएं शहरी पॉप 20.84 परसेंट अचीवमेंट, ग्रामीण पॉप 20.91 परसेंट, आटो रिक्शा जीरो, कोई अचीवमेंट नहीं, यह आपकी किताब है, मेरी नहीं है, आपने छपवा कर दी है। उन्नत नस्ल की गाय, बकरी भैंस 17 परसेंट, व्यक्तिगत पम्प सैट जीरो, कुछ भी नहीं दिया। यह अचीवमेंट है। मुद्रा योजना 23.66, यह हमारा आंकड़ा है। गैर बैंकिंग की मैं बात करूं तो कुओं में ब्लास्टिंग 25 परसेंट, कुआं विद्युतीकरण 48 परसेंट, कृषि यंत्र 23 परसेंट। इस प्रकार से यह अचीवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। मैं आग्रह करना

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

चाहूंगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको धरातल पर लाने का काम करेंगे तब जाकर सारा काम होगा।

गरीब, वंचित व्यक्तियों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो, हर व्यक्ति को रोटी मिले, हर व्यक्ति को कपड़ा मिले, हर व्यक्ति को मकान मिले, शिक्षा मिले, चिकित्सा सुविधा मिले, कृषि के संसाधन मिलें लेकिन आज भी गरीब आदमी अपने जीवन को देखता है और कोने में बैठकर सिसकता है कि हमने इस धरती पर जन्म लिया, हमारा सरकारों ने क्या हाल कर रखा है। राजस्थान में गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, एससी, एसटी के लोग सामाजिक न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। न सामाजिक न्याय है, न सामाजिक उत्थान है, न सामाजिक संरक्षण की योजनाएं धरातल पर हैं।

सभापति महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा आपसे, कि आज भी गरीब के घर में बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, गैस का चूल्हा नहीं है, पक्का आवास नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, गांव के अन्दर नालियां नहीं हैं, गांव के अन्दर सड़कें नहीं हैं, गांव में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, गांव में उद्योग धंधे नहीं हैं और गरीबों की रक्षा के लिए पुलिस चौकियां नहीं हैं।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): बाबूलालजी का समय देख लो हुकुम। आप थोड़ा इधर बख्शो। आप भी एससी से आते हैं, मैं भी एससी से आता हूं। यदि हम ही हमको पसन्द नहीं करेंगे तो और कौन पसन्द करेगा।

श्री सभापति: बोलिए-बोलिए आप।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): यदि इस कुर्सी पर कोई दूसरे आसीन होते तो मैं उनसे यह अपेक्षा भी नहीं करता। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं इस बात के लिए।

श्री सभापति: प्लीज सुनिए मुझे। सम्बन्धित पार्टी के सचेतक महोदय के द्वारा टाइम इंडिकेट किया जाता है। आसन के डिस्क्रिशन होते हैं, मैं समझता हूं लेकिन उसके बावजूद भी जो सचेतक के माध्यम से समय आ गया, उस पर मैं एड्हिअर करता हूं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक आग्रह कर रहा हूं।

श्री सभापति: बोलिए। कन्टीन्यू करिये आप। बोलने से टाइम खराब हो रहा है। आप बोलिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सचेतक से ऊपर भी हमारा शासन है और सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था है। आपका संरक्षण चाहिए।

भला हो नरेन्द्रजी मोदी का जिन्होंने बिजली दी, शुद्ध पानी की व्यवस्था करायी, शौचालय दे रहे हैं, गैस की व्यवस्था की है, लाइट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह मोदीजी ने काम किया है। भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार के एससी, एसटी दलित वंचित शोषित लोगों के उत्थान की योजनाएं तो कई बनी हैं। मैं 8-10 योजनाएं जो बनीं हैं, उनके लिए पूरा बताऊंगा। सामाजिक सुरक्षा की 7 योजनाएं पेंशन की हैं। शैक्षणिक उत्थान में 9 योजनाएं छात्रवृत्ति की हैं। महिला एवं बाल विकास के लिए 11 प्रकार की योजनाएं हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं का क्या हश्र हो रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बंटने वाली दाल का आनन्द ले रहे हैं सरकार के कारिन्दे। तीन साल में 2 हजार आदिवासी युवतियां गायब और उनको वेश्यावृत्ति के अन्दर धकेला गया है। बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार। बालिका गृह अधीक्षक को किया निलम्बित। कालेजों पर मान्यता का संकट। हजारों की छात्रवृत्तियां अटकीं। सरकार की योजनाओं का हश्र हो रहा है, कबाड़ में पड़ी व्हील साइकिलें।

एक और निवेदन है कि 55 हजार महिला स्वयं सहायता समूह का पोषाहार भी छीना गया। वृद्ध कल्याण की 7 योजनाएं हैं। आर्थिक उत्थान की 9 योजनाएं हैं। मैं गाड़ोलिया लोहारों का एक उदाहरण देना चाहता हूं। आर्थिक उत्थान की जब हम बात करते हैं तो गाड़ोलिया लोहारों को 5 हजार रुपये कच्चा माल खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है। अब तक चार सालों में 331 परिवारों को यह अनुदान मिला है जबकि 50 हजार परिवार राजस्थान के अन्दर रहते हैं। गाड़ोलिया लोहारों के लिए आवास की योजना में चार सालों में सिर्फ 824 परिवारों को 70-70 हजार रुपये का अनुदान दिया है। राजस्थान में 50 हजार से अधिक गाड़ोलिया लोहार हैं। विधवा विवाह उपहार योजना में 51 हजार रुपये देने का प्रावधान है। चार सालों में सरकार ने मात्र 32 महिलाओं को यह लाभ दिया है।

श्री सभापति: कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): तीन मिनट में बात समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, एक मिनट में कर दीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): तीन मिनट, प्लीज। नहीं-नहीं प्लीज, करबद्ध प्रार्थना है। संरक्षण चाहूंगा।

सभापति महोदय, छात्रावास योजना। मैं छात्रावासों में गया था, मैंने जो छात्रावास देखे हैं, उनकी हालत देखी है, बच्चे कैसे रह रहे हैं, भगवान ही मालिक है। पलंग टूटे पड़े हैं, गद्दे फटे पड़े हैं, बैडशीट का नामोनिशान नहीं है, सफाई का हाल बेहाल, भोजन बनाने वाला नहीं। छात्रों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं। वार्डन के पद खाली हैं। ऐसे में छात्रावास कैसे ठीक हो सकते हैं।

मेरे क्षेत्र में एक बालिका छात्रावास है कालेज का, मण्डफिया में, सांवराजी में। 15 साल हो गये बने हुए, पीडब्ल्यूडी ने अभी तक कालेज प्रशासन को हैण्डओवर नहीं किया। उस छात्रावास के अन्दर एक भी बालिका का प्रवेश नहीं हुआ। मैंने इस सम्बन्ध में मंत्रीजी और अधिकारियों को कहा कि कुछ भी नहीं हुआ।

श्री सभापति: धन्यवाद। धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक मिनट दे दो। 13 योजनाएं हैं। देश के अन्दर हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय, सामाजिक संरक्षण, सामाजिक उत्थान के लिए बातें करना बेमानी नजर आ रही हैं। क्या हम एससी, एसटी, शोषित, वंचित वर्ग को सामाजिक न्याय दिला पा रहे हैं? क्या हम सबके लिए चिन्ता का विषय नहीं है? क्या प्रदेश में एससी, एसटी के लोगों के साथ अत्याचार नहीं हो रहे हैं? क्या गरीब लोगों की जमीनें नहीं छीनी जा रही हैं? क्या एससी, एसटी के लोगों के साथ मारपीट नहीं हो रही है? क्या गरीब लोगों से बेगारी नहीं ली जा रही है?

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री गणेश घोघरा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अखबारों में आये दिन हम पढ़ते हैं कि एससी, एसटी के दूल्हों को घोड़ी से उतारा जाता है। यह घटना अभी की है, थोड़े समय पहले की। जयपुर के पास आंतेला में आईपीएस सुनील कुमार की बिंदोरी को पुलिस की देखरेख में निकालना पड़ा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 51 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय: 16.00 बजे)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा आपसे आग्रह है, मैं दो मिनट और लूंगा प्लीज। घोघरा जी, प्लीज दो मिनट और मौका दें। हम तो भाई-भाई

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

हैं, यदि हमारी बात को आप ही नहीं समझोगे तो समझेगा कौन? थोड़ा-सा संरक्षण चाहता हूं। थोड़ा-सा और, दो मिनट। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं यह चाह रहा हूं इस सदन के अन्दर, एस.सी. और एस.टी. के कितने लोग हैं जीते हुए, आज वह सुनने के लिए बैठे नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं तो हमारी बात को कौन सुनेगा, हमारी पीड़ा को कौन सुनेगा सदन में?

एक माननीय सदस्य: मंत्री बैठे हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मंत्री बैठे हैं, बाकी मंत्री कहां हैं? बाकी मंत्री भी तो होने चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ इस राजस्थान प्रदेश में, मैं आज से नहीं कह रहा हूं कि आज ही अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकारों में भी अत्याचार हुए और आजादी के पहले भी अत्याचार होते थे। लेकिन सरकार बनने के बाद हम सबकी जवाबदारी है। इस सदन में आने के बाद हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर उस दलित, वंचित, गरीब और एस.सी., एस.टी. के व्यक्ति को संरक्षण दें। मैं ओबीसी की भी बात कर रहा हूं। यह ओबीसी भी उसी में हैं गरीब उसी में हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं दो-चार सुझाव दे देता हूं।

श्री सभापति: बाकी आप टेबल कर दीजिएगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक मिनट। प्लीज एक मिनट। एस.सी., एस.टी. की बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए नवाचार हो, एस.सी., एस.टी. बालिकाओं को छात्रावास में प्रवेश मिले, पालनहार योजना की राशि बढ़े, छात्रावासों को और अधिक आधुनिक बनाया जावे, ओबीसी की छात्रवृत्ति की राशि बढ़ायी जाए। ओबीसी के अंदर जो छात्रवृत्ति मिलती है, वह कम है। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अम्बेडकर छात्रावास बनें। यह मेरी मांग है और बसेड़ी से आने वाले और पिलानी से आने वाले माननीय सदस्यों ने अभी कहा था कि इस विधान सभा परिसर के अन्दर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। हम सब और पूरा सदन यह चाहता है कि बाबा साहब की मूर्ति इस विधान सभा में लगे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और इस अवसर पर मैं यह भी चाहूंगा कि भैरोंसिंहजी शेखावत ने एससी., एस.टी., ओबीसी और महिलाओं में राजनीतिक चेतना लाने के लिए उनको आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 51 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। मैं सबसे पहले हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये के बजट में एस.सी., एस.टी. के लिए, कृषि के लिए अलग किया, शिक्षा के लिए अलग किया और छात्रवृत्ति हो, छात्रावास हो, स्कूलें हों, इस तरह से एस.सी., एस.टी. उत्थान के लिए कांग्रेस सरकार तत्पर रहती है और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने बजट घोषणा में हमें काफी कुछ दिया है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहूंगा कि एस.सी., एस.टी. को पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था। एस.सी., एस.टी. को मंदिर में दर्शन करने का अधिकार नहीं था, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था। कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। डा. भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करना चाहूंगा, यह सब देन आज उन्हीं की है। मैं भी एक आदिवासी हूं और मैं भी अगर विधान सभा में आया हूं तो डा. भीमराव अम्बेडकर जी की देन है और कांग्रेस की देन है। भले ही विपक्ष वाले कह रहे हों कि यह भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भी कई जगह ऐसी स्थिति है कि आज भी दलितों को, एस.सी., एस.टी. को घोड़ी पर बिंदोरा निकालने नहीं दिया जाता है। आज हम कौनसे भारत में हैं? इस तरह से जो हो रहा है, वह एक असमानता का व्यवहार हो रहा है। आज हम इतने पढ़े-लिखे हैं फिर भी आज बिंदोरा एस.सी., एस.टी. जाति को कहीं-कहीं किसी कस्बे में नहीं निकालने दिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे एस.सी., एस.टी. में कई अधिकारी भी हैं, वे सक्षम भी हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ गुरु द्रोणाचार्य ऐसे बैठे हुए हैं, जो उस एकलव्य को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। जिस तरह से महाभारत में एकलव्य अर्जुन को पीछे छोड़ सकता था, लेकिन उनको पता था, यह दलित है आदिवासी है, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा में, ऐसे ही अभी भी कई ऐसे विभागों में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, जो एस.सी., एस.टी. को आगे नहीं आने देना चाहते, यह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हमारी बिखरी हुई आबादी है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर वहां भी एस.सी., एस.टी. की

(श्री गणेश घोघरा)

हालत ठीक नहीं है। उनको विद्युत कनेक्शन भी समय पर नहीं मिलता। एस.सी., एस.टी. के लोगों को कहीं पढ़ने का अधिकार भी नहीं है। छात्रावास भी कहीं-कहीं नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर जिला मुख्यालय पर और हर ब्लाक मुख्यालय पर एस.सी., एस.टी. के छात्र-छात्राओं के छात्रावास होने चाहिए और जो छात्रावास जीर्णोद्धार की कतार में हैं, जिनमें कमरे कम हैं, जिनमें लाइब्रेरी नहीं हैं, सही खाने की व्यवस्था नहीं है, उनको सुधारा जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे कई बच्चे मजदूरी करके भी स्कूल पढ़ने जाते हैं, कपड़े भी मजदूरी करके खरीदते हैं, कालेज जाते हैं और अपनी फीस भरते हैं। हमारे वहां के एस.सी., एस.टी. के बच्चे किसी होटल में काम करने चले जाते हैं। वहां की साफ-सफाई करते हैं, बर्तन मांजते हैं और समय पर छात्रवृत्ति समाज कल्याण से नहीं मिलती है। मैं, माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एससी., एस.टी. के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिले तो उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं आए और उनको समय पर उनकी शिक्षण सामग्री मिल जाए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उनको गाइड लेने का अवसर मिल जाए और जो भी छात्रवृत्ति है, उसको बढ़ाया जाए। आज इस महंगाई के जमाने में इतनी सी छात्रवृत्ति से कुछ होता नहीं है, तो मैं, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एससी., एस.टी. छात्रों की छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति वर्ग के समान ही टी.एस.पी. क्षेत्र में मेडिकल प्रवेश में 5 प्रतिशत, तकनीकी इंजीनियरिंग एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कराया जावे। अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट में 60 प्रतिशत अंक को अध्यापक के लिए पात्र माना जाता है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र टी.एस.पी. में जनजाति के समान 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को अध्यापक के लिए पात्र माना जाए। यह मैं, माननीय सभापति महोदयजी, आपके माध्यम से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व में सत्र 2018 अध्यापक लेवल फर्स्ट एवं लेवल टू में अनुसूचित जाति के 265 पद रिक्त रहे, जिसे बैकलाग के माध्यम से 36 प्रतिशत रीट की पात्रता के आधार पर भरा जावे। टी.एस.पी. क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं पटेल ओबीसी वर्ग की छात्राओं को स्कूटी योजना, इन्दिरा आवास योजना, खाद-बीज एवं रियायती दर पर बिजली कनेक्शन प्रदान कराया जावे, यह मैं मांग करता हूं।

(श्री गणेश घोघरा)

माननीय सभापति महोदय, लम्बे समय से मांग है, टी.एस.पी. जनता की मांग है कि हमें जनसंख्या के आधार पर टी.एस.पी. क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए। राज्य का जो 12 प्रतिशत एस.टी. का आरक्षण है, हम पिछड़े हुए हैं, ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और काफी पिछड़े हैं, तो उस 12 में से 6 प्रतिशत आरक्षण पृथक् से हमें प्रशासनिक सेवा में मिलना चाहिए। यह हमारे पूरे टी.एस.पी. क्षेत्र की मांग है।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे महाराणा प्रताप का साथ देने वाले राणा पूंजा भील, उन्होंने गोरिल्ला युद्ध, छापामारी युद्ध करके महाराणा प्रताप का साथ दिया था। आज हमारे क्षेत्र की जनता की मांग है कि डूंगरपुर सदर थाने चौराहे पर जो सर्कल बना हुआ है, नगर परिषद्, डूंगरपुर में मूर्ति पड़ी हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मांग करना चाहता हूं कि वहां पर हमारे समाज के जो मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाया, जो महाराणा प्रताप के साथ थे, उनके साथ बिना किसी लोभ, लालच के नि:स्वार्थ युद्ध लड़ा, हमारे वहां लोगों की भावना है कि डूंगरपुर सदर थाना चौराहे पर राणा पूंजा भील की मूर्ति लगनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ कहना चाहूंगा कि एससी समाज के लोग भी काफी गरीब हैं, वे मजदूरी करने के लिए अहमदाबाद जाते हैं। दिन में मजदूरी करके कुछ कमाकर लाते हैं तो रात को पेट भरते हैं। कई भूमिहीन भी हैं। हर पंचायत में जहां भी एससी समाज के लोग हों, एसटी समाज के लोग हों, जो भूमिहीन हैं, पंचायत के माध्यम से उनको रहने के लिए मकान का पट्टा दिया जाये। यह मैं आपसे मांग करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इसी के साथ हमारे डूंगरपुर जिले के संस्थापक, इसको बसाया राजा डूंगर बरंडा भील ने, आदिवासी पढ़ा-लिखा नहीं था, होशियार नहीं था, इसलिए आदिवासियों का इतिहास दबा दिया गया। उस राजा की वहां पर भी छत्री है जहां वे शहीद हुए, जहां उनको गोली लगी। मैं मांग करता हूं कि वहां पर भी हमारे डूंगरपुर के संस्थापक राजा डूंगर बरंडा की मूर्ति लगनी चाहिए।

सभापति महोदय, हम बात करते हैं एससी, एसटी उत्थान की, नगर परिषद् का पेरीफेरी मामला, वहां पर आदिवासी लोग बसे हुए हैं। नगर परिषद्, नगरपालिका बाद में बनी, वे लोग पंचायत में पहले से बैठे हुए हैं। सरपंच के

(श्री गणेश घोघरा)

चुनाव में वोट डालते हैं, वार्ड पंच का वोट वहां डालते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि आप पेरीफेरी में आ गये। नगर परिषद की पेरीफेरी में आ रहे हैं। वे लोग वहां पर बरसों से, 70-80 साल से बैठे हुए हैं, उनका मकान है, खेती है। वे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पट्टा नहीं है। आदिवासी तो अनपढ़ था। गरीब था, उसको ज्ञान नहीं था, उसने तो बाड़ लगा दी कि यह मेरा है लेकिन जिस तरह से यह पॉलिसी हो रही है, यह एससी, एसटी के लिए ठीक नहीं है। जो एससी, एसटी बैठा हुआ है, उसका अधिकार है, उसको पट्टा मिलना चाहिए। यह मैं आपसे मांग करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इसी के साथ वनाधिकार भी हमारी सरकार की ही देन है। कांग्रेस की ही देन है, जो आज पट्टे मिले हैं। मालमाथा, झालण और जो भी वनाधिकार क्षेत्र हैं, उसमें पहले लोग बिलानाम जमीन पर थे। उनका मकान भी पहले बिलानाम में था, खेत भी बिलानाम में था, कुआं भी बिलानाम में था, लेकिन कुछ समय बाद उसको वनाधिकार में दर्शा दिया गया। ऐसी जो विसंगति आ रही है, इसको दूर करके जो वहां वास्तव में बैठे हुए हैं, उनको वापस बिलानाम भूमि के जमीन का पट्टा दिया जाये, उनको खातेदारी हक दिया जाये। यह मैं आपसे मांग करना चाहता हूं।

श्री सभापति: कृपया कंक्लूड करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, एक मिनट, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

टीएसपी क्षेत्र के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे आरएएस, आईएएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, रीट व अन्य भर्ती की तैयारियों के लिए नि:शुल्क आवासीय कोचिंग सेंटर्स खोले जायें ताकि गरीब एससी, एसटी के छात्र-छात्राओं का अधिक से अधिक सरकारी नौकरियों में चयन हो सके, उनको अच्छे रोजगार मिल सकें, जिससे इस पिछड़े टीएसपी इलाके में बेरोजगारी, गरीबी एवं आर्थिक तंगी से न केवल राहत मिल सके बल्कि एससी, एसटी समाज का उत्थान और विकास हो सके।

सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र में ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा घोषित होने पर फसल गिरदावरी में 10 प्रतिशत फसल खराबा होने पर एससी, एसटी के किसानों को फसल बीमा देने की घोषणा सरकार करे। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा होने पर फसल खराबे का

(श्री गणेश घोघरा)

मुआवजा मिलता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री बिहारीलाल जी विश्नोई।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजनाओं की मांग संख्या 51 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, आजादी के बाद अनेकों चुनाव हुए, अनेकों सरकारें बनीं। कभी कोई पक्ष में रहा, कभी कोई विपक्ष में रहा। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनीं। दर्जनों, सैकड़ों योजनाएं सरकारें चलाती हैं।

बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता तो थे, वे देश ही नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जिनकी प्रतिमा लगी है। दुनिया के सबसे बुद्धिमान समाज की जिन्होंने कल्पना की थी, उस समाज को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए मैं मानता हूं कि इन सामाजिक योजनाओं का कुछ न कुछ रोल जरूर इसमें रहा है।

अभी तो हम आजादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सैकड़ों वर्षों की कठिनाइयों को जिस समाज ने सहा है, सैकड़ों वर्षों के छुआछूत को, अनटचेबिलिटी के दंश को जिस समाज ने झेला है, उसमें हो सकता है 75 साल का समय उन घावों को भरने में बहुत कम हो।

मानता हूं कि इन योजनाओं से बहुत कुछ यह समाज आगे बढ़ा है, मजबूत हुआ है, इनमें और सुधार की गुजांइश है। वे सजेशन भी सदन में आये हैं परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या हम आपस में मन की ग्रंथियों को मिटा पाये हैं? क्या हम हमारी मनोदशा को बदल पाये हैं? क्या हम अपने सोचने के ढंग को बदल पाये हैं? क्या हमारे में वैचारिक शुद्धता आ पायी है? दोनों तरफ से क्या हम पूर्वाग्रह छोड़ पाये हैं? ऐसा अगर हम कर पायेंगे तो निश्चित रूप से डा. भीमराव अम्बेडकर के सपने का भारत बना पायेंगे। उसके लिए हमें अभी बहुत लम्बा सफर तय करना है।

माननीय सभापति महोदय, आज जो टकराव इन 75 वर्षों में दोनों तरफ है, इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? यह हमारे साथ अन्याय है। उन्हें भी यह सोचना होगा कि आज जिनको सुविधाएं दी जा रही हैं, कुछ प्रिविलेज

(श्री बिहारीलाल)

दिया जा रहा है उनको स्ट्रेंथन करने, आगे बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। उन लोगों ने सैकड़ों, हजारों वर्षों तक तकलीफें सही हैं। हमारे इन साथियों को भी यह सोचना होगा कि आजादी के बाद जब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसके लिए अनेकों महापुरुषों ने बलिदान और त्याग किया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है।

आज शहरों में इस तरह की बातें बहुत कम हो गयी हैं। गांवों में भी अब पहले जैसी परिस्थितियां नहीं रही हैं। धीरे-धीरे समाज आपस में जुड़ेंगें। दोनों तरफ के पूर्वाग्रह खतम करने होंगे, वैचारिक शुद्धता अपने विचारों में लानी होगी, मनों के भेद, मनों की ग्रंथियां मिटानी होंगी, तब जाकर के हम सही मायने में भारत का निर्माण कर पायेंगे और इन योजनाओं का लाभ ले पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अभी जिक्र आया कि दूल्हे को घोड़ी से आज भी उतार देते हैं। हम भी सुनते हैं और वेदना होती है। अभी पिछले साल 22 दिसम्बर, 2021 को क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयन्ती का आयोजन हुआ। प्रदेश की राजधानी में बहुत बड़ा आयोजन हुआ। उस आयोजन के आप भी साक्षी रहे होंगे, उस आयोजन का मैं भी साक्षी था। उस आयोजन में उप नेता, प्रतिपक्ष भी एक कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित थे। सदन के कई सदस्य वहां उपस्थित थे। वहां संघ के पूर्व संघ चालक और वर्तमान में प्रधान संरक्षक आदरणीय रोहित जी ने क्षत्रिय की परिभाषा को बताया था। क्षत्रिय कौन है? किसी घर में, किसी कुल में, किसी मां की कोख से पैदा हो गया, वही क्षत्रिय नहीं है। जो अपने साथ सबको लेकर चलने की क्षमता रखता हो, वही सही मायने में क्षत्रिय है। हम एक छत्री के नीचे सभी रंगों को समेटकर, सभी वर्गों को समेटकर साथ चल सकें, वह सही मायने में क्षत्रिय हैं। उनकी इस परिभाषा के आधार पर मैं मानता हूं कि 8 करोड़ के राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाला यह सदन, जिसमें 200 सदस्य बैठे हैं, वह सही मायने में क्षत्रिय हैं, अगर वह अपने धर्म का निर्वहन करें, जिन पर जिम्मेदारियां हैं सबको साथ लेकर के चलने की। हम सब जिस समाज का निर्माण करना चाहें तो हमें आगे बढ़कर इन बातों को छोड़ना होगा।

माननीय महावीर सिंह सरवड़ी ने एक बात कही और अपने समाज में सन्देश देकर आह्वान किया कि आज भी ये घटनाएं होती हैं तो सर्व समाज के लिए शर्मनाक बात हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे पक्ष को भी आह्वान

(श्री बिहारीलाल)

किया कि आपको भी कुछ मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। किसी के घर के बाहर हम ज्यादा करें, अति करें, ऐसा भी नहीं हो। उसके बाद राजस्थान में उनकी बातों पर मनन, चिन्तन करते हुए हमने ऐसे उदाहरण भी देखे कि सवर्ण समाज के, क्षत्रिय समाज के साथियों ने दलित दूल्हे को स्वयं घोड़ी पर बैठाकर उसकी बिंदोली निकाली। राजस्थान में ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले।

सभापति महोदय, निश्चित रूप से जिस भारत की कल्पना अम्बेडकर जी ने की थी, उन्होंने कहा कि जाति तोड़ो, इस देश को जोड़ना है तो जातियों के बन्धन को तोड़ना होगा। डा. अम्बेडकर खाली विधिवेत्ता ही नहीं, वे सही मायने में राष्ट्रभक्त, अर्थशास्त्री, राष्ट्रवाद से परिपूर्ण व्यक्तित्व, राष्ट्रवाद के पोषक थे, जिन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया। और राष्ट्रवादी इसलिए, आज कुछ विचार के लोग ऐसे राष्ट्रवादी संगठन को गालियां देते हैं, देश और दुनिया में वह सबसे बड़ा संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, एक विचार का पोषक संगठन है, वह एकमात्र संगठन है जो अपने कार्य में, अपनी कार्यशालाओं में, अपने काम में किसी व्यक्ति की जाति नहीं पूछता है और उस संगठन का नाम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। डाक्टर अम्बेडकर से बड़ा कोई राष्ट्रवादी हो नहीं सकता। आज दुबारा जब देश की सत्ता नरेन्द्र मोदीजी को मिली तो अमित शाहजी ने गृह मंत्री के रूप में और मोदीजी ने देश के प्रधान मंत्री के रूप में अनुच्छेद 370 और 35-ए को तोड़ने का साहसिक निर्णय किया। उसके मूल में भी डाक्टर अम्बेडकर हैं, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। डाक्टर अम्बेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनसे कहा गया कि अनुच्छेद 370 और 35-ए के प्रस्तावक बनना है। एक देश में दो विधान, दो कानून, ऐसा डाक्टर अम्बेडकर को स्वीकार नहीं था। उन्होंने प्रस्तावक बनने से स्पष्ट मना कर दिया। डाक्टर अम्बेडकर ने पूरा संविधान लिखा, हर अनुच्छेद के प्रस्तावक रहे लेकिन 370 और 35-ए वे अनुच्छेद थे जिनके प्रस्तावक बनने से डाक्टर अम्बेडकर ने मना कर दिया। उन्हीं के कैबिनेट के साथी, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो झण्डे नहीं हो सकते, इसको लेकर आन्दोलन किया, अपनी जिन्दगी न्यौछावर कर दी, इसलिए इतना बड़ा निर्णय जो देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने किया, उसके मूल में भी वे राष्ट्रवादी चिन्तक, डाक्टर बीआर अम्बेडकर थे। माननीय सभापति महोदय, उनके सपनों का भारत यदि हमें

(श्री बिहारीलाल)

बनाना है तो जाति प्रथा को तोड़कर, आपस में सबको गले लगाकर चलना होगा।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर 2 अप्रैल, 2018 का जिक्र भी आया। उस दिन बहुत बड़ी संख्या में आन्दोलन हुआ और बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे भी लगे। निश्चित तौर पर मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि उनके खिलाफ जो मुकदमे हुए हैं वे वापस होने चाहिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और सरकार उन मुकदमों को वापस ले। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले के दौरान टिप्पणी, उस टिप्पणी से एससी, एसटी एट्रोसिटी एक्ट कुछ कमजोर होता हुआ लगा तो सभी को चिन्ता हुई और देश की सरकार ने देश के प्रधान मंत्री ने तुरन्त निर्णय करते हुए कहा कि भारत की सरकार रिव्यू पिटिशन में जायेगी, अगर यह स्वीकार नहीं हुई तो आर्डिनेंस भी लायेगी और इस कानून को कमजोर नहीं होने देगी, दलित साथियों को, एससी, एसटी के साथियों को किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, उस वक्त आन्दोलन करने वाले लोगों को सोचना चाहिए था कि जब देश के प्रधान मंत्री और सरकार यह कह रही है कि हम अध्यादेश लाने को तैयार हैं तो उस आन्दोलन को स्थगित किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से किसान आन्दोलन की पृष्ठभूमि देखी, उसी तरह से इस आन्दोलन के माध्यम से देश में आग लगाने वाली ताकतों ने देश को बांटने का काम करने की कोशिश की।

माननीय सभापति महोदय, आज हम जिन मांगों पर बात कर रहे हैं उनमें कुछ बातों पर सुझाव आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय को देना चाहूंगा। अनुसूचित जाति, जनजाति विशेष उप योजना को सिर्फ अकाउंटिंग एक्सरसाइज तक ही सीमित नहीं रखा जाए, इसके बजट को वास्तविक रूप से समाज के वंचित वर्ग की भलाई के लिए खर्च किया जाये, इसके लिए आबंटित धन को लैप्स नहीं होने दिया जाये और न ही अन्य योजना में डाइवर्ट किया जाये, यह नोन लैप्सेबल और नोन डाइवर्टेबल बनाया जाये। मेरी भावना है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर डाक्टर बीआर अम्बेडकर के नाम पर एक लाइब्रेरी बने, उस लाइब्रेरी का माडल हो सकता है। सांसद निधि से, विधायक निधि से, पंचायत से, सरकार से, ग्राम पंचायत से, पंचायत समिति से एक फंड लेकर एक ऐसा वाचनालय, पुस्तकालय, सुसज्जित बनाया जाये और उसकी

(श्री बिहारीलाल)

मानिटरिंग, उसके संचालन का जिम्मा वहां के सीनियर सैकण्डरी विद्यालय और पंचायत को मिलकर दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, छात्रवृत्ति का जो भुगतान होता है, दो-दो साल की देरी से होता है, वह तो न होने जैसा ही हो गया है। इंग्लिश मीडियम के विद्यालय भी एससी बहुल क्षेत्रों में खुलें जो डाक्टर बीआर अम्बेडकर के नाम पर हों। देवनारायण योजना की तर्ज पर एससी के छात्रों के लिए अम्बेडकर योजना बनाकर स्कूटी देने की योजना बनायी जाये।

माननीय सभापति महोदय, बैकलाग के पद भरने की बात हुई। निश्चित तौर पर वह भी एक बहुत बड़ा काम है, यह काम सरकार को करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एससी की छोटी जातियां, उनको भी हम बराबर साथ लेकर चल सकें, इस बात का भी हमें काम करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक पालनहार योजना चल रही है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। पालनहार योजना के लाभ का पात्र केवल पिता की मृत्यु पर ही माना जाता है जबकि गरीब और बेरोजगार परिवार में माता की मृत्यु हो जाने पर भी बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, वे भी शिक्षा से नहीं जुड़ पाते हैं। माता या पिता, दोनों में से किसी एक की भी मृत्यु होने पर उनके बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर एक बहुत बड़ी वेदना से आपको अवगत करवाना चाहूंगा। हमारा बीकानेर कृषि प्रधान क्षेत्र है जहां पर ट्यूबवैल बहुत बड़ी संख्या में हैं। एससी का हमारा भाई अपनी केसीसी करवाता है, लैंड होल्डिंग बड़ी है, 3 लाख का लोन कराता है केसीसी में, उसकी 70 बीघा जमीन है, वह बैंक में रहन रह जाती है। यदि वह डिफाल्टर हो गया तो बैंक उसकी पूरी जमीन को नीलाम करता है। तहसीलदार जाकर नीलामी करता है और वह ही तहसीलदार, वह आदमी जिसने नीलामी में उस जमीन को छुड़वाया, जो भू-माफिया उसको छुड़वाता है, वह जब रजिस्ट्री कराने उसी तहसीलदार के पास आता है तो वह रजिस्ट्री डीएलसी दरों से करता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आज यहां सदन में कहना चाहूंगा, राजस्व मंत्रीजी भी बैठे हैं, कि जब इस तरह की बात आये तो यदि कोई 3 लाख का डिफाल्टर है तो उसकी 70 बीघा जमीन न जाये, उसकी डीएलसी दरों पर 5

(श्री बिहारीलाल)

बीघा जमीन में भी उसका भुगतान हो सकता है, उसकी 65 बीघा जमीन बच सकती है, इस बात का ध्यान रखा जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे नोखा के दो महापुरुषों का जिक्र मैं करना चाहूंगा। मेरे नोखा में सन्त त्रिलोकदासजी हुए, जिन्होंने 50 वर्ष पहले शिक्षा की अलख जगाते हुए इस दलित समाज में चेतना जगाने का काम किया और घर-घर सहयोग मांग कर, एक-एक पैसा जोड़कर त्रिलोक सेवा समिति नाम से अनुसूचित जाति के छात्रों का एक बहुत बड़ा हॉस्टल बनवाया, इसे वह संस्था चलाती है, उनके इस योगदान को आगे बढ़ाते हुए वहां पर एक अनुदानित कन्या छात्रावास की भी मांग है। इसके लिए मैंने भी विधायक कोटे से 25 लाख रुपये दिये हैं। राजस्थान की सरकार नोखा में त्रिलोक सेवा आश्रम में एक अनुदानित कन्या छात्रावास देने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, दूसरे महापुरुष हुए, जहां मेरे से पहले कई दफा स्वर्गीय चुन्नीलालजी इन्दलिया ने नोखा का प्रतिनिधित्व इस विधान सभा में किया। उन्हीं के गांव में शहीद कालूरामजी इन्दलिया जो 15.10.1962 को अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गये, उनके नाम से शहीद कालूराम मेघवाल सेवा समिति हमारे नोखा में रजिस्टर्ड संस्था है। उसमें भी एक भवन का निर्माण हमने करवाया है, सामाजिक सहयोग से, एमएलए लैड से और उसमें भी एक बहुत बड़ी मांग है कि एक अनुदानित छात्रावास वहां पर राजस्थान की सरकार देने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, हमें निश्चित तौर पर डाक्टर बीआर अम्बेडकरजी की बातों को साथ लेकर जाति और समाज का निर्माण करना है और बुल्लेशाह की बात को याद करते हुए करना है,

"मन्दिर भी ढहा दिया, मस्जिद भी ढहा दिया,
पर दिल ना ढहाइये जी दिल विच रब बसता है।"

माननीय सभापति महोदय, यह सब कहता हुआ आपका धन्यवाद करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पानाचन्दजी मेघवाल।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति कल्याण पर आपने बोलने का जो मुझे मौका दिया, मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे सारे पूर्व वक्ताओं ने भारत रत्न,

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

आजादी के सपूत और दलितों के मसीहा डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो विचार रखे और सभी की मांग है कि राजस्थान की विधान सभा में उनकी प्रतिमा हो। डाक्टर भीमराव अम्बेडकर उस सदी में पैदा हुए जब इस देश में दलितों को मन्दिर पर जाना प्रतिबंधित था, कुएं से पानी पीना प्रतिबंधित था, तालाब पर नहाना प्रतिबंधित था, जब वो कोई बस्ती से निकलता था तो उसके आगे और पीछे झाड़ू और पानी की मटकी बांधकर उसको निकाला जाता था ताकि जहां से उसके पद चिह्न हों वहां पर झाड़ू लग जाये और पानी से धुल जाये, इस प्रकार का दुर्व्यवहार और यातनाएं इस समाज के साथ होती थीं, लेकिन एक महापुरुष, जो देवता तुल्य है डाक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस सदी में इस दुनियां में जन्म लिया आज हम उसको भगवान के रूप में पूजते हैं। आज हर दलित के घर में उसकी प्रतिमा मिलती है और वह कहता है कि आज मेरा बेटा कोई राजस्थान की विधान सभा में बोलता है, आज मेरा कोई बेटा भारत की संसद में बोलता है और आज कोई मेरा बेटा राष्ट्रपति बनता है तो उनके द्वारा लिखे गये संविधान के तहत आईएएस, आईपीएस, टीचर, थानेदार, सीआई, इन सारे पदों पर बैठा हुआ है, तो यह उनकी ही देन है।

माननीय सभापति महोदय, आज देश को 75 साल आजाद हुए हो चुके हैं, जब गांव में कोई बस्तियों का निर्माण होता था तो एससी के लोगों को गांव की एक दिशा में एक कोने में बसाने की व्यवस्था होती थी ताकि उन लोगों का खाना-पीना अलग हो, उनका रहन-सहन अलग हो, उनकी कल्चर से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था होती थी। आज भी, 75 साल के बाद भी गांव में अगर किसी दलित परिवार में मौत हो जाती है तो जो गांवों का श्मशान होता है, वहां उसका अन्तिम संस्कार नहीं किया जाता। दलित के बेटे की यदि शादी होती है, उसकी निकासी निकाली जाती है तो उसे रोकने वाले कौन होते हैं, इस पर चिन्तन करना होगा। केवल यहां पर भाषण देने से समाज का, दलितों का उत्थान नहीं हो सकता है, सामाजिक समरसता नहीं बन सकती है, इसके लिए हमें चिन्तन करना होगा, सोचना होगा कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर इस प्रकार की कुरीतियां हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, चाहे भाजपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो, सपा की बात हो या बसपा की बात हो।

माननीय सभापति महोदय, चुनाव आने पर दलितों को मुंगेरीलाल के

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

हसीन सपने दिखाये जाते हैं, आपके मोहल्ले में सीसी रोड बनेगी, पीने के लिए पानी की पाइप लाइनें डलेंगी, इन्दिरा आवास में मकान बनेगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, लेकिन चुनाव निकलने के बाद पांच साल निकल जाते हैं और तब तक वह मुंगेरीलाल के सपने देखता रहता है। वह फिर सोचता है, इस बार मैंने बीजेपी को वोट दिया, अगली बार कांग्रेस को वोट दूंगा। अगली बार देखता है, कांग्रेस ने भी मेरा उद्धार नहीं किया तो वह सपा को वोट देना चाहता है। फिर सपा ने उसका उद्धार नहीं किया तो बसपा को वोट देना चाहता है। बसपा ने भी कुछ नहीं किया तो फिर वह 'आप' को वोट देना चाहता है। वह मुंगेरीलाल के सपने देखता रहता है, लेकिन उसके सपने कभी साकार नहीं होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे राजस्थान सरकार की योजना हो, योजनाओं का पुलिन्दा तो हमने इतना बढ़ा दिया कि इतनी योजनाओं के बारे में पढ़कर लगता है कि इन 75 सालों में दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, एसबीसी के लोगों का तो उत्थान हो गया होगा, लेकिन आज भी अगर उनका औसत निकाला जाये तो कितने प्रतिशत लोगों का विकास हुआ है, कितने प्रतिशत लोग आज शिक्षित हुए हैं, कितनी प्रतिशत बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था हुई है, कितनी प्रतिशत बस्तियों में सफाई की व्यवस्था हुई है, ये सब चीजें हम लोगों को सोचनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक मांग मेरे से पूर्व वक्ता रूपाराम जी ने भी कही है, सभापति महोदय, आपने अपने वक्तव्य में भी कही है कि जो नगर परिषद् और नगरपालिकाओं में सफाई की भर्ती की गयी है, उसमें वास्तव में घोर अन्याय किया गया है, क्योंकि जो सफाई का काम किया जाता है, जो गटर की सफाई का काम किया जाता है, जो नाली की सफाई का काम किया जाता है, जो मृत जानवरों को फेंका जाता है, वह हरिजन समाज के लोगों से करवाया जाता है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से रोस्टर पद्धति लागू की गयी, उसमें चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, उन सबकी भर्ती की गयी। हम भर्ती का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की नियुक्ति सफाई कर्मचारी के पद पर की गयी है, उससे वही काम करवाना चाहिये, पर आज कोई व्यक्ति तो कलेक्टर के आफिस में बैठा हुआ है, कोई आयुक्त के कमरे में बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति कैशियर के कमरे में बैठा हुआ है और मैं

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

पूछना चाहूंगा, सफाई कर्मचारी की भर्ती में एक नियम था कि उसमें वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसे सफाई का अनुभव हो। जो व्यक्ति स्कूल में रेगुलर पढ़ रहा है, उसे सफाई का अनुभव कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिये।

जिस ब्राहमण की बेटी ने आवेदन किया और उसका चयन हुआ, उसे सफाई का आवेदन किस व्यक्ति ने दिया, उसकी जांच होनी चाहिये। जो मेघवाल के बेटे का चयन हुआ है, उसे सफाई का आवेदन किसने दिया, उसकी जांच होनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, आज वाल्मीकि समाज के लोग स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमारे कोटे को आप लोग खा रहे हैं। आप सब लोगों का चयन हो रहा है, लेकिन आप जिस काम के लिए चयन हुआ है, उस काम को करिये और इस चीज को लेकर जगह-जगह विरोध हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जब भी भर्ती हो, चाहे वह नगर परिषद् की हो, नगरपालिकाओं की हो या अन्य विभागों की हो, जहां जो काम जिस कैटेगरी के लोगों द्वारा किया जाता है, उसी कैटेगरी के लोगों से वह करवाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे दो-तीन सुझाव हैं। सरकार योजना बनाती है और बहुत वाह-वाही लूटना चाहती है, हमने विधवाओं के लिए यह किया, वृद्ध लोगों के लिए यह किया, विकलांगों के लिए यह किया, लेकिन इस महंगाई के युग में हम किसी को पांच सौ रुपये की पेंशन देकर क्या उसका उत्थान कर देंगे? मेरी मांग है, चाहे विकलांग हो, विधवा हो, परित्यक्ता हो या एकल महिला हो, जिन्हें आप पांच सौ रुपये पेंशन देते हैं उन्हें समान रूप से पांच हजार रुपये पेंशन दी जाये, ताकि उनका उत्थान हो सके।

साथ ही, जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो हम उन्हें सम्बल देने के लिए, उनके बुढ़ापे में सहारे के लिए पांच सौ-साढ़े सात सौ रुपये की पेंशन देना चाहते हैं, कोई रिश्तेदारी में जाता है, कोई सगा-सम्बन्धी आता है, बीड़ी-तम्बाकू से, चाय से स्वागत करता है, इन पांच सौ रुपये में उसका पूरा जीवन गुजर नहीं सकता है, इसलिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस वृद्धावस्था पेंशन को भी पांच सौ-सात सौ रुपये से बढ़ाकर कम्पल्सरिली दो हजार रुपये किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी के लोगों

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

के पास जमीनें बहुत कम हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत हम कहते हैं कि हमने उन्हें सौ दिन का रोजगार दिया, डेढ़ सौ दिन का रोजगार दिया। सौ दिन के रोजगार में उसे पूरे साल में बीस हजार रुपये, बाईस हजार रुपये, पच्चीस हजार रुपये मिलेंगे। क्या इतने पैसे में वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला लेगा, बेटी की शादी कर देगा, बहू की डिलीवरी करवा देगा, पक्का मकान बना लेगा? इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एसबीसी हो, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी बच्चियों के विवाह पर कन्यादान योजना के तहत एक लाख रुपये की योजना लागू की जाये।

जिस प्रकार से श्रम विभाग के माध्यम से, आस्था कार्ड के माध्यम से फार्म भरवाये जाते हैं, लोगों का 2018 का भुगतान नहीं हो रहा, 2019 का भुगतान नहीं हो रहा, वह बच्ची शादी होकर चली जाती है, उसकी डिलीवरी हो जाती है, तब तक उसे पैसा नहीं दिया जाता, उन मां-बाप पर कर्जे पर कर्जा होता है और उसकी जमीन और मकान बिक जाता है।

इसके साथ ही जो पालनहार योजना है, हमारी भारतीय संस्कृति हिन्दू संस्कृति है, जब जवान औरत का पति मर जाता है, वह कहीं न कहीं दूसरी जगह चली जाती है, वे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। उनकी आप पालनहार योजना में पैसे से मदद करते हैं, लेकिन जब पिता मर जाता है या मां मर जाती है और वे अनाथ हो जाते हैं, उनके दादा-दादी इतने असहाय रहते हैं कि हम जब गांव में जाते हैं तो वे कहते हैं, इसके पिता जी नहीं हैं, इसकी मां नहीं है, इनका कैसे करें? उनकी जो 0 से 5 साल की पांच सौ रुपये है, 5 से 18 साल की अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ढाई हजार की है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है, इसलिये इसे भी बढ़ाया जाये। साथ ही, इसमें एक सुधार किया जाये, चाहे पिता की मृत्यु हो या माता की मृत्यु हो, दोनों केस में उसे पालनहार योजना का लाभ दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं 1984 से 1990 तक छात्रावासों में पढ़ा हुआ हूं। पूर्व मंत्री समाज कल्याण के दो बार दिलावर जी, वे भी छात्रावासों में पढ़े हैं। उसी तरह से एससी-एसटी के यहां पर जितने भी विधायक हैं, इनमें से 60 से 70 परसेंट लोग छात्रावासों में पढ़े होंगे, लेकिन राजस्थान में समाज कल्याण के छात्रावासों की जो दशा है, हम बड़े-बड़े ढोल पीटते हैं, वहां पर बच्चों के बेड नहीं हैं, गद्दे नहीं हैं, तकिये नहीं हैं, पीने का शुद्ध पानी नहीं है,

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

बढ़िया लाइट की व्यवस्था नहीं है। जब भी बरसात का समय आता है, खिड़की और छत से पूरा पानी टपकता है। छात्रावास सब जगह खुले हैं, बालिकाओं के छात्रावास हैं और जो सबसे बड़ी कमी है, वहां पर स्टाफ की कमी है, न वार्डन है, बालिकाओं के छात्रावास में पुरुष को लगा रखा है। एक ही व्यक्ति को चार-चार, पांच-पांच जगहों का चार्ज दे रखा है, तो कैसे व्यवस्था होगी? इसमें जो ढाई हजार रुपये दिये जाते हैं, वे भी बढ़ाये जाएं, क्योंकि ढाई हजार रुपये में एक बच्चे का पूरे महीने का खाना-पीना, रहना, लाइट, पेपर, कटिंग, साफ-सफाई, इन सारी चीजों की व्यवस्था नहीं हो सकती।

इसी प्रकार से जो एसटी-एससी के लोगों को कोई छात्रवृत्ति लेनी हो या अन्य योजनाओं का लाभ लेना हो तो उनकी वार्षिक आय ढाई लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिये और अन्य वर्गों के लिए आठ लाख रुपये की छूट है, जब अन्य वर्गों के लिए आठ लाख की छूट है और एससी-एसटी के लोगों के लिए ढाई लाख की छूट है, तो उसे भी आठ लाख रुपये किया जाना चाहिये।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करने की कोशिश करें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): सम्बल योजना में जिस गांव का चयन होता है, उस गांव में ज्यादातर एससी-एसटी की पापुलेशन होती है और उसका मतलब है कि वहां पर सीसी रोड का निर्माण हो, वहां पीने के पानी की व्यवस्था हो, वहां सामुदायिक भवन बनें, उन लोगों के लिए लाइट की व्यवस्था हो, लेकिन पिछले लम्बे समय से, चाहे भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, इस योजना में कोई बजट नहीं आ रहा है, इसलिये यह योजना केवल कागजों में बनी हुई है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप भारत सरकार से निवेदन करें और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करें कि सम्बल योजना में, क्योंकि आपका जो वोट बैंक है, जो आज तक प्रताड़ित है, जिसका शोषण हो रहा है, वह आज भी वहीं का वहीं बैठा हुआ है, उन बस्तियों में सामुदायिक भवन बनवाये जाएं, वहां पर सीसी रोड्स का निर्माण करवाया जाये, पीने के पानी की व्यवस्था करवायी जाये, इस सम्बल योजना का बजट बढ़ाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इस नारे को जब सब लोगों ने अपने दिल में उतारा और जिस प्रकार से आरक्षण से छेड़-छाड़ करने की नौबत आयी तो 2 अप्रैल, 2018 को पूरे हिन्दुस्तान के नौजवान, चाहे दलित हों,

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

एसटी हों, एससी हों, सारे ये रोड पर आये और एसटी-एससी की ताकत दिखायी, लेकिन उन लोगों को दबाने के लिए जिस प्रकार से केस दर्ज किये गये, मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उन केसेज को वापस लेने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मैं संघर्ष करूंगा और किसी से नहीं हारूंगा और जिस दिन हारूंगा, मैं अपने वर्ग से ही हारूंगा और वह भी शिक्षित वर्ग से हारूंगा। आज दलित जातियों में बंटा हुआ है। मेघवाल खटीक को नहीं देखना चाहता, खटीक बैरवा को नहीं देखना चाहता, सहरिया मीणा को नहीं देखना चाहता, मीणा भील को नहीं देखना चाहता, भील गरासिया को नहीं देखना चाहता। ये जातीय संघर्ष आने वाले समय में हम सभी के लिए एक अभिशाप होगा। जब डा. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह मेघवालों के लिए होगा, यह खटीकों के लिए होगा, यह मीणा के लिए होगा। उन्होंने कहा कि जिसकी पापुलेशन जितनी परसेंट होगी, उनके उत्थान और उनके उद्धार के लिए उतनी परसेंट व्यवस्था होगी। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान परिवेश में जाति और धर्म के नाम पर हम लोगों को बांटा जा रहा है यह हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं मेरी तरफ से बहुत -बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द जय भारत।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह जी मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं बाबा अम्बेडकर साहब को नमन करता हूं कि उन्होंने एससी, एसटी को आरक्षण का जो लाभ दिया है और वास्तव में आज हम यहां पवित्र विधान सभा में बैठे हैं, आने का मौका दिया तो उन्हीं की बदौलत है। राजस्थान में गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, एससी, एसटी के लोगों के साथ में सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, न ही सामाजिक उत्थान और संरक्षण की योजना धरातल पर दिखायी दे रही है। सभापति महोदय, आज भी गरीब के घर में बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, गैस का चूल्हा तक नहीं है, पक्का आवास नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं के बराबर है। गांवों में नालियां नहीं हैं और एससी, एसटी के जो परिवार रहते

(श्री फूल सिंह मीणा)

हैं वहां पर सड़कें नहीं बनी हैं। वहां पर सामुदायिक भवन बन जाता है तो एक सामुदायिक भवन हम देते हैं और वहां एससी, एसटी के परिवार ज्यादा रहते हैं तो विधायक कोष से हम दुबारा वहां पर नहीं दे सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एससी, एसटी बहुल एरिया है। वहां पर सभी कास्ट के लोग रहते हैं और एक सामुदायिक भवन अगर हम देते हैं तो एससी, एसटी के परिवार का वहां पर कोई फंक्शन नहीं हो पाता है और न करने देते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था इसके लिए अलग से की जाये।

राजस्थान में कांग्रेस राज में एससी, एसटी, वंचित, दलित, पीड़ित, शोषित लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं तो बहुत हैं मगर वे धरातल पर उतर नहीं पाती हैं। सभापति महोदय, इन योजनाओं के लिए कोई कमेटी गठित करें। हमारा एससी, एसटी समाज शिक्षित नहीं होने की वजह से सारी योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए कोई ऐसी कमेटी गठित करके उनको इन योजनाओं के बारे में व्यवस्थित बतायेंगे तो उनको फायदा होगा। जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना में 7 प्रकार की पेंशन, शैक्षणिक उत्थान में 9 प्रकार की छात्रवृत्तियां, महिला बाल विकास के लिए 11 प्रकार की योजनाएं, वृद्ध-कल्याण 7 प्रकार के कार्यक्रम, आर्थिक उत्थान की 9 प्रकार की योजनाएं हैं। ये योजनाएं जब तक धरातल पर नहीं उतरेंगी तब तक हमारा समाज वास्तव में आगे नहीं बढ़ पायेगा।

सभापति महोदय, मैं प्रदेश सरकार का ध्यान छात्रावासों की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रदेश के छात्रावासों के अन्दर आज भी आप देखें तो वहां पर बिस्तर और छात्रावास में सब आधारभूत सुविधाएं पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हैं। यहां तक कि वहां हमारे वार्डन के पद भी बहुत खाली हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे एससी मौहल्ले ज्यादा हैं इसलिए एक आवासीय कन्या छात्रावास की मांग करता हूं कि यह छात्रावास हो तो हमारी बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा होगा।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण की 13 योजनाएं प्रदेश में संचालित हैं। पूरे प्रदेश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मन रहा है, लेकिन आज भी सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण, सामाजिक न्याय की बात करना बेमानी होता है। क्या हम एससी, एसटी, वंचित, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों को सामाजिक न्याय दिला पा रहे हैं?

(श्री फूल सिंह मीणा)

यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। क्या प्रदेश में एससी, एसटी के लोगों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है? क्या देश के गरीब लोगों की जमीनें नहीं छीनी जा रही हैं? क्या प्रदेश में एससी, एसटी के लोगों के साथ में मारपीट नहीं हो रही है? क्या गरीब लोगों से बेगार नहीं ली जा रही है? क्या एससी, एसटी के लोगों को गांव में गांव के मन्दिर में दर्शन के लिए जाने देते हैं? इसलिए समाज के साथ में इनको अधिकार, सम्मान मिले।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कीं कि कांग्रेस ने यह किया, वह किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर के पास में आंतेला में आईपीएस सुनील कुमार धनवंता की बिंदौरी पुलिस की देखरेख में निकालने की नौबत आयी, ऐसा क्यों? सभापति महोदय, आज इनकी सरकार है और ऐसी स्थिति में हमारे एससी, एसटी के लिए ये क्या करेंगे? आज पंजाब के अन्दर इनको धरातल पर दिख गया है कि एससी, एसटी के वोट इनको छोड़कर 'आप' के साथ में क्यों गये, क्योंकि इन्होंने सालों में उनका वोट बैंक समझकर वोट लिया और आज इनको मालूम पड़ रहा है। इसलिए अभी भी समय रहते हमारा एससी, एसटी का ध्यान रखते हुए इनकी पूरी योजनाओं को धरातल पर उतारने का इंतजाम करें।

सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण की योजनाओं की समय-समय पर मानिटरिंग करने के लिए योजनाओं को धरातल पर लाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एससी, एसटी की बालिका शिक्षा के लिए नवाचार हो, एससी, एसटी की बालिकाओं को कालेज में पढ़ने के लिए छात्रावासों की व्यवस्था हो, पालनहार योजना में सहायता राशि बढ़ायी जाये, छात्रावासों की योजना ठीक हो तथा आधुनिक सुविधाएं बनायी जायें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय, राज्य के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के, जनजाति के कुलपति, उप कुलपति.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया दो मिनट में समाप्त कर लें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, अभी दो मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति: समय मैं भी देख रहा हूं। करिये, प्लीज।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, अब दो

(श्री फूल सिंह मीणा)
मिनट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 राज्यों में, राजस्थान न्यायिक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। पूर्व की भांति पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाये। उच्च न्यायिक सेवाओं में वर्तमान कालेजियम व्यवस्था को समाप्त कर संविधान के अनुच्छेद 124 व 127 की व्यवस्था को बहाल किया जाये। आरजेएस की भर्ती आरपीएससी के माध्यम से ही की जाये, राजस्थान उच्च न्यायालय में राजकीय अधिवक्ताओं में एससी, एसटी के वर्ग की नियुक्ति की जाये, राज्य में एससी, एसटी के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अमेरिका सिंह की मनमानी अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के कार्मिकों के प्रति सही नहीं रही है। एससी वर्ग के टीकम चन्द डाकल को बायोटेक्नोलाजी विभाग में 9 वर्ष से अधिक का समय हो गया, चार के पैनल में सबसे ऊपर मैरिट में होने के बावजूद बाकी तीन को तो रेगुलर कर दिया, परन्तु उन्हें नहीं किया गया और 90 भर्तियों में से उन्हें छोड़कर सभी को नियुक्ति दे दी। सभापति महोदय, हरकेश मीणा, डिप्टी रजिस्ट्रार, परीक्षा विभाग को वाइस चांसलर द्वारा निलम्बित किया गया जबकि निलम्बन के बाद आरोप अभी तक प्रमाणित नहीं होने के बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया गया। प्रोफेसर बी.एल. बामनिया को डीन बनाया गया था, परन्तु डेढ़ वर्ष बाद ही हटा दिया गया जबकि कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। तीन माह पूर्व हाल ही में यूनिवर्सिटी द्वारा 56 पोस्टें निकाली गयी हैं, तो उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को देखते हुए वाइस चांसलर से उम्मीद नहीं कि वे रोस्टर प्रक्रिया व आरक्षण नियमों का पालन करेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, एक मिनट और दीजिये। अब आप कह ही रहे हो तो मैं मेरा एक ही बिन्दु कह रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने एससी, एसटी के साथ में कुठाराघात किया है। आपने उद्योग से जोड़ने का प्रयास किया। उद्योग में आरक्षण कर दिया और हमारे प्लाट दिये, जिसमें एससी-एसटी के साथ में जनरल महिला को डालकर उस एससी-एसटी के कोटे को खतम कर दिया और ये कहते हैं कि एससी-एसटी को हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सभापति

(श्री फूल सिंह मीणा)

महोदय, जनरल कास्ट के जो प्लाट बिके हैं, उससे भी ज्यादा महंगे हमारे एससी-एसटी कोटे के प्लाट बिके, क्यों बिके, कि उसके अन्दर जनरल महिला को डालकर हमारे कोटे को खतम कर दिया। ये कौन-सी बात कर रहे हैं कि हम एससी-एसटी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो अम्बेडकर भवन बनाये थे, वास्तव में, उनको बन्द कर दिया गया है। हर पंचायत मुख्यालय और नगरपालिका, मतलब सेन्टर में अम्बेडकर भवन बनाने की जो पहले प्रक्रिया चल रही थी, उसको बहाल करें और हर मुख्यालय पर ये भवन बनाकर इस समाज के लिए कहीं न कहीं अच्छी योजना बनाकर, उसमें उनको स्थान दें, धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामलाल जी मीणा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया जाय।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय 6 बजे तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 51 पर विचार

श्री बलवान पूनियां (भादरा): किसे बोलें, कोई है ही नहीं, पांच आदमी हैं। सभापति महोदय, एससी-एसटी के प्रति कितने गम्भीर हैं, दिख रहा है।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 51 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री सभापति: सुनिये प्लीज।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि 75 वर्ष से प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति छात्रावास की मांग चल रही थी, विभिन्न सरकारें आईं, लेकिन किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। मेरे निवेदन पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के अन्दर अनुसूचित जाति का छात्रावास प्रतापगढ़ के अन्दर खोला। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से तीन साल के कार्यकाल में अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबके कल्याण की बात की है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में ही आप देख लीजिये, गत बजट में 100 करोड़ का प्रावधान था। एससी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान था, एसटी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको बढ़ाते हुए डबल-ट्रिपल नहीं डायरेक्ट 500-500 करोड़ रुपये एससी और एसटी वर्ग के उत्थान के लिए किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

साथियों, आज जो माननीय सदस्य कह रहे थे, यह समय आरोप-प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। पिछले कई वर्षों से एससी-एसटी का शोषण होता आया है। आज माननीय सारे सदस्य, कोई कह रहा है, इस सरकार ने ये किया, कोई कह रहा है इस सरकार ने ये किया, लेकिन होना यह चाहिये कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हों, चाहे कांग्रेस के सदस्य हों, या किसी भी पार्टी के सदस्य हों, सब मिलकर इस दबे, कुचले, पिछड़े वर्ग का उत्थान कैसे करें, इसके ऊपर मन्थन होना चाहिये। सरकार कांग्रेस की हो, कांग्रेस के माननीय सदस्य मिलकर योजना बनायें और सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर इस समाज का उत्थान करेंगे, तभी जाकर होगा।

आज माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने मंत्री एससी-एसटी के थे, हम सबको पता है, हमारे जनजाति मंत्री थे नन्दलाल जी मीणा, उनके कई बार पावर खतम किये, बढ़ाये, खतम किये। ये स्थिति उनकी बनी।

माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पहली बार एससी वर्ग के 4-4 कैबिनेट मंत्री और एसटी के 3 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री जी, यानी एससी-एसटी के 9-9 मंत्री बनाकर के हम सबके ऊपर यह भार

(श्री रामलाल मीणा)

दिया है कि किस प्रकार से एससी-एसटी, ओबीसी, दबे, कुचले लोगों का उत्थान हो। उसके ऊपर डा. भीमराव जी अम्बेडकर साहब ने कानून बनाकर, हम सबके उत्थान के बारे में एक किताब लिखकर चले गये। उस किताब को किस प्रकार से धरातल पर लाया जाये, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 9-9 मंत्री बनाकर यह साबित कर दिया, सारे मंत्रियों को कह दिया कि अब आपकी जिम्मेदारी है, किस क्षेत्र में कौन, किस वर्ग का आदमी गरीब, दबा, कुचला है, उसका उत्थान हो।

आज हमारे फूल सिंह जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, माननीय सदस्य हैं, मेरे सीनियर हैं। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको उदयपुर में लड़ने का अधिकार ही नहीं है। खैर, मैं वहां तक नहीं जाना चाह रहा हूं। मेरा माननीय सभापति महोदय से निवेदन है कि उदयपुर सम्भाग के अन्दर....

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): किसने दिया अधिकार? आपको पूछकर देंगे क्या अधिकार?

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये प्लीज।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): कानून तक जायेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा, जवाब में तो फट पड़ रहे हैं। आज सारे सम्भाग के अन्दर, राजस्थान के अन्दर टीएसपी क्षेत्र को एक इकाई माना है। जिस प्रकार से पूरे देश के अन्दर सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार से राजस्थान के अन्दर भी टीएसपी क्षेत्र को अलग से इकाई माना है, उस इकाई को मानते हुए, एससी को 5 परसेंट, एसटी को 45 परसेंट और अनारक्षित को 50 परसेंट माना है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आंकड़ा गलत तरीके से है। आज जिसकी जितनी जनंसख्या है, एससी को सिर्फ 5 परसेंट मिल रहा है, जबकि वहां के लोग हमसे मांग कर रहे हैं कि हमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाय। एसटी के लोग भी कह रहे हैं कि हमारी आबादी 45 परसेंट से ज्यादा है तो हमको भी भारत के संविधान के प्रावधानानुसार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाये।

आज पूरे राजस्थान के अन्दर ओबीसी को आरक्षण है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र के अन्दर ओबीसी, एमबीसी को आरक्षण नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में उनको भी आरक्षण दिया जाये।

(श्री रामलाल मीणा)

माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से नगर परिषद् में सफाई कर्मियों की बात चल रही है। मैं आज मांग करता हूं कि नगर परिषद् प्रतापगढ़ के अन्दर भी जितने सफाई कर्मियों के पद खाली हैं, जितने पद होने चाहिये, पद सृजित करके, टोटल लगाकर सभी पदों पर भर्ती की जाये, आरक्षण के प्रावधानानुसार ही भर्ती हो।

आज माइन्स के अन्दर भी देखा जाता है, कल भी माइन्स का आबंटन था। उसमें एससी, एसटी के लोगों को सैण्ड स्टोन की ही माइन्स क्यों आबंटित की जाती है? क्यों नहीं उनको क्वार्ट्ज की, मार्बल की माइन्स आबंटित की जाये। इसके लिए भी कार्यवाही हो।

आज रीट के अन्दर, माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब जब पूर्व में मुख्य मंत्री थे, उस समय जनजाति वर्ग के लिए टीएसपी क्षेत्र के अन्दर 36 परसेंट पर पात्रता का प्रावधान किया था, लेकिन उसी जनजाति वर्ग के अन्दर एससी समुदाय भी आता है। जैसी स्थिति एसटी की है वैसी की वैसी स्थिति एससी की भी है। दबे, कुचले, गरीब, अनपढ़ आज उनकी स्थिति है। मैं आज सदन में मांग करता हूं कि एसटी के लोगों को जिस प्रकार से रीट में 36 परसेंट पर पात्र माना है, उसी प्रकार से एससी के लोगों को भी 36 परसेंट पर रीट में पात्र माना जाये।

आज जिस प्रकार सम्बल योजना के बारे में कह रहे थे। सम्बल योजना के अन्दर जिस गांव की 40 परसेंट आबादी एससी की हो, वहां विकास के प्रावधान किये गये हैं। सभापति महोदय, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से उस गांव में क्या होगा? अगर हम चाहते हैं एससी वर्ग का सम्पूर्ण विकास हो, उनका उत्थान हो तो निश्चित रूप से सम्बल योजना में प्रत्येक गांव के लिए 50-50 लाख की व्यवस्था हो, ताकि वहां पर पेयजल के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए पूरी व्यवस्था की जाये। दूसरा, 40 परसेंट का जो आंकड़ा बनाया गया है, यह एक राइडर है। इसको कम करते हुए जहां 20 परसेंट, 30 परसेंट भी एससी की आबादी हो, वहां पर भी सम्बल योजना को लागू करके उनका विकास किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, कालेज में प्रवेश में भी दिक्कत आ रही है। वहां के छात्र मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमको नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है, उसी प्रकार से जनसंख्या के अनुपात में कालेज में भी हमारा प्रवेश हो। अभी भारत सरकार ने एक नयी गाइडलाइन जारी कर दी है, नरेगा के अन्दर ऑनलाइन हाजिरी भरी जाय।

(श्री रामलाल मीणा)

सभापति महोदय, हमारे जंगल के क्षेत्र में टावर तो आते नहीं हैं। अधिकतर मेटों के पास मोबाइल नहीं है, वे हाजिरी कैसे भरेंगे इसलिए ऑनलाइन हाजिरी भरने का सिस्टम खतम करके पहले की तरह किया जाये। दूसरा, रोजगार गारंटी में 100 दिन का अवसर हमें दिया गया है, लेकिन 100 दिवस के अन्दर आदिवासी हो या एससी-एसटी का कोई भी हो, उस परिवार का भरण-पोषण नहीं हो सकता है। अन्य कोई रोजगार के साधन नहीं हैं इसलिये

(समय: 17.00 बजे)

टीएसपी क्षेत्र में एससी/एसटी के लोगों के लिए 200 दिन का रोजगार गारंटी का नियम होना चाहिए ताकि उनका भला हो सके। आज मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास जी महाराज जी ने कहा और रविदास जी महाराज ने दबे कुचले वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। अनेक महापुरुषों के नाम से उनकी जयंती के नाम पर छुट्टियां हैं, तो ऐसे समुदाय के लोग भी मांग करते हैं कि रविदास जयंती पर भी हमारे छुट्टी हो।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें, प्लीज।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, जिस प्रकार से आदिवासियों को वनाधिकार का हक माननीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिला लेकिन दुर्भाग्य रहा कुछ समय बाद सरकार चैंज हो गयी, राजस्थान के अन्दर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और वनाधिकार एक्ट में पांच साल में एक भी आदिवासी को पट्टा नहीं दिया। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गयी और माननीय मुख्य मंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने पदभार ग्रहण किया और करते ही तुरन्त उन्होंने एक आदेश जारी किया है, जहां-जहां आदिवासी निवास कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उस जमीन का हक आदिवासियों को मिलना चाहिए और इसमें जो कठिनाई आ रही है उस कठिनाई को दूर करते हुए ई-मित्र पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं लेकिन, सभापति महोदय, आदिवासियों के नियम अलग रखे गये और एससी वर्ग के लोगों के नियम भी अलग रखे गये, जिससे लगभग आदिवासियों के कुछ पट्टे तो बन गये, कुछ पट्टे प्रक्रियाधीन हैं लेकिन एससी वर्ग के एक भी व्यक्ति को आज तक वनाधिकार का पट्टा नहीं मिला, इसलिये मैं सदन में मांग करता हूं कि जो नियम आदिवासियों के ऊपर लागू हुआ है वह का वह नियम एससी वर्ग के लोगों पर भी लागू करें और लागू करके उस नियम के अनुसार ही वनाधिकार के पट्टे एससी वर्ग के लोगों को भी दिये जायें।

(श्री रामलाल मीणा)

माननीय सभापति महोदय, एक बात और रह गई थी कि आज जिस प्रकार से इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के अन्दर 5.5 प्रतिशत उदयपुर सम्भाग टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को अलग से एसटी के वर्ग के लोगों को मौका दिया जाता है, उसी प्रकार से राज्य प्रशासनिक सेवाओं में आरएएस और आरजेएस के अन्दर भी 12 में से जितनी उदयपुर सम्भाग की जनसंख्या है उनको अलग से आरक्षण का प्रावधान मिले तो हम भी बराबरी कर सकें, हमारे लोग भी आरएएस बन सकें, आरजेएस बन सकें।

सभापति महोदय, आज भी सभी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या हमारी सरकार हो, आदिवासी अधिकारी, एससी का अधिकारी हमेशा टारगेट पर रहा है। उनके खिलाफ कार्यवाहियां की जाती हैं, जानबूझ कर उनको परेशान किया जाता है। अभी मेरे हतुनिया थाने के अन्दर भी एक एसटी के अधिकारी को सस्पेंड करके दूसरी जगह लगा दिया। वह इसलिये लगा दिया कि आईजी साहब को वहां तस्करी करवानी थी और वहां उनके अधिकारी को लगाना था इसलिये एसटी के अधिकारी को बलि का बकरा बनाया। इसलिये मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार से एससी/एसटी के अधिकारियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्य पदों पर लगाया जाये और जब तक वो मुख्य पदों पर नहीं जायेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे कैसे, फिर उनको देखकर दूसरे सीखेंगे कैसे, इसलिय मेरा निवेदन है कि इनका बराबर तरीके से ध्यान रखा जाये।

मुझे बोलने का मौका दिया, मैं पुन: माननीय अशोक जी गहलोत साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं जो दीन-दुखियों, गरीबों का एससी/एसटी का भला करते हैं, हमेशा उनके कल्याण के लिए बात करते हैं। माननीय गायत्री देवी जी कह रही हैं कि एससी/एसटी छात्रावास के अन्दर जो भोजन बनाने का काम रसोइया करते हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम है, उसको भी बढ़ाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद, साहब।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 51 के माध्यम से सदन में बोलने का मौका दिया। अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति शुरू करने हेतु सरकार द्वारा ठोस प्लान बनाया जाना चाहिए। आज भी सम्पूर्ण प्रदेश में शिक्षा के अभाव में

(श्रीमती शोभा चौहान)

अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इन योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं दलित समाज के लिए संचालित हैं उनका व्यापक प्रचार और प्रसार नहीं हो पा रहा है, जिस कारण दलित समाज में योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है। इन योजनाओं में पात्रता रखते हुए भी इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास के कारण सबसे ज्यादा नुकसान बालिकाओं का हो रहा है। इसी कारण इनकी प्रगति नहीं हो रही थी और स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक योजनाएं जो संचालित हैं परन्तु इस समुदाय के पिछड़े होने के कारण इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इस समुदाय के शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के सम्बन्ध में यह कहना चाहती हूं कि सरकार द्वारा इस वर्ग के बच्चों हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में जगह-जगह समाज कल्याण छात्रावास खोले गये लेकिन इन छात्रावासों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अधिकांश छात्रावासों के भवन जर्जर अवस्था में हैं। इनमें मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, बिजली व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होने के कारण इन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु उचित माहौल नहीं मिल पाता है। यहां तक कि वहां वार्डन भी नहीं रुकते हैं क्योंकि आये दिन छात्राओं के साथ घटनाएं वहां होती रहती हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही इन छात्रावासों में मिलने वाला भोजन भी गुणवत्तापूर्ण स्तर का नहीं है। इन समाज कल्याण छात्रावासों की मानिटरिंग समाज कल्याण विभाग या सम्बन्धित जिला परिषद् जिले में कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि समस्त प्रदेश में चलाये जाने वाले इन छात्रावासों में दलित समाज के छात्र-छात्राओं की स्थिति सुधारने हेतु मानिटरिंग की आवश्यकता है। साथ ही इनके लिए स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम की भी आवश्यकता है। उक्त प्रोग्राम के साथ प्रोफेशनल कोर्स भी प्रारम्भ किये जाने चाहिये, जिससे विभिन्न प्रतियोगिताओं में अनुसूचित जाति छात्रों का स्तर सुधरे। अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जितनी भी योजनाएं संचालित हैं उन योजनाओं का ढंग से प्रचार-प्रसार हो और इसमें पात्रता रखने वाले परिवारों को राज्य सरकार के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकता से लाभ दिलाये जाने का प्रयास करना चाहिये।

(श्रीमती शोभा चौहान)

सभापति महोदय, जितने भी अनुसूचित जाति के परिवार कृषि व पशुपालन से जुड़े हुए हैं, उनको भी अपने कार्य में बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिये, जिससे वे अपने जीवनस्तर को ऊपर उठा सकें। पूर्व में भी सदन में समय-समय पर अनुसूचित जाति के क्षेत्रों का जिक्र हुआ है, इन क्षेत्रों में रहने वाले दलित समाज को आजादी के सत्तर साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं हेतु जूझना पड़ रहा है। बिजली, पानी, सड़क, खाद्य सामग्री, चिकित्सा सुविधाएं, विद्यालय आदि मूलभूत सुविधाओं से जो आज भी वंचित हैं। संविधान निर्माता डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को बनाते समय अनुसूचित जाति हेतु विशेष प्रावधान इसलिये किया था कि वे लोग मूलभूत अधिकारों को प्राप्त कर आर्थिक रूप से सक्षम, शिक्षित, सबल और स्वस्थ रहकर समाज की मुख्यधारा में अपना स्थान बना सकें। सरकार को भी इन भावनाओं को ध्यान में रखकर विशेष अभियान चलाकर इन अनुसूचित जाति वर्ग को सबल बनाना चाहिये।

एससी/एसटी अत्याचार उत्पीड़न निवारण अधिनियम, सामाजिक न्याय व शोषण से मुक्ति विभाग का पहला काम है किन्तु विगत 6 माह में उत्पीड़न व अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अत्याचारी व अपराधियों के हौसले और बुलन्द होते जा रहे हैं। अनूसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत समीक्षा समिति का न तो पूर्णत: गठन हो पाया है और न ही कलेक्टर व एसपी इन्हें गम्भीरता से ले रहे हैं। मुकदमों के दर्ज होने, अपराधों के अन्वेषण, अपराधियों को सज़ा दिलाने, गुनहगारों को सुरक्षा प्रदान करने जैसे मुद्दों पर नियमित समीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं और न ही पीड़ितों को समय पर राहत मिल रही है।

सभापति महोदय, आयोजना द्वारा बजट में राजस्व एवं पूंजीगत मदों की समस्त योजनाओं के लिए एससी वर्ग की समस्त जनसंख्या के अनुपात में बजट आबंटित किया जाता है, इसके व्यय की समीक्षा के लिए काल्पनिक आधार को आधार माना जाता है जबकि इसकी समीक्षा अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए वास्तविक रूप से किये गये व्यय के आधार पर की जानी चाहिये। अनुसूचित जाति उप योजना अन्तर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं में आबंटित बजट व व्यय की मानिटरिंग व समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर पर मासिक तौर पर की जानी चाहिये।

(श्रीमती शोभा चौहान)

सभापति महोदय, अन्त में मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में बीस प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की है। मेरे यहां सोजत शहर में नीमलीनाड़ी में समाज कल्याण विभाग का जो छात्रावास बना हुआ है वह भवन बहुत जर्जर अवस्था में है। इस भवन में कमरों की भी कमी है इसलिये सोजत शहर में नीमलीनाड़ी में समाज कल्याण छात्रावास का नये भवन बनाने की मांग करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह जी।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद, सभापति महोदय, मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के बारे में मैं मेरी बात प्रारम्भ कुछ अतीत में ले जाकर करना चाहूंगा। मीरा के उस दोहे से मेरी बात प्रारम्भ करना चाहूंगा। मीरा का पद, सभापति महोदय,

"जेताई दीसै धरमि गगन विच, तेता ही सब उठ जासी,
भज मन कंवल चरण अविनाशी।"

यह मीरा का पद है और मीरा भक्त शिरोमणि कहलायी है। मैं आपको आगे कहना चाहूंगा,

'लकड़ी जली कोयला भयी, कोयला भई राख।
मीरा तो ऐसी जली, कोयला भयी न राख।'

स-शरीर कृष्ण में समा गयी और उस भक्त शिरोमणि मीरा के गुरु रैदास जी थे। सभापति महोदय, मैंने अतीत में ले जाने की बात इसलिए कही कि आजादी के 75 वर्ष पश्चात् भी आज हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, आज छुआछूत की बात चल रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, हमारी सोच को बदलना होगा। हम अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जो भी योजनाएं बनाते हैं, हमारी सोच मात्र वोटों तक ही सीमित रहती है कि इन्हें आंकड़ों के जाल में फंसा कर, आंकड़ों का जाल बता कर हम वोट किस तरह बटोरें, उसके अलावा हमारी सोच नहीं है।

मैं मेरी बात बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के उस कथन से प्रारम्भ करूंगा। सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने कथन में यह कहा था कि भले ही अंग्रेज हमारे हिन्दुस्तान से कोहिनूर ले गये लेकिन मैंने उस कोहिनूर को तराशा है जिसकी रोशनी दिन-प्रतिदिन इस देश और दुनियां में फैलती

(श्री खुशवीरसिंह)

रहेगी। सभापति महोदय, परसिया भाषा में कोहिनूर का मतलब होता है 'प्रकाश' और आज बड़ौदा के महाराज को कोई याद नहीं करता है। उस वक्त आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने उस कोहिनूर को तराशा, स्कूली शिक्षा दी, कालेज की शिक्षा दी और विलायत भेजा। उस वक्त विलायत जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अमरीकन भी विलायत जाने के लिए उस वक्त लालायित रहते थे। वहां इंग्लैंड में भेजकर उन्होंने शिक्षा-दीक्षा देकर उससे भी बढ़कर एक काम किया कि उन्होंने अपनी आर्मी में पहले मेजर की पोस्ट पर और उसके बाद सर्वोच्च पद पर उनको बिठाया। उस समय कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, उनको वोट नहीं लेने थे, उन्होंने प्रतिभा की कद्र की है। राजनीतिक दलों में हमें वह सोच पैदा करनी होगी तभी हम बढ़ पायेंगे, अन्यथा इस सोच के साथ रहे तो इस लोकतंत्र पर तीसरी नजर देख रही है। बहुत जल्दी वक्त आने वाला है। बाबा साहब की कई भावनाएं थीं, उनको इतिहास के पन्नों में गुम कर दिया गया, उनकी भावनाओं को दबा दिया गया, लेकिन एक न एक दिन वह बात आगे आयेगी और इस लोकतंत्र में उनकी भावना को वापस हमें स्थापित करना होगा।

सभापति महोदय, 'मिनख-मिनख सब एक, कुण ऊंचो, कुण नीचो। सबै बनाया राम जी, राम संवारे बीज।' भगवान श्री राम जब वनवास के लिए घर से निकले और वहां पर शबरी के जूठे बेर भी खाने पड़े, शबरी के जूठे बेर खाने के बाद भी जब भगवान राम पुन: आये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाये। सभापति महोदय, आज हम जिस भावना के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को देखते हैं, उस वक्त यह सोच नहीं थी, सोच बाद में पैदा की गई है। एक साजिश के तहत यह सोच पैदा की गई है।

सभापति महोदय, मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमें आरक्षण पर मूल्यांकन करना होगा। आरक्षण की बात हम करते हैं लेकिन मूल्यांकन की बात हम नहीं करते हैं। कितनी योजनाओं को हम धरातल पर लेकर आये और कितने आरक्षित वर्ग को हम लाभ दिला पाये? मेरे गांव में ऐसे कई परिवार हैं जो 75 वर्ष पहले थे, उसी स्थिति में आज भी हैं। मैं जाता हूं, मैं देखता हूं, हम मीठी-मीठी बात करके आ जाते हैं क्योंकि हमें वोट लेने हैं, वोटों की बात करके आ जाते हैं। सभापति महोदय, लेकिन जो पात्र व्यक्ति है, उस तक पहुंचाने में हमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है।

(श्री खुशवीरसिंह)

सभापति महोदय, कुछ शब्दों का जो चयन करते हैं 'दलित'। 'दलित' शब्द को किसी ने परिभाषित किया? दलित का मतलब क्या होता है? हम इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि जो ऐसे वर्ग हैं, उस वर्ग की सोच वहां तक सीमित रह जाये, आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं जोधपुर संभाग से पाली जिले से आता हूं, वहां की मैं रियासत काल की बात करूं, मैंने दस्तावेज देखे हैं, बही देखी है मैंने, मेरे पास है वह। उस वक्त अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण था। वह चरागाह भूमि, गोचर भूमि, ओरण भूमि में अपनी जीविकोपार्जन के लिए उस वक्त जो भी सामग्री होती थी, जलाऊ लकड़ी से लगाकर सूखी सब्जी तक, केर, कुमठ, सांगरी, मात्र उनके लिए ही आरक्षित थी, कोई दूसरा वहां से नहीं ला सकता था। जागीर की बात हम करें तो मारवाड़ रियासत में तीन नाम तो मुझे याद हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति के जागीरदार थे। एक गांव का नाम है हरखेजड़ा, रानी के पास में। दूसरा गांव है हीरावास और तीसरा गांव अनुसूचित जनजाति के जागीर का मेवा, भाद्राजून के पास में है। वहां के हमारे पूर्व स्पीकर भी रहे हैं। जो मान सम्मान उनको जागीर के वक्त मिलता था, आज भी वही मान सम्मान उनको मिलता है। सभापति महोदय, हमें सोच में बदलाव लाना होगा।

सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने क्षत्रिय की भाषा को परिभाषित किया है। शम त्रेताय क्षत्रिय। जो नाश होने से, खतम होने से बचाता है, वही क्षत्रिय है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है। हमारी मानसिकता है कि हम जाति विशेष से जोड़कर क्षत्रिय को देखते हैं। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक चरित्र है और उस चरित्र का जो भी निर्वहन करेगा, वही क्षत्रिय कहलायेगा।

सभापति महोदय, 3 अप्रैल, 2017 की उस घटना को मैं यहां कहना चाहूंगा। मेरे गांव के अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ बच्चे मेरे पास आये कि बाबा साहब का कुछ कार्यक्रम रखा है, उसमें आपको चलना है। मैंने कहा कि निश्चित रूप से मैं चलूंगा। मैं वहां गया, मैं रैली में शामिल हुआ और सभापति महोदय, दूसरे दिन मेरे प्रतिपक्ष के कुछ साथियों ने सोशल मीडिया पर मेरे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, सभापति महोदय, मैं उन शब्दों को इस सदन में दोहरा नहीं सकता। मैंने चिंतन किया, ईमानदारी से कह रहा हूं मैं तीन दिन तक खाना नहीं खा पाया उन शब्दों को सुनकर। मैंने कहा कि

(श्री खुशवीरसिंह)

मैंने कौनसा गुनाह कर दिया, मैंने मेरे कर्तव्यों का निर्वहन किया है। मैंने जिस कुल में जन्म लिया है, मैंने उस कुल का निर्वहन किया है, मुझे मेरे परिवार से जो संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों का मैंने निर्वहन किया है और मुझे कोई डर नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैंने तीन दिन बाद एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल को हजारों-लाखों लोगों ने पढ़ा। जब मेरे परिवार को यह बात पता चली तो मेरे परिवार के मेरे अग्रज ने मुझे गले लगा लिया और आंखों में पानी भर आया कि वास्तव में तुमने हमारे पिता की मर्यादा को रखा है। एक क्षत्रिय कुल की मर्यादा को रखा है और जिस तरह से तुमने वृतान्त किया है।

सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे पिताश्री आजादी से पूर्व, आप आज मेरे गांव में कहीं पर किसी वयोवृद्ध से जाकर पूछ सकते हैं, आजादी से पूर्व अनुसूचित जाति, जनजाति के दूल्हे के घोड़े की व्यवस्था हमारे घर से की जाती थी। यह उदाहरण आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, मैं गर्व के साथ यह बात कह सकता हूं। मैंने मेरे पिताश्री से एक बार बचपन में पूछ लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, यह दूल्हा राजा है और दूल्हे को राजा का प्रोटोकाल मिलता है। हमें सोच को बदलना होगा। हमने लोकतंत्र में आकर यह पदवी नहीं दी है। यह हमारे पूर्वजों की हजारों वर्षों की परम्परा है। चाहे किसी भी जाति का दूल्हा है, आज भी हम हमारी मायड़ भाषा में बींद राजा कहते हैं। उसको राजा की पदवी दी जाती थी, प्रोटोकाल राजा का मिलता था। जब तक हम सोच में बदलाव नहीं लायेंगे, तब तक चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, चाहे हमारे गहलोत साहब कितनी भी योजनाएं बना लें, हम सबको एक होकर, उठकर इन विचारों में बदलाव करना पड़ेगा।

पिछले तीन बजटों में गहलोत साहब ने जो सौगातें दी हैं, लेकिन उन सौगातों को धरती पर उतारने का काम आपका, पक्ष, विपक्ष का, सभी का काम है, अकेले एक मुख्य मंत्री का काम नहीं है। आज बाबा साहेब को इसलिये याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? उसके पीछे हमारी दूसरी मानसिकता है और वह वोट बैंक की मानसिकता है। अगर हम बड़ौदा के महाराज की बात को सोचें तो उनके पास कोई वोट बैंक की मानसिकता नहीं थी। आज मात्र वोट बैंक की मानसिकता के साथ हम बाबा साहेब को याद करते हैं। हमें इस सोच को बदलना होगा। राजीव जी ने पंचायती राज में आरक्षण देकर एक क्रान्ति घटा दी, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि आज भी,

(श्री खुशवीरसिंह)

इतने वर्षों के आरक्षण के बाद हम कहां खड़े हैं, उसके बारे में हमें सोचना होगा।

मैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाता हूं। मेरे यहां पर समाज कल्याण विभाग का एक छात्रावास है। सभापति महोदय, उनको देखते हैं तो हमें शर्म आती है। वहां पर कोई बिजली का स्विच टूटा हुआ है, कांच नहीं है, उनके दरवाजे नहीं हैं। ये हालात हैं। उनके लिए हम जो बजट प्रोवाइड कर रहे हैं, वह बहुत शर्म की बात है। हमें इसके बारे में सोचना होगा कि किस तरह से हम, हमारे विचारों में क्रान्ति लाकर और हमारे विचारों को परिवर्तित करके पूर्व की भांति हम इनको बराबर समझ सकें, तभी भारत महान कहलायेगा। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारा भारत देश विभिन्न जातियों और धर्मों का देश है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब यह परिकल्पना की गयी थी कि हमारा देश ऐसा हो, जिसमें सभी जाति वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार मिले। हमें खुशी है कि आजादी के बाद पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी के नेतृत्व में इस काम को पूरा किया गया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उस महापुरुष की रही, उस महामानव की रही, जिसे आज पूरी दुनियां भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानती है। मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूं कि जिनकी वजह से, वे आजाद भारत देश में एक ऐसा संविधान लेकर लाये जिसमें प्रत्येक वर्ग को खुली सांस लेने का अवसर मिला और शोषित एवं वंचित वर्ग को आगे आने का अवसर मिला। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी दलित समाज के साथ-साथ प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए पूजनीय हैं, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में किया। हम सब जानते हैं और हमने पढ़ा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने किन परिस्थितियों में और किन विकट परिस्थितियों के दौरान अध्ययन किया और आगे जाकर भारत देश का नाम रोशन करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं सवर्ण जाति से अग्रवाल बनिया हूं। मुझे बचपन से ही एक शिक्षा और दीक्षा दी गयी कि हमें गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानना है। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया कि हमें

(श्री अमित चाचाण)

राजनीति को व्यापार नहीं, बल्कि एक समाज सेवा मानना है और जो भी कोई पीड़ित व्यक्ति आये, उसे हमें न्याय दिलाना है, चाहे वह किसी भी जाति और धर्म का हो। गरीब व्यक्ति, जो कि पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा है, उसको हमें आगे लेकर आना है।

मैंने और मेरे परिवार ने नगरपालिका का लम्बे समय तक नेतृत्व किया। मैंने बचपन से देखा, जब कोई दलित वर्ग का या कोई सफाई सेवक आता था, बड़े मान और सम्मान के साथ मेरे घर में इज्जत की जाती थी और उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाता था, इज्जत से बराबर बैठाकर उसका जो भी कार्य था, वह किया जाता था। उसी का यह नतीजा है कि मैं जाति प्रथा को तोड़ते हुए, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ढाई लाख में से बनियों के तीन-चार हजार वोट हैं, लेकिन पिता के संघर्ष और सभी जातियों और धर्म के गरीब व्यक्तियों को हमने आगे लाने का काम किया। उसी का नतीजा है कि, न मैं आज बड़े राजनीतिक घराने से हूं और न ही मैं आर्थिक दृष्टि से मजबूत हूं, लेकिन उसके बावजूद भी इस सदन में मैं आज बोल रहा हूं। यही वह परिणाम है कि हमने सभी जाति, धर्मों को समानता के साथ देखा और पंक्ति के अन्तिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसको आगे लाने का काम किया।

महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 'फैसला करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि हम जो फैसला कर रहे हैं, उस फैसले से अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसको उसका कितना लाभ होगा'। इसी नीति पर हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत भी काम कर हैं। वे भी यह चाहते हैं कि जो भी जन कल्याणकारी योजना चलायी जा रही है, उनसे प्रत्येक जाति, धर्म के जो कमजोर शोषित वर्ग के लोग हैं, उनको आगे लाने का काम किया जाये। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जाति और धर्म की बात नहीं की। उन्होंने सदैव यही कहा कि किस तरह से हमारा भारत देश आगे बढ़े, किस तरह से हम शोषित वर्ग को आगे ला सकें, किस तरह से हम कमजोर वर्ग का विकास कर सकें। पंक्ति में जो अंतिम छोर पर खड़े हैं, उन्हें किस तरह से आगे लाया जा सके। इस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, चाहे हम पक्ष के हों, या विपक्ष के हों, आज का जो विषय है वह वाद-विवाद का नहीं है, आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है। हमें सामूहिक रूप से सोचना होगा कि आज भी आजादी के बाद जब हम

(श्री अमित चाचाण)

अखबारों में पढ़ते हैं कि कहीं दूल्हे को उतार दिया जाता है, तो कहीं मन्दिरों में नहीं जाने दिया जाता है। हमें सामूहिक रूप से यह सोचना होगा कि इस आधुनिकता के दौर में आज भी यदि इस तरह की बातें चलती हैं तो इसके लिए हमें कठिन और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा कि किस तरह से हम शोषित वर्ग को आगे लायें?

बाबा भीमराव जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें शिक्षा का प्रचार और प्रसार जोर-शोर से करना होगा। जहां पर भी दलित बस्तियां हैं, दलित बहुल क्षेत्र हैं या कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, वहां हमें शिक्षा का प्रचार-प्रसार करते हुए चाहे अत्याधुनिक विद्यालय खोलने पड़ें चाहे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने पड़ें, क्योंकि शिक्षा वह हथियार है जिसके माध्यम से व्यक्ति बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकता है और आगे बढ़ सकता है, उसका भविष्य सुनहरा हो सकता है तो वह शिक्षा के माध्यम से हो सकता है।

मुख्य मंत्री जी ने अनेकों योजनाएं चलायीं। एससी, एसटी विकास के लिए जो 100-100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, उसको बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, क्योंकि मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि एससी, एसटी वर्ग के लोगों को हम आगे लेकर आयें। इसलिये उनकी सोच के मुताबिक हमें गर्व है कि आज हमारे दलित समाज के चार कैबिनट मंत्री मुख्य मंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज जब हम इस सदन में बोलते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन सभी सदस्यों को यह विचार करना होगा कि आज जो हम बातें कर रहे हैं, क्या उन बातों को हम राजनीतिक जीवन में ढालना चाहते हैं, क्या उन बातों का धरातल पर भी ध्यान रखना चाहते हैं? क्या आज हम हमारे विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गरीब व्यक्ति से सीधा मिलते हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। आज से पूर्व कोई विधायक किसी गरीब व्यक्ति से सीधा नहीं मिलता था, उसके लिए उनको मध्यस्थ की आवश्यकता होती थी, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मेरे घर के दरवाजे, चाहे वे किसी जाति या धर्म के हों, पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। वह सीधा आकर मिल सकता है, क्योंकि हमारी भावना पीड़ित मानव को न्याय दिलाने की है, क्षेत्र के विकास के लिए है।

(श्री अमित चाचाण)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे दलित समाज के जो बाहुल्य क्षेत्र हैं, पंचायत मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन की स्थापना करनी चाहिए।

(समय: 17.30 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

आज हम गांवों में जाते हैं, देखते हैं कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी गांव में जो दलित की बस्तियां हैं, वहां आज भी सड़कों का अभाव है, आज भी उनके घरों तक पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। हमें एक सामूहिक प्रयास करना होगा कि प्रत्येक वर्ग को समानता का अधिकार देते हुए प्रत्येक बस्ती तक सड़कों का निर्माण हो, पीने का पानी हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो तभी हम एक नये भारत के सपने को साकार कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ विनती भी करना चाहता हूं कि आज अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति को हमें बढ़ाना होगा। हम जो कक्षा 6 से 8 तक 125 रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं, उसको हमें 500 रुपये करना चाहिये। लड़कों को 75 रुपये दे रहे हैं, उसको 400 रुपये करना चाहिए। कक्षा नौवीं, दसवीं के लिए जो 225 रुपये दे रहे हैं, उसको कम से कम 800 रुपये करना चाहिए। जो कक्षा ग्यारह व बारह के लिए 230 रुपये दे रहे हैं, उसको 100 रुपये करना चाहिये क्योंकि आज केन्द्र की भाजपा सरकार ने देश को चाहे कुछ भी नहीं दिया हो लेकिन महंगाई जरूर दी है। अगर इस बढ़ती महंगाई के लिए हम अपने उज्ज्वल भविष्य, उन बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो उनके साथ ये अन्याय होगा। इसलिए बढ़ती महंगाई को देखते हुए हमें छात्रवृत्तियों को बढ़ाना होगा। प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावास बनाने चाहिए।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर): मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास जो मुख्य मंत्री जी से मैंने मांग की थी, उसका भी निर्माण होना चाहिये। अनुसूचित जाति के जो भी लघु कृषक हैं, उन्हें बीज-खाद मुफ्त में उपलब्ध करवाना चाहिये। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गयी हैं, उनको धरातल पर उतारने के कठोर कदम उठाएं। अधिकारियों को

(श्री अमित चाचाण)

पाबन्द कीजिए कि जो कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलायी गयी हैं, उनका सख्ती से पालन हो और धरातल पर उतरे। एक बार आपका पुन: बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भीम।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, आज अनुदान की मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर विचार हो रहा है। विशिष्ट संघटक योजना यह है कि जो राजस्थान का टोटल बजट होता है, उसको जितनी अनुसूचित जाति की जनसंख्या राजस्थान में रहती है, उतना प्रतिशत बजट अनुसूचित जाति के विकास के ऊपर खर्च होना चाहिये, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नियमों में प्रावधान होने के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है। वह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा मन नहीं है।

मैं बधाई देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रीमान भैरोंसिंह जी शेखावत को। ये व्यवस्था भी वर्ष 1977 में प्रारम्भ की थी, जिसको स्टेट कम्पोनेंट प्लान कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि राजस्थान सरकार के जितने भी विभाग हैं, सब विभागों के बजट में अनुसूचित जाति के लोगों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में, यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो 17 परसेंट अधिकार अनुसूचित जाति का है, लेकिन आज तक उन पर खर्च नहीं हो रहा है। दिखाया जरूर जा रहा है, फ्लो में दिखा देते हैं कि एक तालाब बना तो इतने परसेंट अनुसूचित जाति के लोगों ने इसका उपयोग किया होगा, इतने लोगों ने इसमें स्नान किया होगा। ये सोचकर उसको बुक कर देते हैं। वास्तव में उनके ऊपर खर्च नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं और सरकार की मंशा भी है, केन्द्र सरकार की मंशा भी है और माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब की भी मंशा यही थी कि इनका उत्थान हो, इनका कल्याण हो।

आज भी हम देखते हैं कि जब किसी गांव या शहर की विकास की बारी आती है तो सबसे पहले उसके सिर से प्रारम्भ करते हैं, हैड से प्रारम्भ करते हैं डवलपमेंट, हमको टेल से प्रारम्भ करना चाहिये। पिछड़े लोगों की बस्तियों से प्रारम्भ करना चाहिये। जो गरीब लोग हैं, उनसे प्रारम्भ करना चाहिये, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूं। किसी सड़क का निर्माण होता है, उस सड़क की 30 किलोमीटर दूरी है उस गांव तक आने की, उस गांव के हैड पर लाकर सड़क को छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि इतने परसेंट गांव में लोग रहते थे, इसलिए सारा खर्चा उसमें बुक

(श्री मदन दिलावर)

कर देते हैं। चाहिए ये कि गांव की सड़क जब गांव तक आ गयी, यदि अनुसूचित जाति की बस्ती तक जाने में 500 मीटर है तो उस 500 मीटर का ही बुक करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है।

पानी की योजना बनेगी तो पहले सम्पन्न लोगों के मोहल्ले में पानी जाएगा, अनुसूचित जाति, गरीब लोगों के मोहल्ले में बाद में पानी जायेगा। जो टेल पर रहेगा, वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, फिर भी वह सारा का सारा पैसा बुक हो जाता है एस.सी.पी. में यानी स्टेट कम्पोनेंट प्लान में। यह ठीक नहीं है।

इसी प्रकार से आपने छात्रावासों के बारे में देखा होगा। छात्रावास में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., ई.डब्ल्यू.एस. आदि कई कैटेगरी हैं, लेकिन सारा का सारा पैसा एस.सी.पी. में यानी स्टेट कम्पोनेंट प्लान यानी अनुसूचित जाति के मद में दर्ज हो रहा है। मैं समझता हूं ये व्यवस्था तो ठीक नहीं है। इससे कैसे काम चलेगा? कुछ गांवों को आइडेंटिफाई किया है, केन्द्र सरकार ने भी किया है, राज्य सरकार ने भी किया है। केन्द्र सरकार ने आदर्श ग्राम योजना बनायी है और राजस्थान सरकार ने सम्बल ग्राम योजना बनायी है। सम्बल ग्राम योजना, सम्बल ग्राम कैसे होगा? आदर्श ग्राम कैसे होगा? इसका नक्शा बनाया है क्या? पूरा डायग्राम बनाकर दिया क्या कि वहां कैसे काम होगा? बेसिक बातें जो हैं, गांव की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग हो सकती है, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो एक जैसी हो सकती हैं। उस आदर्श गांव में क्या-क्या होना चाहिये? सम्बल गांव में क्या-क्या होना चाहिये? वह सब उसमें होना चाहिये।

मैं मेघालय के एक गांव में जाकर आया था, एक तरह से पर्यटन स्थल बन गया है। वहां देश के कोने-कोने से लोग आकर उसको देखते हैं, साफ-सफाई कैसी है, सड़कें कैसी हैं? हर घर के सामने फुलवारी है। मैं देखकर दंग रह गया कि वास्तव में यह तो स्वर्ग है। क्या हम इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी जो अनुसूचित जाति के बाहुल्य गांव हैं उनको इस प्रकार का नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं, पैसा है, यदि बजट को सारे को जोड़ा जाए, उसका 17 परसेंट काउंट किया जाए तो बहुत पैसा है हमारे पास। लेकिन हम उसको खर्च नहीं कर रहे हैं। कहीं नहर से माइनर निकाला जाता है तो माइनर का टोटल पैसा उसमें बुक कर दिया जाता है कि अनुसूचित जाति के खेतों में पानी देने के लिए हमने ये किया, इतना परसेंट हुआ। ये नाटक बन्द

(श्री मदन दिलावर)

होना चाहिये। इसके कारण से अनुसूचित जाति के लोगों का विकास नहीं हो रहा है। ये नाटक बन्द नहीं करेंगे तो इसका अर्थ ये है कि अनुसूचित जाति के भोलेपन का फायदा उठाकर, उनको लूटने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिये।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कोई न कोई मैकेनिज्म बनना चाहिये। मैकेनिज्म के लिए स्टेट लेवल पर कमेटी होनी चाहिये। कमेटी है भी सही, लेकिन 1977 के बाद मीटिंग कितनी हुई हैं? मैं बताऊं आपको, मुझे नहीं लगता कि दस से ज्यादा मीटिंग हुई होगी। जब समाज कल्याण मंत्री मैं था तब 4 मीटिंग तो मैंने ली हैं। उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। जिला स्तर पर उसकी मानिटरींग कमेटी होती है, उसकी मीटिंग नहीं होती। आखिर ये सब क्या है?

अनुसूचित जाति पर जब अत्याचार का मामला आता है तो पैसे केवल मर्डर के मामले में, रेप के मामले में दिये जाते हैं। शेष मामलों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? पैसों का उपयोग कहां करेंगे? अनुसूचित जाति का एस.सी.पी., स्टेट कम्पोनेंट प्लान में जो पैसा होता है, इस पैसे का दुरुपयोग करने वालों को या इधर-उधर डायवर्ट करने वालों को, अलग योजना में डायवर्ट करने वालों को या सरकार को भी अंधकार में रखते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जब तक दण्डात्मक कार्यवाही नहीं होगी तब तब ये एस.सी.पी. का पैसा इधर-उधर होता रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसके लिए कोई न कोई मैकेनिज्म डवलप करना चाहिये। मुझे लगता है कि ये सरकार परेशान होकर, दुःखी मन से एक बिल भी ला रही है, वह बिल भी आधा-अधूरा है, उसमें दण्डात्मक कार्यवाही नहीं है। हालांकि उस बिल पर मैं अभी जाना नहीं चाहता हूं, उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा लेकिन उसमें भी ठोस प्रावधान होने चाहिये थे, जो नहीं किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, क्यों नहीं इन पैसों का उपयोग अन्य जगह कर सकते हैं? मैं समाज कल्याण मंत्री था, हमने सोचा कि जो हाई रेप्युटेड संस्थान हैं, जो कोचिंग करवाते हैं, जो डाक्टर्स, इंजीनियर्स बनाते हैं, उनका कोचिंग का पैसा, अनुसूचित जाति के लोगों का एडमिशन अगर ऐसे हाई रेप्युटेड संस्थान में हो जाता है, उनका सारा का सारा कोचिंग का पैसा सरकार के खजाने में से जाएगा। मैं जब तक समाज कल्याण मंत्री रहा, जाता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसको बन्द कर दिया। हमने क्या अपराध किया?

(श्री मदन दिलावर)

हमने क्या अपराध किया, क्यों बन्द कर दिया? उस समय हज़ारों की संख्या में डाक्टर्स, इंजीनियर्स गरीब लोग बने थे। अब बन्द हो गये हैं। गरीब आदमी एडमिशन नहीं ले सकता है। कोचिंग का बहुत पैसा लगता है।

आपने देखा होगा, अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हैं। 6 महीने में, जिला कलेक्टर को आवेदन करने के बाद कब्जा हटाने का, अनुसूचित जाति के आदमी को जमीन सम्भलाने का प्रावधान है, लेकिन होता नहीं है। हो भी गया तो दस साल जिसने कब्जा रख लिया, वह कहता है, मैं छोड़ रहा हूं, उसको दस साल तक उसमें क्या नुकसान है। उसकी उपज का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को मिलता, वह कहां गया? उसको दिलाना चाहिये, प्रावधान होना चाहिये। स्टेट कम्पोनेंट प्लान से उसको देना चाहिये। क्यों नहीं देना चाहिये?

आज भी अनुसूचित जाति के गांवों में देखते हैं तो 11 केवी के तार निकले हुए हैं। बिजली विभाग से कहो तो कहते हैं पैसा लाइये, तब हटेंगे, क्योंकि हमारे यहां प्रावधान है। अनुसूचित जाति का आदमी 11 केवी के तार हटाने के लिए पैसे कहां से लायेगा? नहीं हटे तो मरते हैं। इन दो-तीन सालों की बात करूं, सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित जाति के लोग 11 केवी के तारों के छूने से मर चुके हैं। सरकार के ध्यान में नहीं आ रहा है कि स्टेट कम्पोनेंट प्लान से, उस पैसे को लगाकर हम उनकी बस्तियों से तार हटा दें। क्यों नहीं हटाये जा रहे हैं? क्यों नहीं गौरव पथ को बन्द करके, जो विकास पथ लाए, उसको चाहे स्टेट कम्पोनेंट प्लान में डाल देते, अनुसूचित जाति की बस्तियों में तो रोड बनाते, सड़कें बनाते। क्यों नहीं बनाई, उस पैसे को कहां ले जाओगे? उस 17 परसेंट पैसे का क्या होगा?

होना यह चाहिये था, अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चे हैं, उनके विकास के लिए कोई योजना बनानी चाहिये थी। बच्चों की नहीं, मैं तो बड़ों की भी बात कर रहा हूं। वृद्धाश्रम में लोगों को रखते हैं, वृद्धाश्रम में ढाई हजार तो सरकार देती है। अन्य और खर्चे होते हैं, बिजली का बिल है, वार्डन है, सब है। मैं कहता हूं कि क्यों देते हो? उसको पालनहार योजना की तरह कर दो। पालनहार योजना में एक बच्चे को हमने ढाई हजार रुपये देने का प्रावधान किया है, उतना ही प्रावधान अनुसूचित जाति के वृद्ध व्यक्ति को। अपने मां-बाप की सेवा इसलिये नहीं कर पाता है कि उसको मजदूरी नहीं मिलती, उसके पास पैसा नहीं होता है, इस कारण ठीक प्रकार से सेवा नहीं कर पाता है। ऐसे

(श्री मदन दिलावर)

वृद्ध लोगों को भी पालने के लिए, हम वृद्धाश्रम की बजाय हम उसको ढाई या तीन हजार रुपये घर बैठे भिजवा देंगे तो उस पर आर्थिक बोझ नहीं आयेगा। उसका बेटा-बेटी, उस मां-बाप का ठीक प्रकार से पालन कर लेगा। पैसा तो बहुत है। मैंने कहा न, इस राजस्थान के बजट का 17 परसेंट पैसा अनुसूचित जाति पर खर्च होना चाहिये। पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर क्यों नहीं हो रहा?

यह अनुसूचित जाति के लोग, प्राइवेट कालेज में पढ़ते हों, मेडीकल कालेज में पढ़ते हों, चाहे आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ते हों, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हों, चाहे आईआईटी में पढ़ते हों, प्राइवेट कालेजेज में बहुत फीस लगती है। हमने क्या-क्या कर दिया, हम फीस पूरी नहीं देंगे, 5-10 परसेंट देंगे। जो स्टेट के बाहर पढ़ रहे हैं, उनको तो देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे, भई, उस गरीब आदमी ने क्या अपराध किया? उस स्टेट कम्पोंनेट प्लान के पैसे को कहां ले जाओंगे? उनको फीस की भरपाई करनी चाहिये थी, नहीं कर रहे। यह अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। यह ज्यादती किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिये थी। यह ज्यादती सरकार जान बूझकर कर रही है।

मैं यहां तक भी कहना चाहता हूं। यह कहते हैं कि हमने अनुसूचित जाति के लोगों का बहुत काम किया है। उद्योग विभाग की बात करूं, रीको में जो प्लाट अलाट होते हैं, पहले 3 परसेंट था, अब 5 परसेंट किया है, 5 परसेंट करके भी एससी, एसटी डाल दिया है। अब 30 परसेंट आरक्षण चाहिये था, एससी, एसटी को। उसे प्लाट अलाटमेंट में 30 परसेंट चाहिये था। 5 परसेंट करके उनका गला क्यों घोंट रहे हो? उनको उद्योगपति क्यों नहीं बनने देते हो? उनको आगे क्यों नहीं बढ़ने देते हो? आप उनके दुश्मन क्यों बने हुए हो? वह आपके काकाजी का तो पैसा नहीं है? राजस्थान की जनता का पैसा है, स्टेट कम्पोनेंट प्लान का पैसा है। उस पैसे को देना चाहिये। क्यों नहीं दे रहे हो, कहां ले जाओगे? यह होना चाहिये था।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में अधिकांश काम सरकारी विभागों के ठेके पर होते हैं। ठेकेदारी प्रथा है, मैं इसको गलत भी नहीं मानता हूं। ठीक है, लेकिन ठेके बड़े-बड़े आदमी लेंगे, गरीब लोगों को ठेका नहीं मिलेगा? उसमें क्या आरक्षण नहीं हो सकता? अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, जो आईटीआई किये हुए हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बीई किये हुए हैं, आईआईटी किये हुए हैं, ऐसे सब लोगों को तो बिना टेंडर के भी बीएसआर रेट

(श्री मदन दिलावर)

पर आपको ठेका दे देना चाहिये। जिस प्रकार से प्रावधान है कि इंजीनियरिंग किये हुए बच्चों को हम देंगे, उसी प्रकार अनुसूचित जाति के बच्चे को दे देना चाहिये न? क्यों नहीं देना चाहिये? यह लोग उनको रोजगार नहीं देना चाहते। उनके दुश्मन हैं। स्टेट कम्पोनेंट प्लान के पैसे को घुमा-फिराकर, घुमा-फिराकर, पता नहीं कहा ले जाते हैं, क्या करते हैं उस पैसे का? कहते हैं, हम अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए बहुत काम करते हैं। क्या काम करते हैं, भई?

अनुसूचित जाति के लोगों के पास खेत में ट्रैक्टर नहीं होता है, उसकी छोटी जमीन होती है, उसको दूसरो को जुतानी पड़ती है। ऐसा क्यों? दो, तीन, चार लोगों का समूह बनाकर उसको फ्री में ट्रैक्टर दे दो। स्टेट कम्पोनेंट प्लान का पैसा तो बहुत है। वह चारों मिलकर, सब मिलकर, अपनी खेती करेंगे। नहर पर, किनारों पर पेड़ लगाने के लिए उनको पैसा दे दो। उससे आमद भी होगी। क्यों नहीं देते हो? नहीं देना चाहते हो।

पर्यावरण। मैं सफाई की बात करूं, तो सबसे ज्यादा गन्दी अनुसूचित जाति की बस्तियां मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सरकार का ध्यान नहीं है। गांव में जो फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है, जिसमें से 30 परसेंट सफाई पर खर्च करना होता है, वह 30 परसेंट पैसा कहां जा रहा है? गांव में, गरीब लोगों की बस्तियों में तो नहीं होता। कुछ जगह, बड़े लोगों की बस्तियों में साफ-सफाई हो जाती है, गरीब लोगों के यहां नहीं होती। कहते हैं कि वह तो खटीक है, बैरवा है, कोली है, वह सफाई को क्या जाने। यह हमारे साथ ज्यादती नहीं क्या?

हमको दलित कहकर अपमानित करते हो। यह दलित शब्द सही नहीं है। यह हमारे लिए अपमानित शब्द है। हम वंचित लोग हैं, हमको अधिकारों से वंचित रखा गया है। हमको अधिकारों से दूर रखा गया है। अब लोकतंत्र है, हम अधिकार लेंगे, नहीं तो वोट के आधार पर छीन भी लेंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है न, जिस प्रकार से पंजाब में करके दिखाया है न, वैसे ही करके दिखा देंगे। नहीं दोगे तो छीन लेंगे।

अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को इस कांग्रेस ने बहुत ठगा। अब हम लोग समझदार हो गये हैं। हम भी पढ़े-लिखे हो गये हैं। हमारे को भी बुद्धि दी है। अब हम पहले की तरह नहीं रहे कि हमारे भोलेपन का आप फायदा उठा सको। आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस पैसे का सदुपयोग कीजिये।

(श्री मदन दिलावर)

अनुसूचित जाति की जितनी भी सम्पत्तियों पर कब्जा है, उसको तुरन्त हटाइये। क्यों नही कानून लाते हो कि जिस अनूसूचित जाति के व्यक्ति की सम्पत्ति रिकार्ड में है, उसकी सम्पत्ति रहेगी। सारे केस समाप्त। वही मालिक होना चाहिये, और कोई मालिक नहीं होना चाहिये। दूसरा मालिक बन जाता है कि मेरा पांच साल से कब्जा है, आठ साल से कब्जा है, जितने दिन उसने उपभोग की है, उसका मार्केट वैल्यू से किराया, उसके ब्याज सहित उससे भरपाई करनी चाहिये। नहीं तो जबरदस्ती कब्जा रखता है और अदालत में उसके पैसे से लड़ता रहता है। उसके काकाजी का क्या चला गया। वह गरीब आदमी दु:ख पाता रहता है। कहां ले जाओगे उस पैसे को? उपयोग करो इसमें।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन कर रहा हूं, जो अनुसूचित जाति के जनजाति के दिव्यांग लोग हैं, उनको आप स्पेशल लाभ क्यों नहीं दे सकते? अधिकांश लोगों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दीजिये, आधुनिक उपकरण दीजिये, आधुनिक सुविधाएं दीजिये, उनके अच्छे मकान बनाइये, लेकिन नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी, आपको यदि सलेक्शन करने का अधिकार दे दिया तो आपने गरीब लोगों को सबके पीछे रखा। उस गरीब का फूस का टापरा था, उसको आपने लिख दिया, पक्का मकान है। उससे ज्यादती करने की कोशिश की, षड्यंत्र करने की कोशिश की।

दिन में मेरी बहन मंत्री जी बता रही थीं, आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए केन्द्र ने परमिशन नहीं दी। नहीं दी होगी। राजस्थान के खजाने से क्यों नहीं आंगनबाड़ी प्रारम्भ की जा सकती थी? अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों ने क्या अपराध किया है कि उनके मोहल्ले में आंगनबाड़ी नहीं होगी? क्या अपराध किया है? इन सब पर ध्यान देने की बात है।

अनुसूचित जाति की बहुत सारी जातियां है। घुमक्कड़, सांसी, नट, सपेरा, कालबेलिया, भांड, कंजर, बागरी, नायक, सिकलीगर, मसानी, इनके लिए विशेष योजना क्यों नहीं बना सकते थे भई? यह भारत के नागरिक नहीं हैं? इनको जीने का अधिकार नहीं है? इनको विशेष योजना बनाकर इनका उत्थान क्यों नहीं किया जा सकता था? आज भी +++ करके अपना पेट पाल रही हैं, जो मुझे ध्यान है बूंदी जिले का एक मामला। बूंदी जिले के कुछ गांव हैं, मैं उनको अपमानित करने के लिए गांव का नाम नहीं बताऊंगा लेकिन बूंदी जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां +++ करके अपना पेट का पालन कर रही हैं।

(श्री मदन दिलावर)

हमको शर्म नहीं आती? सरकार को शर्म नहीं आती? उनके लिए विशेष योजनाएं बनायें। पैसे की कमी नहीं है, यह पैसों का रोना मत रोओ। हर बार जब एस.सी. की बात आती है तो आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे तो, आर्थिक संसाधन तो उपलब्ध संविधान ने करवा रखे हैं। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब प्रावधान करके गये थे स्टेट कम्पोनेंट प्लान में। इस राजस्थान का बजट का पैसा जितना भी होगा, उसका 17 परसेंट अनुसूचित जाति का होगा। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा?

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जब बीमार हो जाते हैं और उनको यह लगता है कि यह गम्भीर बीमार है, आई.सी.यू. में ले जाना है हमको, कॉटेज वार्ड की जरूरत पड़ सकती है, तो उससे पैसे की भरपाई होती है। क्यों? वह गरीब है न? उसको तो दे दो न। उसको पैसे दे दो ताकि वह भी इसका लाभ ले सकेगा, लेकिन नहीं देते। देना चाहिए। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि लगातार, अब छात्रवृत्ति की बात आती है। इस वर्ष पचास प्रतिशत से ज्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। क्यों नहीं दी गयी? यह पोर्टल है, उसमें इस प्रकार की खामी रख दी है कि पचास परसेंट से ज्यादा तो उसमें आवेदन ही नहीं कर सकते। अब यह कहेंगे कि हम क्यों रोकेंगे? यह भारत सरकार का पैसा आता है। आपको अपना शेयर नहीं देना था इसलिए जानबूझकर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ आपने अत्याचार किया है, अन्याय किया है, उनको आप छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं।

सांसी, नट और मैंने यह जो जातियां बतायी हैं इनके लिए विशेष विद्यालय अलग से क्यों नहीं खोल सकते हैं? उन लोगों को अलग से क्यों नहीं पढ़ा सकते? करना चाहिए न, पर ध्यान ही नहीं है। आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे तो, यहां मंत्रीजी खड़े होकर यह जवाब दे देते हैं, तो विचार किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं सौभाग्यशाली हूं कि माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब के मंत्रिमंडल में मैं रहा हूं। मैं उनके पास एक प्रस्ताव लेकर गया था कि जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके मां-बाप नहीं हैं, उनकी एक योजना बनाकर लाया हूं, इसको स्वीकार कीजिए और उन्होंने मेरी योजना को देखा और देखकर एक मिनट भी नहीं लगाया और उन्होंने कहा कि, दिलावर, आप बहुत अच्छा प्रस्ताव लाये हो और यह पालनहार योजना मेरे द्वारा माननीय भैरोंसिंहजी साहब को प्रस्तुत की गयी थी और उन्होंने इसकी

(श्री मदन दिलावर)

स्वीकृति दी, इसलिए आज भी, वे दुनिया में हैं या नहीं हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और पांच लाख से ज्यादा बच्चे आज राजस्थान में पल रहे हैं। उसी तर्ज पर मैंने यह कहा कि वृद्ध लोगों के लिए भी इस प्रकार की योजना बनाइये ताकि घर बैठे उनको इतना पैसा दे दें कि उनके परिवारजन आसानी से उनका पालन-पोषण कर सकते हैं। अनुप्रति योजना भी माननीय वसुन्धराजी की सरकार के समय मैं जब समाज कल्याण मंत्री था, तब लाया लेकिन वह भुगतान प्रोपर नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, कई विद्यालयों, महाविद्यालयों में जो फीस लगती है उसका अनुसूचित जाति के लोगों का पुनर्भरण होता है, लेकिन अधिकांश बच्चों का नहीं हो रहा है। मैं यह समझता हूं कि यह गम्भीर विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए कि यह अत्याचार और अन्याय अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ क्यों कर रहे हैं?

इन्होंने यह कहा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, यानी अनुसूचित जाति की पढ़ी-लिखी बच्चियों को देंगे, यह अच्छी बात है। पढ़ाई-लिखाई होगी, सब प्रोत्साहित होंगी लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो घुमक्कड़, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वे किसी कारण से पढ़ा नहीं सकते हैं, क्या उनकी बच्चियों को प्रोत्साहन राशि, यह विवाह की राशि नहीं दी जा सकती? कन्यादान का इसमें नहीं कर सकते? इस कन्यादान योजना में उनको भी शामिल करना चाहिए था जो नहीं किया है, यह ज्यादती है।

अनुसूचित जाति के बहुत सारे विकलांग हैं, वे जिला हैडक्वार्टर पर आसानी से नहीं जा सकते। उनके विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। क्या हम ऐसी योजना बना सकते हैं, ऐसे सब लोगों को छांटकर के ... (व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): वहीं पर हम डाक्टरों की टीम को भेजेंगे, उन्हीं के घर पर भेजेंगे, वहीं पर पहचान करेंगे और वहीं उनको दिव्यांग प्रमाण-पत्र देकर आयेंगे, मैं समझता हूं इसको कहते हैं सेवा। यह करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए थी?

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी यह कहा कि स्टेट कम्पोनेंट प्लान में बहुत पैसा है। जब सब बच्चों को हम एक ड्रेस देते हैं स्कूल की, हम अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं को दो ड्रेस क्यों नहीं दे सकते?

(श्री मदन दिलावर)

क्यों नहीं दे सकते? पैसे की कमी है क्या? पैसे की कमी नहीं है। वह देनी चाहिए। उनकी सब प्रकार की शिक्षा का भार अपने पर लेना चाहिए। कागज में तो है सबको नि:शुल्क शिक्षा लेकिन नहीं है। अभी भी स्कूलों में विद्यालय विकास के नाम से दो-दो हजार रुपये लिए जा रहे हैं। कई बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। कई बच्चे एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हैं और यह फूल कर कुप्पा हो रहे हैं कि हमने नामांकन बढ़ा दिया है। नामांकन तो भगवान नाराज हो गया था इसलिए बढ़ गया, यह कोरोना आ गया, लोगबागों के पास पैसा बिलकुल भी नहीं था इसलिए वे प्राइवेट स्कूलों में जा नहीं सके, इसलिए आपके यहां मजबूरीवश आये हैं। वे इसलिए नहीं आये हैं कि आपके यहां पर शिक्षा बहुत अच्छी हो गयी है।

और तो और आप ताज्जुब समझेंगे कि विद्यालयों में अनुसूचित जाति की बच्चियों के साथ क्या व्यवहार होता है? क्या व्यवहार होता है? अध्यापक उसके साथ कुकृत्य कर देता है। अन्याय कर देता है। कभी बाथरूम में घुस जाता है, कभी कहां पर घुस जाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह बहुत अन्याय हो रहा है। मैं यह चाहता हूं कि इस प्रकार के विद्यालयों में जो बालक और बालिकाओं के साथ कुकर्म करते हैं, ऐसे टीचर्स की सारी सम्पत्तियों को, उसके परिवार की सारी सम्पत्तियों को जब्त करके और सरकार के खजाने में डालना चाहिए और वह केस चलता रहे, बरी हो जाता है तो उसको सौंप दो, नहीं तो सब कुछ जब्त कर लो ताकि किसी की हिम्मत न हो, किसी की औकात न हो कि वह ऐसा कर ले।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वालों के साथ भी यही किया जाये, उनकी सारी सम्पत्तियों को सरकार समाहित कर ले, सरकारी खजाने में डाल दे, बुलडोजर चला दे, बुलडोजर बाबा से कुछ तो सीखो।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी गरीब की सम्पत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर पायेगा।

श्री सभापति: कृपया, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह शान्ती धारीवालजी बैठे हैं न, मैं उनको कहता हूं कि अनुसूचित जाति की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति महोदय,...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। विराजिये-विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: बैठिये। अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 51 ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह किसी का नाम लेकर इस तरह की बातें बोलना उचित नहीं है।

श्री सभापति: बैठिये। आप बैठिये। आप सब बैठिये।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह डिलीट करवा दें।

श्री सभापति: यह क्या हो रहा है आपके? सहयोग करना बिलकुल ही नहीं चाहते? आपको इतना बुलवा दिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांग पारित होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: क्या सदन का समय आज की मांग पारित होने तक बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

आप विराजिये। प्लीज सहयोग करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है श्री जोगिन्दर सिंह अवाना का, अब आप विराजिये। प्लीज, सहयोग करें। प्लीज सहयोग करिये आप। माननीय सदस्य, प्लीज। नेता, प्रतिपक्ष। प्लीज, सहयोग करिये। विराजिये।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 51 पर विचार

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आप पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति महोदय, 2021-22 में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने पर 100-100 करोड़ रुपये की विकास कोष बनाने की घोषणा की थी, जिसे वर्तमान बजट में बढ़ाकर 500-500 करोड़ रुपये किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद करता हूं। 200 करोड़ रुपये रोजगारोन्मुखी गतिविधियों एवं कृषि के लिए, 150 करोड़ रुपये शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा 150 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना एवं जनसहभागिता से कराये जाने वाले विकास कार्यों के लिए। इसी तरह से अनुसूचित जाति के छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य करवाने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने इसी बजट में मुझे मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के लिए उच्चैन में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास की घोषणा की, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही मैं सदन से यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह अभी हमारे माननीय

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

सदस्य मदन दिलावरजी विशेष रूप से एक जाति का नाम लेकर +++ के लिए जो अपशब्द कहे, उसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि निंदा प्रस्ताव आना चाहिए और एक जाति की बहिनों के लिए जिस तरह +++ शब्द इन्होंने लिया, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: किसी जाति विशेष का नाम लिया हो तो विलोपित कर देना।

(समय: 18.00 बजे)

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापतिजी, विधान सभा क्षेत्र नदबई में अधिक संख्या में हमारे एससी समाज के भाई रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 70 हजार के आसपास है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो पंचायत हैडक्वार्टर हैं उन पर उनके लिए अम्बेडकर भवन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ-साथ प्रदेश के अम्बेडकर छात्रावास में एलईडी, कम्प्यूटर तथा प्रिंटर लगाने की भी मैं मांग करता हूं। प्रदेश के प्रत्येक अम्बेडकर छात्रावास में सुविधाजनक वातावरण स्थापित करने के लिए भी जो सुविधाएं हैं, उनकी मैं मांग करता हूं और इसी तरह पूरे विधान सभा क्षेत्र में यह देखा गया है कि जहां हमारे एससी समाज के भाई रहते हैं, उनको पीने के पानी के लिए सोलर के प्लांट, डीप बोर, आरओ पंचायतवाइज लगाये जायें। इसी तरह प्रत्येक पंचायतवाइज अम्बेडकर भवन, क्योंकि शादियों में अम्बेडकर भवन के बिना परेशानी होती है, इसलिए वहां व्यवस्था होनी जरूरी है। कई बार बारात को रुकने को लेकर कठिनाई आती है, जगह नहीं होती है, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

सभापतिजी, हमारे एससी समाज के भाइयों, जिन पर उत्पीड़न होते हैं, उनके लिए सीओ स्तर पर एक-एक थाना अलग से खोलने की मैं मांग करता हूं। यह भी मैं मांग करता हूं कि 15 दिन में केस का निस्तारण होना चाहिए। वास्तविक स्थिति है, उससे जो पीड़ित परिवार है, उसको सूचित करने की भी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

सभापतिजी, हमारे साथी ने कहा कि आप एससी के लोगों के लिए कुछ नहीं करते। मैं बताना चाहता हूं सदन में, इसी सरकार में अभी हाल ही में हमारे एससी समाज के चार-चार भाई भजन लालजी जाटव, हमारी बहिन

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

ममता भूपेशजी, हमारे भाई टीकाराम जूलीजी और हमारे भाई गोविन्द रामजी मेघवाल को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है और यह कार्य केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। अगर आपने कहीं किसी प्रदेश में किया हो तो आप सदन में बता सकते हैं और लोगों को अवगत करा सकते हो कि हम भी इतना बड़ा दिल रखते हैं।

सभापतिजी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अन्दर हमारे एससी समाज के जो भाई हैं, उनके लिए तरह-तरह की योजनाएं प्रदेश की सरकार और हमारे जननायक मुख्य मंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब लेकर आ रहे हैं, जिससे तेज गति के साथ में उनका उत्थान हो रहा है। मैं उसके लिए भी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद करता हूं।

आपने मुझे मांग संख्या 51 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: जो भी जाति के लिए, किसी भी बालिका के लिए या किसी के लिए कहा गया हो, वह सब विलोपित करने के निर्देश देता हूं।

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं 'जय भीम' से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा और उनके लिए चार लाइनें कहना चाहूंगा कि-

'संघर्षों के तूफानों से टकराकर वो दीया आफताब बन गया,
सोया था समाज कांटों पर तो उनके लिए वह गुलाब बन गया,
पीढ़ी तो शोषितों के लिए, हर जुल्म और सितम के खिलाफ इंकलाब बन गया,
सहमी डरी आंखों के लिए, वह सुनहरे भविष्य का ख्वाब बन गया,
वंचितों के लिए लड़ता रहा, न सोया उम्र भर,
इस तरह वह छोटा सा भीम, युग प्रणेता बाबा साहब बन गया।
बाबा साहब बन गया।'

आज मांग संख्या 51 के अन्तर्गत 183 कटमोशन आये हैं, उनका जवाब हम माननीय सदस्यों को भिजवा देंगे। 22 माननीय सदस्यों ने अपनी

(श्री टीकाराम जूली)

बात यहां पर रखी है, मैं उन सबको भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छे सुझाव आपकी तरफ से आये। बाबा साहब अम्बेडकर की जो कल्पना थी कि जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो वंचित वर्ग है, उसको समानता का अधिकार दिया जाये और उसको आगे लेकर आया जाये। मैं विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, उप नेता प्रतिपक्ष, जिनकी उपस्थिति हमेशा सबसे ज्यादा रहती है, आज बोले भी नहीं और बैठे भी सबसे कम हैं और नेता प्रतिपक्ष तो हैं ही नहीं। अगर पूरे दिन की चर्चा की बात करूं तो 4 से लेकर 8 माननीय सदस्यों की उपस्थिति यहां पर रही है और मैं कहना चाहूंगा कि अभी बमुश्किल से 9 सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं।

मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब को कि जिन्होंने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जो सबसे कम सदन में बैठने का रिकार्ड बना रहे हैं, उनको धन्यवाद दो आप।

श्री सभापति: विराजिए।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सभापति महोदय, मुंह में कुछ खाते हुए बोलना इस सदन की परम्पराओं का उल्लंघन है। माननीय उप नेता महोदय ने कुछ खा रखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं जानता हूं, यह असत्य आरोप लगा रहे हैं। देख लीजिए आप।

श्री सभापति: मुझे त्रिलोकी के दर्शन नहीं करने हैं।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं यह कहना चाहूंगा कि पहली बार इस सदन के अन्दर चार-चार दलित कैबिनेट मिनिस्टर बने। यह इस सरकार की देन है। पांच हमारे एसटी समाज के भाई यहां पर बने। यह इस सरकार की देन है। सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी हैं।

मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा, अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था कि छात्रावासों में राशि हम कम दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, पहले 1,900 रुपये की राशि मिलती थी और आपके समय में मात्र 100 रुपये आपने छात्रावासों की राशि बढ़ायी थी और हमने उसको 500 रुपये बढ़ाया है। अब 2,500 रुपये हम दे रहे हैं, सरकारी छात्रावास में भी और अनुदानित के अन्दर भी।

(श्री टीकाराम जूली)

जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एससी की बच्चियों को स्कूटी के लिए कहा है। मैं उनको कहना चाहूंगा 2019-20, 2020-21 और 21-22 तीनों सत्र के अन्दर हम एक-एक हजार स्कूटी उन बच्चियों को दे रहे हैं। आप निश्चिन्त रहें। एससी समाज की बच्चियों को भी स्कूटी मिलेंगी।

यहां अभी रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अनुप्रति योजना को बदल दिया है। बदला नहीं है, उसको आगे बढ़ाया गया है। आपके समय में सिर्फ आईएएस, आरएएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग में सलेक्शन होने पर आप लोग उनको छात्रवृत्ति देते थे, हम उनको तैयारी करने पर छात्रवृत्ति देते हैं। सलेक्शन होना जरूरी नहीं है और इस कोचिंग के अन्दर आईएएस, आरएएस, नीट, आईआईटी, जेई, सीए, सीएस आदि के लिए भी हमने अब लागू कर दिया है। माननीय सदस्य, आपको जो जानकारी है, उसको थोड़ा ठीक कर लें।

सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात रखी, उनको पता ही नहीं है कि उदयपुर में भी कोई वृद्धाश्रम चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हम जहां से चुन कर आते हैं, हमें ही नहीं पता, हमारे यहां पर छात्रावास चल रहे हैं या वृद्धाश्रम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, वहां पर तीन वृद्धाश्रम चल रहे हैं। एक पीपीपी मोड पर है तारा संस्थान, उदयपुर, वहां 25 की क्षमता है। दूसरा तारा संस्थान में, जो गवर्नमेंट का है, सेक्टर 14 के अन्दर, उसके अन्दर 25 की क्षमता है और तीसरा जो है वह पूजा संस्थान झाड़ोल, फलासिया, उदयपुर के अन्दर है। कुल मिलाकर तीन वृद्धाश्रम वहां पर चल रहे हैं और 100 की संख्या है और इसमें 50 की संख्या है।

सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि पेंशन योजना में हम उनके पेपर्स को गायब कर देते हैं, बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं। शायद उनको पता नहीं है, वह भी अपनी जानकारी ठीक कर लें, सभापति महोदय, यह सदन के सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा हुआ है पेंशन आटो अप्रूवल है। जनाधार से डेटा लेता है। कहीं भी ह्यूमन इंटरफियरेंस इसके अन्दर कतई भी नहीं है। आप सीधा एप्लाई करेंगे, जनाधार से आटोमेटिक वह लिंक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ढाई मिनट के अन्दर पेंशन मंजूर होती है और जैसे ही महीना पूरा होता है, अकाउंट में पेंशन आ जाती है। सभापतिजी, 02 अक्टूबर को हमने इसको शुरू किया था और अब तक हम 6 लाख नये लोगों को जोड़ चुके हैं।

(श्री टीकाराम जूली)

माननीय उप-नेता, प्रतिपक्ष कुछ लिख रहे हैं। मैं उनको यह भी कहना चाहूंगा, आप इसमें जरा यह भी लिख लें कि जो पेंशन हम इसमें दे रहे हैं, लगभग जो पेंशन हम दे रहे हैं बुजुर्गों को, विधवाओं को, नि:शक्तजनों को, उनके अन्दर लगभग 9,200 करोड़ रुपये की राशि सरकार खर्च कर रही है। जिसके अन्दर बड़े शर्म की बात है मात्र 396 करोड़ भारत सरकार देगी, अभी दिये नहीं हैं, यह भी आप जरा नोट कर लेना कि मात्र 4-5 प्रतिशत के आस-पास भारत सरकार का पेंशन के अन्दर योगदान है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा स्कालरशिप के अन्दर जो आप लोगों ने बतायी, कुछ परेशानियां आ रही हैं, उसके लिए हमने पोर्टल बना दिया है और बहुत ही जल्दी उन परेशानियों का समाधान होगा। आपको इसके अन्दर कोई दिक्कत नहीं आएगी।

माननीय सभापति महोदय, पहली बार प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने एस.सी., एस.टी. के लिए 100-100 करोड़ का बजट दिया पिछले बजट के अन्दर और अब की बार उसको बढ़ाकर 500-500 करोड़ रुपये, दोनों जो वर्ग हैं, उनके उत्थान के लिए दिया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान के अन्दर कि राजस्थान एस.सी., एस.टी. डवलपमेंट फण्ड बिल इसी सत्र के दौरान आ रहा है, जिसके अन्दर जो बजट है, उसके अन्दर एस.सी., एस.टी. की जितनी जनसंख्या है, उस रेशो के अनुरूप वह बजट उसी क्षेत्र के अन्दर उनके लिए खर्च किया जाएगा, यह पहली बार ऐसा हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा। काफी माननीय सदस्यों ने रोस्टर प्रणाली के लिए भी कहा है, तो निश्चित तौर पर इसको डी.ओ.पी. के द्वारा देखा जाता है, हम उनसे बात करके और जल्दी इसको लागू करवाने का पूरा प्रयास करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक यह चर्चा भी आयी कि दलित दूल्हों को घोड़ी से उतार दिया जाता है। मैं कहना चाहूंगा, हमारे मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह अपने घर से, जो दलित हैं, उनको वह घोड़ी पर बिठाकर आज से 50 साल पहले से यह परम्परा जारी रखे हुए हैं, वहां घोड़ी से उतारा नहीं जाता, वहां घोड़ी पर बिठाया जाता है। इस सरकार के अन्दर ऐसा भी हुआ कि बून्दी के अन्दर खुद कलेक्टर और एसपी. जाकर

(श्री टीकाराम जूली)

दलित दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर उसका बिंदौरा निकलवाकर आये हैं, लेकिन यह बड़ा चिन्तित करने वाला विषय है, निन्दनीय विषय है। हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम सब लोग आज आजादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस प्रकार की अगर कोई बात आती है तो हमको शर्मसार कर देने वाली बात है और उस सबके जिम्मेदार कहीं-न-कहीं हम सब लोग हैं। हम कानून बनाने वाले लोग हैं, जनता हमको चुनकर प्रदेश के सबसे उच्च सदन के अन्दर भेजती है। हमारी यह प्राथमिकता बनती है कि हम अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर, अपने-अपने इलाके के अन्दर हम इस चीज का जरूर ध्यान रखें और आपस में समाजों के अन्दर जो भेदभाव है, उसको दूर करने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, काफी सदस्यों ने कहा कि एस.सी. के जो गांव हैं, उनमें विकास की अति आवश्यकता है, उन मौहल्लों के अन्दर विकास की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहूंगा हमने 1,246 ग्रामों का चयन किया है, जिसके अन्दर 50 प्रतिशत एस.सी. की आबादी है और 500 से ज्यादा वहां जनसंख्या है तो वहां पर 20-20 लाख रुपये हम उन गांवों के विकास के लिए देंगे।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ में यह भी कहना चहूंगा कि एक तरफ आप सब लोग यहां बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे दलित वर्ग के पक्ष में, लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि 2 अप्रैल के जो मुकदमे दर्ज हुए, वह किन लोगों ने दर्ज कराये और क्यों दर्ज कराये? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप दलितों के विरोध में कानून लेकर आये और फिर ऐसा क्या हो गया कि एक ही दिन में वह कानून भी वापस हो गया?

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सबके लिए कहना चाहता हूं जो बात बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने सभी दबे-कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आया हूं। यह बात हम सभी 200 सदस्यों को सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी हम जाकर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करने का काम करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुकदमे तो वापस ले लो।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मुकदमे वापस होंगे। सम्पूर्ण मुकदमे वापस होंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। इसके

(श्री टीकाराम जूली)

लिए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी साहब ने इसके लिए कह दिया है। आप निश्चिंत रहें, हम मुकदमे वापस कराएंगे।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि ईडब्ल्यू.एस. के अन्दर जो 10 प्रतिशत का आरक्षण हुआ, भारत सरकार ने किया, उसके तुरन्त बाद हमने भी किया और हमने एक बहुत बड़ी मदद ईडब्ल्यू.एस. के साथियों के लिए की कि उनकी सम्पत्ति के जो प्रावधान थे, वह इससे समाप्त किये और 8 लाख रुपये इसकी आय की।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो विशेष योग्यजन हैं, उनके कल्याण के लिए हम स्कीमें चला रहे हैं। हम 10 हजार रुपये उनके कृत्रिम अंगों के लिए दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात अब तक सबसे अधिक 60 गुना अधिक हमने उनके ऊपर बजट खर्च किया है और उनको उपकरण दिलवाए हैं। विशेष योग्यजनों की पहचान करने के लिए कैम्पों के माध्यम से और विशेष शिविर लगाकर हम उनके UDID कार्ड बना रहे हैं, जोकि एक ही बार बनेगा, बार-बार उनको बनवाने का चक्कर नहीं है, सारा ऑनलाइन रहेगा और लगभग हमने 4 लाख 49 हजार 324 विशेष योग्यजनों के नि:शक्त प्रमाण-पत्र और 4 लाख 6 हजार 5 UDID कार्ड हमने उनके जारी कर दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जो हमारे विशेष योग्यजन हैं, उनका आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया है। उनको प्रमोशन के अन्दर भी 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ हम लोगों ने दिया है। इसके साथ ही, आयु सीमा में 5 वर्ष और अंकों में भी 5 प्रतिशत की उनको हमने रियायत दी है।

माननीय सभापति महोदय, सिलिकोसिस पालिसी हमने बनायी और सिलिकोसिस के अन्दर लगातार हमारी प्राथमिकता है कि सिलिकोसिस डिटेक्ट होते ही उस परिवार को मदद मिले। 3 लाख रुपये देते हैं और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये देते हैं। उस परिवार को वह सारी स्कीमें-पालनहार हैं, पेंशन है, उन सबका लाभ भी और NFA का लाभ हम उनको दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके मानदेय के अन्दर भी 2020-21 के अन्दर 25 प्रतिशत और 2021-22 के अन्दर 100 प्रतिशत की वृद्धि उन स्वयंसेवी संस्थानों के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है।

(श्री टीकाराम जूली)

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत ही पापुलर स्कीम हमारी स्कूटी योजना जो विशेष योग्यजनों को हम दे रहे हैं। 2 हजार स्कूटी हम इस वर्ष बांट रहे हैं और आने वाले वर्ष के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी सदस्यों की डिमांड पर 5 हजार स्कूटी कर दी हैं। वह हम इसी सत्र के दौरान उनको बाटेंगे।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बाबा आमटे दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की है, जल्दी ही इसकी स्थापना की जाएगी। 2 मूक-बधिर कालेज इस वर्ष हमने खोल दिए हैं, जो पिछले वर्ष की घोषणा थी और अगले वित्त वर्ष के अन्दर भी जो नेत्रहीन साथी हैं, उनके लिए भी एक महाविद्यालय हम खोलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हम 28 हजार शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, उसके अन्दर जो हमारे एस.सी., एस.टी. के लोग हैं, उनको लाभ दे रहे हैं और मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मनरेगा जो चल रही है इसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर मिलता है और उसके अन्दर जो गरीब तबका है, वंचित तबका है, उसको मिलता है। उसके 25 दिन बढ़ाए, इसी के साथ शहर के अन्दर भी शहरी रोजगार गारण्टी कानून जो लागू किया है, निश्चित तौर पर उससे उस गरीब तबके के उत्थान में मदद मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा सभी विधायकों से भी कि आप अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर, जो हमारे हॉस्टल हैं, हमारे आवासीय विद्यालय हैं, उनके अन्दर आप भी सहयोग करें ताकि हम उनकी स्थिति को और अच्छा कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, हमने हमारे जो विशेष योग्यजन हैं, उनको छात्रवृत्ति 40 रुपये मिलती थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 40 से बढ़ाकर उसको 500 रुपये किया और जो 50 रुपये मिलती थी कक्षा 5 से 8 तक, उसको 50 से बढ़ाकर 600 रुपये किया। यह इतनी बड़ी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एकदम बढ़ोतरी उसके अन्दर की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो लाइनें और कहना चाहूंगा -

कि, 'समाज सुधार की पहल जरूरी है,

छत मिले गरीब को, कहां महल जरूरी है,

खुशियां अमीरों को ही मत देना ए खुदा,

(श्री टीकाराम जूली)

गरीब के घर में भी चहल-पहल जरूरी है।'

माननीय सभापति महोदय, पिलानी से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने बाबा साहब की मूर्ति के लिए हमें बताया है। निश्चित तौर पर उस पर भी हम जरूर विचार करेंगे। हमारा जो मुख्य तौर पर काम है, वह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय पर है। हम चाहते हैं कि समाज का कोई भी तबका पीछे ना रहे। सब लोग आगे आयें, आगे बढ़ें, समान रूप से साथ रहें।

कोविड के समय में डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत बड़ी मदद की गयी। हमने 4 बार में ऐसे लोगों को जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, बीओसीडब्ल्यू के मैम्बर थे, गरीब थे, रिक्शे वाले थे, ठेली वाले थे, जिनको कहीं से किसी दूसरी स्कीम का लाभ नहीं मिला, डायरेक्ट उनके खाते में 5,500 रुपये हमने डाले, इस पर 1,815 करोड़ रुपये हमने खर्च किये।

साथ ही हमने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अन्दर भी 100 अनाथ बच्चों और 9,732 विधवा महिलाओं को एकमुश्त एक-एक लाख रुपये और 2,500 रुपये बच्चों को और 1,500 रुपये पेंशन मंजूर की। हम उस पर अब तक 116 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और 15,564 लोगों को हमने इसके अन्दर लाभान्वित किया है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बड़े जोर-शोर से एक बात चली थी पीएम केयर फंड, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे और उनकी हम मदद करेंगे। उसके अन्दर मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि मात्र 197 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक भी रुपया मिला नहीं है। जब वह बच्चे 18 साल के होंगे, तब उनके लिए राशि स्वीकृत होगी, जब वह 23 साल के होंगे तब उनको वह पैसे मिलेंगे।

हमने जो यह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, तो आप कह रहे थे न बड़ी-बड़ी बातें, कि आपने लागू तो कर दी, पता नहीं कौन उस समय देगा? आपने भी इस पीएम केयर फंड में क्या किया है? इसमें क्या किया है? इसका भी जवाब आप जरा दे दीजिये।

साथ ही कोविड अनुग्रह राशि, जिसके लिए कोर्ट ने फटकार लगायी है, वह भी 50-50 हजार रुपये अब हम लगभग 11,635 को दे रहे हैं। उसमें भी केन्द्र सरकार ने खुद तो 75 प्रतिशत दिया है और 25 प्रतिशत राज्य सरकारों पर डाल दिया है। दोनों तरफ से राजस्थान की जनता की मदद हम लोग कर रहे हैं।

(श्री टीकाराम जूली)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मैंने बता ही दिया। हमारे 91 लाख पेंशनर्स हैं, जिनको हम पेंशन दे रहे हैं और उसमें मात्र 396 करोड़ रुपये भारत सरकार के हैं। वह भी अभी पेंडिंग हैं, आयेंगे तब मैं जरुर आप लोगों को बताऊंगा।

हमने पालनहार योजना के अन्दर भी 550 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इस बजट में जो 6 वर्ष तक के अनाथ बच्चे हैं, जिनको पहले 500 रुपये देते थे, उनको 1,500 कर दिया है। 6 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको एक हजार रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिये हैं।

इसके अन्दर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे एक माननीय सदस्य ने बात रखी थी कि पालनहार के अंदर 3-3 साल से रुपये नहीं मिल रहे। वह शायद आपके समय की बात कर रहे होंगे क्योंकि 3 साल पहले आप की ही सरकार थी। आज की तारीख में पालनहार में कोई पेंडेंसी नहीं है। टोटल पैसा पिछले साल से ही हाथ की हाथ उन लोगों के खाते में डाल दिया गया है। पुरानी पेंडेंसी जीरो है। किसी का एक रुपया भी बाकी नहीं है। तुरन्त मंजूर हो रहा है और तुरन्त उनके खाते में जा रहा है। यह मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, हमारे समाज में ब्रेन ड्रेन की बहुत चर्चा होती है, यह तो प्रतिभा के पलायन की बात है। हमारी प्रतिभा बाहर नहीं जाये, यहीं रहे, उसके लिए हमने इस वित्तीय वर्ष के अन्दर भी 866 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। फरवरी 2022 तक अभी उसमें 579 करोड़ रुपये व्यय करके हमने 4,34,304 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया है।

इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो नेता, प्रतिपक्ष हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार इस प्रकार के राइडर लगा रही है कि हम इतनी संख्या से ज्यादा भी पेंशन नहीं देगे, इतनी संख्या से ज्यादा कोई राशि नहीं देंगे। यह गलत है। संख्या तो बढ़ती, घटती रहेगी। जो आपका हिस्सा है, केन्द्र का अंश है, वह आप दे दीजिये। इसके अन्दर भी आपको बड़ी दिक्कत हो रही है।

अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना हमने लागू की है। जो बच्चे हमारे शहरों के अन्दर कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं, तैयारी करते हैं, उनको 2 हजार रुपये महीने हम 10 महीने के लिए दे रहे हैं।

हमारे 775 छात्रावास हैं, उसके अन्दर 36,866 छात्रों की क्षमता है, हमारे बच्चे वहां पर अध्ययन कर रहे हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप में से काफी सदस्यों ने एक बात रखी थी कि हमारे हॉस्टल्स के अन्दर

(श्री टीकाराम जूली)

कहीं छत टपक रही है, कहीं कोई कमी है। कई चीजों की जहां मरम्मत की जरूरत बतायी है। मैं सदन के अन्दर कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी आप लोग बतायेंगे, जहां भी कोई मरम्मत की आवश्यकता है, कहीं टीवी की आवश्यकता है, कहीं वाटर कूलर की आवश्यकता है, कहीं कम्प्यूटर की आवश्यकता है, वह हम इस वर्ष उनको करा देंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये इस बजट में हमें दिये हैं। इससे हम इनकी मदद कर पायेंगे।

अनुदानित के जो बच्चे हैं, उनको पहले 2 हजार रुपये मैस भत्ता मिलता था, वह भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाकर इस बार ढाई हजार रुपये कर दिया है। 7 नये अम्बेडकर भवनों के निर्माण के लिए निविदा हमने जारी कर दी है।

कई जगह आप कह रहे थे कि छात्रावास अधीक्षक नहीं हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। उसके लिए विद्या सम्बल योजना के अन्दर गेस्ट फैकल्टी को 75 हजार रुपये प्रति छात्रावास का बजट है। आप अपने-अपने छात्रावासों के अन्दर इसका लाभ उठा सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर्स आप वहां लगा सकते हैं। हमारे 29 आवासीय विद्यालय भी संचालित हैं, जिनमें 12024 की हमारी क्षमता है। वहां गुणवत्तापूर्ण भोजन, सारी सामग्री और शिक्षा उनको देने के लिए हम प्रयासरत हैं। इसके अन्दर आप सभी के बहुमूल्य सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चल रही है, जिसमें समस्त बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर 21 हजार से लेकर 41 हजार रुपये की आर्थिक सहायता हम दे रहे हैं। इसमें अगर एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार हैं तो उनको 10 हजार रुपये अतिरिक्त, यानी उनको 51 हजार रुपये हम देते हैं।

नारी निकेतन में हमने भत्ता 1900 रुपये से बढ़ाकर ढाई हजार रुपये किया है। वृद्ध कल्याण योजना के अन्दर भी डे-केयर सेंटर हमने नया शुरू किया है। जो बुजुर्ग 24 घंटे नहीं रहना चाहे तो सुबह आकर शाम को वहां से जा सकते हैं। वहां पर उसके लिए चाय, नाश्ता सारी व्यवस्था हमने रखी है।

नवजीवन योजना की बात यहां पर आयी थी। निश्चित रूप से हमारा

(श्री टीकाराम जूली)
प्रयास है कि नशा मुक्ति के लिए हम व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि लोग नशे की लत से दूर रहें।

देवनारायण योजना के अन्दर मैं कहना चाहूंगा कि 2008-09 में 5 जिलों की 13 तहसीलों में आरम्भ की गयी थी। हमारी पिछली सरकार ने 2010-11 में इसे पूरे राज्य में लागू किया था। इस वर्ष भी इस योजना में 237.97 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। इसके अन्दर जो हम स्कूटी बांटते हैं, वह 01 हजार स्कूटी देते थे, अब की बार हम 1500 स्कूटी इस योजना में हमारे बच्चों को देंगे।

एट्रोसिटी के मामलों की काफी बात हुई थी कि उनमें एफआर लग जाती है। लोगों को पैसा नहीं मिलता है, लोग परेशान रहते हैं। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं लगातार इस चीज को लेकर गम्भीर हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी गम्भीर हैं। हम लगातार मानिटरिंग भी कर रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि इस वर्ष हमने 19 हजार से अधिक व्यक्तियों को लगभग 126 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दिलवायी है, जो कि किसी वित्तीय वर्ष में इतनी राशि मिलना अपने आप में आज तक का रिकार्ड है।

अन्तरजातीय विवाह के अन्दर भी 25 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें हमने 492 युगलों को लाभान्वित किया है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ आंकड़े आपके समय के और हमारे समय के तुलना करना चाहूंगा। जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, उसमें पहले 3 साल में आपने मात्र 45 करोड़ रुपये खर्च किये थे, हमने इसमें 90 करोड़ रुपये खर्च किये। आपसे दुगुने खर्च किये।

अन्तरजातीय विवाह योजना के अन्दर भी आपने 48 करोड़ रुपये खर्च किये थे, हमने 65 करोड़ रुपये इसके अन्दर खर्च किये हैं।

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आपके समय में 2375 करोड़ रुपये खर्च किये थे और हमने 15534 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, जो कि आपसे लगभग 6-7 गुना ज्यादा हैं।

एकल नारी पेंशन योजना में भी आपके समय में आपने मात्र 7.21 लाख पेंशन स्वीकृत की थी, हमारे समय में 16 लाख 95 हजार, लगभग आपसे डबल पेंशन स्वीकृत की है और इसका बजट भी आपके समय का मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है कि आप खुद अचम्भा करेंगे, माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष महोदय, क्योंकि आप आंकड़ों का बहुत तगड़ा मायाजाल रचते

(श्री टीकाराम जूली)

हैं, रखते हैं। आपके समय में इस पेंशन में मात्र 353 करोड़ रुपये, 353 करोड़ रुपये, आप मेरी स्पीच निकलवा लेना, इसमें सारी चीजें आ जायेंगी, अलग से नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे समय में हमने 6056 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अन्दर भी आपके समय में 174.99 करोड़ रुपये और हमारे समय में 1592.41 करोड़ रुपये हमने इसके अन्दर दिये हैं।

राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्दर भी 117.75 करोड़ रुपये आपके समय में और 464.85 करोड़ रुपये हमारे समय में हमने दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, जिस पालनहार की बात कर रहे थे माननीय सदस्य, उस पालनहार योजना के आंकड़े भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें मेरे सारे सदस्य भी ध्यान देंगे। पालनहार योजना में आपके समय में 278.15 करोड़ रुपये आपने खर्च किये और हम लोगों ने 1458 करोड़ रुपये, आपसे लगभग छह-सात गुना ज्यादा हमने इसके अन्दर खर्च किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भी आपके समय में 702.77 करोड़ रुपये और हमने 1225.42 करोड़ रुपये इस योजना के अन्दर खर्च किये हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में आपके समय में 613.53 करोड़ रुपये खर्च हुए और हमारे समय में 876.13 करोड़ रुपये खर्च हुए। अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आपके समय में 174.36 करोड़ रुपये और हमारे समय में 260.16 करोड़ रुपये, हमने आपसे ज्यादा खर्च किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, देवनारायण स्कूटी में भी, आपके समय में 3439 और हमारे समय में 4672 स्कूटी हम लोगों ने दी हैं, आपसे काफी ज्यादा हमने दी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बजट के अन्दर उन्होंने अनुप्रति कोचिंग की राशि 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये की है। ईडब्ल्यूएस के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष ईडब्ल्यूएस कोष बनाने की घोषणा की है। काली बाई भील एवं देवनारायण योजना के सभी वर्गों को उनको जो स्कूटी दे रहे थे, 13 हजार से बढ़ाकर उसको 20 हजार रुपये किया है। बेघर उत्थान पुनर्वास नीति में 50 करोड़ रुपये दिये हैं। राज्य के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं,

(श्री टीकाराम जूली)

असहाय, निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 90 करोड़ रुपये की लागत से 56 आवास गृह 'अपना घर' की तर्ज पर, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को कभी मौका मिले तो अपना घर आश्रम आप जरूर देखें तो आपको लगेगा। (व्यवधान) प्रदेश में मिरासी, ढाढी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा और भिश्ती समुदाय के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए 20 करोड़ रुपये इस बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय तैयारी करके नहीं आये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) नेता, प्रतिपक्ष, अपने विधायक को आप अनुशासित करें। (व्यवधान) प्लीज विराजिये। पूरी दुनियां सुधर जायेगी पर आप नहीं सुधरेंगे। (व्यवधान) आप विराजिये। बैठिये आप। क्या खाक समझते हैं? विराजिये। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है, आप भी समाज कल्याण के मंत्री रहे हैं, आपके समय में तो आप कुछ कर नहीं पाये।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, जरूरी है इनका रिप्लाई करना? और दो-चार आदमियों को खड़ा कर दूं रिप्लाई देने के लिए आपको? आपको अपनी बात कहनी है, आप बाध्य नहीं हैं उनका रिप्लाई देने के लिए। मांग पास करायेंगे आप? (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य पहले इसी विभाग के मंत्री रहे हैं, तो हो सकता है कि इनसे कोई कमी रह गयी हो।

श्री सभापति: क्यों रिप्लाई कर रहे हैं आप इनका? अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं आपको बता ही चुका हूं कि उच्चैन के अन्दर हमने बालिका छात्रावास, प्रतापगढ़, नागौर-परबतसर में, बेगूं-चित्तौड़, देवनारायण छात्रावास, खुड़ी कलां दौसा में देवनारायण छात्रावास, राडावास-जयपुर और हीसला-थानागाजी में भी हम छात्रावास का निर्माण करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप बजट घोषणाओं को ही दुबारा पढ़ रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): दुबारा नहीं पढ रहा हूं।

श्री सभापति: आप टेबल कर दें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) आपसे दस गुना हैं। इनको परेशानी क्या है माननीय सभापति महोदय?

श्री सभापति: समय का ध्यान रखो। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पहली बार इन सभी स्कीमों का अच्छे से जनता तक पहुंचे, लागू हों, इसके लिए जो 13 बोर्ड और आयोग गठित किये गये हैं, उनमें सबका मनोनयन हो गया है और बहुत जल्दी सब लोग मिलकर इसको और अच्छे तरीके से करायेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं मांग पास कराता हूं।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पास ये आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और उन चीजों से भरी पड़ी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी है। ये वचन बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि समाज के हर वर्ग का उत्थान और वंचित के साथ खड़ा है राजस्थान।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि मांग संख्या 51 को अनुमोदित किया जाये, पारित किया जाये।

मांग संख्या 51 का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 304,37,58,80,000/- (तीन सौ चार अरब सैंतीस करोड़ अठावन लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 14 मार्च 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.37 बजे सोमवार, दिनांक 14 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को देय अनुदान

272. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो किस-किस मद में कितना-कितना अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थानों को विगत तीन वित्तीय वर्षों में कितना-कितना अनुदान उपलब्ध करवाया गया? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है? यदि हां, तो क्या धार्मिक शिक्षा देने हेतु नियुक्त शिक्षकों को दिए जा रहे वेतन के बदले में भी सरकार अनुदान देती है?

उत्तर

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शिक्षण संस्थानों को भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचना का विकास (IDMI) योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों को मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना व मदरसा सुविधा अनुदान योजना के तहत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है |

(2) उपरोक्त संस्थानों को विगत तीन वित्तीय वर्षों में उपलब्ध कराये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(3) मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में अध्यनरत विद्यार्थियों को संविदा शिक्षा सहयोगियों द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है। धार्मिक शिक्षा देने हेतु मदरसा बोर्ड द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

किसान पथ का निर्माण

276. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा "किसान पथ" का निर्माण

(श्रीमती मीना कंवर)

करवाया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त को बनाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला जोधपुर में "किसान पथ" का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां, कब-कब, कितनी-कितनी दूरी की, कितनी राशि से? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में "किसान पथ" तथा पूर्व में निर्मित जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा "किसान पथ" सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से सम्पर्क सड़कों के निर्माण की स्वीकृति हेतु आदेश दिनांक 31.12.2014 द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। आदेश दिनांक 31.12.2014 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जोधपुर जिले में "किसान पथ" सड़क का निर्माण करवाया गया है। जोधपुर जिले में निर्मित ''किसान पथ'' सड़कों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बोर्ड द्वारा वर्ष 2010 तक निर्मित सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं, जिनका रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2010 तक कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें जो सा.नि.वि. को हस्तान्तरित की गई थीं, की सूची व सड़कों की वर्तमान स्थिति से संबंधित विवरण परिशिष्ट ''स'' पर उपलब्ध है। सूची में दर्शाई गई सड़कें जो नवीनीकृत नहीं हुई हैं अथवा जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, की मरम्मत की स्वीकृति किसी भी योजना में प्राप्त नहीं हुई है। इनको स्वीकृत करना राज्य सरकार का नीतिगत मामला है तथा राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

वर्ष 2010 के पश्चात् बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में निर्मित

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

किसान पथों एवं सड़कों का विवरण परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है। इनकी वर्तमान में स्थिति संतोषजनक है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

डग के रोजगार गारंटी योजना के लाभार्थी

277. श्री कालूराम (डग): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में वर्ष 2019 से 2021 तक कितने श्रमिकों ने रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन पूरे किए व कितने श्रमिक कार्ड बने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के श्रमिक कार्डधारी व्यक्तियों को 2019 से 2021 तक क्या-क्या लाभ मिला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) श्रमिक कार्डधारी व्यक्ति को क्या-क्या लाभ मिलता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में ग्रामीण विकास एव पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 31.12.2021 तक कुल 1513 श्रमिकों ने रोजगार गांरटी योजना के तहत 100 दिन पूरे किए हैं। विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है। उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र डग में कुल 2427 निर्माण श्रमिकों का भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीयन किया गया।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग में मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारियों को दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 31.12.2021 तक योजनावार दिये गये लाभ का विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(3) पंजीकृत श्रमिकों को पात्रतानुसार मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाता है। मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 13 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-03 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रायसिंहनगर में पटवारियों के रिक्त पद

261. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कितने पटवार हल्के हैं? उक्त में पटवारियों के कितने पद स्वीकृत व कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पटवार भवन बने हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 103 पटवार हल्के हैं। उनमें पटवारियों के 103 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 52 पटवार मण्डलों में पटवारियों के पद रिक्त हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 35 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पटवार भवन बने हुए हैं।

पटवारियों के रिक्त पद

262. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में पटवारियों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में पटवारियों के 6194 (5361 राजस्व + 123 उपनिवेशन + 710 भू-प्रबन्ध) पद रिक्त हैं।

जी हां। पटवारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 5610 (4792 राजस्व+116 उपनिवेशन+702 भू-प्रबन्ध) पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा भर्ती परीक्षा-2019 का आयोजन किया जाकर परिणाम दिनांक 25.01.2022 को जारी किया जाकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सत्यापन की कार्यवाही उपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी तथा प्रशिक्षण उपरान्त पदों को भरा जा सकेगा।

मकराना उपखण्ड में दर्ज राजस्व मुकदमे

263. श्री रूपा राम (मकराना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उपखण्ड मकराना में 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक कितने राजस्व मुकदमे दर्ज हुए? उक्त में से कितनों का निस्तारण कर दिया गया व कितने लंबित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त लंबित राजस्व मुकदमों का निस्तारण किया गया है? यदि हां, तो ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना में 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक दर्ज, निस्तारित एवं बकाया प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना के राजस्व वाद 25 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र 18 कुल 43 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

भिवाड़ी को जिला बनाने की कार्ययोजना

264. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार भिवाड़ी को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में नवीन जिलों के संबंध में भौगोलिक परिस्थिति, प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नीतिगत निर्णय लिया जाता है।

बजट सत्र 2022-23 के दौरान दिनांक 03.03.2022 को सामान्य वाद विवाद पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने माननीय सदस्यों, जन प्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से समय-समय पर नये जिले बनाने के संबंध में प्राप्त हो रहे ज्ञापन/मांग पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर आवश्यकता का आंकलन कर

(राजस्व मंत्री)

नये जिलों के लिए 6 माह में अभिशंसा देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित किया है।

अलवर में संचालित ईंट भट्टे

265. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में स्थित खनिज अभियंता कार्यालय के अधीन अधिकृत एवं प्रभावशील ईंट भट्टा इकाइयों के स्वीकृति पत्र, मय खसरा सत्यापन रिपोर्ट व तहसीलवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यालय के अधीन विगत तीन वर्ष में अनधिकृत ईंट भट्टा इकाइयों पर की गई कार्यवाही का तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यालय के क्षेत्राधिकार में वर्तमान में चल रहे अवैध ईंट भट्टों तथा क्षेत्रवार खनिज कार्यालयों में पदस्थापित लिपिक तथा सहलिपिक का क्षेत्रवार नाम मय पद तथा पदस्थापन अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में स्थित कार्यालय खनि अभियन्ता, अलवर के क्षेत्राधिकार में प्रभावशील ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्रों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-01 पर उपलब्ध है। इन अनुज्ञापत्रों के स्वीकृति आदेश व खसरा सत्यापन रिपार्ट की प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-2 व 3 पर उपलब्ध हैं।

(2) कार्यालय खनि अभियंता, अलवर के क्षेत्राधिकार में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में दिनांक 28.02.2022 तक अनाधिकृत ईंट भट्टा इकाइयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-04 पर उपलब्ध है।

(3) कार्यालय खनि अभियंता, अलवर के क्षेत्राधिकार में वर्तमान में कोई भी ईंट भट्टा अवैध संचालित नहीं है। अलवर शहर में स्थित खान एवं भूविज्ञान विभाग के कार्यालय खनि अभियंता, अलवर; कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, अलवर तथा कार्यालय खनि अभियंता (सतर्कता), अलवर में पदस्थापित लिपिक तथा सहलिपिक का नाम, पद व पदस्थापन अवधि का कार्यालयवार विवरण परिशिष्ट-05 पर उपलब्ध है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

संगरिया में नंदीशाला की स्थापना

266. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट 2019-20 में बेसहारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रदेश की प्रत्येक पंचायत समितियों पर नन्दीशाला स्थापित करने की घोषणा की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि बजट 2021-22 में प्रत्येक नन्दीशाला के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये के हिसाब से रुपये 111 करोड़ खर्च करने की भी घोषणा की गई थी?

(3) विधान सभा क्षेत्र संगरिया की कितनी पंचायत समितियों में अब तक नन्दीशालाओं का निर्माण कराया गया है व उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई है? क्या सरकार शेष रही पंचायत समितियों में नन्दीशाला खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई थी।

(2) जी हां। बजट 2021-22 में इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नन्दीशालाओं को राशि 1.50 करोड़ रुपये के माडल के आधार पर बनाये जाने तथा इस हेतु आगामी वर्ष राशि रुपये 111.00 करोड़ की राशि का बजट प्रावधान किया गया।

(3) पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला स्थापना हेतु जिला गोपालन समिति, हनुमानगढ़ द्वारा जारी निविदा में विधान सभा क्षेत्र संगरिया में किसी पंचायत समिति से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसके फलस्वरूप विधान सभा क्षेत्र संगरिया में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला की स्थापना एवं व्यय राशि की सूचना शून्य है।

जिला हनुमानगढ़ में पंचायत समिति हनुमानगढ़ एवं नोहर में नन्दीशाला स्थापना हेतु एक-एक संस्थाओं के साथ अनुबंध किया गया है। जिला हनुमानगढ़ की शेष रही पंचायत समितियों में नंदीशाला की स्थापना एवं संचालन हेतु पात्र संस्थाओं से आवेदन प्राप्त होने पर नंदीशाला खोलने की कार्यवाही की जा सकेगी।

अलवर की पंचायतों में नंदीशालाओं की स्थापना

267. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2019 के बजट में प्रत्येक पंचायत समिति के स्तर पर नंदी गौशालाएं खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अलवर की कितनी पंचायतों में नंदी गौशाला खोलने की योजना बनाई गई है? उक्त के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले में पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला खोलने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस पंचायत में? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई थी। बजट 2021-22 में इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नन्दीशालाओं को राशि 1.50 करोड़ रुपये के माडल के आधार पर बनाये जाने की घोषणा की गई है।

(2) बजट घोषणा अनुरूप अलवर जिले की सभी पंचायत समितियों में नंदीशालाएं खोला जाना प्रावधित है। प्रत्येक पंचायत समिति में राशि रु. 1.57 करोड़ की कुल लागत (राज्यांश 90 प्रतिशत तथा संस्था का अंशदान 10 प्रतिशत) से नन्दीशाला निर्मित करने का प्रावधान है।

इस वित्तीय वर्ष में पंचायत स्तरीय समिति नन्दीशाला के लिए राशि रु. 111.91 करोड़ का प्रावधान है तथा जिलों को राशि रु. 3.85 करोड़ आबंटित की जा चुकी है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जिला गोपालन समिति, अलवर द्वारा नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्था का चयन करने हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। दिनांक 10.02.2022 को जिला उपापन समिति द्वारा निविदा खोली गई जिसमें एकमात्र आवेदन प्राप्त हुआ, जिसको समिति द्वारा योजना के प्रावधान अनुरूप पात्र नहीं पाये जाने पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बून्दी में बावड़ियों का जीर्णोद्धार

268. श्री अशोक डोगरा (बून्दी): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बून्दी में विश्वविख्यात मंदिरों व बावड़ियों आदि के सौन्दर्यीकरण हेतु विशेष पैकेज जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। श्री बीजासन माता मंदिर इन्द्रगढ़, बून्दी पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 99.74 लाख के पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

राज्य बजट 2022-2023 पर सामान्य वाद विवाद के दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राज्य की ऐतिहासिक बावड़ियों के पुनरुद्धार कराये जाने की घोषणा की गई है, जिसमें बून्दी जिले की अभयनाथ की बावड़ी, नागर सागर का कुण्ड, भावल्दी बावड़ी, मीरा गेट बावड़ी, मालनमासी बावड़ी, शुक्ल बावड़ी, बोहरा जी का कुण्ड, मनोहर बावड़ी, क्लब बावड़ी, अनारकली की बावड़ी व पुलिस लाइन की बावड़ी आदि सम्मिलित हैं।

बदनोर (भीलवाड़ा) स्थित महल की मरम्मत

269. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा के बदनोर कस्बे में स्थित 7 मंजिला महल में विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा मरम्मत पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महल में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व उक्त महल को पर्यटकों के लिए कब तक खोल दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में राज्य योजनान्तर्गत बदनोर किला, भीलवाड़ा के संरक्षण, परकोटे की मरम्मत एवं अन्य पर्यटन विकास कार्यों हेतु वर्ष 2017-18 में राशि रु. 1.70 करोड़ का व्यय किया गया।

(पर्यटन मंत्री)

(2) विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

स्वच्छ-भारत-मिशन के प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध सामग्री

270. श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) स्वच्छ भारत मिशन में पिछड़े एवं कमजोर समुदाय में आईईसी योजनान्तर्गत क्या प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मिशन में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कितनी राशि किस-किस मद में प्राप्त हुई तथा किस-किस जिले में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया? जिलेवार, वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के प्रचार-प्रसार हेतु जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों को सामग्री उपलब्ध करायी गयी है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि राज्य स्तर से भेजी गयी सामग्री का जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों द्वारा उपयोग नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका निर्धारित है? क्या सरकार द्वारा उक्त मानदण्डों की पालना की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण हेतु जारी मार्गदर्शिका में पिछड़े एवं कमजोर समुदाय में आईईसी योजनान्तर्गत पृथक् से प्रावधान नहीं है। मार्गदर्शिका में आईईसी और क्षमता सवर्धन हेतु परियोजना व्यय के 5 प्रतिशत अंश तक का प्रावधान है, जिसमें से 2 प्रतिशत तक केन्द्रीय स्तर पर और 3 प्रतिशत तक राज्य/जिला स्तर पर उपयोग किया जाता है। राज्य/जिला स्तर पर 3 प्रतिशत अंश का उपयोग आईईसी/व्यवहार परिवर्तन कार्य (BCC)/अंतर-वैयक्तिक सप्रेषण (IPC) और सभी संबंधित संचार गतिविधियों और क्षमता संवर्धन पर किये जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान समस्त समुदाय/वर्गों हेतु है।

(2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत भारत सरकार व

(पंचायती राज मंत्री)

राज्य सरकार से 60:40 के अनुपात में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक प्राप्त राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जिलेवार, वर्षवार व मदवार उपयोग की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रचार-प्रसार हेतु जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों को सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। समस्त जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों द्वारा राज्य स्तर से भेजी गयी समस्त सामग्री का पूर्ण उपयोग किया गया है।

(4) ग्राम पंचायत, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के तहत ग्राम स्तर पर तैयार की जाने वाली सभी गतिविधियों की योजना निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व करेगी और मांग सृजन हेतु समुदाय में जागृति लाने, व्यक्तिगत साफ-सफाई को बढ़ावा देने, आईईसी और क्षमता संवर्धन तथा शौचालय और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन परिसम्पत्तियों के निर्माण और रख-रखाव के द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का नेतृत्व करेगी। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमिका की पालना की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नवीन पंचायत समितियों के भवनों का निर्माण

271. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2018 से 2021 तक पंचायतों का पुनर्गठन कर नवीन पंचायत समितियां एवं ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं? यदि हां, तो उक्त में से अब तक कितनी पंचायत समितियों के नवीन भवनों का निर्माण किया गया?

(2) क्या सरकार को पंचायत समितियों के जीर्ण-शीर्ण भवनों के स्थान पर नवीन भवन व नवीन पंचायतों के नवीन भवन बनाने के भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त में से कितने प्रस्तावों में स्वीकृति प्रदान की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार विधान सभा क्षेत्र घाटोल की ग्राम पंचायत सोनामगरी एवं अन्य पंचायतों के भवनों की स्वीकृति कब तक देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2018 से 2021 तक पंचायतों का पुनर्गठन कर 57 नवीन पंचायत समिति एवं 1455 नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। उक्त में से 48 पंचायत समितियों को भूमि आबंटित हो गई है, जिसमें से एक कार्य पंचायत समिति देलवाड़ा की स्वीकृति जारी की जाकर निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

(2) उक्त 57 पंचायत समिति भवनों में से 2 पंचायत समिति कार्यालय भवन वर्तमान में शिक्षा विभाग के खाली भवन में संचालित हो रहे हैं। अत: इन 2 पंचायत समिति भवन हेतु नवीन भवनों की आवश्यकता नहीं है। एक पंचायत समिति भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं शेष पंचायत समितियों के नवीन भवनों के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो रहे हैं।

नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण के प्रस्ताव जिला परिषद् स्तर पर प्राप्त होते हैं। उक्त 1455 नवीन ग्राम पंचायत भवनों में से 15 ग्राम पंचायत कार्यालय भवन वर्तमान में शिक्षा/अन्य विभाग के खाली भवन में संचालित हो रहे हैं, अत: इन 15 पंचायत भवन हेतु नवीन भवनों की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में 1249 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण की स्वीकृति जिला परिषद् स्तर से जारी की जा चुकी है।

(3) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में ग्राम पंचायत सोनामगरी की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है किन्तु भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है एवं अन्य 12 ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत है। जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीलीबंगा में बी.पी.एल. परिवारों का सर्वे

272. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने से वंचित रहे परिवारों के नाम पुनः सर्वे करवाकर जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा पिछला बेस लाइन सर्वे कब करवाया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पात्र परिवारों के नाम

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

उक्त सूची में सम्मिलित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीपीएल सर्वे ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार करवाया जाता है। जब भी भारत सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, नवीन बीपीएल सर्वे करवाया जा सकेगा।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर पिछला बीपीएल सर्वे 2002 में कराया गया।

(3) ऐसा परिवार जो बीपीएल सूची में नामित होने हेतु पात्र है, वह द्विस्तरीय अपील के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी, जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन कर बीपीएल सूची में नाम जुड़वा सकता है।

विधायक मद की राशि से विकास कार्यों की अनुशंसा

273. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधायक मद की राशि से अपने विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु अनुशंसा करने के कितने दिन पश्चात् प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त राशि से अनुशंसा करने के पश्चात् स्वीकृति जारी करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 3.3 एवं 3.4 के अनुसार माननीय विधायक से प्रस्तावित कार्य की अभिशंसा प्राप्त होने पर प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी होने की अवधि निम्नानुसार है:-

1. **प्रशासनिक स्वीकृति** - प्रस्ताव प्राप्त होने के 05 दिवस में
2. **तकनीकी स्वीकृति** -

   12 दिन - एक जैसे समान कार्यों के लिए मोडल एस्टीमेट के आधार पर

   18 दिन - जिन कार्यों में कार्यवार एस्टीमेट (मौके की स्थिति के अनुसार)

(ग्रामीण विकास मंत्री)

3. **वित्तीय स्वीकृति**-तकनीकी स्वीकृति जारी होने के 7 दिवस में।

3.4 यदि किसी कार्य की तकनीकी स्वीकृति की राशि विधायक द्वारा प्रस्तावित लागत राशि से 10 प्रतिशत से अधिक है तो उस प्रस्तावित कार्य के लिए शेष राशि की संबंधित विधायक से सहमति प्राप्त करने के बाद ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जानी है। ऐसे प्रकरण की संबंधित विधायक महोदय से सहमति प्राप्त होने के एक सप्ताह में वित्तीय स्वीकृति जारी कर देनी होगी।

दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 3.3 एवं 3.4 परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 3.3 एवं 3.4 में उक्त समय सीमा का प्रावधान निर्धारित है। दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 3.3 एवं 3.4 परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फलौदी में महिला एवं बाल विकास हेतु आबंटित बजट

274. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में 01 जनवरी, 2019 से अब तक कितना-कितना बजट किस-किस मद में आबंटित किया गया? उक्त में से कितना व्यय किया गया व कितनी राशि शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान वित्तीय लेखा नियमों के तहत 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 तक व्यय किये गये बजट का उपयोग किया गया है? यदि हां, तो उक्त समयावधि में कितने टेण्डर आमंत्रित किये गये व न्यूनतम बोलीदाता से कौन-कौनसे कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फलौदी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 बाल विकास परियोजना परियोजनाएं क्रमश: परियोजना फलौदी एवं बाप संचालित हैं, जिसमें 01 जनवरी, 2019 से आबंटित बजट, व्यय एवं शेष का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) जी हां। 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 तक खर्च किये गये बजट का उपयोग राजस्थान वित्तीय लेखा नियमों के तहत किया गया है।

इस समयावधि में बाल विकास परियोजना अधिकारी फलौदी एवं बाप द्वारा टेण्डर आमंत्रित कर न्यूनतम बोलीदाताओं से खरीद का कार्य किया गया। निविदा एवं कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

समदड़ी में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यालय

275. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जो भवन रहित हैं? क्या सरकार उक्त केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पंचायत समितिवार महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र के समदड़ी पंचायत समिति मुख्यालय पर उक्त कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की रोक है। स्थानीय प्रतिनिधियों/जन प्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021 व 27.08.2021 लिखे गये, जिनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की रोक है। स्थानीय प्रतिनिधियों/जन प्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति के बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021 व 27.08.2021 लिखे गए, जिनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है।

भारत सरकार स्तर से नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 44 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय द्वारा नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाता है।

(4) वर्तमान में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय खोलने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है। समेकित बाल विकास सेवाएं योजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है। नवीन बाल विकास परियेाजना अधिकारी का कार्यालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्थिति में मानदण्डानुसार खोले जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है। भारत सरकार स्तर से अन्तिम रूप से वर्ष 2010 में 26 बाल विकास परियोजनाएं खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। उसके पश्चात् नवीन बाल विकास परियोजनाएं खोलने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

राज्य में जनसंख्या वृद्धि/आबादी घनत्व में वृद्धि/भौगोलिक पृष्ठ भूमि को देखते हुए राज्य को नवगठित/सृजित पंचायत समितियों/शहरी निकायों के अनुसार नवीन बाल विकास परियोजनाएं खोलने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्रांक 134120 दिनांक 30.09.2021 लिखा गया, जिस पर भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अभी अपेक्षित है।

भारत सरकार स्तर से नवीन बाल विकास परियोजनाएं खोले जाने सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लाडपुरा में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण

276. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में 8 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त प्रोजेक्ट में उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी ग्राम पचायतें सम्मिलित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि यहां कैचमेंट में जो ड्रेन दी गई है, उनमें किसानों के आने-जाने के रास्ते हैं?

(3) क्या उक्त रोड बन जाने से वहां के किसानों के आने-जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे? यदि हां, तो रास्ते बंद हो जाने से भविष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना है? क्या पूर्व में जिस माप के रास्ते बने थे उतने ही बनाए जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सी.ए.डी. प्रशासन के द्वारा एन.एच.ए.आई. को नियम विरुद्ध निर्माण की स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो वहां निर्माण कार्य कैसे हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारतमाला परियोजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग 148 एन के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कोटा जिले के लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में गोदल्याहेरी, झाखोरा, गन्दीफली, अरण्डखेडा, बनियानी, मण्डाना, काल्याखेरी एवं भंवरिया पंचायतें शामिल हैं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। ड्रेनों पर संरचनाएं प्रदान की गई हैं तथा किसानों के आने-जाने के रास्ते का प्रावधान या तो ड्रेन पर स्थित संरचना पर है या उसे ड्रेन के निकटतम स्थित संरचना से 3 मीटर चौड़े रास्ते से आवागमन हेतु जोड़ा जायेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस मामले में राज्य सरकार के सिचिंत क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग के सुझावों के अनुसार संरचना निर्माण के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।

(4) जी नहीं। सी.ए.डी. प्रशासन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जिन मुख्य नहरों, ब्रांचों व ड्रेनों पर अनुमोदन पूर्व में प्रदान

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

किया गया उसके अनुसार ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। पूर्व में सीएडी द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की प्रतिलिपियां परिशिष्ट-1, 2, 3, 4 पर संलग्न हैं।

वर्तमान में सीएडी, प्रशासन द्वारा और अधिक क्रॉस ड्रेन्स एवं रास्तों की मांग की गई है, जिस पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सक्षम अधिकारियों द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(प्रतिलिपियां पुस्तकालय में रखी गयी)

सहाड़ा की सड़कों का नवीनीकरण

277. श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कौन-कौनसी सड़कों का कब-कब नवीनीकरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों के कार्य रोक दिये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों के? क्या सरकार उक्त को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विगत 3 वर्षों में सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में नवीनीकरण हुई सड़कों का विवरण परिशिष्ट-01 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। कुछ स्वीकृत कार्य कोविड-19 महामारी के कारण शुरू करने में विलम्ब हुआ है तथा वर्तमान में तीन अप्रारम्भ कार्यों की पुन: निविदा जारी की गई है। शेष सभी स्वीकृत कार्य प्रगतिरत हैं। विवरण परिशिष्ट-02 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

चूरू जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

278. श्री नरेन्द्र बुड़ानिया (तारानगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गांवों की सड़कों का चयन करने की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चूरू में उक्त योजनानुसार विगत तीन वर्षों में कितनी

(श्री नरेन्द्र बुड़ानिया)

सड़कों की स्वीकृति हुई है तथा विधान सभा क्षेत्र तारानगर की सड़कों की वर्तमान में क्या स्थिति है? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गांवों को आपस में जोड़ने हेतु सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों के चयन करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-01 पर प्रस्तुत है।

(2) जिला चूरू में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुसार विगत 3 वर्षों में स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट-02 एवं विधान सभा क्षेत्र तारानगर की सड़कों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-03 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में गांवों को आपस में जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

बड़ी सादड़ी में जीर्ण-शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण

279. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में जीर्ण-शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्ष 2021-22 में जीर्ण-शीर्ण सड़कों के नवीनीकरण हेतु स्वीकृत सडकों का विवरण परिशिष्ट-01 पर प्रस्तुत है। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची परिशिष्ट-02 पर प्रस्तुत है, जिनका नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण कराना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं कार्यों की पारस्परिक वरीयता पर निर्भर करेगा।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

करौली की क्षतिग्रस्त सड़कें

280. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री लाखन सिंह)

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र करौली में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण हेतु कितना-कितना बजट किन-किन तहसीलों में आबंटित किया गया है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कौन-कौनसी सड़कें क्षतिग्रस्त होने के उपरान्त भी ठीक नहीं हो पाई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो सर्वे के आधार पर कौन-कौनसी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण हेतु तहसीलवार आबंटित बजट (स्वीकृत लागत) का विवरण परशिष्ट-01 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र करौली में मरम्मत पूर्ण की गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट-02 पर प्रस्तुत है तथा शेष क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-03 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र करौली में वर्तमान में क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-03 पर प्रस्तुत है।

(4) शेष क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जमवारामगढ़ में देवनारायण बोर्ड से आबंटित बजट

281. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में देवनारायण बोर्ड से विकास कार्यों

(श्री गोपाल लाल मीना)

हेतु प्रतिवर्ष बजट उपलब्ध करवाया जाता है? यदि हां, तो उक्त बजट में से विकास कार्यों पर राशि व्यय करने के क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गुर्जर बहुल ग्राम पंचायतों में उक्त बोर्ड के द्वारा विकास कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से विकास कार्य करवाये जा सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गुर्जर बहुल ग्राम पंचायतों में अब तक उक्त बोर्ड के बजट से कोई राशि आबंटित नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की गुर्जर बहुल ग्राम पंचायतों में विकास कार्य हेतु उक्त बोर्ड से राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। देवनारायण बोर्ड का कार्य देवनारायण योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का प्रबोधन, समीक्षा एवं सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना है।

देवनारायण बोर्ड को प्रशासनिक कार्यों हेतु बजट उपलब्ध कराया जाता है।

(2) जी नहीं। देवनारायण बोर्ड का कार्य अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु देवनारायण योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का प्रबोधन, समीक्षा एवं सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना है।

(3) देवनारायण बोर्ड का कार्य देवनारायण योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का प्रबोधन, समीक्षा एवं सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना है।

देवनारायण योजना के अन्तर्गत अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु संचालित योजनाओं का लाभ सम्पूर्ण राज्य में पात्र विद्यार्थियों को मिल रहा है।

(4) देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु संचालित योजनाओं यथा देवनारायण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, देवनारायण पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, देवनारायण

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

गुरुकुल योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, छात्रावास, देवनारायण आवासीय विद्यालय, आई.टी.आई. आदि का लाभ सम्पूर्ण राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिल रहा है।

किशनगंज में दिव्यांग शिविर

282. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में दिव्यांगों को क्या-क्या मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में मूकबधिर, दिव्यांग शिविरों का आयोजन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (बारां) में दिव्यांगों को मुख्य रूप से निम्न प्रकार मूलभूत सुविधाएं विभाग द्वारा दी जा रही हैं

1. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनाः इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए 5.00 लाख रुपये तक की राशि ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है, जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो, रुपये अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
2. विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य योजनाः इस योजना के अन्तर्गत विशेष योग्यजन युवक/युवतियों को विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु रुपये 50,000/- प्रति दम्पत्ति आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
3. दिव्यांग हेतु स्कूटी योजनाः इस योजनान्तर्गत दिव्यांगों को कालेज आने-जाने तथा स्वरोजगार हेतु कार्य करने पर विभाग द्वारा स्कूटी उपलब्ध करायी जाती है।
4. संयुक्त सहायता उपकरण वितरण योजनाः- इस योजनान्तर्गत विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पूर्ण करने के लिए 10,000/- रुपये तक के कृत्रिम अंग/उपकरण उपलब्ध करवाये जाते हैं, यथा ट्राईसाइकिल, बैशाखी, व्हीलचेयर, कैलीपर्स, श्रवणयंत्र, ब्लांइडस्टिक, स्मार्ट-मोबाइल, जयपुर फुट/शूज/पाम पेड इत्यादि।

5. विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजनाः राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र/छात्राएं को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है।

6. दिव्यांगजन पेंशन योजनाः इस योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदान की जा रही है।

(2) जी हां। कोविड-19 के कारण विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (बारां) में विगत 2 वर्षों में अलग से मूकबधिर दिव्यांग शिविरों का आयोजन नहीं हो पाया। वर्ष 2021-22 में प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविरों के दौरान दिव्यांगों को लाभान्वित करवाया गया था।

रतनगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति हेतु आबंटित भूमि

283. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रतनगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति को भूमि आबंटित की गई है?

(2) क्या सरकार उक्त भूमि पर मण्डी समिति के भवन, दुकानें व टीनशेड के निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति रतनगढ़ को सरकार द्वारा अभी तक कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है।

(2) उत्तर बिन्दु संख्या 1 के अनुसार है।

बीकानेर कृषि उपज मण्डी में आबंटित दुकानें

284. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में कुल कितने गांव आते हैं?

(श्री सुमित गोदारा)

विगत तीन वर्षों में उक्त गांवों को कब-कब सड़क से जोड़ा गया है? उक्त गावों के विकास पर कब व कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मण्डी प्रांगण में कितने व्यावसायिक भवन व दुकानें हैं? उन्हें कब व किस प्रक्रिया से आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मण्डी के संचालन हेतु उक्त मण्डी में सम्पूर्ण साधन व सुविधायें उपलब्ध हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर के क्षेत्र में कुल 116 गांव आते हैं। बीकानेर कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में वर्ष 1985 से अब तक बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर के मुख्य मण्डी एवं गौणमण्डी प्रांगणों के व्यावसायिक भवनों, दुकानों की संख्या सहित एवं उनके आबंटन की प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर के मुख्य मण्डी एवं गौणमण्डी प्रांगणों में वर्तमान मे उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त हैं। मण्डी समिति की आवश्यकता एवं उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इनमें निरन्तर अभिवृद्धि की जाती है।

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर के मुख्य मण्डी एवं गौणमण्डी प्रांगणों में वर्तमान मे उपलब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

भीलवाड़ा जिले में पंजीकृत श्रमिक

285. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में विभाग में कितने श्रमिक पंजीकृत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में विगत तीन वर्षों में कितने पंजीकृत श्रमिकों को किस-किस योजना में कितना-कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

(3) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में श्रमिक योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है? उक्त में से कितनी राशि का भुगतान किया गया व कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में कुल 65,863 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में विगत तीन वर्षों (दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2021) में 1,264 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, जिनको मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है, का योजनावार विवरण मय राशि परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान नहीं किया जाता है। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का वित्त पोषण निर्माण कराने वाले नियोजकों से निर्माण लागत की 1 प्रतिशत वसूली गई उपकर राशि से होता है एवं प्राप्त उपकर राशि का उपयोग ही संचालित योजनाओं के लिए किया जाता है। जिलों को आवश्यकतानुसार एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर युक्ति युक्त बजट का आबंटन मण्डल द्वारा किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आमेर में श्रमिक कार्ड

286. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत श्रमिकों का पंजीयन किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को क्या-क्या लाभ एवं सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में विगत तीन वर्षों में कितने श्रमिक कार्ड जारी किये गये तथा उक्त अवधि में कार्डधारियों को क्या-क्या लाभ, सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में श्रमिक कार्ड जारी किये जाने के कितने आवेदन लंबित हैं एवं क्यों तथा अब कब तक उक्त का निस्तारण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन किये जाने का प्रावधान है। मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 13 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में विगत 3 वर्षों में 2275 श्रमिक कार्ड जारी किये गये तथा उक्त अवधि में लाभान्वित श्रमिकों का योजनावार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में 445 पंजीयन आवेदन लंबित हैं। मंडल में प्राप्त आवेदनों का विभाग में उपलब्ध सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए यथाशीघ्र निस्तारण के प्रयास किये जाते हैं।

आवेदनों का जिला स्तर पर वरीयतानुसार प्राप्त आवेदनों का "पहले आओ पहले पाओ" (FIFO) पद्धति से यथाशीघ्र निस्तारण किया जाता है, जो एक निरंतर प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जैतारण में संचालित आयुर्वेद औषधालय

287. श्री अविनाश (जैतारण): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कितने आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त औषधालयों में से कितने औषधालय राजकीय भवनों में तथा कितने निजी भवनों में कब से संचालित हैं? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आयुर्वेदिक औषधालयों में किस-किस श्रेणी के कितने पद कब से रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जैतारण में 24 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। सूची परिशष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित औषधालयों में से 21 विभागीय/दान में प्राप्त, 01 पीएचसी, 01 ग्राम पंचायत के भवन में तथा 01

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

जवाहर लाल रोजगार योजना केन्द्र के सरकारी भवन में संचालित है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उक्त औषधालयों में चिकित्सक के 10, नर्स/कम्पाउण्डर के 07 एवं परिचारक के 02 पद रिक्त हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

रिक्त पदों को निम्नानुसार कार्यवाही की जाकर भरे जाने हैं:-

नर्स/कम्पाउण्डर - 704 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर नियमानुसार उक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

चिकित्साधिकारी - विभागीय सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवा नियमों में संशोधन उपरान्त नियमानुसार रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिचारक - रिक्त पदों पर संविदा एजेन्सी के माध्यम से सेवायें लिए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

खींवसर में संचालित आयुर्वेदिक औषधालय

288. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में कितने आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त औषधालयों में से कितने औषधालय राजकीय भवनों में तथा कितने निजी भवनों में कब से संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आयुर्वेदिक औषधालयों में किस-किस श्रेणी के कितने पद कब से रिक्त हैं? उक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में 01 आयुर्वेद चिकित्सालय एवं 16 औषधालय, कुल 17 चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित चिकित्सालय/औषधालय में से 12 विभागीय/दान में प्राप्त, 01 पीएचसी के भवन में तथा 04 विद्‌यालय के सरकारी भवन में संचालित हैं। दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित चिकित्सालय/औषधालय में चिकित्साधिकारी, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त रिक्त पदों को निम्नानुसार कार्यवाही की जाकर भरे जाने हैं:-

नर्स/कम्पाउण्डर - 704 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर नियमानुसार उक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

चिकित्साधिकारी - रिक्त पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट

मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़) :

1. प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में समय पर भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
2. प्रदेश में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

3. प्रदेश में अनुसूचित जाति की बस्तियों में स्वच्छता के लिए पृथक् से नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. प्रदेश के अम्बेडकर छात्रावासों में एल.ई.डी. कम्प्यूटर तथा प्रिंटर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. प्रदेश के अम्बेडकर छात्रावासों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

6. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अनुसूचित जाति बहुल गांवों डाबड़ा, रठावना, बरोढ़ा, अवलेश्वर, अमलावद, किकरीया, वरमण्डुल, लुपही, अरमोडा, दलोट, खरकड़ा, साखवली खुर्द, सखथल, भूतिया जाम्डिवला, नकोर, मधुरातालाव तथा रेणदा में अम्बेडकर भवन हेतु आवश्यक बजट प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. जिला प्रतापगढ़ के विकास से वंचित अनुसूचित बहुल गांवों को चयनित कर विशेष पैकेज देकर विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. प्रदेश के टी.एस.पी. क्षेत्र में अनुसूचित जाति आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

9. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु अम्बेडकर भवन निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

10. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के टिपरी में अनुसूचित जाति के छात्रावास निर्माण के संबंध मे चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

11. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु कच्ची बस्ती में विशेष पेयजल योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
12. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु कच्ची बस्तियों में टूटी सड़कों को नई बनवाने एवं ठीक करवाने हेतु विशेष बजट आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. प्रदेश में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु कच्ची बस्तियों में भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेडकरजी के नाम से नवीन सामुदायिक भवन बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
14. प्रदेश में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु कच्ची बस्तियों में नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
15. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु कच्ची बस्तियों में विशिष्ट योजना द्वारा नवीन स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

16. प्रदेश के प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर अम्बेडकर भवन निर्माण करने व पुस्तकालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
17. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर शहर में अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों द्वारा विद्युत कृषि कनेक्शन हेतु आवश्यक राशि जमा कराये जाने के बावजूद कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।
18. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की अनुसूचित जाति की विभिन्न कच्ची बस्तियों में सड़कें तथा सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने तथा ग्राम टोला, सुभाषनगर, कंवर कालोनी, अमरगढ़, राखेड, इन्दुदा, बाबाजी का खेड़ा, मेडिया, पन्डेर तथा खजुरिया में विकास कार्यों की स्वीकृति के संबंध में।

19. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के विकलांग व दिव्यांगों को ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर व्यक्तिगत योजनाओं से लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

20. प्रदेश में अनुसूचित जाति के मुकदमों को चिह्नित किये जाकर पीड़ित व्यक्तियों को भुगतान योग्य मुकदमों से नकद राशि दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

21. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के जसवंतपुरा उपखण्ड मुख्यालय पर अनुसूचित जाति का छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

22. प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए छोटे-छोटे उद्योग लगाने पर 50% छूट का अतिरिक्त प्रावधान करने पर चर्चा के लिए।

23. प्रदेश में अनुसूचित जाति की बस्तियों में सामुदायिक भवन, सड़क, सफाई, रोशनी, शिक्षा एवं चिकित्सा की व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

24. प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

25. प्रदेश में अनुसूचित जाति को समानता का अधिकार मिले, इस हेतु जन जागरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए जाति व्यवस्था के कड़े बन्धनों पर पाबन्दी लगाई जाने तथा ऊंच-नीच की बुराई को मिटाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

27. प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत भूमि आबंटन से वंचित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भू-आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र डग में अम्बेडकर छात्रावास खोलने पर चर्चा के लिए।

29. विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ऋण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

30. प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र डग के चौमहला में अनुसूचित जाति के बच्चों का छात्रावास भवन जर्जर होने, बच्चों को दिये जाने वाला भोजन, पेयजल व अन्य सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

32. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु आवासीय छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

33. प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुल गांवों में सार्वजनिक स्थान पर डा. भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति सरकार द्वारा लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

34. प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. प्रदेश में अनुसूचित जाति के परिवारों को विशेष सहयोग राशि देकर आवासीय योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को उत्तम शिक्षा हेतु आश्रम छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग को स्वतंत्र अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

38. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में निवासरत अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष पैकेज योजना एवं उत्थान पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

39. प्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के हितार्थ विभिन्न सरकारी भर्तियों व पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में समस्त विभागों में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने के आदेशों की पालना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. प्रदेश में ब्लाक व तहसील स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सम्पूर्ण सुविधायुक्त छात्र/छात्राओं का छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

41. प्रदेश में अनुसूचित जाति के आरक्षण में रोस्टर बिन्दुओं का निर्धारण सरकार के आदेश दिनांक 10 फरवरी, 1975 को पुन: लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

42. प्रदेश के सभी विभागों में परीक्षण कराकर आरक्षित पदों के बैकलाग को विशेष भर्ती से भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

43. प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण हेतु संचालित छात्रावासों में देय सुविधाओं की गुणवत्ता को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. प्रदेश में सम्बल ग्राम विकास योजना के लिए बाड़मेर जिले से प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति की मांग पर चर्चा के लिए।

45. प्रदेश में टी.एस.पी. क्षेत्र की भांति रेगिस्तानी (डेजर्ट) जिलों में भी अनुसूचित जाति के बालकों हेतु आश्रम विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अनुसूचित जाति के जनसंख्या घनत्व को देखते हुए आवासीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

47. प्रदेश में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु संचालित की जा रही योजनाओं के प्रभावी ढंग से लागू करने तथा व्यय की जा रही राशि की निगरानी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

48. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं को चालू करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

50. प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों की रोकथाम के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों का विकास करने के संबंध में चर्चा के लिए।

53. प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए सरकारी भर्तियों में आवेदन नि:शुल्क करने के संबंध में चर्चा के लिए।

52. प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर) :

54. प्रदेश में अनुसूचित जाति के कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट):

55. विधान सभा क्षेत्र लोहावट में पंचायत समिति मुख्यालय लोहावट, देचू, बापीणी व आऊ में भीमराव अम्बेडकर छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

56. प्रदेश में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु संचालित विशिष्ट संघटक योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

57. प्रदेश में देवनारायण योजना की तर्ज पर अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं को भी भीमराव अम्बेडकर योजना बनाकर स्कूटी वितरण योजना लागू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसमंद व झल्लारा पंचायत समिति में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नि:शुल्क आवासीय पट्टे जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसमंद व झल्लारा तहसीलों और पंचायतों में अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों

में शुद्ध पेयजल, सड़क, नाली निर्माण, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर पूर्णरूपेण विकास करने के संबंध में चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गांवों में अनुसूचित जाति की बस्तियों में शराब की अवैध दुकानें, मकानों के ऊपर गुजर रही बिजली लाइनें हटाने, पेयजल, सीमेन्ट सड़क व सामुदायिक भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन, प्रधानमंत्री जन आवास, बालबाड़ी, मां-बाड़ी, आंगनबाड़ी, छात्रावास तथा वंचित लोगों के लिए विशिष्ठ योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

62. प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति, छात्रावासों में मैस भत्ता तथा वृद्धजन/विधवा पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

63. प्रदेश में अनुसूचित जाति की बस्तियों में सामुदायिक भवनों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र मावली में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए पृथक् छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपखण्ड मुख्यालयों पर कोचिंग व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

66. प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि के समय की वरिष्ठता के आधार पर (बिना पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लिए) वरिष्ठ होने के उपरान्त भी पदोन्नति न कर पदों को रिक्त रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में वर्षों से निवास कर रहे अनुसूचित जाति के परिवारों के आवासीय भवनों का नियमितीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के लम्बे समय से चले आ रहे बैकलाग को पूरा नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

69. प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित योजनाओं को लक्षित समूह एवं बजट प्रावधान संख्या के अनुपात में किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

71. प्रदेश में अनुसूचित जाति छात्रावासों में समुचित भोजन सामग्री हेतु बजट बढ़ाये जाने की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

72. चूरू जिले में अनुसूचित जाति की छात्राओं को वर्ष 2020-21, 2021-22 में स्कूटी वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

73. चूरू जिले में अनुसूचित जातियों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र चूरू में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

75. चूरू जिले के चयन के बावजूद प्रधानमंत्री आवासीय योजना (अनुसूचित जाति) की स्वीकृति जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

76. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा हेतु विशेष कार्य योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में अनुसूचित जाति के लिए विशेष संगठक योजना के तहत विशेष पैकेज दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

78. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में प्रधानमंत्री आवासीय ग्राम योजना

के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए किये गये आवास निर्माण कार्यों के संबंध में चर्चा के संबंध में।

79. प्रदेश में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत संचालित बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग योजना की प्रगति के संबंध में चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति तथा परिणामों की समीक्षा के संबंध में चर्चा के लिए।

81. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ऋण योजना के अन्तर्गत संचालित व्यवसायों की प्रगति की समीक्षा के संबंध में चर्चा के लिए।

82. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राज्य में संचालित छात्रावासों में देय सुविधाओं में सुधार तथा वहां कार्यरत कर्मचारियों की सुविधाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

83. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के ग्रामों में आधारभूत सुविधायें जैसे डा. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र, सामुदायिक शौचालय, इंटर लोकिंग ब्लाक सड़क निर्माण व पानी की जी.एल.आर. पाइप लाइन नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 12 एमएलडी के ग्राम 29-AS(B) में अनुसूचित जाति के 40 प्रतिशत से अधिक आबादी होने के उपरांत भी डा. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र, सामुदायिक शौचालय, इंटर लोकिंग सड़क निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण और पानी की जी.एल.आर. पाइप लाइन नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 65 KM के ग्राम 1 KM (B) में अनुसूचित जाति का बाहुल्य होने के उपरान्त भी प्रदत्त भौतिक सुविधाओं जैसे डा. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र, सामुदायिक शौचालय, इंटर लोकिंग ब्लाक सड़क निर्माण व पानी की जी.एल.आर. पाइप लाइन इत्यादि तैयार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 2 पीजीएम (बी) के ग्राम 5/8 (ए) में अनुसूचित जाति का बाहुल्य होने के उपरान्त भी प्रदत्त भौतिक सुविधायें व ग्राम में इंटर लोकिंग ब्लाक सड़क निर्माण, डा. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के तैयार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 72 जीबी के ग्राम 68/2 जीबी में अनुसूचित जाति का बाहुल्य होने के उपरान्त भी ग्राम में आधारभूत सुविधायें जैसे डा. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र, सामुदायिक शौचालय, ग्राम में इंटर लोकिंग ब्लाक सड़क निर्माण, सामुदायिक शौचालय, पानी की जी.एल.आर. पाइप लाइन इत्यादि के तैयार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

88. विधान सभा क्षेत्र सोजत में अनुसूचित जाति कल्याण हेतु विशेष कार्यक्रम चलाकर आत्मनिर्भरता हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

89. प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं को भी स्कूटी दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

90. प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग के संबंध में चर्चा के लिए।

91. प्रदेश के टी.एस.पी. क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति वर्ग को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

92. प्रदेश में अनुसूचित वर्ग की विभिन्न पदों की लम्बे समय से चल रही रिक्तियों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं आबादी के कम घनत्व व राज्य की विशेष समस्याओं व आवश्यकताओं को देखते हुए अनुसूचित जाति हेतु नई योजनायें चालू करने एवं चलित योजनाओं में संशोधन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. प्रदेश में अनुसूचित जाति हेतु विभिन्न योजनाओं में वर्तमान में बढ़े

हुए महंगाई के इंडेक्स को देखते हुए योजनाओं की राशि के प्रावधानों को संशोधित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. प्रदेश में अनुसूचित जाति की बस्तियों में सामुदायिक भवन नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

96. प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगो के पास जीविकोपार्जन के संसाधन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

97. प्रदेश में अनुसूचित जाति की विभिन्न योजना में सरकार द्वारा निर्धारित टारगेट पूरे नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

98. प्रदेश में अनुसूचित जाति की बस्तियों में पीने का पानी, सड़क तथा बिजली की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

99. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के अनुसूचित जाति के मौहल्लों में नाली निर्माण, पेयजल स्कीम व सार्वजनिक शौचालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. प्रदेश में अनुसूचित वर्ग की विभिन्न योजनाओं में आबंटित राशि अनुसूचित आबादी के अनुपात में खर्च किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में सामुदायिक भवन खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

102. डूंगरपुर जिले में अनुसूचित जाति के छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्ग के पद अनुसूचित जनजाति से भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

104. प्रदेश में अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

105. प्रदेश में अनुसूचित जाति की समस्याओं के निराकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

106. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बहुल जनसंख्या वालों ग्रामों में आधारभूत सुविधाएं जैसे हैण्डपम्प डा. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय, पक्की सड़क, पानी की जी.एल.आर पाइप लाइन आदि बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. प्रदेश में अनुसूचित जाति के युवकों/युवतियों द्वारा स्वर्ण जातियों के युवकों/युवतियों से अन्तरजातीय विवाह पर देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान समय पर किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

108. भीलवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति की विधवा, परित्यक्ता महिलाओं, अनाथ बच्चों के पालन-पोषण हेतु संचालित पालनहार योजना में लाभान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु विद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावास संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के 11वीं कक्षा या उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते का समय पर भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी):

111. प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय समस्याओं तथा अम्बेडकर भवनों में भोजन की गुणवत्ता/व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

112. प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने तथा अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

113. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पंचायत समिति मुख्यालय कल्याणपुर में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु 50 बैड का छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. प्रदेश में संचालित आवासीय छात्रावासों में विभागीय अधीक्षकों के रिक्त पदों को भरने एवं स्थायी रसोइया एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों के भवनों की मरम्मत करने हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. प्रदेश में जनजातीय विकास क्षेत्र में लागू सभी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को मरुस्थलीय एवं सीमावर्ती जिलों में अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों में विद्यार्थियों को बेहतर आवास एवं भोजन के साथ ही इन्टरनेट एवं अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राकेश पारीक (मसूदा):

118. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के बाड़ी में अनुसूचित जाति का छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के डेबलिया कलां में अनूसूचित जाति का छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

120. प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अनूसूचित जाति का बैकलाग पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

121. प्रदेश में निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी अनुसूचित जाति को आरक्षण प्रदान करने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. सिरोही जिले में अनूसूचित जाति की बस्तियों में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाने के संबंध में चर्चा के लिए।

123. सिरोही जिले में अनुसूचित जाति की बस्तियों में सी.सी. रोड बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

124. सिरोही जिले में अनुसूचित जाति की बस्तियों में सामुदायिक भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

125. प्रदेश में अनुसूचित जाति की बस्तियों को चिह्नित कर उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

126. प्रदेश में अनुसूचित जाति के जन प्रतिनिधियों को पंचायती राज विभाग में सम्मान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

127. प्रदेश में अनुसूचित जाति एक्ट में दर्ज मुकदमों में समय पर सरकार द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

128. प्रदेश में अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए अम्बेडकर भवन का निर्माण हर ब्लाक में करवाया जाकर उसमें पुस्तकालय की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

129. प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

130. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सरकार की ओर से देय सुविधाओं की विभागवार निर्धारित लक्ष्य तक उपलब्धि हासिल नहीं होने पर चर्चा की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को देय छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में गत तीन वर्षों के दौरान अधूरे लक्ष्य से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अनुसूचित जाति वर्ग के अशिक्षित वर्ग को नशाखोरी, शराब सेवन जैसी बुरी लतों से बाहर निकालकर प्रत्येक पंचायत स्तर पर सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अनुसूचित जाति कल्याण हेतु उपखण्ड स्तर पर छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

135. विधान सभा क्षेत्र नोखा की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम से परिपूर्ण पुस्तकालय खोले जाने तथा इसका संचालन ग्राम पंचायत में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र नोखा की तिलोक सेवा समिति, नोखा में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए कन्या छात्रावास हेतु सीटें स्वीकृत करने व शहीद कालूराम मेघवाल सेवा समिति में अनुदानित छात्रावास खोलने पर चर्चा के लिए।

137. प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए अनुदानित छात्रावासों के छात्रों का मैस भत्ता राजकीय छात्रावासों के छात्रों के बराबर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र नोखा में श्री तिलोक मेघवंशी अनुदानित छात्रावास, नोखा (बीकानेर) में छात्रावासित स्वीकृत सीटों की संख्या 49 से बढ़ाकर 100 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र नोखा के अनुसूचित जाति के मोहल्लों में सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनग़ंज):

140. विधान सभा क्षेत्र किशनग़ंज (शाहबाद) में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं पर चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र किशनग़ंज (शाहबाद) में अनुसूचित जाति के वर्ग के छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

142. प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्तियों का भुगतान कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. प्रदेश में संचालित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों की सुचारु व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. प्रदेश में संचालित अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा देने के बदले सरकार से अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की समय पर आडिट एवं सतत मानिटरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में अनुसूचित जाति के बच्चों की न्यूनतम संख्या 50 का प्रवेश सुनिश्चित कराने एवं इससे कम को प्रवेश देने की स्थिति पर आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के निर्धन एवं

बी.पी.एल. चयनित परिवारों को भूखण्ड देने एवं उस पर निर्माण हेतु सस्ती दर पर धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

147. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के नगरपालिका मेड़ता सिटी में निवासरत अनुसूचित जाति (बांसफोड़ समाज) के भूमिहीन व मकान रहित परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड आबंटन कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के अनुसूचित जाति की कच्ची बस्तियों व मौहल्लों में सामुदायिक भवन बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मौहल्लों में पानी की पाइप लाइन डालने, सड़क व नाली निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. प्रदेश में निजी क्षेत्र की कंपनियों में अनुसूचित जाति को आरक्षण दिये जाने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की स्कालरशिप समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

152. विधान सभा क्षेत्र आहोर में अनुसूचित जाति के अम्बेडकर भवनों के संबंध में चर्चा के लिए।

153. प्रदेश में अनुसूचित जाति को सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ जिलेवार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र आहोर में अनुसूचित जाति के लिए आवासीय छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

155. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में संचालित अनुसूचित जाति के छात्रावासों में दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की विभिन्न छात्रवृत्तियों के वितरण के संबंध में चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के छात्रावास भवनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मरम्मत कार्य व आवश्यकतानुसार नवीन भवन निर्माण व भवन विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के गरीब तबके से आने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रावासों से विद्यालय तथा महाविद्यालय तक आने-जाने हेतु नि:शुल्क सुरक्षित वाहनों की व्यवस्था किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

160. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम टोकरड़ा, बावरी गोपी नाथ, हस्तेड़ा, चारनवास आदि स्थानों पर कई वर्षों से काबिज होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि समय पर नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन पर अतिक्रमण एवं कब्जा आई.पी.सी. की धारा 183 पर करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

164. प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार दिलाये जाने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. प्रदेश में अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगारों के संबंध में चर्चा के लिए।

166. प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिलाओं के उत्थान के संबंध में चर्चा के लिए।

167. प्रदेश में अनुसूचित जाति के अध्ययनरत छात्रों की स्कालरशिप बढ़ाने हेतु चर्चा के लिए।

168. प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रावास में सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

169. प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष आर्थिक, समाजिक कार्ययोजना बनाकर उनके उत्थान के संबंध में चर्चा के लिए।

170. प्रदेश में अनुसूचित जाति के कृषकों को ग्रीन हाउस एवं शैडनेट योजना से लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

171. प्रदेश में अम्बेडकर छात्रावास की कमी की समस्या एवं अनुसूचित जाति के बच्चों को निर्धारित समय पर सरकारी योजना के लाभ दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के छात्रावासों की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सुसंचालन की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

174. जालौर जिले के समस्त विकास खण्डों में रिक्त पड़े सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र जालौर के सायला विकास खण्ड़ में अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए एक छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को देय छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

177. राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

178. प्रदेश में पैरों से दिव्यांग अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सुगम आवागमन हेतु बैटरी चालित स्कूटी अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

179. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों की प्रथम दो पुत्रियों के विवाह पर अनुग्रह राशि नहीं दिये जाने पर उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

180. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राएं जो 11वीं कक्षा या उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं, को अनुरक्षण भत्ता दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित अनुसूचित जाति के छात्र व छात्राओं हेतु विद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावास बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के अनुसूचित जाति की विधवा, परित्यक्ता महिलाओं, अनाथ बच्चों के पालन-पोषण हेतु पालनहार योजना से वंचितों को लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं के अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या के गांवों में आधारभूत सुविधाएं विकसित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।